# महाराजा भीमसिंह एवं उनका युग
# (1793 ई. – 1803 ई.)

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर इतिहास विभाग में

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएच.डी. ( इतिहास )

उपाधि हेतु प्रस्तुत

## शोध–प्रबन्ध


शोध–निर्देशिका सुशीला

**प्रो. (डॉ.) सुशीला शक्तावत**

विभागाध्यक्ष

इतिहास विभाग

शोधार्थी

**ममता रानी**

इतिहास विभाग

कला, शिक्षा एवं समाज विज्ञान संकाय

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर


2022

# शोधार्थी घोषणा पत्र

मैं **ममता रानी** यह सत्यतापूर्वक एवं शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के इतिहास विभाग में पीएच.डी. की उपाधि हेतु **''महाराजा भीमसिंह एवं उनका युग (1793 ई. – 1803 ई.)''** विषयक शोध–प्रबंध मेरी अपनी मौलिक कृति है तथा विश्वविद्यालय के शोध नियमों एवं उपबन्धों के अन्तर्गत इस शोध प्रबंध को प्रस्तुत कर रही हूँ।

उक्त वर्णित शोध कार्य वर्ष 2014 से आज तक **प्रो. (डॉ.) सुशीला शक्तावत,** इतिहास विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के पर्यवेक्षण में किया गया है। उक्त शोध कार्य को किसी अन्य विश्वविद्यालय में किसी भी डिग्री, डिप्लोमा या अन्य योग्यता प्राप्त करने के लिए आज दिनांक तक आंशिक या पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**उक्त शोधकार्य का भाग निम्नलिखित शोधपत्रों के रूप में प्रकाशित किया गया है:–**

- **महाराजा भीमसिंह कालीन स्थापत्य कला (वि.स. 1850–1860) (दिसम्बर 2018),** International Journal of Research and Analytical Review (IJRAR) (UGC Valid Journal), Vol. 5, Issue-4, E-ISSN: 2348-1269, P-ISSN : 2349-5138.
- **महाराजा भीमसिंह का प्रशासनिक संगठन (1793–1803 ईस्वी) (जुलाई–सितम्बर 2021)** Shod Shree (A Peer Reviewed International Referred Journal) (UGC Valid Journal), Vol. 40, Issue-3, ISSN: 2277-5587.

**अर्न्तराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सम्मेलन/संगोष्ठी:-**

- National Seminar: Rajasthan History Congress: 33rd Session (5-7 February, 2019). Presented Paper Title: **महाराजा भीमसिंह का प्रशासनिक संगठन (1793–1803 ई.स)** Organized By: Mahila P.G. Mahavidyalya, Kamla Nehru Nagar, Jodhpur.
- National Seminar: Rajasthan History Congress: 34th Session (19-20 December, 2019). Presented Paper Title: **मारवाड़ के महाराजा भीमसिंह कालीन वस्त्रों का अध्ययन** Organized By: Dept. of History, Faculty of Humanities & social Science, IASE (Deemed to be University), GVM, Sardarshahr (Raj.).
- Workshop on Old Rajasthani Bahies Lipi (15-24 January 2020), Participate. Organised By Maharaja Man Singh Pustak Prakash Research Centre, Mehrangarh Museum Trust, Jodhpur.

**ममता रानी**

शोधार्थी

# Certificate of Publication


## INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND ANALYTICAL REVIEWS (IJRAR) | IJRAR.ORG

*An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal*

E-ISSN: 2348-1269, P-ISSN: 2349-5138


The Board of

International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR)

Is hereby awarding this certificate to

**Mamta Rani**

In recognition of the publication of the paper entitled

**MAHARAJA BHIMASINGH KALIN STHAPATYA KALA (V.S. 1850-1860)**

Published In IJRAR ( www.ijrar.org ) UGC Approved - Journal No : 43602 & 7.17 Impact Factor

Volume 5 Issue 4 , Date of Publication:December 2018 2018-12-24 23:52:29

PAPER ID : IJRAR19D3400

**Registration ID : 242517**

R.B.Joshi

**EDITOR IN CHIEF**


**UGC and ISSN Approved - Scholarly open access journals, Peer-reviewed, and Refereed Journals, Impact factor 7.17 (Calculate by google scholar and Semantic Scholar | AI-Powered Research Tool) , Multidisciplinary, Monthly Journal**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND ANALYTICAL REVIEWS | IJRAR**

*An International Scholarly, Open Access, Multi-disciplinary, Indexed Journal*

**Website: www.ijrar.org | Email: editor@ijrar.org | ESTD: 2014**

Manage By: IJPUBLICATION Website: www.ijrar.org | Email ID: editor@ijrar.org

IJRAR | E-ISSN: 2348-1269, P-ISSN: 2349-5138

IJRAR.ORG E-ISSN: 2348-1269, P-ISSN: 2349-5138

# INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND ANALYTICAL REVIEWS (IJRAR) | IJRAR.ORG

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

**Ref No : IJRAR/Vol 5 / Issue 4/ 400**

**To,**
**Mamta Rani**
**Publication Date 2018-12-24 23:52:29**

**Subject:** Publication of paper at International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR).

Dear Author,

With Greetings we are informing you that your paper has been successfully published in the International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR) - IJRAR (E-ISSN 2348-1269, P- ISSN 2349-5138). Thank you very much for your patience and cooperation during the submission of paper to final publication Process. It gives me immense pleasure to send the certificate of publication in our Journal. Following are the details regarding the published paper.

| | | |
|---|---|---|
| About IJRAR | : | UGC and ISSN Approved - International Peer Reviewed Journal, Refereed Journal, Indexed Journal, Impact Factor: 7.17, E-ISSN 2348-1269, P- ISSN 2349-5138 |
| UGC Approval | : | UGC Approved Journal No: 43602 |
| Registration ID | : | IJRAR_242517 |
| Paper ID | : | IJRAR19D3400 |
| Title of Paper | : | MAHARAJA BHIMASINGH KALIN STHAPATYA KALA (V.S. 1850-1860) |
| Impact Factor | : | 7.17 (Calculate by Google Scholar) \| License by Creative Common 3.0 |
| DOI | : | |
| Published in | : | Volume 5 \| Issue 4 \| December 2018 |
| Publication Date | : | 2018-12-24 23:52:29 |
| Page No | : | 893-900 |
| Published URL | : | http://www.ijrar.org/viewfull.php?&p_id=IJRAR19D3400 |
| Authors | : | Mamta Rani |

Thank you very much for publishing your article in IJRAR. We would appreciate if you continue your support and keep sharing your knowledge by writing for our journal IJRAR.

International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR)
E-ISSN 2348-1269, P- ISSN 2349-5138
IJRAR

R.B.Joshi

Editor In Chief
International Journal of Research and Analytical Reviews - IJRAR
(E-ISSN 2348-1269, P- ISSN 2349-5138)

© 2018 IJRAR December 2018, Volume 5, Issue 4 www.ijrar.org (E-ISSN 2348-1269, P- ISSN 2349-5138)

# महाराजा भीमसिंह कालीन स्थापत्य कला (वि.स. 1850–1860)

ममता रानी
भाोधार्थी, इतिहास विभाग, जय नारायण व्यास वि"वविद्यालय, जोधपुर

**भाोध सारां"।**

**इतिहास को जानने के लिए प्राचीन स्मारक, f"ालालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, मंदिर, गुफाएं, स्तूप, किले, बावड़ी, क्ए, महल, थड़े आदि महत्वपूर्ण साधन है। वि.स. 1850–1860 में महाराजा भीमसिंह के समय में बने देवल, जलस्त्रोत, छतरियों आदि से राजा की प्रतिशठा के बारे में जान सकते है**
**संकेताक्षर : झालरे, बावड़िया, भीतडा, गीतड़ा, चुनगर, नाजर, तलहटी।**

विकसित रूपों में हम मनुश्य के अनवरत प्रयासां को खोजते है जिससे उसकी सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के प्रति विचार, जीवन के प्रति दृश्टिकोण, सौन्दर्यात्मक सूची ज्ञात होती है। प्राचीन स्मारक, शिलालेख, मंदिर, किले, महल, भाासकों के स्मारक, भवन तथा जलाशय आदि स्थापत्य को जानने के प्रमुख साधन है।

किसी भी काल में बनी हुई इमारत, स्मारक, मंदिर, गुफाएँ, स्तूप, किले, महल, ताम्रपत्र, आदि उस समय के समाज का दर्पण होती है। मारवाड़ में एक कहावत है 'कीर्तिर्यस्य स जीवित' अर्थात् जिसकी संसार में कीर्ति–य"ा है वही जीवित है। वह जीविका क जीवित रहने के साधन दो ही ह। 'काव्य और पत्थर'।

नाम राखण ने गीतड़ा के भींतड़ा
नाम गीतड़ा के भींतड़ा सूं रेवै।[1]

अर्थात् "मनुश्य जाति की कीर्ति को चिरस्थायी रखने वाली वस्तु या तों उसका इतिहास (गीतड़ा) है या उसके कीर्ति स्तम्भ (भीतड़ा) – भवन, गढ़ किले, हवेलिया, मंदिर, छतरिया, देवल, थड़े, तालाब, कुएँ, बावड़ियां और झालरे है।"

स्थापत्य पर अध्ययन किया जाये तो सृश्टि के प्रथम f"ाल्प"ाास्त्री का जिक्र होता है। सभी कलाओं के निर्माता व रचयिता परमपिता ब्रह्मजी के पौत्र भगवान श्री वि"वकर्माजी है। कई ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मजी ने सृश्टि के निर्माण के समय नगरों के निर्माण का कार्य वि"वकर्माजी को सौंपा था। श्री वि"वकर्माजी ने 'f"ाल्प भाास्त्र' नामक ग्रन्थ की रचना की। श्री वि"वकर्माजी ने ब्रह्मजी से पूछा था की नगर का निर्माण कैसे करे तब ब्रह्मजी ने एक कागज पर नक"ाा बना दिया जो संसार का प्रथम 'रेखा चित्र' था। जोधपुर राज्य की मरदूम"ुमारी रिपोर्ट से पता चलता है कि सृश्टि में प्रथम नगर निर्माणकर्ता वि"वकर्माजी थे।[2]

संस्कृत में सूत के धागे से नाप ले कर निर्माण करने वाले को सूत्रधार कहा जाता था। एक भवन को बनाने में अनेक कारीगरों की आव"यकता होती थी, जो मारवाड़ की कुछ जातियों के द्वारा किया जाता था। कई ग्रन्थो व बहियों में इन जातियों का उल्लेख मिलता है जैसे – दीवार का चेजा अर्थात् दीवार चुनने का कार्य करते थे उन्हे चेजारा कहते थे। चुना बनाने वाले को चूनगर कहा जाता था। जूना बनाने का काम कुम्हार, कबाड़ी व कालीगर प्रमुख थे। रिपोर्ट मरदुम"ुमारी में उल्लेख मिलता है कि चुनगर अपनी भट्टी में स्वंय आग नही लगाते थे, वे किसी ओर को पैसे देकर भट्टी मे आग लगवाते थे। तालाब

खोदने वाले, खानों में से पत्थर फोड़कर लाने का कार्य बेलदार या ओड़ जाति के द्वारा किया जाता था। किसी राज्य की स्थापत्य का कार्य इन जातियों के बिना संभव नही था।[3]

मारवाड़ में जल को सहज कर रखने की परम्परा के चलते यहां पर समय–समय पर सभी भाासकों के द्वारा कई कुएं, बावड़िया, तालाब, झालरे, बांध, कुंड और टांके व नाड़िया, तलाई, सर, सरोवर, जोहड़, झीलें और खडीन आदि जलस्त्रोतों में राजस्थान के प्राचीनतम जलस्त्रोतो में मण्डोर की बावड़ी वर्तमान मे प्राचीन वापी (बावड़ी) है। वर्तमान में भी मण्डोर रेलवे के पर्वतमाला के नीचे चट्टान खोदकर अंग्रेजी के 'एल' अक्षर के आकार की बावड़ी स्थित है।[4]

महाराजा भीमसिंह (वि.स. 1850–1860) ने अपने 10 वर्श के कार्यकाल में कई मंदिर, बावड़ी, महल, हवेली का निर्माण करवाया जिसमें से कुछ अस्तित्व में है और कुछ नही है।

मेहरानगढ़ दुर्ग राठौड़ो की नगरी की पहचान यह दुर्ग भाहर के प्रत्येक कोने से दिखाई देता है। चिडियानाथ की पहाड़ी पर बने इस दुर्ग का निर्माण 1459 ई. में राव जोधा के हाथों से भाुरू हुआ परन्तु समय–समय भाासकों के आवागमन के साथ ही इस दुर्ग का निर्माण होता गया। इस दुर्ग के बारे में इतिहासकार कहते है कि – ब्रिटानी पत्रकार श्री रूडयार्ड किपलिंग ने कहा "इसका निर्माण फरिस्ते, परियों और देवताओं की करामात है।"

कर्नल जेम्स टॉड – "जोधे के बेटे इस महल की खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते थे, उनकी हुकूमत की हद तक इस किले से इनकी निगाह पहुंचती है।"[5]

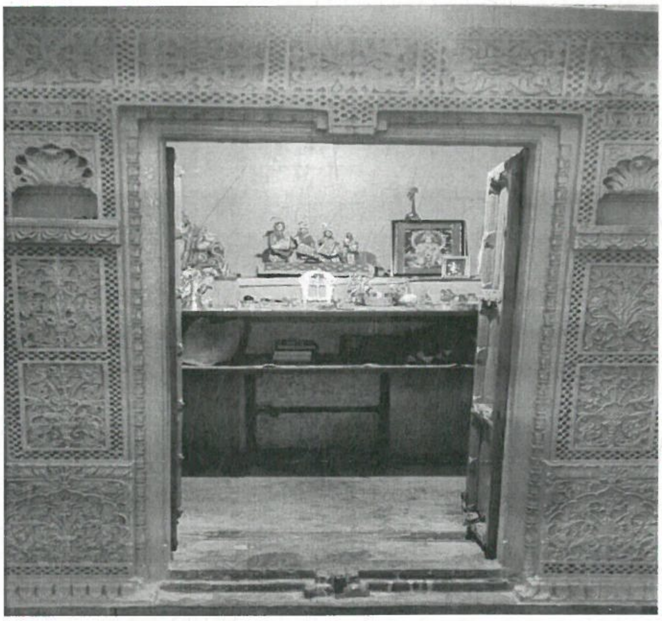
मेहरानगढ़ दुर्ग के दो प्रवे"ा द्वार व सात पोले ह। प्रथम लोहापोल से होकर अंदर जाते है। लोहापोल का अगला भाग राव मालदेव ने बनवाया परन्तु पूर्ण रूप से महाराजा विजयसिंह ने तैयार करवाया। लोहापोल के ऊपर झरोखे का निर्माण महाराजा भीमसिंह ने करवाया।[6] फतहमहल व फूलमहल के कोठार व कोटड़ियों का निर्माण किया था।[7] इस दुर्ग का निर्माण भाासकों के कर कमलों से उनके अलग–अलग समय पर होने से उनमें विभिन्न भौलियों का समावे"ा विद्यमान है।

मंडोर जोधपुर के उत्तर पि"चम में 08 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। मंडोर प्राचीनकाल से ही विस्तृत नगर व मारवाड़ की राजधानो रहा है। मंडोर में स्थापत्य कला का बहुआयामी विकास हुआ। मंडोर में उद्यान व देवी–देवताओं की साल, इक थम्बिया महल, पुराना किला व म्युजियम भव, थड़े, देवल, तालाब व कुएं इत्यादि बने हुए है जो कि स्थापत्य कला का उदाहरण है। मंडोर में राजाओं के थड़े (मृत्यु–स्मारक) बने हुए है जो उस समय





**महाराजा अजीतसिंह का थड़ा और मुख्य द्वार पर उत्कीर्ण ि"ालालेख**





**रघुनाथ जी का मंदिर और थम्बे पर खुदा हुआ दोहा ।**

राजा की प्रतिश्ठा को द"र्ाता है। मंडोर में सबसे सुन्दर थड़ा महाराजा अजीतसिंह (वि.स. 1764–1781) का है। जिसे महाराजा अभयसिंह के प्रपोत्र महाराजा भीमसिंह ने संवत् 1860 में पूरा करवाया था। देवल से प्राप्त ि"ालालेख से ज्ञात होता है इसका निर्माण चदनन्यू गजधर वीरामह ने किया था यह ि"ालालेख देवल के मुख्य द्वारा पर उत्कीर्ण है जो इस प्रकार है –

"महाराजा धराज श्री अजीत सिघ जी रो देवल (01)
महाराज श्री भीवसिंह जी करायो दरोगो श्री रायतेगो (2)
गजधर बीरा 'महस' मति काति वद 12 सवंत् 1860 रा (3)
सवंत् 1856 मास भादवा बुद 14 सरू हुवो।

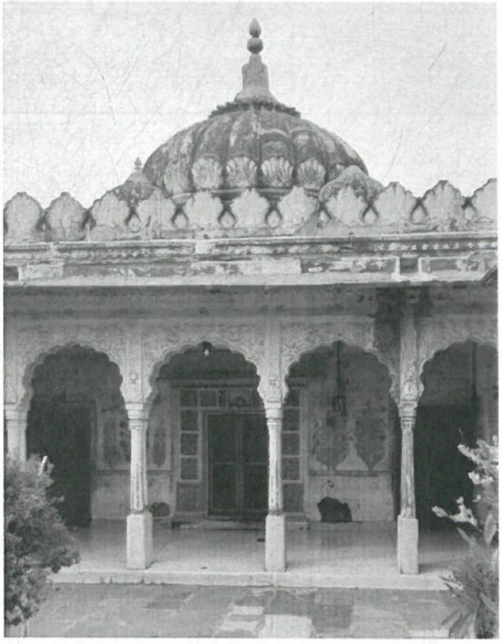
इस लेख के खादे जाने के एक सप्ताह बाद ही कार्तिक सूद 4 वि.स. 1860 को महाराजा भीमसिंह का अकस्मात् (यकायक) स्वर्गवास हो गया।[8] महाराजा अजीतसिंह का यह देवल राजस्थान कें समस्त देवलों में न केवल भव्यतम अपितू इसकी कलात्मक विलक्षणता से इसे स्मृति–भवनों में उच्च स्थान प्राप्त हुआ है।

जोधपुर दुर्ग के नीचे तलहटी के महलों का निर्माण सवाई राजा सूरसिंह जी ने सवंत 1672 में करवाया। इनके भाासनकाल मे निर्माण अधुरा रह गया था जिसे राजा गजसिंह प्रथम ने सवंत 1688 ई. में पूरा करवाया। फिर भी अधुरा रह गया था जिसे महाराजा भीमसिंह ने संवत 1852 में हमामपोल का कार्य पूरा करवाया।[9]

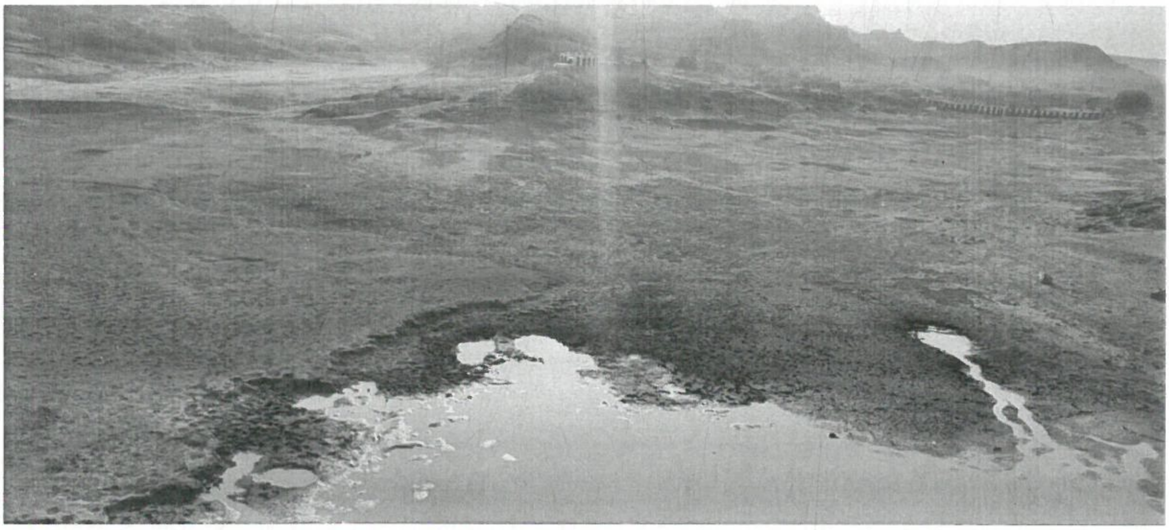
महाराजा भीमसिंह का सेनापति अखेराज ने वि.स. 1857 में एक तालाब का निर्माण करवाया जिसे 'अखे सागर' तालाब नाम दिया गया।[10] इस तालाब पर दीवान इन्द्रराज सिंघवी (सेनापति अखेराज सिंघवी का भाई) ने छतरी का निर्माण करवाया तथा इस तालाब पर रघुनाथजी के मंदिर का निर्माण करवाया गया जहां पर महाराजा भीमसिंह के हाथों इस मंदिर की स्थापना करवाई गई। इस मौके पर महाराजा भीमसिंह ने एक दोहा कहा था जो एक थम्बे पर खुदवाया गया था। यह लेख थम्बे पर आज भी है। वर्तमान में यह निजी सम्पति है यहां पर दिलिप वैश्णव व उनका परिवार इन छतरियां की व मंदिर की देखभाल करते है। मंदिर में मूर्ति तो चोरी हो गई लेकिन मंदिर आज भी यथावत् है। महाराजा ने इस अवसर पर मंदिर के लिए आसोज वदि 4 सवंत 1858 को डोली और तांबा पत्र इनायत किया।[11]

जोधपुर के लोग धार्मिक विचारधारा के थे। समय–समय पर कई भाासकों व रानियों ने मंदिरो का निर्माण करवाया था। महाराजा भीमसिंह ने संवत 1854 को विधिवत भीतला माता मंदिर कागा में स्थापित करवाया[12] इस मंदिर में भीतला माता, ओरी माता आर अचपड़ा माताजी की प्रतिमाएँ स्थापित है। पहले भीतला माता की मूर्ति तलहटी के महलों में स्थापित थी, महाराजा विजयसिंह के राजकुमार का सवंत 1857 में सप्तमी को भीतला माता की पूजा के दिन देहान्त हो गया जिससे महाराजा को बड़ा अफसोस हुआ। तब उन्होने कहा कि माता की पूजा से ही राजकुमार की मृत्यु हो गई तो इस मूर्ति की पूजा क्यों की जाए तब इस मूर्ति को नागौरी गेट के बाहर रखवा दी। कालान्तर में यही मूर्ति महाराजा भीमसिंह जी ने विधिवत कागा में मंदिर बनवाकर स्थापित करवाई। यहां प्रतिवर्श माता का मेला अश्टमी को लगता है। इस दिन सभी लोग ठण्डा भोजन करते है।

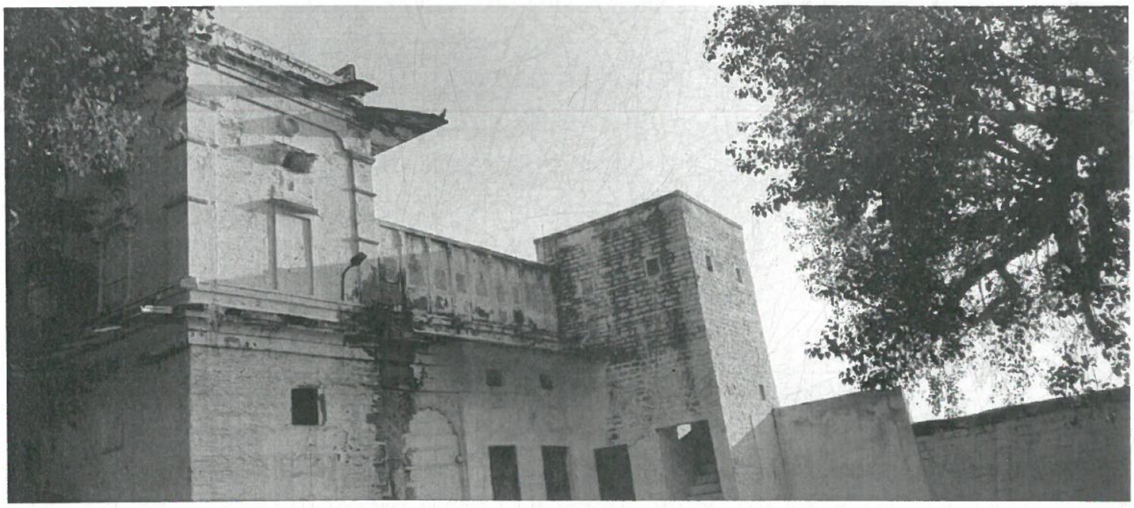




विशणु मंदिर (नरसिंह जी का मंदिर) ठाकुर मुरली मनोहर जी का मंदिर



देरावर जी का तालाब और महल (जीवनसिंह जी का तालाब)



सोनारो की घाटी के ढलान पर बने राणो भटियाणी जी के मंदिर के पूर्व तथा दक्षिणामुखी में विश्णु मंदिर (नरसिंह जी का मंदिर) स्थित है इसका निर्माण महाराजा भीमसिंह की दूसरी रानी भोखावत जी ने करवाया था।[13]

ठाकुर मुरली मनोहर जी का मंदिर रामपोल व ब्रह्मपुरी में रामपोल के पास भींवसिंह जी की रानी सिरे कवंर तंवरजी ठाकुर सुरताणसिंह ठिकाना केलावा की पुत्री ने ठाकुर मुरली मनोहर जी के मंदिर का निर्माण करवाया था।[14] मंदिर का निर्माण संवत 1860 के आशाढ़ सूद 5 को कामदार बख्तावरमल ने करवाया था।

चामुण्डा माताजी का मंदिर जो राठौड़ो की कुल देवी और मेहरानगढ़ दुर्ग की भाान को राव जोधाजी ने माताजी की मूतिं को मंडोर से मंगवाकर दुर्ग में मंदिर बनाकर स्थापित किया था। राव जोधा ने वि.स. 1517 में चामुण्डा माताजी मंदिर की स्थापना की। राव जोधाजी ने छोटा मंदिर बनवाया था पर महाराजा अजीतसिंह ने चामुण्डा माताजी के मंदिर का निर्माण करवाया था तथा महाराजा भीमसिंह ने मंदिर मे कली करवाई और f"ाखर पर साने का कल"ा चढ़वाया था।

जोधपुर में बावड़ी का प्रमुख स्थान था क्योंकि यहां के लोग जल को देवता की तरह मानते है यहां पर कई भाासकों व उनकी रानियों ने बावड़ी, तालाब, झील आदि जल स्त्रोंतो का निर्माण करवाया था। महाराजा भीमसिंह (वि.स. 1850–1860) के समय में कुछ जल स्त्रोत बनवाये गये और कुछ की मरम्मत करवा कर राज्य को सुदृढ़ बनाया। फतहसागर का निर्माण महाराजा विजयसिंह की रानी भोखावत जी झुंझनू के पुत्र महाराज कंवर फतहसिंह की स्मृति में करवाया, लेकिन इसे पूरा महाराजा भीमसिंह ने करवाया।[15] वर्तमान मे इस सागर में गंदगी ने स्थान ले लिया है। यहां आस–पास के लोगो ने गंदगी फैला कर ऐतिहासिक धरोहर को गंदा कर दिया है।

देरावरजी के तालाब को महाराजा भीमसिंह की रानी ने अपने नाम देरावर जी भटियाणी से करवाया था। यह तालाब बालसंमद व कागा के बीच रावटी के पूर्व–दक्षिण की तरफ है।[16] इस तालाब पर एक बाग व एक महल बना हुआ है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करे तो आजकल इसे जीवनसिंह का

तालाब कहा जाता है, पहले यहां पागलों के इलाज हेतु अस्पताल खोला गया था। लेकिन बाद में इसे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के लिए उपयोग में लिया गया है।

बालसंमद झील जोधपुर की सुंदर झीलों मे से एक है इसका निर्माण मंडोर के भाासक नाहड़राव पड़िहार के भाई बालकराव पड़िहार ने करवाया। इस झील को वि.स. 1175 में मंडोर रोड पर बनाया था। जोधपुर के कई भाासकों ने इस झील का जीर्णोदार करवाया गया। महाराजा भीमसिंह (वि.स. 1850 – 1860) में बालसंमद की घाटी को बंधवाया अर्थात् दिवारें बनाकर इसे सुरक्षित करवाया। तालाब के ऊपर की साल व वागा के अंदर साल का निर्माण करवाया तथा कुछ महलों का जीर्णोदार भी महाराजा भीमसिंह ने करवाया था।[17] वर्तमान में यहां होटल का संचालन किया गया है तथा महल खण्डर हो गये है जहां घोड़ो को रखा गया है। पहले यहां पर राजा, महाराजा व सेनापतियों को ठहराया जाता था।

महाराजा भीमसिंह ने नाजर की बावड़ी जो कि बाईजी सा के तालाब के पि"चम में नरसिंघ जी के मंदिर के पास में स्थित है उसका निर्माण वि.स. 1859 में करवाया था।[18]

कुछ अन्य बावड़ीयों का निर्माण भीमभड़क की पहाड़ियों में करवाया था वहां रहने वालें संतो के पीने के लिए लेकिन कायलाना झील बनने के बाद बावड़ीया लुप्त हो गई है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि महाराजा भीमसिंह ने अपने 10 वर्श के कार्यकाल में अपनी प्रतिश्ठा को बनाये रखने के लिए कई मंदिर, कुएं, बावड़ीया, तालाब, महल आदि का निर्माण करवाया। किसी भी काल में स्थापत्य का कार्य उस समय क समाज का दर्पण होती है। स्थापत्य की कारीगरी व अंकित मूर्तियों का अध्ययन करके परम्परागत भौली और उसमे हुए परिवर्तन व उनका समाज पर प्रभाव को समझा जा सकता है।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः–

1. मारवाड रा पुरातत्व और स्थापत्य, डां. महेन्द्र सिंह तंवर, पुश्ठ–11, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर 2018
2. मर्दुम"ुमारी, राज मारवाड़ 1891, पृश्ठ 36
3. मर्दुम"ुमारी, राज मारवाड़ 1891, पृश्ठ 40
4. बही भट्ट बही री लिखी, ग्रन्थांक न. 43, पुस्तक प्रका"ा, जोधपुर
5. टोड कर्नल, एनालस एण्ड एण्टिक्विटिज ओफ राजस्थान पृश्ठ–485
6. मारवाड़ रे परगनाा री विगत, डां. नारायण सिंह भाटी, प्रथम भाग पृश्ठ 572
7. मारवाड़ रे परगना री विगत, डां. नारायण सिंह भाटो, प्रथम भाग पृश्ठ 573
8. हकीकत बही न. 6, संवत 1851–58, इमेज न. 352
9. ख्यात, जो"ी त्रिलोकचंद सिंघी, ग्यानमल री लिखवाई हुई संवत 1857,, पृश्ठ 16
10. ख्यात जो"ी त्रिलोक चंद सिंघी, ग्यानमल री लिखावाई हुई, संवत 1857, पृश्ठ 215
11. मारवाड़ का पुरातत्व और स्थापत्य, डॉ. महेन्द्र सिंह तंवर पृश्ठ 220, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर 2018
12. मारवाड़ का सांस्कृतिक इतिहास, डां. विक्रम सिंह राठौड़ पेज न. 14, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर।
13. जोधपुर हकीकत बही न. 6 संवत 1851–58, इमेज न. 12

14. राणी मंगा भाटों की बहो, डाँ महेन्द्र सिंह नगर, पृश्ठ XIX पुस्तक प्रका"ा, 2002

15. मारवाड रा परगना री विगत, डां. नारायण सिंह भाटी, प्रथम भाग पृश्ठ 584

16. मारवाड़ रा परगना री विगत, डां. नारायण सिंह भाटी प्रथम भाग पृश्ठ 572, 577

17. मारवाड़ री ख्यात, सं. डां. हुकम सिंह भाटी, पृश्ठ–4, राजस्थानी भोध संस्था चौपासनी, जोधपुर 2000

18. मारवाड़ परगना री विगत, डां. नारायण सिंह भाटी प्रथम भाग, पृश्ठ–572

Shodh Shree

Volume-40

Issue-3

July-September 2021

ISSN 2277-5587
Impact Factor 5.025
Indexed in ULRICH, ISIFI, SJIF & DOJI
UGC Valid Journal (The Gazette of India,
Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

# Shodh Shree

(A Peer Reviewed International Refereed Journal)

# शोध श्री

Volume-40 Issue-3 July-September 2021 RNI No. RAJHIN/2011/40531

SHODH SHREE
ज्ञानं भारः क्रियां विना
RNI RAJHIN/2011/40531
ISSN 2277-5587

CHIEF EDITOR
Virendra Sharma

EDITOR
Dr. Ravindra Tailor

shodhshree@gmail.com
www.shodhshree.com

ISSN 2277-5587
Impact Factor 5.025
Indexed in ULRICH, ISIFI, SJIF & DOJI
UGC Valid Journal (The Gazette of India,
Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

# Shodh Shree

(A Peer Reviewed International Refereed Journal)

# शोध श्री

Volume-40 Issue-3 July-September 2021 RNI No. RAJHIN/2011/40531

Published by

**DR. S. N. TAILOR FOUNDATION**

(A Tribute to Late Shri Paras Hemendra G Tailor)

# महाराजा भीमसिंह का प्रशासनिक संगठन (1793–1803 ई.स)

**ममता रानी**
शोधार्थी, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

shodhshree@gmail.com

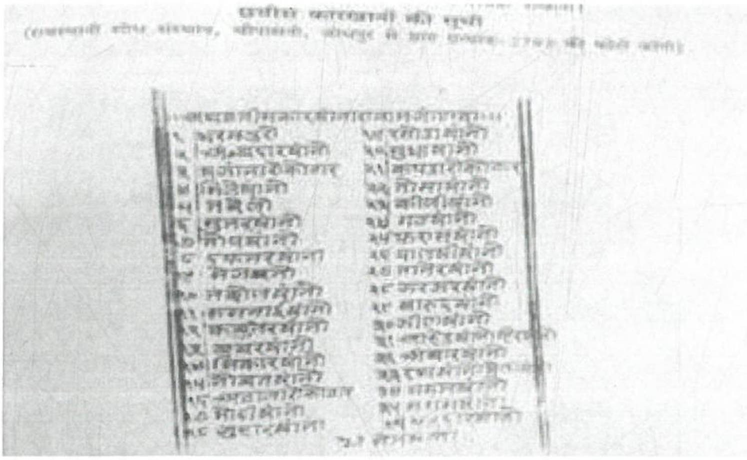
***शोध सारांश***

*प्राचीन काल से ही न्याय प्रक्रिया प्रशासनिक तंत्र का अंग रहा है, किसी राज्य को व्यस्थित व भाक्तिशाली बनाने के लिए प्रशासन का सुव्यवस्थित होना अति आवश्यक है। मारवाड़ में विभिन्न राजाओं ने अपने-अपने समय में राज्य को प्रशासन का विस्तार किया। मारवाड़ में प्रशासनिक अधिकारियों का क्रमबंघ अध्ययन मारवाड़ की ओहदाबही मे किया गया है। 18 वीं सदी के उतरार्द्व तक मारवाड़ की प्रशासनिक व्यव्स्था का स्वरूप सुस्पश्ट हो चुका था। मारवाड़ मे छतीस कार्यालय थे। प्रत्येक ओहदेदारों के लिए अपने कार्यालय संबधी समस्त कार्यो का तत्परता एवं निश्ठा के साथ दायित्व का निर्वाह किया गया है।*

***संकेताक्षर :*** *ओहदेदार, मुसायब, मुसरफ, दरोगाई, परधानगी, पोतदार, चौकीनवेस।*

प्राचीन काल से ही न्याय प्रक्रिया प्रशासनिक तंत्र का अभिन्न अंग है। राजा कितना भी शक्तिशाली हो परन्तु उसकी प्रशासनिक व्यवस्था पर उसकी शक्ति निर्भर करती है। राजा अपने न्याय पद्धति से ही महान बनता है। मारवाड़ की ओहदाबही में प्रशासनिक अधिकारियों का क्रमबंध अध्ययन किया गया है। मारवाड़ में छत्तीस कार्यालय थे। प्रत्येक ओहदेदारों के लिए अपने कार्यालय संबंधी समस्त कार्यो का तत्परता एवं निष्ठा के साथ दायित्व का निर्वाह किया गया है। प्रशासनिक कार्यो का वर्गीकरण विभिन्न विभागों की स्थापना करके और उनके ओहदेदार और सहायक ओहदेदारों की नियुक्ति की गई है। जैसे-जैसे राज्य का विस्तार और महाराजा की नियुक्ति होती गई ओहदेदार के पद व संख्या दोनों ही बदलती गई।

महाराजा का कर्तव्य होता था कि वह अपने राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था बनाये रखे। इसके लिए किले के बाहर व अन्दर सभी प्रकार के कार्यालय व विभाग थे। प्रत्येक विभाग में मुख्य अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। मारवाड़ की प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप अठारवी सदी के उतरार्द्ध तक सुस्पष्ट हो चुका था। समकालीन ख्यातों वातो, अभिलेखों, सिक्को, परवाने और बहियों आदि स्त्रोतों के अध्ययन से यहां की शासन प्रणाली का पर्याप्त ज्ञान होता है। इन्हीं ख्यातों, बहियों से महाराजा भीमसिंह के समय के अनेक ओहदेदारों की जानकारी मिलती है।



प्रशासनिक पदाधिकारीः– प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ओहदेदार शब्द प्रयुक्त हुआ है। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का विवेचन–

1. **मुसायबः–** मुसायब राजा का प्रमुख होता था।[1] राज–दरबार का यह एक प्रतिश्ठित पद माना जाता था। यह राज्य के हित मे अपनी सुझ–बुझ से सलाहकार की भूमिका निभाते हुए अपनी सेवाएँ अर्पित करता था। महाराजा भीमसिंह गद्दीनसीन हुए तब मुसायब के पद पर धाय भाई शिभूंदान था। शिभूंदान 1849 वि.स. की मुसायब नियुक्त किया गया ओर वह वि.स. 1851 तक रहा। भड़ारी शोभाचंद (पोमसी का पुत्र) को वि.स. 1851 भाद्रपद की मास में मुसायब के पद पर नियुक्त किया गया। वि.स. 1852 को इसे मुसायब के पद से हटा दिया गया। 'राठौड़ री ख्यात' में वि.स. 1852 में शोभाचंद को मुसायब के पद पर नियुक्त किया गया।

2. **दीवानः–** ओहदेदारों में यह पद सर्वोच्च माना गया है। दीवान की भाासन प्रबन्ध में मुख्य भूमिका रहती थी। इसका प्रमुख कार्य ठिकानेदारों पर नियंत्रण करना तथा परगनों के प्रबंध के साथ सुरक्षा के लिए कारगर उपाय करने का कार्य इसी का होता था।

   (1) देश दीवान

   (2) तन दीवान

   महाराजा भीमसिंह के समय वि.स 1850 (1793 ई.) मे भड़ारी भानीदास दीवान था। वि.स. 1852 (1795 ई.) में भडारी शिवचंद (शोभचंद का पुत्र) को दीवान नियुक्त किया।[2] वि.स. 1853 में सिंघवी जोधराज, वि.स. 1854 अश्विन सुदि 14 को, 1856 वैशाख सुदि 11 को मुहणोत सिरदारमल सवाई राम सूरतरामोत को दीवान नियुक्त किया। 1859 में गोपालदास को कार्य सौंपा गया। 1860 ई. में जेठ वदी 14 में मोहनोत ग्यानमल को दीवान का पद दिया गया।

3. **बख्सीः–** यह सेना का प्रमुख अधिकारी होता था। महाराजा भीमसिंह के राज्यारोहन के समय (20 जुलाई 1793) में अखैराज बख्सी के पद पर था। वि.स. 1851 मार्गशीर्ष वदि 8 को शिवचंद शोभाचंद ई.स. 1797 में पुनः अखेराज, ई.स. 1798 में भवानीदास, ई.स. 1798 को सिंघवी अखेराज को नियुक्त किया गया।[3]

4. **परधानगीः–** प्रधान प्रमुख व सर्वश्रेष्ठ होता था। वि.स. 1854 चैत्र सूद 8 को महाराजा भीमसिंह ने सवाईसिंह को विधिवत प्रधान नियुक्त किया।

5. **गढ़ जोधपुर किलेदारः–** किले की सुरक्षा का दायित्व और किले की सुवव्यस्था की जिम्मेदारी किलेदार की होती थी। किले के अंदर व बाहर की गतिविधियों पर इसे ही नजर रखनी पड़ती थी। महाराजा भीमसिंह के समय धायभाई शिभुंदान था। वि.स. 1855 में खीची सुरता, वि.स. 1857 में खीची कला तथा वि.स. 1860 में खीची चैना को नियुक्त किया।

6. **गढ़ जोधपुर किले मुसरफः–** किले का मुशरफ एक प्रकार से किलेदार का सहायक और लेखा सम्बन्धी दायित्व का निर्वाह करता था। किलेदार की अनुपस्थिति में गढ़ की व्यवस्था का कार्य मुसरफ के द्वारा ही किया जाता था। वि.स. 1850 को महाराजा भीमसिंह ने दवे जगनेश्वर को मुसरफ क़ा पद दिया गया। वि. स. 1860 में पंचाली ईदर भाण को मुसरफ के पद पर नियुक्त किया गया।

7. **श्री हजुर री दफ्तर री दरौगाईः–** महाराजा का अपना कार्यालय का मुख्य अधिकारी दफ्तर का दरोगा होता था। राज्य के उच्च अधिकारियों की गतिविधियो व उपलब्धियों की सुचनाएँ इस कार्यालय में ही दर्ज होती थी। महाराजा भीमसिंह जब गद्दीनसीन हुए तब वि.स. 1849 जेठ वदि 2 में जोशी रामनाथ इस पद पर था वि.स. 1850 में आसोपा सूरजमल, वि.स. 1855 को सवाई राम को, वि.स. 1856 को मुहणोत विजेराज को तथा वि.स. 1859 को पंचाली बादरमल को वि.स 1859 को पंचाली किसनकरण को तथा वि.स 1860 में चौपड़ा रूपराम व उमेदमल को दरोगाई का पद सौंपा गया।



ISSN 2277-5587

8. **व्यास पदवीः–** धार्मिक कथाओं एवंम् आचरणो का ज्ञान करने के लिए राजाओं के द्वारा के ब्रह्मणों में से सुयोग्य व्यक्ति को राजघराने का व्यास नियुक्त किया जाता था। राजघराने के सगाई सम्बन्धों तथा विरोधी भाक्तियों का दमन करने का दायित्व भी इन्ही का था। महाराज भीमसिंह के समय वि.स. 1851 आषाढ़ वदि 8 को कुसलचंद सेरजी को व्यास की पदवी के साथ सिरोपाव, मोती, कड़ा तथा पालखी प्रदान कर उसका सम्मान किया। वि. स. 1857 जेठ सुद 10 को बिदिया धर भाऊ, वि.स. 1860 में कुशलचंद और पुरोहित चत्रभुज को आधी आधी पदवी तथा वि.स. 1862 में चत्रभुज को व्यास की पूरी पदवी मिलने का उल्लेख है।

9. **मरदानी दोढ़ी दरोगा (दोढीदार)ः–** महाराजा के महलों के मुख्य द्वार के निकट अपने कक्ष में यह सदा उपस्थित रहता था। इसकी आज्ञा के बिना कोई व्यक्ति महाराजा से मिल नही सकता था। महाराजा की दिनचर्या और सुविधा को ध्यान मे रखते हुए मिलने का समय सुनिश्चित करता था। ओहदाबही में महाराजा भीमसिंह के समय वि.स. 1856 फालगुन वदि 1 को मर्दानी डयोढ़ी का दरौगा शोभावत भगवानदास (खीवकरण का पुत्र) को नियुक्त किया गया।[4]

10. **पुरोहित (राजगुरू)ः–** यज्ञ–अनुष्ठान और संस्कार विषयक कार्य सम्पन्न करने वाला ब्राह्मण पुरोहित कहलाता था। जन्म से लेकर मृत्यु तक रीति रिवाज सम्पन्न करने का कार्य पुरोहित के द्वारा ही किया जाता था। महाराजा भीमसिंह के समय पुरोहित हरजीवन और नथमल का विवरण ग्रन्थों में मिलता है।[5]

11. **अनरै कोठर खानसामाः–** (अन्न के भंडार का मुख्य अधिकारी) महाराजा के गृह प्रबनध के दायित्व का निर्वाह करता था। महाराजा भीमसिंह के समय सिंघवी सवाईराम वि.स. 1853 आसोज सूद 7 को नियुक्ति किया गया। वि.स. 1856 आषाढ़ वदि 12 को मुहणोत रूघनाथ इस पद पर रहे।

12. **प्याद बख्शीः–** (गैर सैनिक कर्मचारियों की सेवाओं एवं रोजगार का आकलन करने वाला अधिकारी) बख्शी सेना का प्रमुख अधिकारी होता था वही प्याद बख्शी गैर सैनिक कर्मियों का एक ऐसा अधिकारी था जो मुत्सद्दियों और अहलकारों आदि कर्मियों के कार्यो का आकलन करता और उनके वेतन का भुगतान करता था। महाराजा भीमसिंह के समय वि.स. 1849 (1792) चैत्र वद 5 को जोशी भाणदत इस पद पर था।

वि.स. 1850 (1793) भाद्रपद वदि 1 को पंचाली केवलराम, 1851 (1794) भाद्रपद वदि 10 को पंचाली बंशीधर को वि.स. 1852 (1795) पौष वदी 7 को श्रीमाली व्यास मोतीराम को तथा वि.स 1853 (1796) आसाढ़ वदि 11 को पारख अणदराम को नियुक्त किया गया।[6]

13. **चौकीनवेसः–** (पुलिस चौकी का अधिकारी):– चौकीनवेस कार्यालय का पुरा हिसाब इसी को रखना होता था तथा गढ़ मे लाने ले जाने की वस्तुओं का ब्यौरा भी यही करता था। ओहदाबही की सूची में (वि.स. 1820–1892) में 49 बार नियुक्त किये गये। भीमसिंह के कार्यालय में वि.स. 1850 (1793) सावणसूद 6 को मुहणोत मोवणलाल, वि.स. 1851 (1794) कार्तिक वदि 7 को मुहणोत मोवणदास व इनका बेटा जसरूप को माघवदि 12 को वि.स. 1852 (1795) भाद्रपद वदि 12 को पंचाली रीधकरण, वि.स. 1852 (1795) भादवा वदि 12 को पंचाली अबाबगस वि.स. 1852 (1795) मार्गशीष वदि 14 को मुहणोत जसरूप और भंडारी माणकचंद वि.स. 1853 (1796) सावणसुदि 9 को आचारज गुमानीराम व रीधकरण को, वि.स. 1854 (1797) कार्तिक सूदि 13 को मुहणोत गणेशदास, वि.स. 1855 (1798) चैत्र वदि 12 मुहणोत हंसराज को, वि.स. 1856 (1799) फागण सूदि 6 भंडारी माणकचंद को, वि.स. 1857 (1800) फागण सूदि 6 को जोशी सूरतराम को मुहणोत जेठमल को नियुक्त किया गया तथा वि.स. 1860 (1803) जेठ वदि 10 को दिवान की तरफ


ISSN 2277-5587

से पंचाली जगजीवन को नियुक्त किया गया। वि.स 1860 (1803) आसोप वदि 15 को आसोपा सूरजमल को नियुक्त किया गया।[7]

14. **तबेले घोडे रै मुसरफ (अश्वशाला का लेखा अधिकारी):–** राजपरिवार में घुड़सवारी हेतु अच्छी किस्म के घोड़े रखे जाते थें जिनकी देखभाल की व्यवस्था अश्वशाला के अधिकारी के द्वारा की जाती थी। वि.स. 1849 (1792) माघवदि 12 को आसोपा नाहार को वि.स. 1851 (1793) सावण वदि 13 को व्यास सूरत राम को महाराजा भीमसिंह ने नियुक्त किया। वि.स. 1851 (1794) सावण वदि 7 को आसोपा अजतराम, वि.स. 1852 रा वद 5 को व्यास रूपराम, वि.स. 1860 (1803) भाद्रवा वदि 15 को दवै रूपामा को नियुक्त किया गया।

15. **सुतरखाना दरोगाः–** सुतरखाना का तात्पर्य नर उश्टशाला से है। उँठो के रखःरखाव के साथ उन्हे सवारी के लिए तैयार करना तथा दौड़ आदि का अभ्यास की जिम्मेदारी दरोगा की ही होती थी। महाराजा भीमसिंह ने वि.स. 1852 भाद्रपद वदि 4 को खीची दमा को इस पद पर नियुक्त किया।

16. **सुतरखाना मुसरफः–** उँठो की खरीद करना, उँठ का परिचय (उम्र, भारीर के अंग का निशान विशेष, रंग आदि) और खर्च आदि का लेखाजोखा मुसरफ रखता था। महाराजा भीमसिंह ने वि.स 1850 (1793) भाद्रपद वदि 6 को पंचोली देवकरण की, वि.स. 1855 को भाद्रपद वदि 4 को वीजो गोरधन की नियुक्ति की गई।

17. **खासे खजाने दरोगाः–** यह राजकोश का मुख्य अधिकारी होता था खासे खजाना में विभिन्न धातुओं के सिक्को का सग्रंहण किया जाता था। महाराजा भीमसिंह ने इस पद पर वि.स. 1854 जेठवद 11 को बीरा ईछाराम वि.स. 1858 चैत्र वदि 7 को जोशी राजाराम को नियुक्त किया।[8] तथा वि.स. 1860 मार्गशीर्ष वदि 7 को छंगाणी पन्नालाल तथा वि.स. 1860 फाल्गुन वदि 8 को व्यास गोरधन को नियुक्त किया।

18. **कमठे कली रो कोठार पोतदार (लेखापाल):–** हिसाब रखने के लिए पोतदार नियुक्त किया जाता था। सभी लेखपाल ब्राह्ण जाति के ही नियुक्त किए जाते थे। महाराजा भीमसिंह के समय में वि.स. 1849 फाल्गुन सूदि 1 को विसो रामराय को, वि.स. 1852 सावण वदि 15 को बीरा माणकचंद को वि.स. 1852 माघ सूद 15 को व्यास वाणारानी को, वि.स. 1858 पोष वदि व्यास को इस पद पर नियुक्त किया गया।

19. **बारूद खानो का दरोगाः–** बदूंक व तोप चलाने के लिए बारूद का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा सुरंग लगाने के लिए बारूद की आवश्यकता होती थी। बारूद खाने मे इसका संग्रहण किया जाता था। इस बारूद खाने की देख–रेख दरोगा के द्वारा की जाती थी। महाराजा भीमसिंह के समय इस कारखाने में वि.स. 1851 भाद्रपद सूदि 15 को जोशी अमरचंद को इस पद पर नियुक्त किया गया।[9]

20. **हाथियों के फीलर खाने मुसरफः–** (हस्तिशाला का लेखाधिकारी) हाथियों को खरीदना और हाथियों के खर्चे का पुरा हिसाब मुसरफ के द्वारा ही रखा जाता था।

    इस पद पर महाराजा भीमसिंह ने वि.स. 1850 आसोज वदि 12 को व्यास रूपराम को वि.स. 1853 सावण वदि 8 को किरायत नथू को, वि.स. 1854 आषाढ़ वदि 11 को व्यास सालगराम को तथा वि.स. 1860 सावण वदि 13 को लौढ़ा किसनराम को नियुक्त किया गया।[10]

महाराजा भीमसिंह के समय प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ थी। महाराजा का कर्तव्य होता था वह राज्य मे प्रशासन की व्यवस्था बनाए रखें। इसके लिए महाराजा के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर विभिन्न विभागों मे की गई। महाराजा भीमसिंह के काल में प्रशासनिक पदाधिकारियों मे ब्राह्ण व पुरोहित जातियों का वर्चस्व था। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप अभिलेखो, ख्यातो, सिक्कों, बहियों और परवानों से भासन प्रणाली का पर्याप्त ज्ञान होता है।



ISSN 2277-5587

**सन्दर्भ ग्रंथ सूची**

1. मारवाड़ के ओहदेदारों का इतिहास में योगदान, सम्पादक डॉ. हुकमसिंह भाटी, पृष्ठ 250, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश भोध केन्द्र, जोधपुर, प्रथम संस्करण 2013
2. राठौड़ा री ख्यात, खण्ड–3, पृष्ठ 684, 685, मारवाड़ के ओहदेदारों का इतिहास, डॉ. हुकमसिंह भाटी, पृष्ठ 25।
3. ओहदाबही संख्या 1, इमेज न. 13, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश जोधपुर।
4. (i) ओहदाबही संख्या –1, इमेज न. 260

   (ii) महराजा गम्भीरसिंह (ईडर) का पत्र ड्योढ़ीदार भगवानदास के नाम वि.स. 1855 ठिकाना पाल री ख्यात, पृष्ठ 112
5. ठिकाना पाल री ख्यात, संपादक – डॉ. विक्रमसिंह भाटी, पृष्ठ – 13
6. सनद परवाना बही, वि.स. 1822, इमेज न. 12–13
7. ओहदाबही संख्या – 1, इमेज न. – 266
8. ओहदाबही संख्या – 1, इमेज न. – 270, 271
9. बाईजी सायब रा बही, वि.स. 1918–20, संख्या 836, पृष्ठ – 7, पुस्तक प्रकाश, जोधपुर
10. ओहदाबही संख्या – 1, इमेज न. 278



ISSN 2277-5587 

# RAJASTHAN HISTORY CONGRESS

## 33rd SESSION

5-7 FEBRUARY 2019

## MAHILA P.G. MAHAVIDYALYA, JODHPUR

This is to certify that Mr./Ms./Dr./Prof. Mamta Rani

has participated/presented a research paper entitled महाराजा भीमसिंह का प्रशासनिक संगठन (1793-1803ई.स)

for the Thirty Third session of Rajasthan History Congress, organised by the Mahila P.G. Mahavidyalya Jodhpur on 5-7 February 2019, He/She/has Participated in the session as Researcher/ Chairperson/Resource Person.

LOCAL SECRETARY
RAJASTHAN HISTORY CONGRESS
JODHPUR

5-7 FEBRUARY 2019

SECRETARY
RAJASTHAN HISTORY CONGRESS
JODHPUR

# RAJASTHAN HISTORY CONGRESS

**34th SESSION**

19-20 December, 2019

IASE (deemed to be university)

## DEPARTMENT OF HISTORY

**Faculty of Humanities & Social Sciences**

**IASE (Deemed to be University), GVM, Sardarshahr (Rajasthan)**

This is to certify that Mr./Ms./Dr./Prof. ममता रानी

of शोधार्थी, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

has participated/presented a research paper entitled मारवाड़ के महाराजा भीमसिंह कालीन वस्त्रों का अध्ययन

for the thirty fourth session of Rajasthan History Congress, orgnised by Department of History, Institute of Advanced Studies in Education (Deemed to be University) on 19-20 December 2019, He / She / has Participated in the session as Researcher / Chairperson / Resource Person.

| | |
|---|---|
| **Dr. Avinash Pareek**<br>Local Secretary<br>Rajasthan History Congress | **Prof. S.P. Vyas**<br>Secretary<br>Rajasthan History Congress |

सुशीला

# Maharaja Man Singh Pustak Prakash Research Centre

Mehrangarh Museum Trust, Jodhpur

Workshop on

## Old Rajasthani *Bahies Lipi*

*15 to 24 January 2020*

## *CERTIFICATE OF PARTICIPATION*

This is to certify that Ms. Mamta Rani Participated/ Resource person in "Workshop on Old Rajasthani Bahies Lipi" organized by Maharaja Man Singh Pustak Prakash Research Center, Mehrangarh Museum Trust, Fort, Jodhpur (Raj.) held on 15 January to 24th January 2020 at Chokelao Mahal, Mehrangarh Fort, Jodhpur.

**Maharaja Gaj Singh II**
Marwar-Jodhpur
Managing Trustee
Mehrangarh Museum Trust &
Maharaja Man Singh Pustak Prakash Research Center, Jodhpur

# डॉ. सुशीला शक्तावत

विभागाध्यक्ष

इतिहास विभाग

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर


## शोध जाँच रिपोर्ट का प्रमाण–पत्र

## CERTIFICATE OF PLAGIARISM CHECK

| | | |
|---|---|---|
| 1 | शोधार्थी का नाम | ममता रानी |
| 2 | अध्ययन का कोर्स | पीएच.डी. ( इतिहास ) |
| 3 | शोध अध्ययन का शीर्षक | ''महाराजा भीमसिंह एवं उनका युग ( 1793 ई. – 1803 ई. )'' |
| 4 | शोध निर्देशिका का नाम | प्रो. ( डॉ. ) सुशीला शक्तावत |
| 5 | विभाग का नाम | इतिहास विभाग, कला शिक्षा एवं समाज संकाय<br>जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर |
| 6 | स्वीकार्य अधिकतम सीमा | 10 प्रतिशत |
| 7 | पहचान की गई सामग्री की समानता का प्रतिशत | 3 प्रतिशत |
| 8 | सॉफ्टवेयर | URKUND |
| 9 | सत्यापन की तारीख | 23-02-2022 |

**Urkund** analysis report is attached.

Curiginal

**Document Information**

| | |
|---|---|
| **Analyzed document** | MAMTA RANI NOTES (1).docx (D128677996) |
| **Submitted** | 2022-02-23T17:20:00.0000000 |
| **Submitted by** | Sushilashaktawatabc |
| **Submitter email** | sushilashaktawatabc@gmail.com |
| **Similarity** | 3% |
| **Analysis address** | sushilashaktawatabc.jnvu@analysis.urkund.com |

**Date :** 24.03.2022

**Signature of Candidate** | **Signature of Supervisor**

# Curiginal

## Document Information

| | |
|---|---|
| Analyzed document | MAMTA RANI NOTES (1) docx (D128677996) |
| Submitted | 2022-02-23T17:20:00 0000000 |
| Submitted by | Sushilashaktawatabc |
| Submitter email | sushilashaktawatabc@gmail.com |
| Similarity | 3% |
| Analysis address | sushilashaktawatabc jnvu@analysis urkund com |

## Sources included in the report

| | | |
|---|---|---|
| SA | **Jai Narain Vyas University / S-8-50_merged (1).pdf**<br>Document S-8-50_merged (1) pdf (D126760199)<br>Submitted by: santosh gadhveer@gmail com<br>Receiver: santosh gadhveer jnvu@analysis urkund com | 19 |
| SA | **Jai Narain Vyas University / Sanjay Sain Thesis.pdf**<br>Document Sanjay Sain Thesis pdf (D119570058)<br>Submitted by: hunteathen crystal@gmail com<br>Receiver: hunteathen crystal jnvu@analysis urkund com | 2 |
| W | URL: https://www.researchgate.net/publication/353944985_Vaishvik_Chantan_ke_Nutan_Aayaam<br>Fetched: 2021-09-04T18:47:24 2700000 | 1 |
| SA | **Jai Narain Vyas University / 5_6244651688381121680.pdf**<br>Document 5_6244651688381121680 pdf (D124035790)<br>Submitted by: shrawanbalach@jnvu edu in<br>Receiver: shrawanbalach jnvu@analysis urkund com | 17 |
| SA | **Jai Narain Vyas University / ALL_CHAPTER_1_TO_7_FOR_GUIDE.docx**<br>Document ALL_CHAPTER_1_TO_7_FOR_GUIDE docx (D110538490)<br>Submitted by: principalmmv09@gmail com<br>Receiver: principalmmv09 jnvu@analysis urkund com | 22 |
| SA | **Jai Narain Vyas University / kamlesh rathi (1).pdf**<br>Document kamlesh rathi (1) pdf (D111451812)<br>Submitted by: drtarajain7@gmail com<br>Receiver: drtarajain7 jnvu@analysis urkund com | 3 |
| W | URL: http://rajhisco.com/wp-content/uploads/2021/12/Raj-HISCO-Vol-34.pdf<br>Fetched: 2022-02-23T17:20:46 8600000 | 6 |
| SA | **Jai Narain Vyas University / Naresh Soni Thesis.pdf**<br>Document Naresh Soni Thesis pdf (D111860119)<br>Submitted by: hunteathen crystal@gmail com<br>Receiver: hunteathen crystal jnvu@analysis urkund com | 13 |
| SA | **Jai Narain Vyas University / KAVITA GOUR THESIS FINAL.pdf**<br>Document KAVITA GOUR THESIS FINAL pdf (D122659214)<br>Submitted by: hunteathen crystal@gmail com<br>Receiver: hunteathen crystal jnvu@analysis urkund com | 1 |
| W | URL: http://rajhisco.com/wp-content/uploads/2019/09/RAJHISCO-2018-Vol-32-1.pdf<br>Fetched: 2020-12-03T15:49:26 1700000 | 1 |

**JAI NARAIN VYAS UNIVERSITY, JODHPUR**
**DEPARTMENT OF HISTORY**
Office (0291) 2721146
E-mail : deptt.ofhistoryjnvu@gmail.com

# *CERTIFICATE*

This is to certify that Ms. Mamta Rani has delivered her Pre Ph.D. Presentation on the topic "महाराजा भीमसिंह एवं उनका युग (1793 ई. – 1803 ई.)" held in the office of Head Department of History on 11-02-2022 at 11:00 A.M.

सुशीला

(Dr. Sushila Shaktawat)
Prof. & Head
Department of History
J.N.Vyas University, Jodhpur

Professor & Head
Department of History
J.N.Vyas University
Jodhpur

# JAI NARAIN VYAS UNIVERSITY, JODHPUR
# (DEPARTMENT OF HISTORY)

## C E R T I F I C A T E

This is to certify that Mr./Ms. MAMTA RANI in the Department of History, Jai Narain Vyas University, Jodhpur has qualified the Course-work organized by the University in the year 2014.

This certificate is issued in accordance with the provisions of UGC (Minimum standards and procedure for award of M.Phil/Ph.D. degree) Regulations 2009 notified in the gazette of India on 11th July, 2009.

V. Parihar
Professor & Head
Depatment of History
J.N.Vyas University
Jodhpur
**HEAD**

**DEAN**
Faculty of Arts, Edu. & Social Sciences
Jai Narain Vyas University
JODHPUR

**DATE :** 24/7/2014

**प्रो. (डॉ.) सुशीला शक्तावत**
**विभागाध्यक्ष**
**इतिहास विभाग**
**जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर**

# प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **ममता रानी** ने पंजीयन तिथि (29.09.2014) से मेरे निर्देशन में **''महाराजा भीमसिंह एवं उनका युग (1793 ई. – 1803 ई.)''** विषय पर शोध–कार्य किया है। अनुसन्धित्सु का यह शोध–प्रयास निजी और मौलिक है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है भारत या भारत के बाहर किसी भी विश्वविद्यालय में इससे पहले किसी भी उपाधि के लिए यह शोध–प्रबन्ध प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह शोध–प्रबन्ध विश्वविद्यालय की पीएच.डी. की उपाधि हेतु प्रस्तुत करने योग्य है। अस्तु मैं, इस शोध–प्रबन्ध को परीक्षार्थ प्रस्तुत करने की अनुमति देती हूँ।

सुशीला

**प्रो. (डॉ.) सुशीला शक्तावत**
शोध–निर्देशिका
**विभागाध्यक्ष**
इतिहास विभाग
जय नारायण व्यास
विश्वविद्यालय, जोधपुर

**दिनांक** : 24.03.2022
**स्थान** : जोधपुर

**डॉ. सुशीला शक्तावत**
**विभागाध्यक्ष**
**इतिहास विभाग**
**जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर**

# निवास प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **ममता रानी,** शोधार्थी, इतिहास विभाग (कला शिक्षा एवं समाज संकाय) जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर ने मेरे निर्देशन में **''महाराजा भीमसिंह एवं उनका युग (1793 ई. – 1803 ई.)''** विषय पर पंजीयन तिथि **29.09.2014 से** 28.03.2022 तक जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.) की सीमा में रहकर शोध कार्य पूर्ण किया है।

सुशीला

**प्रो. (डॉ.) सुशीला शक्तावत**
शोध–निर्देशिका
**विभागाध्यक्ष**
इतिहास विभाग
जय नारायण व्यास
विश्वविद्यालय, जोधपुर

**दिनांक** : 24.03.2022
**स्थान** : जोधपुर

# प्राक्कथन

राजस्थान के पश्चिमी भू–भाग में स्थित मरू प्रदेश, मारवाड़ कहलाता हैं। प्राचीन काल से ही इसे मरूकान्तर, मरूमण्डल के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र लम्बाई में 320 मील तथा चौड़ाई में 170 मील था। इस भू–क्षेत्र ने अपनी भौगोलिक महत्ताओं के परिणाम स्वरूप भारत के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व मारवाड़ पर विभिन्न शासको ने शासन किया। महाराजा भीमसिंह ने मारवाड़ पर 1793ई–1803 ई. में शासन किया और अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में मारवाड़ में कई सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक सुधार किये तथा अपने राज्य को सुदृढ़ बनाया।

मारवाड़ के शासक महाराजा भीमसिंह के काल का विस्तृत अध्ययन कर उनके जीवन के संघर्षो को उजागर करना ही शोध का प्रमुख उद्देश्य रहा है।

महाराज भीमसिंह एवं उनका युग पर अभी तक कोई शोध कार्य नही हुआ है जबकि बहियो, परवानो, पट्टो में इनके साक्ष्य विद्यमान थे, अतः इन सामग्रियो का उपयोग कर एक महत्त्वपूर्ण समूचित शोध ग्रन्थ लिखना मेरी प्राथमिकता थी।

प्रत्येक शोध विषय की अपनी गरिमा होती है। शोध विषय के अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर शोध प्रबंध को षष्ठ् अध्यायों एवं उपसंहार में विभाजित किया है, जो निम्नानुसार हैः–

अध्याय प्रथमः इस अध्याय में मारवाड़ की भौगोलिक पृष्ठभूमि, मारवाड़ का पूर्व मध्यकालीन इतिहास, मारवाड़ में राठौड़ सत्ता का प्रादुर्भाव व मारवाड़ सत्ता का उत्थान का उल्लेख किया गया है।

अध्याय द्वितीयः इस अध्याया में महाराजा भीमसिंह के शासनकाल उनका प्रारम्भिक जीवन, सिंहासनारोहण, आन्तरिक उपद्रव, मराठे व भीमसिंह के संघर्षो का उल्लेख किया गया है।

अध्याय तृतीयः इस अध्याय में महाराजा भीमसिंह का संगठन एवं प्रशासनिक पदाधिकारी एवं उनके कार्य, पदाधिकारियों की सैनिक अभियानों में भूमिका, पट्टा प्रणाली, रेख व न्याय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।

अध्याय चर्तुथः इस अध्याय में महाराजा भीमसिंह के सामाजिक दशा, जातिगत व्यवस्था, स्त्रियों की दशा, दहेज प्रथा, वस्त्र, आभूषण व खान–पान तथा आर्थिक दशा, कृषि व्यापार व उद्यागों का उल्लेख किया गया है।

अध्याय पंचम्ः इस अध्याय में महाराजा भीमसिंह के स्थापत्य – कुएं, बावड़ीया, तालाब, मंदिर, स्मारक, थड़े व साहित्यिक रचना का उल्लेख किया गया है।

अध्याय षष्ठ्ः इस अध्याय में महाराजा भीमसिंह की मृत्यु का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है तथा उपसंहार का उल्लेख किया गया है।

# आभार

जीवन के अथाह सागर में लगभग प्रत्येक कार्य कुछ विशिष्ट सामुहिक प्रयासों का परिणाम होता है। एकल प्रयास से किसी कार्य की पूर्णता करना उचित प्रतीत नही होता है। शोध जैंसे महत्व कार्य में तथा इसके प्रत्येक चरण पर निर्देशन प्रेरणा सहयोग की आवश्यकता हैं।

प्रस्तुत शोंध ग्रन्थ में समस्त उपलब्ध संसाधनो का उपयोग किया गया है ओर मेरा यही प्रयास रहा है कि मेरा यह शोध 'महाराजा भीमसिंह एवं उनका युग (1793ई–1803ई) के संबध में उपयोगी सिद्व होगा।

इस क्रम में सर्वप्रथम में अपनी शोध निर्देशिका (विभागाध्यक्ष) आदरणीय प्रोफेसर (डॉ.) श्रीमति सुशीला शक्तावत जी (आचार्य, इतिहास विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान) का ह्रदय से आभारी हूँ, आपका इस क्षेत्र में आसाधारण ज्ञान, गहन अंतर्दृष्टि, चिंता शक्ति शोध में निरंतर उत्कृष्टता के प्रयास सदैव मुझे उत्साहित एवं प्रेरित करते रहे। आपका स्नेह पूर्ण व्यवहार एवं प्रेरणादायक व्यक्तित्व सदैव मेरा पथ प्रदर्शन करता रहा। अतः आजीवन आपकी ऋणी रहूंगी। आपके बिना मेरा यह शोध कार्य पूर्ण नही हो सकता था।

मैं इतिहास विभाग के डॉ. भरत देवड़ा, डॉ. भवानीसिंह राजपुरोहित, डॉ. रश्मि मीना, डॉ. ललित पंवार, डॉ. महेन्द्र पुरोहित, डॉ. प्रतिभा सांखला, डॉ. सुरेश कुमार, डॉ. दिनेश राठी, डॉ. भगवान सिंह शेखावत इन सब की आभारी रहूंगी जिन्होने सदैव मुझे उत्साहित एवं प्रेरित किया।

मैं अपने पति श्री वेद प्रकाश जी की कृतज्ञ हूँ, जिन्होने मुझे उत्साहित किया, मेरा शोध कार्य इनके बिना पूर्ण नही हो सकता था, ये हर समय मेरा पथ प्रदर्शन करते रहे है। तहे दिल से इनकी शुक्रगुजार हूँ।

मैं अपने माता–पिता श्रीमति अंजू–श्री कुम्भाराम की कृतज्ञ हूं जिन्होने समय–समय पर मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर मैं अपने भाई–बहन, सुनिता परिहार, भीमरतन, ज्योति और जीजाजी सतपाल जी व भाभी संध्या जी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होने मेरा हौसला बढ़ाये रखा। मैं अपने भतीजे सक्षम रतन परिहार का आभार व्यक्त करती हूँ जिसने मुझे हमेशा स्नेह प्रदान किया। मैं अपने मामा–मामी श्री ओमप्रकाश–श्रीमति कलांवती का आभार प्रकट करती हूँ जिन्होने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाये रखा। मै अपने सास–ससूर श्रीमति कमलादेवी–श्री बद्रीराम तथा ननद–नंदोई श्रीमति सुमित्रा–श्री सुभाष जी, श्रीमति सरोज (बाला)–श्री आकाश जी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होने हमेशा मुझे अपना आर्शीवाद एवं स्नेह प्रदान किया है।

मैं अपने अभिभावक श्री गजेन्द्र जैन का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होने हर समय मेरा हौसला बनाये रखा। इसके साथ ही मैं अपनी प्रिय मित्र सोनिया शर्मा का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होने हमेशा मेरा सहयोग किया।

मैं महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश, जोधपुर तथा जिला अभिलेखागार, जोधपुर के तमाम सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होने मेरी हर समय सहायता की।

अन्त में मेरे शोध प्रबन्ध को सुचारू रूप से तथा समय सीमा में टंकण कार्य करने के लिए श्री प्रदीप कुमार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जिन्होनें बिना किसी त्रुटि के शुद्ध भाषा व लिपि मे यह टंकण कार्य पूर्ण किया।

दिनांकः 24.03.2022 — शोधार्थी

स्थानः जोधपुर — ममता रानी

# अनुक्रमणिका

Nil

# महाराजा भीमसिंह एवं उनका युग
# (1793 ई. – 1803 ई.)

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर इतिहास विभाग में

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएच.डी. ( इतिहास )

उपाधि हेतु प्रस्तुत

## शोध–सारांश


शोध–निर्देशिका

**प्रो. (डॉ.) सुशीला शक्तावत**

विभागाध्यक्ष

इतिहास विभाग

शोधार्थी

**ममता रानी**



इतिहास विभाग

कला, शिक्षा एवं समाज विज्ञान संकाय

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

2022

**प्रो. (डॉ.) सुशीला शक्तावत**
**विभागाध्यक्ष**
**इतिहास विभाग**
**जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर**

# प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **ममता रानी** ने पंजीयन तिथि (29.09.2014) से मेरे निर्देशन में **''महाराजा भीमसिंह एवं उनका युग (1793 ई. – 1803 ई.)''** विषय पर शोध–कार्य किया है। अनुसन्धित्सु का यह शोध–प्रयास निजी और मौलिक है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है भारत या भारत के बाहर किसी भी विश्वविद्यालय में इससे पहले किसी भी उपाधि के लिए यह शोध–प्रबन्ध प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह शोध–प्रबन्ध विश्वविद्यालय की पीएच.डी. की उपाधि हेतु प्रस्तुत करने योग्य है। अस्तु मैं, इस शोध–प्रबन्ध को परीक्षार्थ प्रस्तुत करने की अनुमति देती हूँ।

सुशीला

**प्रो. (डॉ.) सुशीला शक्तावत**
शोध–निर्देशिका
**विभागाध्यक्ष**
इतिहास विभाग
जय नारायण व्यास
विश्वविद्यालय, जोधपुर

**दिनांक** : 24.03.2022
**स्थान** : जोधपुर

# शोध–सारांश

# महाराजा भीमसिंह एवं उनका युग (1793 ई. – 1803 ई.)

इस शोध प्रबन्ध में महाराजा भीमसिंह एवं उनका युग (1793 ई. – 1803 ई.) पर शोध कार्य किया गया है। प्रस्तुत शोध को लिखने का उद्देश्य यह था कि मारवाड़ के प्रत्येक महापुरूषों पर कार्य किया गया है लेकिन महाराजा भीमसिंह का सारांश ही मिलता है। महाराजा भीमसिंह के दस वर्ष के कार्य को विस्तृत रूप देकर उनके प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक गतिविधियों पर सम्पूर्ण शोध किया गया है ताकि महाराजा भीमसिंह के काल को जाना जा सके और मारवाड़ के एक महान महाराजा का जीवन परिचय सबके समक्ष उजागर हो सके।

प्रस्तुत शोध प्रबंध को षष्ठम् अध्यायों में विभक्त किया गया है और अंत में उपसंहार दिया गया है।

**(1) अध्याय प्रथम : मारवाड़ के राठौड़ों का प्रारम्भिक इतिहास**– भारत के पश्चिमी प्रदेश में स्थित मरू प्रदेश में स्थित मरू प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान प्रचीन साहित्य से होता है। मारवाड़ में संस्कृत, शिलालेखों, मारव, मरूप्रदेश और मरूकान्तर कहकर पुकारा गया है। मरू का अर्थ मरना और रेगिस्तान है। मारवाड़ राज्य राजपूताने के दक्षिण–पश्चिम में $24^0 37'$ और $27^0 42'$ उत्तर अक्षांश तथा $70^0 5'$ और $75^0 22'$ पूर्वी देशान्तर के बीच फैला हुआ है। इसकी लम्बाई 320 मील और चौड़ाई 170 मील तक मारवाड़ का विस्तार है तथा इसका क्षेत्रफल 35016 वर्गमील है।

मारवाड़ में वर्षा की कमी के कारण मारवाड़ में सम्पूर्ण वर्ष बहने वाली कोई नदी नहीं है। यहां पर बरसाती नदी लूणी है। मारवाड़ में झीले दो प्रकार की है प्रथम नमकीन युक्त डीडवाना, पचपदरा व सांभर की झीले। तथा कृत्रिम मीठे पानी की झील–जसवंतपूरा सागर, बालसमंद और कायलाना, सरदार समंद आदि। मारवाड़ में मौसम प्रायः शुष्क रहता है। यहां रात व दिन के तापमान में काफी अंतर रहता है

यहां का निम्नतम तापमान 80.9$^0$ फॉरेनाइट और अधिकतम तापमान 120.9$^0$ फॉरेनाइट तक रहता है। मारवाड़ में दो प्रकार की भूमि होती है एक खरीफ (सियालू) व रबी (उन्हालू) दोनों फसले होती है। मारवाड़ की जमीन 6 प्रकार की है क्रमशः मटियाली, भूरी रेतीली, मगरा, डेटरी औरा धोरा है।

मारवाड़ में वन क्षेत्र कम है मारवाड़ में मुख्य रूप से सभी जातियां निवास करती है जैसे मुगल, पठान, रंगरेज, लखारे, लोहार, ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, कुम्हार, घांची, मोची आदि जातियां सम्मिलित है। मारवाड़ की लोकप्रिय बोली मारवाड़ी है। मारवाड़ में होली, दीपावली एवं दशहरा, रामनवमी, बसंत–पंचमी, गणगौर तथा मकर सक्रांति आदि प्रमुख त्यौहार श्रद्धा से मनाए जाते है।

मारवाड़ के मध्यकालीन इतिहास में विभिन्न राजवंशों का अधिपत्य रहा। मारवाड़ में चौथी से छठी शताब्दी जिसमें मौर्य वंश, कुषाण वंश, शक एवं नाग वंश, गुप्त वंश, चावंड़ा वंश तथा गुर्जर एवं क्षत्रप वंश, गुहिल वंश और दहिया वंश सम्मिलित है।

मारवाड़ राज्य का इतिहास राठौड़ शासकों की शोर्यता से आलोकित है। यहां पर कई शासकों ने समय–समय पर शासन किया। मारवाड़ में राठौड़ों को स्थापित करने का श्रेय राठौड़ों के मूल पुरूष राव सीहा को जाता है। राव सीहा के पुत्र राव आस्थान, राव धूहड़, राव रायपाल, राव कनकपाल, राव जालणसी, राव छाड़ा, राव सलखा ने समय–समय पर मारवाड़ पर शासन किया गया। फिर राव चूंडाजी, राव जोधा (जिन्हे जोधपुर के वास्तविक संस्थापक व सबसे प्रभावशाली राजा थे) राव सातल, राव गांगा, राव मालदेव, राव चन्द्रसेन, रायसिंह, उदयसिंह, शूरसिंह, राजसिंह, महाराजा जसवंतसिंह, महाराजा अजीतसिंह, अभयसिंह, रामसिंह, बख्तसिंह, विजयसिंह व महाराजा भीमसिंह आदि ने समय–समय पर मारवाड़ में शासन किया। यहां के शासको ने अपने राठौड़ एवं गैर राठौड़ सामन्तों और पदाधिकारियों की सहायता से अपने वंश परम्परागत शक्ति को निरन्तर गतिमान रखा यद्यपि आलोच्य काल में मारवाड़ के शासन में कई उतार–चढ़ाव आए परन्तु यहां के शासकों ने न केवल अपने वंश एवं संस्कृति को सुरक्षित रखा बल्कि यहां की प्रजा को भी समुचित सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया।

**(2) अध्याय द्वितीय : महाराजा भीमसिंह का शासन काल**— महाराजा भीमसिंह के पहले महाराजा विजयसिंह का शासन काल था। महाराजा विजयसिंह के समय मारवाड़ की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। मारवाड़ में उत्तराधिकारी संघर्ष ने जन्म ले लिया था। पासवान गुलाब राय अपने दतक पुत्र शैरसिंह (महाराजा विजयसिंह का पांचवा पुत्र था) को युवराज बनाना चाहती थी। महाराजा भीमसिंह (भोमसिंह का बेटा) मारवाड़ की परम्परा के अनुसार असली हकदार था, जालिमसिंह को विजयसिंह असली हकदार समझता था और गुमानसिंह का पुत्र मानसिंह भी उत्तराधिकारी के लिए योग्य था।

मारवाड़ के सारे सरदार चाहते थे कि कुंवर भीमसिंह ही युवराज बने। बहुत कठिन परिस्थितियों के बाद कुंवर भीमसिंह ही मारवाड़ की राजगद्दी पर बैठे।

महाराजा भीमसिंह विजयसिंह के पौत्र व भोमसिंह के पुत्र थे। इनका जन्म वि. सं. 1822 आषाढ़ सूदि 12 को हुआ। महाराजा भीमसिंह का प्रारम्भिक जीवन काष्ठदायक ही रहा। उत्तराधिकारी संघर्ष और मराठों का वर्चस्व के कारण काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। मानसिंह हमेशा ही मारवाड़ की राजगद्दी पर बैठना चाहते थे पर भीमसिंह के रहते यह नही हो सका था। मानसिंह जालोर की ओर चले गये थे और वहीं रहकर महाराजा भीमसिंह को जोधपुर की गद्दी से हटाने की योजना बनाने लगे। महाराजा भीमसिंह व मानसिंह के मध्य जालोर का प्रथम घेराव 1798 ई. (1855 वि.स.) में हुआ जिसमें महाराजा भीमसिंह को सम्पूर्ण जालोर पर अधिकार नहीं मिल सका। यह अभियान पूरा सफल नहीं हो सका। फिर मांडोली का युद्ध, साकदड़ा का युद्ध व अन्तिम जालोर का युद्ध आदि संघर्ष महाराजा भीमसिंह व मानसिंह के बीच हुए लेकिन महाराजा भीमसिंह को जालोर दुर्ग पर अधिकार करने का मौका नहीं मिला था। इस प्रकार अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में महाराजा भीमसिंह ने सिर्फ मानसिंह से ही संघर्ष करते रहे थे उन्होंने अपने कई सामंतों को भी अपने विरोध में कर लिया था। कई सामंत जैसे रोहट के ठाकुर कल्याणसिंह चांपावत, पोकरण का जालमसिंह, आऊवा का माधोसिंह, आसोपा का केसरीसिंह, चंडावत का विसन सिंह, रास का जवान सिंह आदि सामंत महाराजा भीमसिंह से नाराज हो गये थे। इस प्रकार महाराजा भीमसिंह के 10 वर्ष का कार्यकाल मानसिंह से युद्ध करने में ही निकल गया

और अंत में जब भीमसिंह को जालोर घेरे में सफलता मिलने के आसार हुए तो महाराजा भीमसिंह परलोक सिधार गयें और उनके सामंत व सेनापति मानसिंह को महाराजा मानकर सब उनकी तरफ हो गये।

**(3) अध्याय तृतीय : महाराजा भीमसिंह का प्रशासनिक संगठन एवं प्रशासनिक व्यवस्थाः**— प्राचीन काल से ही न्याय प्रक्रिया प्रशासनिक तंत्र का अभिन्न अंग है। राजा कितना भी शक्तिशाली हो परन्तु उसकी प्रशासनिक व्यवस्था पर उसकी शक्ति निर्भर रहती है। राजा अपने न्याय पद्धति से ही महान बनता है। मारवाड़ की ओहदा बही में प्रशासनिक अधिकारियों का क्रमबंध अध्ययन किया जा सकता है। मारवाड़ में छत्तीस कार्यालय थे। प्रत्येक ओहदेदारों के लिए अपने कार्यालय संबंधी समस्त कार्यो का तत्परता एवं निष्ठा के साथ दायित्व का निर्वाह किया गया है। मारवाड़ की प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप अठारवीं सदी के उतरार्द्ध तक सुस्पष्ट हो चुका था। समकालीन ख्यातों, वातो, अभिलेखों, सिक्को, परवाने और बहियों आदि स्त्रोतों के अध्ययन से यहां की शासन प्रणाली का पर्याप्त ज्ञान होता है। इन्हीं बहियों से महाराजा भीमसिंह के समय के अनेक ओहदेदारों की जानकारी मिलती है।

प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ओहदेदार शब्द प्रयुक्त हुआ है। महाराजा भीमसिंह के समय प्रमुख ओहदेदारों के पद जैसे— मुसायब, दीवान, बख्शी, परधानगी, गढ़ जोधपुर किलेदार, गढ़ जोधपुर किले मुसरफ, श्री हजुर री दफ्तर री दरौगाई, व्यास पदवी, मरदानी दोढी दरोगा, पुरोहित, जनाना ड्योढी उवाकानवेस, अन्नरै कौठार खानसमां दरोगा, प्याद बख्शी, चौकीनवेस, तबेले घोड़ा रै मुसरफ, साढिया रो कारखानो, सुतर खानो दरोगा, तोपखाने मुसरफ, खेमारे कारखाने दरोगा, कमठेकली रो कोठार पोतदार, फरासखानों दरोगा, जोधपुर टकसाल दरोगा, हलकारा री दरोगाई, गढ़ जोधपुर कचेड़ी हाकम आदि प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारियों का वर्णन किया गया है।

महाराजा भीमसिंह के अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ अहम भूमिका थी। सभी पदाधिकारियों ने समय—समय पर महाराजा भीमसिंह की सहायता की थी। सैनिक अभियानों में भी कई मुसायब, बख्शी, प्रधान आदि कई पदाधिकारियो ने समय—समय पर अपनी अहम भूमिका निभाई है। महाराजा भीमसिंह ने अखेराज को बख्शी बनाया था जिसने महाराजा भीमसिंह के गद्दी पर बैठने से अंत तक साथ दिया

था। महाराजा भीमसिंह के समय सिंघवी इन्द्रराज, वनराज व गुलराज तीनों सिंघवी भाईयो ने इनका बहुत साथ दिया था। महाराजा भीमसिंह ने खुश होकर इन्द्रराज को खास रूक्का लिखकर धन्यवाद दिया और कहा कि भीवराज सिंघवी के परिवार के लोग सारे वीर और स्वामिभक्त होने के साथ एक से बढ़कर एक है। इस प्रकार महाराजा भीमसिंह का अपने पदाधिकारियों के साथ अच्छे संबंध थे।

महाराजा भीमसिंह के समय पट्टे व रेख का वितरण किया गया था। पट्टे वाले गांवों को दो भागों में बांटा है। पहला यदि पट्टा वंशानुगत होता है तो वह ठिकाना होता था उसे 'वतन जागीर' कहा जाता था। दूसरे अस्थायी पट्टे थे जो चाकरी से संबंधित थे जिन्हे 'तनख्वाह जागीर' कहते थे।

महाराजा भीमसिंह के समय भाटी जसंवतसिंह को खेजड़ला का पट्टा वि.सं. 1850 को दिया गया था। जिसका उल्लेख हमें पट्टा बही में मिलता है। मारवाड़ पर निरन्तर मराठा आक्रमण के कारण जब मारवाड़ की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई तो महाराजा भीमसिंह ने कई ठिकानेदारों के पट्टे जब्त कर उनसे आर्थिक दण्ड के रूप में 'पेशकशी' वसूल की गई थी। रेख गांव की जमांबधी को कहते है। रेख को दो भागो में बांटा गया है प्रथम पट्टा रेख व दूसरा भरतु रेख।

महाराजा भीमसिंह कभी–कभी सांमतों को दण्डित करने के लिए महाराजा द्वारा उनके अधीन कार्य करने वाले रंगरेज, धोबी, नाई, मोदी आदि जाति के लोगो को सांमतो का काम करने पर रोक लगा दी जाती थी। बलात्कार के अपराध की तरह आम प्रजा के बीच हत्या के अपराध मे भी सामन्तयः 100 से 500 रूपये तक के आर्थिक दण्ड दिये जाते थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रशासन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए न्याय व्यवस्था को कठोर होना अति आवश्यक है। यही कोठरता महाराजा भीमसिंह में देखने को मिलती है।

**(4) अध्याय चतुर्थ : महाराजा भीमसिंह के समय सामाजिक व आर्थिक दशाः**– मरू प्रदेशीय समाज का मूल आधार वैदिक वर्ण व्यवस्था ही थी। धीरे–धीरे काफी शैथिल्य उत्पन्न हो गया। महाराजा भीमसिंह के समय मारवाड़ में समाज जातियों व उपजातियों के जाल के रूप में मुखरित था। सामाजिक स्तर और आपसी

संबंधों का आधार जाति व्यवस्था ही था। इन जातियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। स्वर्ण जातियां व निम्न जातिया। स्वर्ण जातियों में ब्राह्मण, राजपूत आदि को रखा गया था। महाजन, खेतिहर जातियां, लिखने वाली जातिया, वकील, इतलानवीस, ड्योढीदार, पोतदार मुशरफ आदि कई अन्य जातियां अपने काम के अनुसार बांटी गई थी।

महाराजा भीमसिंह के समय समाज में स्त्रियों की दशा उच्च वर्ग में तो अच्छी थी लेकिन निम्न वर्ग में अच्छी नहीं थी। स्त्रियों में कई कुप्रथाओं ने जन्म ले रखा था जैसे सती प्रथा, पर्दाप्रथा, बहु–विवाह, वैधत्य, पातुर व भक्तगण आदि कुप्रथाओं ने स्त्रियों को जकड़े हुए था। उच्च वर्ग में बहु विवाह प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन काफी ज्यादा था। महाराजा भीमसिंह के 11 रानियां थी, इससे उनके समय की बहु विवाह प्रथा जैसी कुरीतियों का पता चलता है। महाराजा भीमसिंह की मृत्यु के बाद उनकी 8 रानियों के सती होने का उल्लेख राणी मंगा भाटो री बही से मिलता है। सती प्रथा स्त्रियों के लिए एक कड़वी सच्चाई के साथ ही कुप्रथा भी थी जो उच्च वर्ग में पाई जाती थी।

महाराजा भीमसिंह के समय के रीति रिवाजों में जन्म से पूर्व सम्पन्न किये जाने वाले संस्कारों का उल्लेख हुआ है। जिसमें प्रमुख पंचमासी, आगरणी प्रमुख है। जन्मोत्सव के पश्चात् होने वाले संस्कार झडूला, छठी का दस्तुर, ढुंढ़ आदि का उल्लेख है। विवाह संस्कार अति आवश्यक संस्कार है। राठौड राजवंश में 'डोला विवाह' व खाण्डा विवाह का प्रचलन था किन्तु जन साधारण में ऐसे विवाह का प्रचलन होने का उल्लेख नहीं मिलता है।

महाराजा भीमसिंह के सामाजिक व आर्थिक दशा से समाज के स्वरूप को दर्शाया गया है। महाराजा भीमसिंह कालीन स्ि्त्रयों के वस्त्र, आभूषण विभिन्न वर्ग के रूप में स्त्रियों के द्वारा वस्त्र व आभूषण धारण किये जाते थे। जोधपुर राजपरिवार की घरेलू व्यवस्था को बनाये रखने एवं पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक, राजकीय रीति–रिवाजों को सम्पन्न करने के लिए कोठार व कारखानों की प्रमुख भूमिका रही है। कपड़े की नाप हेतु गज का प्रयोग होता था। वस्त्र की लम्बाई हाथ से ली जाती

थी। कपड़ो का कोठार, बागा का कोठार, जवाहखाना आदि विभागों को नियुक्त किया जाता था।

राजवंश में शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजनों का प्रयोग किया जाता था। मारवाड़ के उद्योगों में प्रमुख नमक का उद्योग था जो अंग्रेजों के अधीन था लेकिन उनको संचालित करने का अधिकार मारवाड़ के शासकों का था। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, हाथी दांत का उद्योग, चमड़ा उद्योग, पत्थर उद्योग, आदि उद्योग मारवाड़ में प्रचलित थे। मारवाड़ में उद्योग धंधे गांवों में विकसित थे तथा अधिसंख्या में लोगो को इन उद्योगों के द्वारा रोजगार प्राप्त होता था। अतः प्रस्तुत अध्याय में महाराजा भीमसिंह कालीन सामाजिक व आर्थिक दशा का वर्णन किया गया है।

**(5) अध्याय पंचम : महाराजा भीमसिंह स्थापत्य कला एवं साहित्य के संरक्षक के रूप में:–** स्थापत्य कला मनुष्य के विकास और पतन को यथार्थ रूप से प्रकट कर देती है। इस कला के विकसित रूपों में हम मनुष्य के अनवरत प्रयासों को खोजते है जिससे उसकी सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के प्रति विचार, जीवन के प्रति दृष्टिगोचर, सौन्दर्यात्मक सूची ज्ञात होती है। किसी भी काल में बनी हुई इमारत, स्मारक, मंदिर, गुफाए, स्तूप किले, महल ताम्रपत्र आदि उन समय के समाज का दर्पण है। उस समय में समाज की स्थिति का पता स्थापत्य से ही लगता है। मुसलमानों के आक्रमण के कारण कई ऐतिहासिक इमारते, मंदिर तोड़े गये थे फिर भी राजपूताना में पुनः निर्माण करके अपनी धरोहर को बनाये रखा है। राजस्थान की विभिन्न रियासतों में जोधपुर रियासत एक मात्र ऐसी रियासत है जहां पर राजा महाराजाओं के द्वारा निर्मित इमारते महल आदि महाराजाओं की सम्पति नहीं होती थी उन पर सरकार का अधिकार होता था।

महाराजा भीमसिंह के स्थापत्य में कई कुएं, बावड़िया, झालरे, तालाब, स्मारक, महल, मंदिर आदि आते है। उन्होंने कुछ का निर्माण करवाया तो की मरम्मत करवाकर अपने राज्य को सुदृढ़ बनाया उनके समय कई बावड़िया तो लुप्त हो चुकी है लेकिन कुछ आज भी है।

मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की शान जिसे राव जोधा ने शुरू करवाया था लेकिन एक शासन काल में इतनी बड़ी इमारत को खड़ा करना सम्भव नहीं है इसलिए समय–समय पर कई महाराजाओं ने इस दुर्ग का अलग–अलग हिस्सा बनवाकर इसे सम्पूर्ण किया महाराजा भीमसिंह ने मेहरानगढ़ दुर्ग में लोहापोल व फतेहपोल के कई झरोखे व कोटड़ियों का निर्माण करवाया। इसके अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थिति चामूण्डा माता के मंदिर में कली करवाने व शिखर पर सोने का कलश लगवाने का कार्य किया। महाराजा भीमसिंह ने अपने पूर्वजों का मान सम्मान बनाए रखने के लिए मण्डोर में स्थित उनके थडे की भी मरम्मत करवाई। इन्होंने अजीत सिंह जी के थडे को पूरा करवाया। तलहटी के महलों में हमामपोल का कार्य करवाया, इन्द्रराज सिंघवी की हवेली, रघुनाथ जी मंदिर, शीतला माता जी की मूर्ति, ठाकुर मुरली मनोहर मंदिर, फतहसागर, देरावर जी का महल व तालाब, बालसमंद घाटी के महल, नाजर जी की बावड़ी आदि का निर्माण महाराजा भीमसिंह ने करवाया।

महाराजा भीमसिंह के समय भीमप्रबंध महाकाव्य भट्ट हरिवंश विरचित, भीमसिंह री ख्यात तथा कवि रामकर्ण अलंकार समुच्चय नामक पुस्तक तथा डीगल साहित्य का उल्लेख मिलता है।

इस प्रकार महाराजा भीमसिंह के स्थापत्य व साहित्य के संरक्षक का विस्तृत रूप प्रस्तुत किया गया है।

**(6) अध्याय षष्ठ : महाराजा भीमसिंह की मृत्युः–** महाराजा भीमसिंह, महाराजा विजयसिंह के पौत्र व भोमसिंह का पुत्र थे। इनका काल 10 वर्ष तक रहा। मारवाड़ की ख्यात में इनके धाम प्राप्त होने के पूर्व इसकी सूचना सुनाई देती थी उसे सुणावणी कहा जाता था। मृत्यु से संबंधी संस्कारों का विस्तारपूर्वक वर्णन प्रस्तुत अध्याय में किया गया है।

महाराजा भीमसिंह की कार्तिक वदि 8, 1860 वि.सं. रविवार को महाराजा की तबीयत खराब हो गई थी और उनको खून के दस्त लग गये थे मारवाड़ की परम्परा के अनुसार ज्योतिष को बुलाकर ग्रह नक्षत्र आदि दिखाया गया था।

मृत्यु से पहले से संकल्प कराये जाने का उल्लेख हुआ। इनकी मृत्यु होने पर जनाना ड्योढी में खबर पहुंचाई गई तथा जनाना में सती होने की तैयारी होने लगी थी। महाराजा भीमसिंह के पीछे 8 रानियां, 4 पड़दायतीयां, 7 गायणियां, 8 डावडीया, के सती होने का उल्लेख किया गया है। इनकी तीन रानियां शेष रह गई थी जो राणी कछवाई जी, राणी देरावर जी व राणी छोटा भटियाणी जी का वर्णन भी दिया गया है।

महाराजा की मृत्यु की खबर को जब जालौर पहुंचाया गया जहां मानसिंह अपना अधिकार कर के बैठ गया था तो मानसिंह ने यह खबर कई जनो को पूछवाई, फिर जोधपुर की ओर रवाना हुए। जो सामंत, ओहदेदार थे शेष रह गये थे वे अब मानसिंह की ओर चले गये थे क्योंकि मानसिंह ही मारवाड़ के महाराज बनने वाले थे।

इस प्रकार तत्कालीन परिस्थितियों में किस प्रकार राजसत्ता प्राप्त करने से लेकर उसे बनाये रखने तक कितने ही षड़यंत्रों व कुचक्रों में शासक का समय व्यतीत होता था और इस निराशाजनक नकारात्मक वातावरण में शासक से लोक कल्याणकारी कार्यो की अपेक्षा करना वास्तविकता से परे था। इसलिए हम कह सकते है कि वो शासक विरले ही थे, जो परिस्थितियों को अपने वश में रखकर अपने राज्य में सकारात्मक वातावरण बनाये रखने और प्रगति की ओर कुछ कदम बढ़ाने में सफल रहे।

**(7) उपसंहार** – इस अध्याय में शोध प्रबंध के समस्त अध्यायों से प्राप्त निष्कर्ष एवं शोध कार्य की संभावनाओं को उल्लेखित किया गया है। यह विषय सभी शोधार्थीयों के लिए अछूता रहा है इसलिए इस शोध से संभावनाए है कि यह शोध नवीन इतिहासप्रद जानकारी उजागर करेगा।

## इस शोध में कई सुझाव है–

1. किसी शासक के बारे में लिखने से पहले उनकी जन्म मृत्यु का सटीक दस्तावेज का अध्ययन करके ही लिखा जाये।

2. किसी शासक के बारे में शोध किया जाये तो उससे पहले की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक गतिविधियों को भी ध्यान में रखा जाए।
3. शासक की स्थापत्य का वर्णन वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख कर ही किया जाये।
4. शासक के समय बनी किसी भी इमारत, भवन, कुए, झालरे, बावड़ी का भ्रमण करते समय अपने विभाग की तरफ से एक आज्ञा पत्र जरूर साथ में ले जावे।
5. जिस विषय पर शोध कर रहे है उसका प्राथमिक सामग्री को ही महत्व देवे।
6. शोध करते समय किसी से भी अभद्र व्यवहार नहीं करे क्योंकि यह व्यवहार आपके शोध को प्रमाणित करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है इसलिए शोध को प्रमाणित करने के लिए अपने व्यवहार को विनम्र रखे।
7. शोध करते समय राष्ट्रीय धरोहर को कोई नुकसान नहीं पहुंचावे।
8. किसी भी विषय पर शोध करने के लिए प्राथमिक सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो उस प्राथमिक स्त्रोत की जानकारी कोर्स वर्क में ही उन प्राथमिक सामग्री को पढ़ाने का प्रयास किया जाये।
9. यह शोध कार्य शोधार्थी के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा क्योंकि मेरा शोध विषय नवीनतम है।

**सन्दर्भ सूची**– शोध प्रबन्ध के अंत में सन्दर्भ में सूची दी गई है जिसमें उन स्त्रोतों व सन्दर्भों को दर्शाया गया है, जिनकी सहायता से इस शोध ग्रन्थ को लिखने में सहायता ली गई है। इस सूची के अन्तर्गत विविध अभिलेखागारों में रखे अप्रकाशित ग्रन्थों, गजेटियरो, रिपोर्टो, प्रकाशित ग्रन्थों एवं अंग्रेजी भाषा के ग्रन्थों व पत्र–पत्रिकाओं का विवरण दिया गया है।

## प्रथम अध्याय

# मारवाड़ के राठौड़ो का प्रारम्भिक इतिहास

### 1.1 मारवाड़ की भौगोलिक पृष्ठभूमिः–

मारवाड़ का इतिहास यहा के रण बाकुरों से ओतप्रोत है। इस देश का भू–भाग योद्धाओं के रक्त से सिंचित है। प्राचीन अभिलेखों, ख्यातों और गीतों से रण बाकुरों के बलिदान एवं उनके कौशल का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है।

अनेक विद्वानों द्वारा मारवाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों का विश्लेषण किया गया है। भारत के पश्चिमी प्रदेश में स्थित मरू प्रदेश में स्थित मरू प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान प्राचीन साहित्य से होता है। मारवाड़ में संस्कृत, शिलालेखों एवं साहित्यिक ग्रन्थों में मरू, मरूस्थल, मरूस्थली, मरूमेदिनी, मरूमण्डल[1], मारव, मरूप्रदेश और मरूकान्तर कहकर पुकारा गया है। मरू का अर्थ मरना और रेगिस्तान है। भागवत में 'मरूधन्व' नाम दिया गया है जिसका अर्थ मरू नाम का रेगिस्तान है। सम्भवतः ऋग्वेद में उल्लेखित 'मरू' शब्द इसी प्रदेश का घोतक है[2]।

"बह्नवर्त कुरूक्षेत्र मत्स्यान्सारस्वता नाथ ।। 34।।

मरूधन्व मति तरम्य सोवीश भीरयों परान् ।। 35।।

### भौगोलिक स्थितिः–

मारवाड़ राज्य राजपूताने के दक्षिण–पश्चिम में 24°37′ ओर 27°42′ उतर अक्षांश तथा 70°5′ ओर 75°22′ पूर्वी देशान्तर के बीच फैला हुआ है।[3] इसकी लम्बाई 320 मील ओर चौड़ाई 170 मील तक मारवाड़ का विस्तार है। तथा इसका क्षेत्रफल 35016 वर्गमील है।[4]

कर्नल टॉड के मतानुसार किसी समय मरूदेश का विस्तार समुद्र से सतलज तक था।[5] मुगल सम्राट अकबर का मंत्री अबुल फजल वि.स. 1638 के अनुसार,

मारवाड़ की लम्बाई 100 कोस ओर चौड़ाई 60 कोस है। अजमेर, जोधपुर, नागौर, सिरोही और बीकानेर इसके मातहत् में है। इस राज्य के प्रमुख किले अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अमरकोट और जालोर प्रसिद्व है।[6]

मारवाड़ राज्य राजपूताना प्रांत के पश्चिमी भाग में स्थित है। मारवाड़ की उतर में बीकानेर, उतर पूर्व में जयपुर का शेखावटी परगना, पूर्व में मेवाड़ राज्य और अंग्रेजी अमलदारी का अजमेर मेरवाड़ा जिला, उतर, पश्चिम में जैसलमेर है।[7]

मारवाड़ में अरावली (अड़ावला) पर्वत की श्रेणियां के पास से प्रारम्भ होकर सांभर झील से दक्षिण–पूर्व में उदयपुर और सिरोही राज्यों की सीमा तक है। मारवाड़ अरावली जालोर के पश्चिम में स्थित है।

अन्य सहायक पहाड़ियों में जसंवतपुर की सून्धा की पहाड़ी (3257 फीट) जालोर के निकटवर्ती सोनगढ़ स्थित रोजा की पहाड़ी (2408 फीट) और सीवाणा (बाड़मेर) के पास स्थित छप्पन की पहाड़ियाँ (3199 फीट) प्रमुख है।[8] पाली मारवाड़ की सबसे ऊँची चोटी समुद्रतल से 3607 फीट ऊँची है, नाणा स्टेशन (राजपूताना मालवा रेल्वे) से 13 मील पूर्व में स्थित है। मारवाड़ कें पहाड़ो में अरावली का पहाड़ प्रमुख हैं। यह पहाड़ उतर–पूर्व मे सांभर झील से दक्षिण पूर्व में अजमेर, परबतसर, मेड़ता, जैतारण, सोजत, देसुरी और पाली से होता हुआ मेवाड़ और सिरोही तक है। मारवाड़ की सीमा में इसकी चोटी की उँचाई समुद्र सतह से 3607 फीट है।[9]

## प्रमुख नदियां, झीलें, वर्षा एवं फसलें:–

वर्षा की कमी के कारण मारवाड़ मे सम्पूर्ण वर्ष बहने वाली कोई नदी नही है। यहाँ पर सबसे बड़ी बरसाती नदी 'लूणी' है जो पुष्कर (अजमेर) के पास नाग पर्वत में से निकलती है। अजमेर से यह नदी मेड़ता, जैतारण, बिलाड़ा, जोधपुर, सिवाणा, पचपदरा, बालोतरा, मलानी और सांचोर परगनों में लगभग 200 मील तक बहकर कच्छ के रण में प्रवेश करती है।[10] इस तरह यह नदी राज्य को दो भागों में बांटती हैं। लूणी की कई सहायक नदीयाँ है जिनमें से लिलड़ी, रायपुर, गुहियाबाला, बांडी, सूकड़ी और जवाई से बाएँ तट से निकलती है और जोजरी दाएँ तट से लूणी नदी के पानी को खेती के काम में लाने के लिए बिलाड़ा के पास एक बांध बनाकर

जंसवत सागर नाम का तालाब है।[11] यह कृत्रिम झील भारत की बड़ी झीलों में से एक है। बालोतरा तक इसका जल मीठा है। इसके आगे खारा हो जाता है। इसकी गहराई 40 फूट है। मारवाड़ की नदियों के विषय में –

"रेडियां रणका करे लूणी लहरा खाय

बाड़ी बायड़ी का करे गुहिया सूं धर जाय ।।"

मारवाड़ में झीलें दो प्रकार की है – प्रथम नमकीन जल युक्त झीलें जैसे – डीडवाना, पचपदरा ओर सांभर की झीलें।[12] कुछ कृत्रिम मीठे पानी की झीलें भी है जैसे जसवन्तपुरा सागर (बिलाड़ा), बालसंमद और कायलाना (प्रतापसागर जोधपुर), सरदार समंद (पाली) एडवर्ड समंद (जालोर) सुमेर संमद (पाली) आदि प्रधान है। जिसमें जसंवत सागर सबसे बड़ी झील है जिसे महाराजा जसंवत सिंह द्वितीय ने बनाया था। इसके सिवाय कई छोटे–छोटे तालाब भी हैं।

मारवाड़ मे मौसम प्रायः शुष्क रहता है। यहाँ पर गर्मियों में तापमान की अधिकता और सर्दियों में ठण्ड की अधिकता इस क्षेत्र की अनोखी विशेषता है। यहाँ वर्षा का औसत कम है क्योंकि अरावली पर्वत श्रंखला वर्षा को यहाँ आने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसी कारण यहाँ वन भी बहुत कम है।

यहाँ रात और दिन के तापमान में काफी अंतर होता है। यहाँ का तापमान निम्नतम तापमान 80.9 डिग्री फॉरेनाइट और अधिकतम तापमान 120.9 डिग्री फॉरेनाइट तक रहता है।[13] यहाँ पर अप्रैल, मई और जून महीने में 'लू' चलती है और आंधिया आती है।

मारवाड़ में वर्षा के लिए एक कहावत प्रसिद्व है कि "कभी–कभी गाय का एक सींग ही गीला होता है और दूसरा सुखा ही रह जाता है।" अर्थात् कहीं कम तो कही अधिक वर्षा होती है। प्रमुख रूप से दक्षिण–पश्चिम (अरब सागर) और उतर–पूर्व (बंगाल की खाड़ी) से आने वाली मानसून यहाँ वर्षा करता है। यहाँ 9" से 25" के बीच वर्षा हो जाती है। अरावली पहाड़ के निकट के क्षेत्रों में वर्षा अच्छी होती है परन्तु पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा के औसत में कमी हो जाती है।[14]

मारवाड़ राज्य में दो प्रकार की भूमि होती है। एक खरीफ (सियालू या सावन) ओर रबी (उन्हालू) दोनों फसलें होती है। दूसरी वह जिसमें सिर्फ खरीफ की फसल ही होती है। राज्य के पूर्वी दक्षिणी ओर कुछ दक्षिण पश्चिमी भागों अर्थात् सांभर, परबतसर, मेड़ता, बिलाड़ा, जोधपुर (पूर्वी और दक्षिण हिस्सा) जैतारण, सोजत, पाली, देसुरी, बाली, जालोर, जसवंतपुरा में दोनो फसले होती है। जबकि उतरी पश्चिमी और कुछ दक्षिणी हिस्सों अर्थात् डीडवाना, नागौर, फलोदी, जोधपुर, शेरगढ़, पचपदरा, सिवाना, शिव मालानी ओर सांचौर परगनों में केवल खरीफ फसल होती है। जो वर्षा पर निर्भर रहती है। सियालू (सर्दी) की पैदावार में बाजरा, ज्वार, मक्का, मोठ, मूंग, तिल, रूई जैसे सन प्रमुख है। वही उन्हालू (गर्मी) की फसल में गेंहू, जौ, चना, सरसों अलसी और राई पैदा होती है। जहाँ कुंओं अथवा तालाबों से जल पहुँचाने की सुविधा होती है वहीं इनकी खेती की जाती है।

मारवाड़ का 3/4 भाग असर और बंजर है। मारवाड़ की जमीन 6 प्रकार की मानी गई है। जो क्रमशः – मटियाली, भूरी रेतीली, मगरा, डेटरी और धोरा है। मारवाड़ में कुओं के जरिये अधिकांश जमीन की सिंचाई होती है। कुंओ की संख्या 55,640 है। 40946 मीठे कुएँ है ओर सभी नमकीन है। कुएँ ज्यादातर गहराई में बनाये गये है। रेतीले परगनों में 150 से 300 फुट तक गहरे बनाये है। कुओं की 5 किस्म है। बेरा, ढीमड़ा, बावड़ी, झालरारिया और अडवानियाँ है। कुओं में पानी बहुधा अरहट, चडस, सुडिया ओर ढ़ेकली (चाच) द्वारा निकाला जाता है।[15]

मारवाड़ की पूर्वी सीमा पर स्थित मकराना का संगमरमर विश्व प्रसिद्व है। इस पत्थर से कई प्रसिद्व इमारतें बनी है। जिनमें आगरा का ताजमहल, अजमेर के आनासागर की बारादरियां, दिल्ली का दीवाने खास (लालकिला) ओर कोलकता का विक्टोरिया मेमोरियल आदि प्रमुख है। जालोर व सोजत की खानों से पहले जस्ता और तांबा निकाला जाता था। भवन निर्माण में काम आने वाला पत्थर जोधपुर का है। कड्डी (जो इमारती पत्थरों को चिपकाने में सीमेंट का काम देती है) नागौर, मांगलोद, चंटीसर और भदवासी मे और मुलतानी मिट्टी, बाड़मेर, कपूरड़ी ओर आलमसरिया में पाई जाती है। खाटु से पीला बालू पत्थर, तांबा पुनागर पहाड़ी

(पाली) सोजत और जोधपुर से टिन और सीसा सोजत से फिटकरी पाली से लोहा भीनमाल व गुजरात से जुड़े जिलों में प्रमुखतः पाया जाता है।[16]

मारवाड़ का पश्चिमी भू भाग रेगिस्तान है। जबकि अरावली के आस–पास का क्षेत्र उपजाऊ है। इनके बीच का क्षेत्र दुमटी क्षेत्र कहलाता है। प्रमुखतः मारवाड़ की मृदा चार प्रकार की हैः–

1. बेकलः– यह बाजरा, मूंग, मोठ, तिल, तरबूज, ग्वार आदि के लिए अच्छी है।
2. चिकनीः– यह गेहूँ के लिए उपयुक्त है।
3. पीलीः– यह जौ, तम्बाकू, प्याज आदि के लिए
4. सफेदः– यह खेती के लिए अनुपयुक्त है।[17]

मारवाड़ में वन क्षेत्र कम है। वन आच्छादित क्षेत्र केवल दो है। प्रथम अजमेर मारवाड़ सीमा से लगी है जो करीब 56 मील तक विस्तृत है और द्वितीय मेवाड़ सीमा से लगी है जो 53 मील तक विस्तृत है। इसकी चौड़ाई औसतन 3 मील की है।[18]

मारवाड़ में मुख्य रूप से सभी जातियाँ निवास करती है। जिसमें मुगल, पठान, रंगरेज, लखारे, लोहार जैसी सभी जातियाँ मुस्लिम समाज में आती है। इसके अलावा ब्राहाण, राजपूत, महाजन, कुम्हार, घांची, मोची जैसी जातियाँ सम्मिलित है।

मारवाड़ की लोकप्रिय बोली मारवाड़ी है। मारवाड़ी भाषा राजस्थानी भाषा का स्वरूप है। मारवाड़ राज्य में होली, दीपावली एवं दशहरा, रामनवमी, बंसत–पंचमी, गणगौर तथा मकर संक्राति जैसे कई त्यौहार श्रद्वा से मनाए जाते है। मण्डोर में नागपंचमी का मेला बड़ी धूम–धाम से मनाया जाता है। मारवाड़ का सबसे प्रमुख मेला शीतला माता का मेला होता है। इस मेले को भी यहाँ बड़ी श्रद्वा से मनाया जाता है।[19]

## 1.2 मारवाड़ का पर्व मध्यकालीन इतिहास (13वी शताब्दी तक):–

मारवाड़ के मध्यकालीन इतिहास में विभिन्न राजवंशो का अधिपत्य रहा। मारवाड़ के वर्तमान राठौड़ अयोध्या के पुरूषोतम रामचन्द्र जी के युग कुश कें वंश माने जाते थे। चौथी से छठी शताब्दी जिसमें मौर्य वंश, कुषाण वंश, शक एव नाग वंश, गुप्त वंश, चावड़ा वंश तथा गुर्जर एवं क्षत्रप वंश, गुहिल वंश ओर दहिया वंश सम्मिलित है। महाजन पद काल के उपरांत इस क्षेत्र पर चन्द्रगुप्त मौर्य का आधिपत्य रहा। मालव, शिवि जैसी कई जातियाँ सिकन्दर के आक्रमण के कारण मरूदेश में आ कर रहने लग गयी थी। इन जातियों ने कई वर्षो तक संघर्ष कर स्वंय के राज्य का विस्तार किया।

**मौर्यवंश:–**

मौर्यवंश का संस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्य था। चन्द्रगुप्त मौर्य ने नंद शासक घनानन्द को पराजित कर अपना शासन स्थापित किया मारवाड़ के उतरी भाग को भी चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपने अधीन कर लिया। सम्राट अशोक का एक लेख जो जयपुर के विराट नगर से प्राप्त हुआ है, से यह प्रमाणित होता है कि सम्भवतः मारवाड़ राज्य मौर्य साम्राज्य का अंग रहा होगा।[20]

मौर्यो के बाद उनका राज्य शुंगवंशी राजाओं के अधिकार में चला गया। शुंगवंश के संस्थापक पुष्पमित्र शुंग थें। मारवाड़ के कई क्षेत्रों में कुषाण वंश का आधिपत्य था। क्योंकि कई क्षेत्रों से कुषाण वंश के सिक्के मिले है। सिक्के से अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में इस वंश के राजाओं ने राज किया था।[21]

कुषाण वंश का राजा कनिष्क हुआ। कनिष्क का राज्य राजपूताने से यारकंद तक फैला हुआ था। कुषाण वंश के बाद क्षत्रप वंश के शासक रूद्रदामन ने मारवाड़ को विजित कर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया।[22]

**क्षत्रप वंशः–**

काठियावाड़, कच्छ, गुजरात, जैसे प्रदेशो पर क्षत्रप नहपान का शासन था। नहपान के राज्य पर गौतमी पुत्र शातकर्णी ने अधिकार कर लिया। कुषाणों के पतन के बाद शक जाति के पश्चिमी क्षत्रपों का इस प्रदेश पर शासन हुआ। रूद्रदामन के बाद इनके वंशजों का यहाँ पर शासन हुआ। वि.स. 445 में क्षत्रपों के अन्तिम राजा रूद्रसिंह ने सम्पूर्ण राज्य को अपने अधीन कर लिया। उस समय मारवाड़ भी रूद्रसिंह के अधिकार में चला गया।

**गुप्तवंशः–**

पश्चिमी क्षत्रपों के राज्य को समाप्त कर गुप्त वंश का शासन रहा। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपने राज्य का विस्तार किया।[23] चन्द्रगुप्त से भानुगुप्त तक के गुप्त वंश के शासकों के सिक्के मारवाड़ राज्य में मिले है।

वि.स. 674 का एक शिलालेख मारवाड़ के गोठ एवं मागंलोद की सीमा के दधिमति देवी के मंदिर में मिला है। ये दोनो गांव नागौर के उतर पश्चिम के है। मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर के विशीर्णा दुर्ग में एक तोरणा के दो स्तम्भ खड़े है। इनमें से एक स्तम्भ पर गुप्त लिपि का लेख है। इस प्रकार इस देश के कई भागों पर गुप्त राजाओं का राज्य रहा है।[24]

**हुण वंशः–**

हुण वंश के राजा तोरमाण का अधिकार हुआ परन्तु इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र मिहीरकुल ने राज्य सम्भाला। मालवा के शासक यशोधर्म ने राज्य छीन लिया था, इसके बाद इस वंश का कोई पता नही चला।

**गुर्जर वंशः–**

इनकी राजधानी भीनमाल थी। गुर्जर जाति के लोग खेती एवं पशुपालन का काम करते थे। पहले राजपुताने तथा गुजरात में उनका राज्य था। चीनी यात्री

हवेनसांग ने सांतवी शताब्दी में अपनी पुस्तक में इनकी राजधानी भीनमाल बताई थी।

### चावड़ा वंशः–

चावड़ा वंश की राजधानी भी भीनमाल थी। मारवाड़ के दक्षिणी भाग पर चावड़ो का अधिकार था। भीनमाल के रहने वाले प्रसिद्व माघ कवि ने 'शिशुपाल वध' (महाकाव्य) में वर्मलात राजा का सर्वाधिकार (मुख्यमंत्री) लिखा है, जिसका अर्थ वर्मलात भीनमाल का राजा होना चाहिए।[25]

### वर्धन वंशः–

बैसवंशी राजपूतों को सूर्यवंशी माना जाता था। वि.स. 664 में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक किया गया था। राजपूताने में हर्ष संवत् वाले कई शिलालेख प्राप्त हुए है। हर्षवर्द्वन की मृत्यु के बाद कन्नौज साम्राज्य की अव्यव्यस्था का लाभ भीनमाल के रघुवंशी प्रतिहारों ने उठाया ओर वहां अपनी सता स्थापित की।

### रघुवंशी प्रतिहारः–

शिलालेखों में प्रतिहार नाम ज्ञात होता है। मारवाड़ के बिलाड़ा परगने में प्रतिहारों के शिलालेख प्राप्त हुए है जिन पर वंशावली दी गई है। मारवाड़ राज्य में वर्धनों के बाद प्रतिहारों का शासन हुआ ये मंडोर के प्रतिहार कहलाए। जोधपुर नगर से वि.स 894 का मंडोर के बाउक का एक लेख मिला है। इसी तरह वि.स. 918 में दो और शिलालेख मिले जो राजा बाउक के भाई कक्कु घटियाला के है जो संस्कृत भाषा में है। इन प्राप्त शिलालेखों से यह प्रकट होता है कि वि.स. 670 में हरिशचन्द्र के पुत्रों ने मंडोर के किले पर अपना अधिपत्य स्थापित किया तथा वहां कोट बनवाया था बाद में इनके प्रपौत्र नागभट हुए इन्होने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। इनके छठें वंश के राजा कक हुए। कन्नौज के तथा भीनमाल के पडिहार राजा वत्सराज द्वारा जब मुंगेर राजा पर चढ़ाई की गई तब राजा कक उनके साथ रहकर अपना समर्थन प्रदान कर रहे थें।[26]

जब वत्सराज ने मालवे पर धावा बोला तब मान्यखेट का राजा ध्रुवराज ने मालवे के लोगो की सहायता माँगी। इस स्थिति में वत्सराज को मारवाड़ आना पड़ा तब वि.स. 840 में मारवाड़ का राजा वत्सराज हुआ।[27] मारवाड़ का उतरी भू–भाग प्रतिहारो के अधीन रहा।

**चौहान वंशः–**

प्रतिहार वंश के समान्तर चौहान वंश का भी मारवाड़ मे अभ्यूदय होने लगा आरम्भ में इनका शासन नागौर व उसके आस–पास के प्रदेशो मे ही था। चौहान वंश की राजधानी शाकम्भरी थी। वि.स. 1165 के लेख में 'पृथ्वीराज विजय' काव्य के अनुसार अजयदेव ने राजा अजय मेरू का पहाड़ी किला बनवाया था। राजा ने इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की। वाक्पतिराज शाकम्भरी के राजा थे। इनके दो पुत्र हुए प्रथम सिंहराज व दूसरे लक्ष्मण थें। लक्ष्मण ने मारवाड़ के नाडोल नामक क्षेत्र पर राज्य किया था। कीर्तिपाल जो अल्हण का पुत्र था। उसने जालोर के किले पर चौहानों का राज्य स्थापित किया। 13 वीं शताब्दी के मध्य तक मारवाड़ के अधिकांश भू–भाग पर जालौर के चौहानो का आधिपत्य रहा।[28] इन्ही के वंशज सोनगरा चौहान कहलाने लगे। सोनगरा चौहानो का मारवाड़ के साथ–साथ मंडोर तथा रतनपुर, सांचोर पर भी अधिकार रहा। वि.स. 1202 की समाप्ति पर इनका टूटा हुआ एक लेख मंडोर से मिला है।[29]

**परमार वंशः–**

मारवाड़ राज्य पर परमार वंश का भी शासन रहा। इनकी राजधानी किराडू थी। किराडू से प्राप्त सोमेश्वर के अभिलेख में सोमेश्वर ने अपने पूर्वजों में से सिन्धुराज का नाम बताया है। सिन्धुराज द्वारा मंडोर के पड़िहारों के कमजोरी के कारण मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। जालोर में स्थित रामेश्वर मंदिर भी इसी राजा के द्वारा बनवाया गया है। इनके चौथें वंश में राजा धरणीवराह का नाम आता है। वि.स. 1043 के लेख में राठौड़ राजा धवल का है।

राजा धरणीवाह के 5 वें वंश क राजा कृष्णराज द्वितीय का नाम आता है। वि.स. 1117 तथा वि.स. 1123 के यह दोनो लेख भीनमाल में मिले है।[30] परमारों का

मूल स्थान आबू था। आबू से यह अलग–अलग जगहों पर फैल गये थे। वि.स 1368 में जालौर के चौहानवंशी राव लुभा ने आबू एवं चन्द्रावती परमारों से छीन कर आबू के परमार राज्य की पूर्ण समाप्ति कर दी।

**गुहिल वंशः–**

पोकरण में 10वीं शताब्दी का लेख मिला है। जिसमें इस वंश की चर्चा की गई है। गुहिल वंश भी मारवाड़ के कुछ भाग पर अधिकार रहा है। गुहिलों का राज्य मेवाड़ था। मेवाड़ के गुहिलों को खेड़ तथा पीपाड़ पर शासन था। खेड़ पर अधिकार प्राप्ति के लिए राव सीहा कें पुत्रों ने गुहिलों के एक मंत्री के साथ मिलकर धोखे से प्राप्त किया था।

**दहिया वंशः–**

जोधपुर राज्य में दहिया वंश से संबधित अभिलेख परबतसर से चार मील दूरी पर उतर में स्थित किणर नामक पहाड़ी पर बने केवाय माता के मंदिर से प्राप्त हुए। दहियों का मारवाड़ पर भी कुछ समय तक आधिपत्य रहा।

**सोंलकी वंशः–**

वि.स. 998 में सोंलकी मूलराज गुजरात का स्वामी बना। मूलराज ने उतर में अपना आधिपत्य जमा कर आबू के परमार राजा धरणीवराह को पराजित कर मारवाड़ के कुछ क्षेत्रो पर अधिकार कर लिया। ताम्रपत्रों व अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मारवाड़ पर सोलंकियों का काफी समय तक राज्य रहा था। गुजरात के सोंलकी राजा के बाद मारवाड़ पर कई मुस्लिम शासकों द्वारा आक्रमण किए मारवाड़ एवं सिन्ध की सीमा मिली होने के कारण मारवाड़ को कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर चढ़ाई करने के साथ–साथ मारवाड़ क्षेत्र पर भी आक्रमण किया। अतः संक्षेप मे कहा जा सकता है कि पूर्व मारवाड़ प्राचीनकाल में समुद्र था बाद में हवा का रूख बदलने एवं प्राकृतिक परिवर्तन सें यहाँ रेगिस्तान का प्रसार हुआ।

वैदिक काल में इस क्षेत्र में पर्यावरण बदलने लगा था। पुराणों में मरूक्षेत्र की चर्चा की गई है। यहाँ नदियां एवं पहाड़ है। यहाँ गर्मी व सर्दी का प्रकोप रहता है। फिर भी परवर्ती काल में मारवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों पर मौर्य, कुषाण, शकों तथा गुप्तों, हूणो एवं चावड़ा वंश, वर्धनो चौहानो, परमारो, गुहिलो तथा दहिया एवं सोलकी राजवंशो का अधिकार रहा।

### 1.3 मारवाड़ मे राठौड़ सता का प्रादुर्भाव (1300 ई.–1438 ई.):–

मारवाड़ राज्य का इतिहास राठौड़ शासकों की शोर्यता से आलोकित है। यहाँ पर कई शासकों ने शासन किया। इस राज्य का प्रत्येक भाग राठौड़ शासकों की वीरता एवं शोर्यता की गाथाएं गाता है। राठौड़ शासकों द्वारा दिए गए बलिदान एवं उनकी वीरता के चर्चे हमें प्राचीन ख्यातों तथा शिलालेखों मे मिलते है। इन शासकों ने कई राज्यों को विजित कर मारवाड़ राज्य का विस्तार किया गया। इसलिए इन शासकों का राज्यकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहलाने लगा।

मारवाड़ पर मूल रूप से कई राजवंशो ने राज किया परन्तु किसी भी राजवंश का यहां स्थायी रूप से अधिकार नही रहा। मारवाड़ में राठौड़ राजवंश की शुरूआत लगभग वि.स. 1300 के आस–पास माना जाता है। वि.स. 1451 में इन शासकों ने मारवाड़ पर शासन करना प्रारम्भ किया। भारत स्वतंत्र होने तक राठौड़ों का मारवाड़ पर राज्य रहा।[31]

13वीं शताब्दी में मारवाड़ राठौड़ राजवंश के उदय विकास और उत्कर्ष का साक्षी रहा है।

कर्नल टॉड के अनुसार 'राठौड़ो की उत्पति रामचन्द्र' के दूसरे पुत्र कुश से हुई थी।[32]

ओझा ने राठौड़ों की उत्पति ताम्रपत्रों, शिलालेखों व प्राचीन ग्रन्थों के विवरण के आधार पर विचार किया। राठौड़ों को चन्द्रवंशी लिखा है।

**राठौड़ो वंश की उत्पतिः–**

राष्ट्रकूट की उत्पति का विषय विवादास्पद है।[33] इस वंश की उत्पति को लेकर कई विद्वानों ने अपने अलग–अलग मत प्रस्तुत किए है। ओझा ने इस वंश की उत्पति के बारें में विचार उत्पन्न किया है कि इस वंश के शासक मुख्यतः शुद्व आर्य थें। इनका निवास स्थान दक्षिण में था। दक्षिण के बाद इनके द्वारा काठियावाड़, राजपूताना मध्यप्रदेश तथा बंदायू आदि कई राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। ओझा के अनुसार राठौड़ों के ताम्रपत्रों में इस वंश का उल्लेख मिलता है। वहां इन्हे हिरण्यकश्यप की संतान है।[34] जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हे राजा विश्वुतमान के पुत्र राजा वृहदबल से पैदा हुआ लिखा है। दयालदास ने इन्हे सुर्यवंशी लिखा और इन्हें ब्राह्मण के वंश में पैदा होने वाले भल्लराव की संतान बताया है।[35] नैणसी ने मारवाड़ के राठौड़ो को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया है।[36]

596 ई. में लिखें 'राठौड़ वंश महाकाव्य' में राठौड़ो की उत्पति शिव के शीश पर स्थित चन्द्रमा से बतायी है। कर्नल टॉड ने राठौड़ो की वंशावलियों के आधार पर इस कुल को सूर्यवंशी संतान माना है।

पंडित रेऊ ने उपलब्ध ताम्रपत्रों एवं शिलालेखों के माध्यम से राठौड़ों (राष्ट्रकुट) को सुर्यवंशी बताया है। अशोक के गिरनार शिलालेख तथा धोला एवं शहबाजगढ़ी के शिलालेख से यह प्रमाणित होता है यह दक्षिण में राज्य करते थे। इन्हीं शिलालेखों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राठौड़ों की वंशावली पलिवर्मा से शुरू होना मानी जाती है। दन्तिवर्मा ने चालुक्य राजा कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित किया था। राठौड़ो की कई शाखाएं विद्यमान थी, जो बिहार, बंदायू तथा काठियावाड़ में पाई जाती थी। राजपूताने में राठौड़ों की तीन मुख्य शाखाओं नें राज्य किया। इन शाखाओं के अन्तर्गत हस्तिकुण्डी के राठौड़ की शाखा तथा धनोप के राठौड़ों एवं बागड़ के राठौड़ो की शाखा सम्मिलित है।

राठौड़ो की एक सौ अधिक शाखाएं अथवा खांपे है। ये जोधपुर के अनेक परगनों में बसे हुए है। इस वंश के समस्त जागीरदारों की संख्या 94 है। जिनमें

122 ताजीयी सरदार है यह सरदार चौतीस शाखाओं में विभक्त है ओर इन शाखाओं में प्रमुखः–

| | | | |
|---|---|---|---|
| जोधा | चांपावत | उदावत | मियोत |
| कूपावत | मेड़तिया | करनोत | तजाँवत |
| करमजोत | कांतावत | रूपावत। | |

**राठौड़ो शब्द की उत्पतिः–**

प्राकृत रूप से राष्ट्रकुट से ही राठौड़ शब्द की उत्पति होती है। पुराने समय में 'राष्ट्रकुट' शब्द उपयोग में लाया जाता था राठौड़ो का प्रमुख राज्य क्षेत्र दक्षिण ही माना जाता है। राष्ट्रकुट शब्द को हम 'राष्ट्र' अथवा जाति से भी सम्बोधित कर सकते है। दक्षिण में इन राठौड़ो की राजधानी मान्यखेट थी। प्राचीनकाल में जिन–जिन राठौड़ो का शासन रहा वहाँ उनके लिए राष्ट्रकुट शब्द का ही प्रयोग किया जाता था। अशोक के शिललेखों में कुछ दक्षिण जातियों के लिए 'रिस्टिक' 'लटिक' ओर 'रेटिक' शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सभी शब्द 'रट्ट'[37] शब्द के प्राकृत रूप है जो 'राष्ट्रकूट' शब्द से मेल खाते है।

**1.4 मारवाड़ सत्ता का उत्थान (1459 ई.– 1792 ई.):–**

मारवाड़ में राठौड़ो को स्थापित करने का श्रेय राठौड़ो के मूल पुरूष राव सीहा को जाता हैं। राव सींहा के बारे में नैणसी, बांकीदास व जोधपुर राज्य की ख्यात में अलग–अलग मत दिए गये हैं। बांकी दास की ख्यात में राव सीहा को कन्नौज से आना लिखा गया है।[38] राव सीहा मूल रूप से कन्नौज का ही रहने वाला था। ख्यातों से मिली जानकारी के अनुसार मारवाड़ के राठौड़ो का मूल पुरूष राव सीहा था।

राव सीहा वरदाई सेन के पौत्र और सेतराम के पुत्र थें। कन्नौज में जब गहड़वालो का शासन चलता था तब राष्ट्रकुटों की एक शाखा कन्नौज के बंदायू के शासकों को राष्ट्रकुट मानते थे। इस विषय पर सभी विद्वानों ने अलग–अलग मत प्रस्तुत किए है।

फर्रूखाबाद पर जब मुसलमानों का अधिकार हो गया तब राव सीहा जी पश्चिम की तरफ रवाना हुए, इसी बीच सीहा की मुलाकात भीनमाल के ब्राह्मणो से हुई। उस समय ब्राह्मण मुसलमानों द्वारा की जा रही लुटमार से बहुत बड़ी संकट की स्थिति में थें। ऐसी स्थिति में भीनमाल के ब्राह्मणो ने राव सीहा से मदद की प्रार्थना की तब राव ने उनकी मदद करते हुए भीनमाल पर अधिकार कर ब्राह्मणो को सौंप दिया।[39] ब्राह्मणो को इस संकट की स्थिति से निकालकर राव सीहा जी द्वारिका पहुँचे। राव सीहा द्वारिका से आते समय गुजरात के पाटन नामक क्षेत्र में पहुंचे, पाटन में उस समय सोंलकियों का शासन चलता था। सोंलकियों के राजा जसवन्तसिंह सोंलकी थे। मूलराज चावड़ा राजा जयन्तसिंह का मंत्री था। राजा जयंतसिंह की पुत्री एवं मूलराज चावड़ा की दो पुत्रियों का विवाह राव सीहा की शोर्यता को देखते हुए उनके साथ कर दिया। पाली गांव के बीठु गांव के पास मुसलमानों से युद्ध करते हुए राव सीहा की मृत्यु हो गई थी।[40] राव सीहा की रानी सोलंकिनी राव जयसिंह की पुत्री थी, जिससे आस्थान का जन्म हुआ तथा इनकी दूसरी रानी चावड़ी सोभागदे, बागनाथोत की बेटी थी जिनसे ऊदड़ व सोनिंग का जन्म हुआ था।[41] राव सीहा के पुत्र राव आस्थन पाली के पास गुन्दोड़ा में रहे। इन्होने गुहिलो के हाथो से खेड़ छीनकर उस पर अधिकार कर लिया। उसके उतराधिकारी धूहड़, रामपाल, कनपाल छाड़ा और तीड़ा खेड़ प्रदेश पर शासन करते थे। जिसे आज मालानी कहा जाता है।[42] राव आस्थान (1273ई.–1292ई.) का जयेष्ठ पुत्र राव धूहड़ (1292ई.–1309ई.) था, उसने अपने शौर्य के बल पर पैत्तृक सम्पति को बनाए रखा। उसने परिहारों से मुकाबला कर मंडोर को अपने राज्य में मिलाया राव धूहड़ की मृत्यु के उपरांत राव रायपाल (1309ई.–1313ई.) को खेड़ की जागीर मिली, वह प्रजापालक व दानी स्वभाव का था। उसके शासन काल मे जब अकाल पड़ा तब उसने राजकीय भण्डार से अन्न बांटकर प्रजा की सहायता की। राव कनकपाल (1313ई.–1323ई.) ने अपने शासनकाल में महेदे (मालानी) के प्रांत को जैसलमेर राज्य की सीमाओं से मिला दिया उसने भाटियों और मुसलमानों का आंतक अधिक होने पर उनका मुकाबला किया।

राव जालणसी (1323ई.–1328ई.) और राव छाडा (1328ई.–1344ई.) ने जैसलमेर नरेश से युद्ध किया और अपना अधिकार पाली, सोजत, भीनमाल और जालौर पर अपना अधिकार बनाये रखा। राव तीड़ा के समय मुसलमानों का आंतक बहुत अधिक बंढ़ गया था। राव तीड़ा निरन्तर मुसलमानों से युद्ध करते रहे और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। इनके तीन पुत्र कान्हडदे, त्रिभुवन सिंह और सवखां राव, सवखां ने महेबे का कुछ भाग छीन लिया और चौहानो को परास्त कर भीनमाल को अपने अधीन कर लिया।[43]

राव सलखा (1357ई.–1374ई.) राव टीड़ा का पुत्र था इसने भी अपने पिता की तरह मुसलमानों से मुकाबला किया ओर वीरगति को प्राप्त हुआ। राव सलखा के पराक्रम से राज्य प्राप्त किया। राठौड़ो के इतिहास का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि राव मल्लिनाथ ओर राणी रूपादे का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य है क्योंकि दोनों ने ही भक्ति की ज्योति जगाकर दलितों के उद्वार का कार्य किया।

**राठौड़ो का मंडोर पर आधिपत्यः–**

**राव चूंड़ाजी (1394 ई.–1423 ई):–**

राव चूंडा मंडोर के शासक बन जाने पर राठौड़ो की दो शाखाएँ हो गई थी। मल्लीनाथ व जेतमाल के वंशज मालानी के उजाड़ क्षेत्र के शासक रहे और वीरम के वंशज मंडोर गढ़ के अधिपति बन गये। राव चूंडा ने अपने राज्य का विस्तार किया। इन्होने मंडोर पर अधिकार करने के अलावा खाटू, डीडवाना, सांभर, नाडोल आदि पर भी अधिकार किया। चूंडा ने अपने जीवनकाल में मारवाड़ राठौड़ शासन स्थापित करने में बड़ी सफलता प्राप्त की। राठौड़ो का प्रथम शक्तिशाली शासक था।[44]

राव मल्लीनाथ ने अपने भाई वीरम के पुत्र राव चुण्डा (1394ई.–1423ई.) को जालोड़ी की जागीर दी। राव चुंड़ा ने ईन्दा परिहारों को संरक्षण दिया और उन्हें मंडोर दुर्ग दहेज में प्राप्त हो गया जिसे परवर्ती समय में राजस्थान मारवाड़ अथवा जोधपुर रियासत कहा।

सोरठा, जो मारवाड़ में अब तक प्रसिद्व है,

"ईदा रो उपकार, कमधन मत भूलो कदे।
चूडो चवरी चाढ, दियो मंडोवर दायजै।[45]

राव चुण्डा (1394ई.–1423ई.) के चौदह संताने हुई लेकिन उतराधिकार छोटे पुत्र कान्हा को प्राप्त हुआ। जोधपुर राज्य की स्थापना का श्रेय रणमल के पुत्र राव जोधा को दिया जाता है।

**राव जोधा– (1453 ई. – 1489 ई.):–**

राठौड़ो के इतिहास में राव जोधा (1453ई.–1488ई.) के वीरोचित कार्यो का वर्णन हमें प्राप्त होता है। जोधपुर के वास्तविक संस्थापक व सबसे प्रभावशाली राजा थे। राव जोधा द्वारा कई वर्षो तक संघर्ष करने के बाद वि.स. 1510 में मंडोर में स्थायी रूप से राठौड़ सता को स्थापित किया।[46] राव जोधा द्वारा जोधपुर नगर में वि.स. 1515 में एक दुर्ग का निर्माण किया गया, जो चिड़ियाटूक नामक पहाड़ी पर बना है। मंडोर से अपनी राजधानी दुर्ग में स्थापित की।

1461 ई. में राव जोधा ने जब गया की यात्रा की, आगरा पहुँचने पर उनकी मुलाकात बादशाह बहलोल लोदी के विश्वसनीय व्यक्ति राठौड़ कर्णा से हुई। तब राठौड़ कर्णा ने इनका सत्कार किया तथा बादशाह से वार्तालाप करवाई। इस वार्तालाप के बाद ही जोधा द्वारा प्रयाग एवं गया की यात्राओं पर लगने वाला शाही कर समाप्त कर दिया। इसके पश्चात् यह मेंवाड़ के महाराणा रायमल्ल से मिले तब रायमल्ल ने अपने लेख में जोधा जी की प्रंशसा करते हुए लिखाः–

"श्रीदोहादि पति रूग्रखड धारा
निर्धात प्रहत पठाणपाररशीकः
पूर्वानतापसीद्‌यपा विमुक्तया
काश्यां सुवर्षो विंचुलेर्वियाश्रितः।"

अर्थात् जोधा जी की तलवार से कई पठान मारे गए। इनके द्वारा गया के यात्रियों पर लगने वाले कर को समाप्त कर अपने पूर्वजों एवं काशी के सुवर्ण दान कर वहां के सभी विद्वानों को संतुष्ट किया। तत्पश्चात् राव जोधा द्वारा राज्य विस्तार को बढ़ातें हुए मंडोर के बाद फलोदी, मेड़ता, सिवाना एवं अजमेर, नागौर को अपने अधीन कर लिया बाद में वहां एक स्वतंत्र सिवाना राज्य को स्थापित किया। राव जोधा के सहयोग से ही दूदा एवं पुत्र वरसिंह ने मेड़ता नगर की स्थापना की। राव जोधा की इस वीरता को देखकर मारवाड़ के सभी नरेशों में उनका विशेष स्थान रहा। राव जोधा ने अपने भाईयों एवं पुत्रों में भू–खण्ड को बराबर बांट कर अपने राज्य के अन्तर्गत कई पदों की नियुक्ति की।[47]

### राव सातल (1489 ई. – 1492 ई.):–

राव जोधा की मृत्यू 1489 ई. में होने के बाद राव सातल वि.स. 1546 (1489ई.) को गद्दी पर बैठे।[48] देवीदास जी जब जैसलमेर के राव हुए तब उन्होने कुंडल का प्रांत अपने दामाद सातल जी को सौंपा था। राव सातल जी के कोई पुत्र ना होने के कारण अपने भतीजे सूजा को गोद ले रखा था। वि.स. 1547 मे अजमेर के हाकिम मल्लू खां ने सातल जी के भाई वरसिंह को धोखे से पकड़ लिया था तब सातल जी ने राव बीका जी के साथ मिलकर अजमेर पर चढ़ाई कर वरसिंह को छुड़ाया था। उस समय वरसिंह मेंड़ता का स्वामी था।

मल्लू खां जब बदला लेने के लिए जोधपुर की ओर अग्रसर हुआ उस समय वरसिंह जोधपुर में ही मौजूद था। इस बात की सूचना जैसे ही राव सातल जी को मिली तब राव जी ने वरसिंह एवं राव दूदा के साथ मिलकर कोसाणा नामक स्थान पर उनके साथ मुलाकात किया। इस घटना के दौरान सातल जी ने अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी।[49] राव सातल के कोई संतान नही होने के कारण राजपाट छोटे भाई राव सूजा को मिला। राव सूजा का अधिकार जोधपुर, फलोदी, पोकरण, सोजत ओर जैतारण परगनों पर था। राव सूजा का ज्येष्ठ पुत्र राव बाधा था। राव बाधा का यौवनावस्था मे देंहात हो गया था। राजकुमार वीरम को सोजत की जागीर

मिली। राजपूत सांमतों के हस्तक्षेप से राव सूजा के द्वितीय पुत्र राव गांगा (1515ई. –1532 ई.) को मारवाड़ की राजगद्दी प्राप्त हुई।[50]

**राव गांगा (1515 ई.–1532 ई.):–**

राव गांगा स्वभाव से ही नम्र व सुशील था। इसने राज्य वृद्धि करने के प्रत्यन नही किये थे। इसने जोधपुर और सोजत परगने ही अपने अधिकार में लिए थे। राव गांगा के पुत्र मालदेव ने ही 1532 ई. में राव गांगा को ऊपर से नीचे फेंक कर मार दिया था और खुद गद्दी पर बैठ गया।[51] राव गंगा जी ने ईडर नरेश राव रायमल की अत्यधिक सहायता की। उनका उतराधिकारी राव मालदेव (1532ई.–1562ई.) तक साहसी सेना नायक और महत्वाकांक्षी शासक था।[52] उसके राज्यारोहण के समय मारवाड़ की स्थिति दयनीय थी।

**राव मालदेव (1532 ई.–1562 ई.):–**

राव मालदेव अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था इसने गद्दी पर बैठते ही राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया। सबसे पहले भाद्राजूण पर चढ़ाई की और सींधल के स्वामी वीरा को मार कर अपने अधिकार में कर लिया।

1538 ई. मे मालदेव ने राठौड़ डूंगरसी (जैतमालोत) सिवाणा को भी अपने अधीन कर लिया। 1542 ई. मे मालदेव ने कूंपा की अध्यक्षता में बहुत बड़ी सेना बीकानेर की ओर रवाना की। बीकानेर के राव जैतसी इतनी बड़ी सेना देख कर घबरा गया था। तब जैतसी ने शेरशाह से सहायता मांगी थी पर मालदेव ने जैतसी को मार कर बीकानेर पर अधिकार कर लिया।

मालदेव की राज्य विस्तार करने की इच्छा के साथ विजित प्रदेशो को सुदृढ़ करने में भी प्रत्यनशील रहता था। राव मालदेव प्रतापी व साहसी शक्तिशाली शासक था। राव मालदेव जहाँ–जहाँ युद्ध में विजय प्राप्त करता वहाँ वह मजबूत किले बनवाता था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मालदेव ने अपने बाहुबल से बड़ा राज्य कायम किया।

राव मालदेव के प्रभाव क्षेत्र में जोधपुर ओर सोजत परगने ही थें। राव मालदेव ने सिवाना, भाद्रजुन, मेड़ता और राधनपुर प्रदेश को अधिकृत किया।[53] 1544 में शेरशाह ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। मालदेव का सेनापति अपनी सेना के साथ सुमेल गिरी नामक स्थान पर पहुँचा लेकिन शेरशाह ने छल–कपट से मारवाड़ की सेना को परास्त कर दिया। किन्तु वह यहां से ठहर कर लौट गया। मालदेव ने चाकसू, फतेपुर, टोडा, लालसोट, मलारणा आदि पर भी अधिकार कर लिया। राज रूपक में मालदेव की विजयों के लिए लिखा हैः–

"माल गंग गादी राव मारू।

सगष्ठा  किया आपरे सारू।"

**राव चन्द्रसेन (1562 ई.–1581 ई.)ः–**

राव चन्द्रसेन के तीन पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र राव चन्द्रसेन को अपनी छोटी रानी के बहकाने से उतराधिकारी बना दिया।[54]

राव मालदेव का पुत्र राव चन्द्रसेन वीर ओर स्वतंत्र प्रकृति का नरेश था।[55] राव चन्द्रसेन (1562ई.–1581ई.) अपने शासन काल में मुगल सेना में मुकाबला करता रहा। राव चन्द्रसेन ने अपने अन्तिम समय तक मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नही की।

राव चन्द्रसेन के द्वारा अपने एक चाकर से अप्रसन्न था। वह चाकर राठौड़ जैतमाल के पास चला गया था परन्तु चन्द्रसेन ने उसे बुला लिया, ऐसा देखकर जेतमाल ने अपने प्रधान से कहलवाया कि चाकर को क्षमा कर उसके प्राण–दान कर दिये जाये, पर राव चन्द्रसेन ने चाकर को मरवा दिया इससे जैतमाल व कई अन्य सरदार राव चन्द्रसेन से नाराज हो गये और उन सरदारो ने राम, उदयसिंह और रायमल को पत्र लिख कर उनको धिक्कारा तो राम, उदयसिंह और रायमल ने राज्य मे लूटमार मचाई और लड़ाई हुई।[56]

**रायसिंह (1582 ई.–1583 ई.)ः–**

मालदेव के बाद उनके पुत्र रायसिंह (1582 ई.–1583 ई.) तथा उदयसिंह (1583 ई.–1595 ई.) ने जोधपुर राज्य पर शासन किया।[57]

**उदयसिंह (1583 ई. – 1595 ई.)ः–**

चन्द्रसेन की मृत्यु के तीन वर्ष तक जोधपुर खालसे में था। बादशाह ने अधिकार कर उदयसिंह को राजा की उपाधि देकर कर दे दिया। राव चन्द्रसेन की भांति उदयसिंह भी अकबर के अधीन ही रहा। उदयसिंह ने अपनी पुत्री मानी बायीं का विवाह शाहजादे सलीम के साथ हुआ।

मुगल सम्राट ने उदयसिंह को राजा की उपाधि प्रदान की। वे 'मोटा राजा उदयसिंह' के नाम से प्रसिद्व हुए।

**शूरसिंह (1595 ई. – 1619 ई.)ः–**

उदयसिंह के 16 पुत्रों में से बादशाह ने सूरसिंह को ही उदयसिंह का उतराधिकारी बनाया।[58]

यह भी अपने पिता की तरह था इसने भी जोधपुर राज्य की दशा में बहुत परिवर्तन किये। अकबर के समय में कुछ–कुछ सुधार किये परन्तु जहाँगीर के समय काफी सुधार कर लिये। उसके सुप्रबंध के कारण राज्य में प्रजा बहुत ही शांति व समृद्वि से रही।

उदयसिंह के पुत्र शूरसिंह (1595ई.–1619ई.) का राज्य काल मारवाड़ के इतिहास में महत्वपूर्ण समझा जाता है। क्योंकि उनके प्रधान भाटी गोविन्द दास ने प्राचीन परम्पराओं को समाप्त किया। पूर्व में यदि शाह परिवार में कोई शादी या गमी का अवसर होता तो उस समय अन्तपुर में ठकुरानियों का उपस्थित रहना अनिवार्य था। इस प्रथा को उसने समाप्त कर दिया। उसने अपने राज्य में भूमि की पैमाइश करवाई तथा राजस्व विभाग की ओर ध्यान दिया।

**राजसिंह (1619 ई. – 1638 ई.):–**

सवाई राजा शूरसिंह के ज्येष्ठ पुत्र राजसिंह (1619ई.–1638ई.) ने भी अपने पिता की भांति साहसी व पराक्रमी थे। उन्होने मुगल सेना के साथ अनेक वीरता पूर्वक कार्य किए। जहांगीर ने इनका मनसब बढ़ाकर चार हजारी जात और तीन हजार सवार कर दिया और इन्हें 'दलथंभन' (फौज को रोकने वाला) की उपाधि प्रदान की।

राजा गजसिंह का ज्येष्ठ पुत्र अमरसिंह था। उसे नागौर जागीर में दिया गया तथा कनिष्ठ पुत्र जसंवत सिंह को जोधपुर राज्य की गद्दी पर बैठाया गया।[59] बादशाह शाहजहां ने उसे चार हजारी जात तथा चार हजार सवारों का मनसब ओर राजा के खिताब से विभूषि किया।

**महाराजा जसंवतसिंह (1638 ई. – 1678 ई.):–**

गद्दीनशीन के समय जंसवतसिंह बारह वर्ष के थे। अतः राज्य को चलाने के लिए आसोप के ठाकुर राजसिंह (कूंपावत) को एक हजार जात और चार सौ सवार का मनसब देकर जोधपुर का मंत्री नियुक्त किया।[60]

महाराजा जंसवतसिंह के शासनकाल (1638ई.–1678ई.) कें दौरान औरंगजेब और मराठा सरदार शिवाजी के मध्य निरंतर संघर्ष चल रहा था। शिवाजी ने औरंगजेब के साम्राज्य में बहुत उपद्रव मचाया। उसे दबाने के लिए शाइस्ता खां को भेजा गया किन्तु उसे अधिक सफलता प्राप्त नही हुईं। इस पर बादशाह ने महाराजा जसंवतसिंह को लिखा कि वह अपनी सेना लेकर गुजरात के दक्षिण में पहुंचे तथा शिवाजी के विरूद्व शाइस्ता खां की सहायता करे। इसी के अनुसार महाराजा जूनागढ़ के फोजदार कुतुबखां से दक्षिण की तरफ रवाना हो गये।

बादशाह समय–समय पर महाराजा को अनेक उपहार प्रदान कर और सरकार द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे थें। वही दूसरी और महाराजा धीरे–धीरे शिवाजी के अधिकृत किलों पर अधिकार कर उनकें उपद्रव को नष्ट करने की चेष्टा कर रहे थें। कुंडा के दुर्ग को विजय करने में भी उन्होने अद्भुत वीरता

का प्रदर्शन किया। बादशाह की इच्छा थी कि जहाँ तक हो जल्दी से शिवाजी का सारा बल नष्ट कर दिया जाए। यह बात महाराजा को पंसद नही थी, क्योंकि वह शिवाजी जैसे पराक्रमी हिन्दू महाराजा का बल नष्ट कर औरंगजेब जैसे धर्मान्थ नरेश को और अधिक उत्पात करने का मौका देना अनुचित समझते थे। यही कारण था कि जसंवत सिंह भीतर से शिवाजी के प्रति सहानूभूति रखा करते थे। औरगंजेब को जब इसका भास हुआ तो उसने महाराजा के स्थान पर आमेर के राजा जयसिंह को भेज कर उन्हें अपने पास बुला लिया। उन्होने मुगलों के उतराधिकार संघर्ष में भी भाग लिया। महाराजा जसंवत बड़े वीर, मनस्वी, प्रतापी, दूरदर्शी, नीति, निपुण विद्वान, कवि, दानी और गुणगतक थे। इसी कारण औरंगजेब के बढ़ते हुए प्रताप की कुछ भी परवान न कर समय–समय पर उसका खुल कर विरोध करते थें। साहित्य प्रेमी होने के कारण महाराजा ने कुछ ग्रन्थों की रचना भी की। उनमें सिद्वांत बोध, सिमातसार, अनुभव प्रकाश, उपरोक्ष अंग सिंद्वात, आन्नद विलास प्रबोध चन्द्रोदय और साहित्य से संबधित भाषा भूषण प्रसिद्व है। महाराजा जसंवतसिंह का स्वर्गवास 1678ई. में पेशावर में होने पर उनकी दोनो रानियां 'नरूकी' और 'जादमन' ने सती होने का विचार किया लेकिन सरदारों ने उन्हें रोक लिया। लाहौर में राजुकमार अजीतसिंह व दलथंभन का जन्म हुआ। दिल्ली तक आते–आते दलथंभन की मृत्यु हो गई। इस समाचार को सुनकर बादशाह ओरंगजेब दिल्ली पहुँचा तथा उसने जोधपुर पर अपना अधिकार करने के लिये अमरसिंह के पोत्र इन्द्रसिंह को खिअलत, निशान हाथी ओर घोड़ा आदि देकर उसे जोधपुर राज्य का राजा बना दिया।

महाराजा अजीतसिंह की रक्षार्थ वीर दुर्गादास राठौड़ और मुकुन्ददास खीची 300 सवारों के साथ दिल्ली में रहें। मोहकम सिंह की पत्नी की सहायता से अजीतसिंह को मारवाड़ लाया गया। लेकिन उन्होने मेड़ता, बिलाड़ा, सोजत, जैतारण में मुसलमानों का अधिकार देखा तो वीर दुर्गादास तथा मुकुन्ददास खीची की दृष्टि से राजकुमार अजीतसिंह को सिरोंही के गांव कालिन्द्री में ब्राह्मण जयदेव पुरोहित के यहाँ ले गये। वही पर अजीतसिंह का बचपन व्यतीत हुआ तथा शिक्षा–दीक्षा हुई।

1707 ई. में औरंगजेब की भी मृत्यु हुई। सन् 1707 में अजीतसिंह जोधपुर राज्य पर अधिकार कर लिया[61] ओरंगजेब की मृत्यु पर अजीतसिंह बहुत प्रसन्न हुए और कहा–

"आई खबर अचिंत री, मिट गई तन री दाह।
कासिदों यू भाखियों, मर गयो औरंगशाह।।"

**महाराजा अजीतसिंह (1707ई.–1724ई.):–**

अजीतसिंह के जन्म से पहले ही पैतृक राज्य पर मुगल बादशाह औरंगजेब ने अधिकार कर लिया था। अजीतसिंह को जन्म से मरवाने का षडयंत्र रच रहे थे परन्तु वीर दुर्गादास ने अपनी वीरता व चतुराई से औरंगजेब को दिल्ली से बाहर कर दिया।

बादशाह ने कुतुबुल्मुल्क के कहने पर महाराजा अजीतसिंह के डेरे पर जा कर उपहार भेंट किये तथा बादशाह ने अजीतसिंह को 'राजेश्वर' का खिताब और अहमदाबाद गुजरात का सूबा दिया।[62]

महाराजा अजीतसिंह (1707ई.–1724ई.) ने अपने राज्य काल में मंडोर में वीरो की साल ओर जसंवतसिंह का दालान भैरव मंदिर ओर किले में दौलतखाना, फतहमहल, जनाना महल तथा देवी देवताओं की मूर्तियां बनावकर मंदिर मे प्रतिष्ठित की जिनमें मुरली मनोहर, शिव–पार्वती, चतुर्भुज विष्णु और हिंगलाज देवी प्रमुख है। उन्होने जोधपुर के परकोटे के भीतर घनश्याम जी का मंदिर तथा मूल नायक के मंदिर का भी निर्माण करवाया।

**अभयसिंह (1724 ई.–1749 ई.):–**

अभयसिंह वीर था परन्तु व दुर्बल था। यह अपने ही सरदारों के प्रति उपेक्षा का भाव रखता था। अभयसिंह अपने सब भाईयों को मरवाना चाहता था सिर्फ बख्तसिंह को छोड़कर।

अजीतसिंह के ज्येष्ठ पुत्र अभयसिंह (1724ई.–1749ई.) थे। बादशाह मुहम्मद शाह ने अभयसिंह को 'राज राजेश्वर' उपाधि से विभूषित किया।[63]

1730 ई. में गुजरात के सुबेदार सर बुलद खां के कार्यो को देखकर बादशाह अजमेर के साथ ही गुजरात का सुबा महाराजा अभयसिंह को दे दिया। इसी अवसर पर इन्हे खिलयत आदि के अलावा 18 लाख रूप्ये नगद और मय गोला–बारूद के 50 छोटे–बड़े तोपे दी गई। इसके पश्चात् वे अलवर होते हुए अजमेर पहुँचे ओर वहां पर अधिकार कर मेड़ता होते हुए जोधपुर चले गयें। कुछ दिनों बाद जब 20 हजार सवारों का रिसाला तैयार हो गया तब वे जोधपुर से चलकर जालोर पहुँचे।[64] यहाँ पर इनके छोटे भाई बख्तसिंह आकर इनके साथ हो गये। इसके बाद महाराजा अपनी इस सेना के साथ–साथ आगे बढ़े। जब इसकी सूचना सरबुलद खां को मिली। वैसे ही उसने उन्हे अहमदाबाद से आगे बढ़ कर मार्ग में ही रोकने की तैयारी शुरू की। सर बुलंद खां के पक्षवाले नगर के दरवाजे को ईटों से बंद कर पूरी सतर्कता से नगर की रक्षा करने लगे। इससे वह सफल नही हो सका। उस समय आस–पास के कई मुसलमान अमीर भी सर बुलद खां का पक्ष छोड़ कर इनके झण्डे के नीचे चले गए।

महाराजा ने निरन्तर सर बुलद खां पर हमले जारी रखे। अतः एक ओर राठौड़ो की सेना को उत्साहित करते हुए बड़ी वीरता से महाराजा की सेना का सामना किया। यह युद्ध सांयकाल शांत हुआ। इसके बाद नीबज ठाकुर उदावत अमरसिंह आदि के द्वारा बातचीत करने के बाद महाराजा और सर बुलद खां के बीच संधि हो गई। इसके बदले में महाराजा ने उसे उसकी सेना के वेतन आदि के लिए एक लाख रूप्ये नगद ओर वहां से जाने के समय भार ढ़ोने की गाड़ियां ओर ऊँट देने का वादा किया।

इस प्रकार एक झगड़ा शांत हो जाने पर सर बुलद खां स्वंय महाराजा के कैम्प में आकर उनसे मिला। बातों ही बातों में उसने स्वर्गवासी महाराजा अजीतसिंह के साथ अपनी मित्रता का वर्णन कर महाराजा की पगड़ी से अपनी पगड़ी बदल ली।

महाराजा अभयसिंह अपने पिता के समान ही वीर, साहसी और बुद्विमानी थें। इन्होने अपने भाई बख्तसिंह को नागोर की जागीर दी। उन्होने अभयसागर, तालब चौखा गांव का बगीचा अजीतसिंह का देवल तथा मण्डोर का दरवाजा बनवाया। अहमदाबाद पर विजय प्राप्त होने पर उन्होने फतेहपोल का निर्माण करवाया। सांस्कृतिक कार्यो में इनकी विशेष रूचि थी।

**रामसिंह (1749 ई. – 1751 ई):–**

महाराजा अभयसिंह के बाद उनके पुत्र रामसिंह (1749ई.–1751ई.) मारवाड़ की गद्‌दी पर बैठे। रामसिंह का पूरा जीवन संघर्ष में बीता क्योंकि महाराजा बख्तसिंह ने उनका लगातार विरोध किया। उनकी इच्छा, मारवाड़ राज्य का शासक बनने की थी।

**बख्तसिंह– (1751 ई.–1752 ई.):–**

अन्ततः महाराजा बख्तसिंह (1751ई.–1752ई.) ने अपने भतीजे महाराजा रामसिंह को हराकर जोधपुर की गद्‌दी पर अपना अधिकार कर लिया।[65] महाराजा बख्तसिंह वीर, बुद्विमान, नीतिज्ञ और कार्य कुशल शासक थे।

इन्होने जोधपुर शहर के भीतर 9 चोकियां बनवायी और मण्डी दौलत खाना, लोहापोल सूरजपोल की मरम्मत करवाई। कर्नल टॉड के अनुसार 'यदि बख्तसिंह कुछ ओर वर्षो तक जीवित रहता तो राजपूत सारे हिन्दुस्तान में छा जाते।'

**विजयसिंह (1752 ई.–1793 ई.):–**

महाराजा बख्तसिंह के पश्चात् उनके पुत्र विजयसिंह (1752ई.–1793ई) उतराधिकारी बने।[66] महाराजा विजयसिंह के गद्दी पर बैठने के कुछ समय बाद ही वि.स. 1813 में जोधपुर राज्य में बड़ा भीषण अकाल पड़ा था।

महाराजा विजयसिंह ने राज्य में 'रेख बाव' नामक कर लगाना शुरू किया। वि.स. 1823 के वैशाख मे वैष्णव धर्म स्वीकार किया तथा पूरे राज्य में मास की बिक्री बन्द करवा दी।[67]

इनका जीवन भी युद्ध करने में ही बीता इनका मुकाबला मराठों से हुआ था। मराठों को सेना का एक भाग उदावत भगतसिंह की अध्यक्षता में जैतारण पहुँचा। पहली बार में तो मराठों को पीछे हटना पड़ा किन्तु 14 सितम्बर 1758 ई. को दूसरी बार के युद्ध मे महाराजा का तोपखाना पीछे छूट जाने से पासा पलट गया।[68] मौका पाते ही मराठो ने एकाएक उस तोपखाने पर हमला कर दिया। राठोड़ो ने मुकाबला किया। लेकिन उनकी हार हुई। सांयकाल हो जाने से महाराज अपने बचे हुए सरदारों आदि को साथ लेकर मेड़ता लौट आए और रात्रि को नागौर की ओर चल दिए। इसके पश्चात् नागौर में स्वंय महाराजा ने बड़ी वीरता से सामना किया। परन्तु किले के शत्रु सेना से घिर जाने के कारण कुछ दिनों में वहां भी रसद समाप्त हो गई।

विजयसिंह ने केसर खां ओर एक गहलोत वीर को जयप्पा को छल से मार डालने के लिए नियत किया ओर जयप्पा को मार दिया। इसके पश्चात् जयप्पा के पुत्र जनकोजी भाई दत्ताजी और रघुनाथ राव ने मारवाड़ पर हमला कर दिया। विजयसिंह ने बीकानेर के गजसिंह व जयपुर नरेश माधोंसिंह को अपने साथ रखकर मराठो से मुकाबला किया। मराठो ने मारवाड़ स्वीकार किया। इसलिए महाराजा ने उन्हे 20 लाख रूपये और अजमेर प्रांत देकर उनसे संधि कर ली। विजयसिंह की उपलब्धियों में गोडवाड प्रदेश को जो संधि के अन्तर्गत महाराणाओं से मिला उसे मारवाड़ में मिलाना और अमरकोट को विजय करना है।

विजयसिंह का कार्यकाल दीर्घ होते हुए भी अंशातिपूर्ण बना रहा। उन्होनें बल के साथ छल छदम् भी खुब किया। मराठो से हुए युद्ध और संधि ने राज्य के खजाने को रिक्त कर दिया जिसकी भरपाई के लिए उसने 'रेखबाव' कर लगाया। विजयसिंह स्वंय वीर नही था। परन्तु उसका व्यवहार झुकाव छोटे लोगो की ओर अधिक था। महाराजा विजयसिंह की मृत्यु 1793 में हो गई।

### महाराजा भीमसिंह (1793 ई.— 1803 ई.):—

महाराजा भीमसिंह के गद्दी पर बैठने से पहले ही गुलाबराय से संघर्ष करना पड़ा। महाराजा भीमसिंह को राठौड़ो अधिकांश सांमतो का समर्थन प्राप्त था। वही

मानसिंह को पासवान के समर्थक सामन्तों तथा राज्य कर्मचारियों का सहयोग था। वही तीसरा गुट जालमसिंह का था। इस प्रकार महाराजा भीमसिंह को उतराधिकारी के संघर्ष का सामना करना पड़ा।

महाराजा भीमसिंह ने अपने भाइयों शेरसिंह, सांवतसिंह व सूरसिंह को मरवा दिया था। लकवा दादा ने वि.स. 1851 में मारवाड़ पर चढ़ाई की।[69]

महाराजा भीमसिंह क्रुर व उग्र स्वभाव का था। अपने भाइयों को मरवा दिया तथा मानसिंह को मरवाने पर बस नही चला। भीमसिंह के सरदारों से अच्छा व्यवहार नही था। इसलिए अधिकांश सरदार भीमसिंह के विरोधी हो रहे और अंत तक झगड़ा ही रहा।

महाराजा भीमसिंह अपने 10 वर्ष के शासन काल में मानसिंह से ही संघर्ष मे मानसिंह से ही संघर्ष करते रहे।[70] वि.स. 1860 में इन्द्रराज, वनराज और गुलराज तीनों भाइयों तथा भंडारी गंगाराम ने एक साथ चारो तरफ से जालौर पर आक्रमण कर दिया। यह बड़ी लड़ाई थी। जालौर पर घेरा पड़ा हुआ था और महाराजा को अदीठ की बीमारी हो गई तथा कार्तिक सूदि 4 को उनका देहान्त हो गया।

**निष्कर्ष:—**

मारवाड़ जैसे शुष्क एवं कम उपजाऊ क्षेत्र में राव सीहा के आगमन से लेकर राव जोधा द्वारा जोधपुर नगर की स्थापना होने तक राठौड़ शासकों को स्थायित्व की खोज में अत्यधिक संघर्ष की पड़ा। तत्पश्चात् राव मालदेव ने राठौड़ो की शक्ति को पराकाष्ठा तक पहुंचाया लेकिन उसके पुत्र राव चन्द्रसेन के समय जोधपुर पर मुगलों का अधिकार हो जाने के कारण उसे मृत्यु पर्यन्त निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। अनन्तर राव मालदेव के पुत्र राजा उदयसिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली ओर मारवाड़ का शासक एक मुगल मनसबदार बनकर रह गया, किंतु वे अपने आंतरिक मामलो मे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे। इसके पश्चात् क्रमशः सवाई राजा सूरसिंह, राजा गजसिंह और महाराजा जंसवतसिंह ने मुगल मनसबदार की भूमिका को भलीभांति निभाया। महाराजा जंसवतसिंह की मृत्यु के

पश्चात् ही महाराजा अजीतसिंह जोधपुर पर पुनः अधिकार करने में सफल हुआ। इसके उतराधिकारी क्रमशः महाराजा अभयसिंह, रामसिंह, बख्तसिंह, विजयसिंह एवं भीमसिंह हुए। उपर्युक्त पाँचों शासक मुगलों की अधीनता से मुक्त रहे परन्तु उन्हें आंतरिक विग्रह ओर मराठों के आक्रमणों का निरन्तर सामना करना पड़ा ओर मारवाड़ की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई, लेकिन फिर भी यहाँ के शासकों ने अपने राठौड़ एवं गैर राठौड़ सामन्तों ओर पदाधिकारियों की सहायता से अपनी वंश परम्परागत शक्ति को निरन्तर गतिमान रखा यद्यपि आलोच्य काल में मारवाड़ के शासन में कई उतार–चढ़ाव आए परन्तु यहाँ के शासकों ने न केवल अपने वंश एवं संस्कृति को सुरक्षित रखा बल्कि यहां की प्रजा को भी समुचित सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया।

# सन्दर्भ सूची


1. अथ मरूमण्डले पल्लीग्रामें काकूपाताकौ भ्रातरौ निवसतः मेरूतुंग, प्रबंधचिंतामाणि पृ. 275
2. ऋग्वेद 1.35.6 (राजस्थान थ्रू द एजेज शर्मा दशरथ (स) खण्ड – 1, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर 1966 ई, पृष्ठ 11।
3. मजमुऐ हालात राज मारवाड़ 1883–1884 पृ. 41
4. एनुअल एडिमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आंव जोधपुर स्टेट 1945–46 ई., जोधपुर सरकार, पृष्ठ–1
5. टॉड जेम्सः एनल्स एण्ड एण्टीक्विटीज ऑफ राजस्थान, खण्ड द्वितीय, पृ. 929, बिलियम कुक द्वारा सम्पादित, मोतीलाल बनारसी दास दिल्ली, 1920, 1971 हिन्दी अनुवादः ठाकुर केश्व कुमार, आदर्श हिन्दी पुस्तकालय, इलाहाबाद, पृ. 345
6. मजमुऐ हालात राज मारवाड़ 1883–1884 पृ. 41
7. वही, पृ. 41
8. वही, पृ. 44
9. गहलोत, जगदीश सिंह, मारवाड़ का इतिहास पृष्ठ–9
10. हण्टर : इम्पिरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया : भाग –7 पृ. 48
11. मजमुऐ हालात राज मारवाड़ 1883–1884 पृ. 42
12. खरीता बही सं. 16 (राज. राज्य अभिलेखागार, बीकानेर), पृ. 31
13. एर्स काइन के.डी. राजपुताना गजेटियर : खण्ड–3, ए., 107, 1909 ई., पृ. 50,
14. 1 सैन्सर ऑब मारवाड़ स्टेट 1941 ई. (जोधपुर, सरकार), पृ. – 3
15. गहलोत जगदीश सिंह : मारवाड़ राज्य का भूगोल, पृ. 15 – 16
16. मजमुऐ हालात राज मारवाड़ 1883–1884 पृ. 44
17. जेम्स टॉडः एनल्स एण्ड एण्टीक्विटीज ऑफ राजस्थान, खण्ड–2, पृ.–1106.

18. रिपोर्ट ऑन द सेन्सस ऑव मारवाड़ एण्ड मालानी : 1891, पृ. – 1.

19. गुप्ता मोहनलाल : जोधपुर संभाग का जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, नवभारत प्रकाशन, जोधपुर 2007, पृ. 104, 106,

20. पाण्डे राजबलि, अशोक के धर्मलेख (वेराठ अभिलेख)

21. जनरल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसायटी सन् 1924, पृष्ठ 400

22. व्यास मांगीलाल मंयकः जोधपुर राज्य का इतिहास, पंचशील प्रकाशन, जयपुर 1981, पृ. 67,

23. एपिग्राफिया इंडिया, भाग 8, पृष्ठ 36

24. रेऊ, विश्वेश्वर नाथः मारवाड़ का इतिहास, प्रथम खण्ड, पृष्ठ 4 आर्कियोलोजिकल डिपाईमेन्ट, जोधपुर 1928, पृ. 4

25. ओझा, हीराचन्द, जोधपुर राज्य का इतिहास, प्रथम खण्ड पृष्ठ–48, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश, जोधपुर, पृ. 48

26. आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (1903–04), पृष्ठ–280.

27. 'वत्सादिराजे परा' (बांबे गजेटियर, जिल्द', भाग–2, पृष्ठ–137, नोट–2)

28. शर्मा, दशरथ, अरली चौहान डाइन स्टीज, पृष्ठ 146

29. आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (1909–10), पृष्ठ – 101–31

30. बांबे गजेटियर, जिल्द 1, भाग–1, पृष्ठ 472–473

31. गहलोत जगदीशसिंह : मारवाड़ राज्य का इतिहास, पृ. 59 हिन्दी साहित्य मंदिर, 1925, पृ. 59

32. टॉड जेम्स : एनल्स एण्ड एण्टीक्विटीज ऑफ राजस्थान, पृ. 63 हिन्दी अनुवाद, इलाहाबाद, 1965, पृ. 63

33. III. काटर्स इन्सक्रिप्शन्स इण्डिकेरम, जि. – 1 पृ. 8, 55, 74, 87, इण्डियन एण्टिक्वेटी जि. – 8, बम्बई प्रेसीडेन्सी गजेटियर, पृ. 12

34. जोधपुर राज्य की ख्यात, रघुवीरसिंह राणावत मनोहरसिंह (स.) जिल्द–4, पृष्ठ–14, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 1988, पृ. 14

35. दयालदास री ख्यात, शर्मा दशरथ (स.) भाग–1, अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर, 1948 ई., पृ – 2,3,

36. नैणसी री ख्यात, दूमड़ रामनारायण (अनु.) खण्ड–2, पृ. 50–55, 58

37. महाभारत कर्ण पर्व, अध्याय 37 (कुंभकोण संस्करण)

38. रघुवीरसिंह, राणावात मनोहरसिंह (स.), जोधपुर राज्य की ख्यात, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 1988, पृष्ठ–14

39. रघुवीरसिंह, राणावात मनोहरसिंह (स.), जोधपुर राज्य की ख्यात, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 1988, पृष्ठ–14, 20

40. भाटी हुकमसिंह राठौड़ो री ख्यात भाग – 1, इतिहास अनुसंधान संस्थान, चौपासनी, जोधपुर 2007, पृ.–11

41. दुगड़, नैणसी री ख्यात, रामनारायण (अनु.) खण्ड–2, पृष्ठ–50, 55, 58

42. भादानी, बी.एल. मालानी का इतिहास, पृष्ठ 10, 11

43. भाटी, विक्रमसिंह मुदियाड़ की ख्यात, इतिहास अनुसंधान संस्थान, चौपासनी, जोधपुर 2005, पृ.– 6

44. गहलोत जगदीशसिंह, मारवाड़ राज्य का इतिहास पृ. 84–85

45. नागर, महेन्द्रसिंह मारवाड़ के राजवंश की संस्कृति परम्पराएँ, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केन्द्र, जोधपुर, पृष्ठ–7

46. भाटी, विक्रमसिंह मुदियाड़ की ख्यात, इतिहास अनुसंधान संस्थान, चौपासनी, जोधपुर 2005, पृ.– 17

47. भाटी नारायणसिंह, मारवाड़ परगना री विगत, खण्ड द्वितीय, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान 1969, पृ. 41 292,

48. (i) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि.1, पृष्ठ 47

(ii) वीर विनोद – 2 पृष्ठ –806

49. भाटी नारायणसिंह (सं.) मारवाड़ रा परगना री विगत, खण्ड द्वितीय, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान 2005, पृ. 41 292,

50. भाटी विक्रमसिंह, मुदियाड़ री ख्यातः। इतिहास अनुसंधान संस्थान, चौपासनी, जोधपुर 2005, पृ. – 19–41

51. जोधपुर राज्य की ख्यात, जिल्द 1, पृष्ठ 68

52. मुहणोत नैणसी की ख्यात, खण्ड–2, पृष्ठ–144

53. दयालदास री ख्यात, शर्मा दशरथ (स.), खण्ड 2, अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर 1948 ई., पृष्ठ–56,

54. जोधपुर राज्य की ख्यात, भाग – 2, पृष्ठ 813

55. जोधपुर राज्य की ख्यात, जिल्द 1 पृष्ठ 85

56. राठौड़ा री ख्यात, भाटी हुकमसिंह (स.) खण्ड–1, पृष्ठ–104,105

57. श्यामलदास वीर–विनोद, खण्ड–2, पृ.817

58. वीर विनोद भाग 2 पृष्ठ –817

59. भाटी, विक्रमसिंह, मुदियाड़ री ख्यातः पृ. – 79, 80

60. वीर विनोद भाग 2 पृष्ठ –822

61. भाटी, हुक्मसिंह, राठौड़ो री ख्यात खण्ड–2, पृ. – 281–282, 362, 363

62. जोधपुर राज्य की ख्यात, जिल्द–1, पृ. 363–65

63. श्यामलदास, वीर–विनोद, खण्ड–2 पृष्ठ–842

64. करणीदान अभयोदय सर्ग 10 श्लोक 1–6 तथा लेटर मुगलक भाग–2, पृष्ठ–203

65. भाटी, हुक्मसिंह, राठौड़ो री ख्यात खण्ड–2, पृ. – 511, 512,

66. वहीं, पृ. – 523

67. (i) जोधपुर राज्य की ख्यात, जिल्द .3, पृ. 41

(ii) वीर विनोद भाग 2 पृष्ठ –855

68. कर्नल टॉड हिन्दी अनुवाद राजस्थान का इतिहास भाग – 1, साहित्यगार जयपुर 476

69. भाटी, हुक्मसिंह, राठौड़ो री ख्यात खण्ड–2, पृ. – 526

70. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ–110

# द्वितीय अध्याय

# महाराजा भीमसिंह का शासनकाल

## 2.1 महाराजा विजयसिंह के अन्तिम दिनों में मारवाड़ की स्थितिः–

महाराजा विजयसिंह (1786 वि.स. – 1850 वि.स.) के शासन काल के अन्तिम वर्षो (1791 ई.–1793ई.) के समापन वर्षो में उतराधिकार के मुद्दे ने राज्य की राजनीतिक स्थिरता को परेशान किया[1] विजयसिंह के अन्तिम वर्षो में पासवान गुलाबराय नें मारवाड़ राज्य के उतराधिकारी के मामले में हस्तक्षेप कर भावी संघर्ष के बीज बो दिए थे। गुलाबराय चाहती थी कि उसका दतक पुत्र शेरसिंह (महाराजा विजयसिंह का पाँचवा पुत्र था) युवराज बने। विजयसिंह के पुत्रों में फतहसिंह, जिसकी मृत्यु वि.स. 1834 में निसंतान हो गई। फतहसिंह का छोटा भाई भोमसिंह था, उसकी भी मृत्यु हो गई, भोमसिंह का बेटा भीमसिंह मारवाड़ की परम्परा के अनुसार असली हकदार था, उतराधिकारी बनने के लिए जालिम सिंह (जो उदयपुर की राजकुमारी से उत्पन्न हुआ था) को विजयसिंह असली हकदार समझता था। गुमानसिंह का पुत्र मानसिंह भी उतराधिकारी के लिए योग्य था।[2]

मारवाड़ के सारे सरदार चाहते थ कि सबसे बड़े कुंवर भीमसिंह ही युवराज बने किंतु गुलाबराय ने राज्य के सरदारों और महाराजा की इच्छा के विरूद्व अपने दत्तक पुत्र शेरसिंह को युवराज पद देने का निर्णय किया। इसके लिए उसने सबसे पहले कुंवर जालिमसिंह को अपने मार्ग से हटाने का उपाय किया और जोधपुर राज्य से मिली हुई उसकी जागीर को जब्त करके राज्य के समस्त राजस्व अभिलेखों और सनदों में से उसका नाम हटा दिया।[3]

गुलाबराय ने शेरसिंह को उतराधिकारी बनाने के लिए बहुत प्रयास किये उन्होने महादजी सिन्धिया को पत्र लिखा कि यदि आप कुंवर शेरसिंह के लिए टीका भेज दे तो जोधपुर राज्य की ओर से मामलत का चुकारा करने का पुरा दायित्व मेरा रहेगा। राज्य के अधिकांश मुत्सद्दी और ठाकुर, कुंवर शेरसिंह को टीका देने से प्रसन्न नही थे। इसलिए वे खुलकर कुंवर गुमानसिंह के समर्थन में आ गये।

राजकुमार भीमसिंह को मारवाड़ के अधिकाश राठौड़ सांमतो का समर्थन प्राप्त था और पोकरण का ठाकुर राजकुमार मानसिंह को पासवान के समर्थक सांमतो तथा राज्य कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त था। महाराजा विजयसिंह के जीवित पुत्रों में जालिम सिंह था। इस दृष्टि से मारवाड़ राज्य का यही सशक्त दावेदार था।

महाराजा विजयसिंह के अन्तिम दिनों मे लोढ़ा शाहमल आदि दरबारियों ने मिलकर राजकुमार सांवतसिंह के पुत्र शूरसिंह को राज्य का उतराधिकारी बनाने का विचार किया लेकिन इन लोगों की योजना से पूर्व ही महाराजा विजयसिंह की मृत्यु जुलाई 7, 1793 ई. के दिन हो गई।[4]

महाराजा विजयसिंह के समय एक ऐसी घटना घटी जो मारवाड़ के इतिहास में प्रथम समय हुई थी। युवराज भीमसिंह ने 8 अप्रैल 1792 ई. को दुर्ग पर अधिकार कर लिया "भींवसिह जी रे माथे केसरिया तो लपेट हो न जामो गुलाब दुपटो सु कमर बांधी।" जोधपुर में पहली बार ऐसा हुआ कि पिता के जीवित रहते जोधपुर की गद्दी पर महाराजा भीमसिंह बैठ गये तत्पश्चात् एक वर्ष के बाद महाराजा भीमसिंह ने गढ़ खाली करके महाराजा विजयसिंह को दिया।

महाराजा विजयसिंह की मृत्यु के अन्तिम दिनों में मारवाड़ पर आपत्ति के काले बादल मंडराने लगें। संवत् 1844 में महाराजा विजयसिंह महादजी सिंधिया के विरूद्व जयपुर महाराजा प्रतापसिंह की सहायता करने को उद्यत हुए और जयपुर की सेना के साथ सम्मिलित होकर तूंगा के रणक्षेत्र में मराठों को परास्त किया जिससे महाराजा का वर्चस्व काफी बढ़ गया परन्तु इस अभियान ने मारवाड़ को फिर अवनति की और धकेल दिया। मराठों का ध्यान मारवाड़ से हट चुका था लेकिन संवत 1847 में पाटण के मैदान और फिर मेड़ता मे हुई मुठभेड़ में महाराजा विजयसिंह को पराजय का कड़वा घूंट पीना पड़ा।[5] अन्ततः संवत 1848 में महाराजा को बड़ी धनराशि देकर महादजी सिंधिया के साथ समझौता करना पड़ा।[6] इससे राज्य की आर्थिक स्थिति फिर शोचनीय हो गई। इसके साथ ही महाराजा की पासवान गुलाबराय का राज्य कार्य में हस्तक्षेप बढ़ जाने से सांमत और मुत्सद्दी

खिन्न हो गये। गुलाबराय के द्वारा कुंवर भीमसिंह की हत्या करवाने का प्रयास किया परन्तु उसकी योजना फलीभूत नही हुई। पासवान गुलाबराय के रचे षडंयत्र का पर्दाफाश करने वाले खूबचंद सिंघवी को मार दिया गया। जब कुंवर भीमसिंह ने अपने आपको महाराजा घोषित कर लिया था तब पासवान ने बहुत प्रयास किया था भीमसिंह को हटाने के लिए परन्तु गुलाबराय अंत में अपने ही प्राण गंवा दिये।[7]

इन बदलती हुई परिस्थितियों को देखकर ज्ञानमल सिंघवी ने अपने विचार सवाईसिंह चांपावत को इस प्रकार व्यक्त किये— "ठाकुरां परधांन वाजो छो ओछी विचार सो तो हमार हुए जासी पिण आ वात जातां जुगां नही जासी राजसथांना में सगा सोया मैं भूंडा दीससो।"

इस पर सवाईसिंह ने उतर देते हुए कहा—

"हुई आछो समझुं छूं हरामखोरी कोई आद सूं नही महाराज (विजयसिंह) सिंघवी जोरावरमलोत रा कथन राखै, तद उरो आयो पिण (महाराज ने) गढ़ दाखल करू जद म्हारो मानखो सुधरे।"[8]

सवाईसिंह पर विश्वास नही हुआ इसीलिए उसकी मनोदशा का पता लगाने के लिए संवत 1848 असाढ़ वदि 12 को प्रातः काल वैध अमरचंद को भेजा तब सवाईसिंह ने महाराजा के प्रति स्वामी भक्ति प्रकट करते हुए कहा—

"श्री हजुर (महाराजा विजयसिंह) म्हांने आछा भांड भांड करै छै म्हानूं टुकड़ा देने पाव्ठ मोटा कीना नै म्है चलाय नै हजूर माथै जावसां तरै आकास बेस जासी...... ...... हजूर नै गढ़ चढ़ावसूं जद पिरथी मै मांनखो रैसी नही जितरै जमारा नै वटो लगै छै।"[9]

सवाईसिंह चांपावत प्रधान होने के नाते महाराजा से विमुख होकर राज—तंत्र को क्षति पहुँचाने के पक्ष में नही था। उसने गुलाबराय को खत्म करने और मुत्सद्दियों को अपने अधिकार क्षेत्र में रहने के लिए कुंवर भीमसिंह को गद्दी पर बैठाया। स्थिति तब सामान्य हो गई जब भीमसिंह को गढ़ परित्याग के लिए राजी कर लिया। परन्तु भीमसिंह के गढ़ में से निकलते ही मुत्सद्दियों ने महाराजा के कान

भरने शुरू कर दिए। भीमसिंह को झवंर गांव में पहुंचने पर महाराजा की सेना ने उस पर धावा बोल दिया। महाराजा की ओर से भीमसिंह को सकुशल पहुंचाने के लिए कुचामन के ठाकुर सूरजमल मेड़तिया, मिठड़ी ठाकुर रिड़मलसिंह मेड़तिया और बलूदां ठाकुर फतेसिंह चांदावत आदि मारवाड़ के प्रतिष्ठित ठिकानेदारों को भेजा गया था। उन्होने भीमसिंह का पक्ष लेते हुए महाराजा की सेना से लड़ाई की जिससे भीमसिंह के प्राण बच गये। भीमसिंह पहले महेंचों के ठिकाने जसोल पहुंचा फिर पोकरण जाकर रहें।

महाराजा विजयसिंह के अंतिम समय में लगातार लड़ाईयां होने के कारण मारवाड़ के अनेक योद्वा मारे गये और बीमारी फैलने से कई ठिकानेदार और अन्य लोग काल–कलवित हुए।

महाराजा विजयसिंह के अन्तिम वर्षो में उतराधिकारी संघर्ष व पासवान गुलाबराय दोनो के मध्य ही समय व्यतीत हुआ। महाराजा की मृत्यु के कुछ दिन पहले ही राजकुमार शेरसिंह और मानसिंह जालोर से दो तीन हजार सैनिको के साथ जोधपुर पहुँचे।[10] यद्यपि उनका उद्देश्य मृत्यु शय्या पर पड़े महाराजा के प्रति श्रद्वा प्रदर्शित करना ही था, परन्तु यह भी है कि वे अपने उतराधिकार के अवसर का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से ही जोधपुर गये थे।[11] इस समय मृत्यु शय्या पर पड़े महाराजा विजयसिंह को रूचिकर नही लगा और उसने राजकुमार शेरसिंह को गढ़ में बुलाकर उसकों महलो में भेज दिया पर राजकुमार मानसिंह को संभावित खतरों से सावधान कर उसको शहर से बाहर ही रहने का आदेश दिया। तब राजकुमार मानसिंह ने अपनी सेना के साथ शेखावत जी के तालाब पर पड़ाव डाला इस समय राजकुमार जालमसिंह भी जोधपुर पहुंचा ओर उसने भी राजकुमार मानसिंह के साथ ही अपना डेरा डाल दिया।[12]

महाराजा विजयसिंह की मृत्यु के समय दीवान भंडारी भवानीदास, बख्शी सिंघवी अखैराज, किलेदार धायभाई शम्भूदान, खानसामा ओझा रामदत और डयोढ़ीदार खीवंकरण आदि प्रमुख व्यक्ति जोधपुर दुर्ग में उपस्थित थे।[13] इन सभी व्यक्तियों ने इस बात पर बल दिया गया कि जब राजकुमार भीमसिंह ने जोधपुर

छोड़ा था, उस समय हम सभी ने एक मत होकर राजकुमार को यह वचन दिया था कि महाराजा विजयसिंह के मरणोपरांत उनको ही राजगद्दी पर बैठाया जायेगा। इस प्रकार सभी उपस्थित अधिकारियों ने राजकुमार भीमसिंह को शासक बनाने का निश्चय किया। किंतु इस समय राजकुमार भीमसिंह जोधपुर में उपस्थित नही था। वह (भीमसिंह) अपने समर्थक राठौड़ सवाईसिंह चांपावत (पोकरण) के साथ शादी के लिए जैसलमेर गया हुआ था।[14] अतः इन सभी ने एक मत होकर राजकुमार भीमसिंह को महाराजा की मृत्यु का समाचार लिख भेजा और उसे शीघ्र जोधपुर पहुंचने की सलाह दी।[15] साथ ही इन लोगो ने जोधपुर शहर की शहरपनाह के दरवाजों को बंद कर दिया।

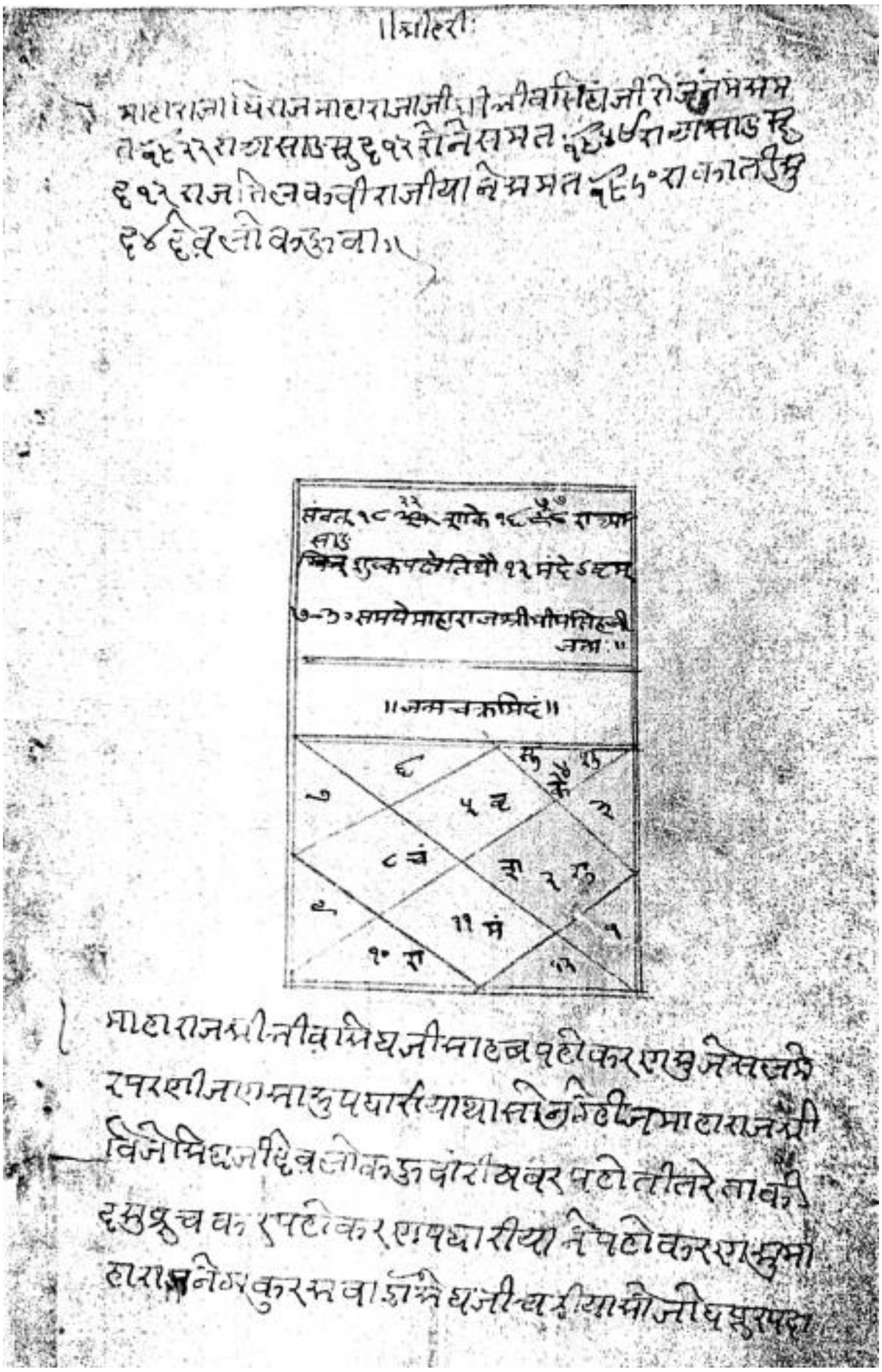
राजकुमार जालमसिंह और मानसिंह ने मृत आत्मा को श्रद्धाजंली देने के बहाने जोधपुर शहर और गढ़ में प्रविष्ट होना चाहा लेकिन धायभाई शम्भूदान आदि ने उनको शहर में आने नही दिया।[16]

जुलाई 12, 1793 ई. के दिन राजकुमार भीमसिंह को उसके जैसलमेर निवास के समय महाराजा विजयसिंह की मृत्यु का समाचार मिला। तब वह अपने समर्थक राठौड़ सवाईसिंह चांपावत (पोकरण) से विचार विमर्श कर शीघ्रता के साथ जैसलमेर से रवाना हुआ और राठौड़ सवाईसिंह के साथ आषाढ़ सूदी 8, 1850 वि.स. की मध्यरात्रि में जोधपुर पहुंचा। इस समय दीवान भंडारी भवानीदास और बख्शी सिंघवी अखैराज जोधपुर के दुर्ग में निवास कर रहे अन्य राजकुमारों की रक्षा का राजकुमार शेरसिंह के वचन लेकर उसको दुर्ग के अन्दर ले गये। तब नवीन महाराजा के आगमन को प्रकट करने के लिए उसके स्वागत में जोधपुर दुर्ग में तोपे छोड़ी गई।[17] इसके पश्चात् आषाढ़ सूदि 12, 1850 वि.स. के दिन भीमसिंह मारवाड़ के राज सिंहासन पर बैठै।[18]

अतः महाराजा विजयसिंह की मृत्यु 7 जुलाई 1793 ई में हुई।[19] तब उतराधिकारी संघर्ष चरम सीमा पर था।

## 2.2 महाराजा भीमसिंह का प्रारम्भिक जीवन एवं सिंहासनारोहणः–

महाराजा भीमसिंह विजयसिंह के पौत्र व भोमसिंह के पुत्र थें। कवंर श्री भोमसिंह की बहु चवाणं जी के कंवर महाराजा भीमसिंह हुए।[20] भीमसिंह का जन्म वि.स. 1822 आषाढ़ सूदि 12को हुआ।[21]



**महाराजा भीमसिंह की जन्म कुण्डली**

महाराजा भीमसिंह का प्रारम्भिक जीवन कष्टदायक ही रहा। उतराधिकारी संघर्ष और मराठों का वर्चस्व के कारण काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। मानसिंह के साथ लगातार संघर्ष चलता ही रहा।

राजकुमार भीमसिंह जैसलमेर विवाह करने के लिए गये हुए थे जब महाराजा विजयसिंह की मृत्यु हुई। राजकुमार भीमसिंह के जोधपुर आने के समाचारों से राजकुमार जालमसिंह व राजकुमार मानसिंह की राजगद्दी प्राप्त होने की आशाएँ समाप्त हो गई। महाराजा भीमसिंह पोकरण से जैसलमेर विवाह करने को पधारें तो वहां महाराजा श्री विजयसिंह जी के देवलोक होने की खबर पहुँची तब ताकीद से कूच कर पोहकरण पधारें और पोकरण से महाराजा और सवाईसिंह को साथ लेकर आसाद सूदि 7 को रात में लखणपोल पधारे जब धायभाई सिंभुदान, दीवान भानीराम, बख्शी सिंघवी अखेराज और श्री माली और रामदत ने लखनपोल ने मुजरा किया और अर्ज किया कि महाराजा विजयसिंह के चाकर, शेरसिंह जी, सांवतसिंह, सूरसिंह जी और महाराजा अजीत सिंह के कवर प्रतापसिंह जी इन को जीवित रखना और विजयसिंह के छोटे—बड़े चाकरों से किसी तरह का पिछला क्रोध रख कर किसी को बिगाड़ना नही चाहिए जिसका वचन पक्का किया तब महाराजा भीमसिंह ने वचन दिया।[22] सवाईसिंह चापावत, पोहकरण ठाकुरों को भी वचन दिया था। तब गढ़ की पोल खोल कर महाराजा श्री भीवसिंह को भीतर लिया और दाखिल होने के सिलके हुई तब महाराजा कुमार जालमसिंह और महाराजा श्री मानसिंह को शेखावत जी के तालाब के पास थे और इनके पास लोढ़ा शाहमल आसोप के ठाकुर रतन सिंह जी कूंपावत और जूसरी का ठाकुर (मेड़तिया) पहाड़सिह जी थे। तब तोप दागी गई तब मालूम पड़ा कि भीमसिंह गढ़ मे दाखिल हुए।[23]

जब महाराजा भीमसिंह गढ़ में दाखिल (प्रवेश) हुए। सवाई सिंह का डेरा श्री आनंदधन जी के पास में साल (कमरे) में हुआ। नौकर इत्यादि लखनपोल गये तब मुजरो (प्रणाम/अभिवादन) का आर्शीवाद हुआ और पोले 12 दिन तक बंद रही। श्री हजुर का उस दिन एकादशी का देवकुंड (व्रत) था, उसे अच्छी प्रकार से संपन्न किया। सुद 10 के दिन बारहवां धाय भाई शिभुंदन की हवेली मे किया गया।

पुरोहित सरूपसिंह द्वारा शाम के समय चाकरों के पाघे (साफे) बांधे गयें। खरच (मृत्युभोज) की जलेबीया (मिठाई) नये कोट में रखी गयी थी। जहां पर रिसाले के सभी लोगो द्वारा भोजन किया गया। शाम के समय घर पर मिठाई बांटी गयी। महाराजा भीमसिंह के पगड़ी सफेद ही रखी गयी। सूदि 12 को भीमसिंह की बरस गांठ का उत्सव किया गया। फतह महल में मारकंड पूजा बरसा की पूजा की गयी। धायभाई शिम्भुदान, ओझा रामदत जी, वैध गढ़मल जी को साफें इनायत किये गये। इसके बाद दिन के तीसरे प्रहर में बरसगांठ का दरबार किया गया। फतेहमल में दौलत खाना की चौकी के ऊपर राजतिलक करने के बाद वही बैठे रहे। नौबत बजाई गयी तथा पातरियां भगतणियां गामी श्री हजूर बरसगांठ के दिन सफेद आंगणे की पाघ (साफा) बुंटी पहन कर पधारे। चौक में पातरिया भगतणियां गा रही थी। तब दोढ़ीदार आईदानसिंहजी ने हाथ जोड़ें और कहा की, "दिन थोड़ा हुवा छै हमार गुवावण री सला नही"[24] तब बहुत किये जाने पर सूद 14 को राईका बाग गये फिर शाम को वापिस दाखिल हुए। अगले दिन सुबह चामुण्डा माताजी के दर्शन को गये श्रावण वदि 2 रंगदार पाघ पहनी। साहमल ने उस समय अकड़ता दिखायी। इसलिए पहले बलुन्दा पर अधिकार किया गया। फिर मेड़ता गये। मेड़ते मे हाकम दाखिल हुवे तब सिंघवी वनराज को भेज गया वनराज ने सेख से बदला लिया सेख जोधपुर पधारे और साहमल बिलाड़ा की ओर चले गये। अखेराज जी को श्री चावंड़ाजी माता जी के मंदिर में मुजरा करवाया गया। भाद्रपद 14 को चांपावत सवाईसिंह सबलसिहोत लखवाजी साहमल को लाने के लिए फौज सहित गये लेकिन साहमल पकड़ में नही आया। तब साहमल ने बलून्दा पर अधिकार कर लिया। तब श्री हजुर के डेरे मेंड़तिया दरवाजे के बाहर राईका बाग होते हुए जनाना में प्रवेश किया। भाद्रपद वदि 15 (पूर्णिमा/अमावस्या) को सूर्य पूर्व दिशा की ओर था डेरा गढ़ में दाखिल हुये। तीसरे पहर सूर्य गिरते ही अस्त हो गया रात में तुंवरजी ने प्रवेश किया। सवाईसिंह जी रात को नागौर होते हुए लखवा जी की तरफ चले। कार्तिक वदि 3 (तृतीया) को सुबह लड़ाई हुई। लोढ़ा महेश करण पुरोहित चतुर्भुज मारे गये। साथ में थानवी हिम्मतराम भी मारा गया। इस प्रकार महाराजा भीमसिंह के राजतिलक से पहले ही कई उपद्रवियों के साथ युद्ध कर के विजयी हुए।[25] तब महाराजा भीमसिंह के राजतिलक का मुर्हुत पौष सूद 15

(अमावस्या/पुर्णिमा) को निकला। 6 घड़ी दिन चढते समय पौष सूद 7 को काम का मुर्हुत हुआ। सभा मंडप में विनायजी (गणेशजी) को बैठाया गया। वरणीया 32 की गयी मुरकी, बींठी (अंगुठी), लोटा तांबा का तथा 1 रूपया रोकड़, 1 नारियल चढ़ाया गया। जिसमें महादेवजी प्रकट हुये जिनका नाम मंगल सुरजी दिया गया। उसके बाद पौष सुद 14 की रात में मंडप रखा गया। सभा मंडप में हवन किया गया। सुबह आकर स्नान फतह महल में किया गया। रात में जागरण था इसलिए फतहमहल में नाच करवाया गया। फिर सभा मंडप में खासे के ऊपर बैठ कर पधारे, खासे पर बैठते ही पूजा की गई। घुटनों के दर्द होने के कारण पूजा दर्शन करने के लिए घड़ी 4 में श्रृंगार चौकी दोढ़ी के सामने मुंह करके बैठ गये। राजतिलक में पश्चिम की तरह दो मुंह वाले शस्त्र में लिखने के बाद कुर्सी पर बैठे। जोशी ने वेद पढ़े नगारे बजे तब तिलक व्यासजी भाऊजी को तिलक किया गया। उसके बाद जैतारण के बगड़ी के केसरीसिंह हिंदुसिघोत के द्वारा किया गया। तलवार बधाई एवं जोधपुर की मुबारकबाद दी गयी तब श्री हजुर ने बगड़ी वालो को दस्तुर के रूप में बगड़ी की जागीर ईनायत की गई। वि.स. 1850 आषाढ़ सूद 12 को महाराजा भीमसिंह का राजतिलक हुआ।[26]

राजतिलक के बाद महाराजा भीमसिंह ने अपने दादो सा (महाराजा विजयसिंह) की बरसी शीतला माता कागा में जा कर करवाई गई है ख्यातों में इस बरसी का वर्णन मिलता है। जैसे – आषाढ़ वद 13 को कागा में बरसी करवायी गयी। बरसी के दिन जलेबियों का ब्रह्मभोज किया गया। पोकरण की छः न्यात राजगुरू विशन सोमी इतने जनों को जलेबियों का ब्रह्मभोज दिया गया। श्री मालियो को सिरा (हलवा) भोजन दिया गया। दक्षिणा के 2 रूपये कंदोरे बांध दिये गये। बाहर वाले ब्राह्मण शामिल होने से 20 हजार रूपये लग गये थे। जल इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए इतने जनो को भेजा गया था– आईदान जी, पुरोहित दौलजी, जोधा गुलाबसिंह, सेरसिघोत टाटोती का पोतदार व्यास फतेहराम नाथावत वेदिया भेरा, जोशी शिवशंकर। श्राद्व के साठ हजार रूपये लग गये थे।[27] श्राद्व को विदा करके राई का बाग में ठहराव हुआ। वहां उदावत शंभुसिंह दौलत सिंघोत राई

का बाग जाकर सात सौ रूपयो की पुणचिये आईदान जी को सौंपकर आ गये। इस महाराजा भीमसिंह ने दादा महाराजा विजयसिंह का श्राद्व श्रद्वापूर्वक मनाया।

महाराजा भीमसिंह ने सिहांसन के लिए अपने ही भाईयों को मरवा दिया था। भीमसिंह ने शेरसिंह व सांवतसिंह को मरवा दिया था।[28] टॉड के अनुसार भीमसिंह ने सरदारसिंह को भी मरवा दिया। शेरसिंह की आँखे निकलवा दी थी जिससे उसने आत्महत्या कर ली।[29] संवत 1851 पौष वदि 15 को कंवर सूरसिंह को मरवा दिया गया। महाराजा भीमसिंह शाम से पहले बाग में गये और धायभाई शिभुंदान को खबर दी। रात को डेढ़ पहर महाराजा बाग से रवाना हुंवे और गढ़ मे पहुँचे किले मे किलादार शिभुंदार जी रहते थे। गढ़ में ऊपर जाकर खीचीं उदैराम को बुलाकर वध करने का आदेश दिया। सेरजी व्यास, कुशल चंद जी पांचोली, शिवकरण, कचरदास इन सभी ने बंदोबस्त किया पहले राजवी, जनाना में थे बाद में वि.स. 1851 में कार्तिक सूद 15 रात में सलेमकोट में इन को रखा गया। महाराजा कंवर शेरसिंह जी, राणी जी श्री इन्द्र भांणोत जी, कंवर जी सांवतसिंह जी, कवंर सूरसिंह जी, श्री शेरसिंह जी की दोनो बेटिया, श्री गुमानसिंह की दोनो बेटिया तथा सोढ़ीजी श्री तेजसिह के बाग में पहले जहां तेजसिंह जी रहते थे वहां पर रखा। उसके बाद खीची उदैराम सलेमकोट को ताला खोलने के लिए अर्द्वरात्रि को अंदर गया। बाहर धायभाई रामकिशन, अहीरनगा खड़े थे। गढ़ को कारखाने में बंद कर के यह उपाय किया कि श्री हजुर जनाना सहित माता चांवडाजी जाएगे इसलिए उन्हे सलेमकोट के अंदर से लाने का उपाय किया। कंवर सुरसिंह को श्री हजुर (महाराजा भीमसिंह) गोद रखेगे ऐसा कहा गया तब दादीजी ने मना किया कि रात मे नही जाना। पर फिर भी बाहर हरिजन के घर के पास ला कर बबूल के नीचे खींची उदैराम ने गरदन पर तलवार चलाकर कर धाम पधार दिया। उसके बाद चानणी में बांध कर बारिया (सालियां) पोलो की खुली रखी गयी। फिर नागोरी दरवाजे के पास मोती कुंड ले जाकर बागर से लकड़िया लाकर तथा कोठार से घी आया। सिलपोस रात को दाह संस्कार किया सुबह फूल (अस्थियां) चुगकर गंगाजी गयाजी श्रीमाली जोशी धनरूप ने राजा तथा भांना को तथा रामकिशन को भेजा गया। 300 रूपये देकर गंगा करायी गयी। विष्णु तर्पण करवाया गया। महासूद 15 को चन्द्रग्रहण का दोष

उतारने के लिए सोना का पूतला रूपये 1700 का परदेसी ब्राह्मण इला शंकर को दिया गया और भी दान–पूण्य के काम किये। इस प्रकार महाराजा भीमसिंह ने अपने ही ओहदेदारों के साथ मिलकर अपने भाई को मरवा दिया।[30]

संवत् 1851 आषाढ़ में महाराज कुमार श्री सांवतसिह जी (महाराजा विजयसिंह का पुत्र) को भी मरवा दिया।[31] संवत 1851 आषाढ़ वद 8 तीसरे प्रहर को व्यास कुशलचंद जी तथा सेरजी को व्यास की पदवी दी गयी। सिरपाव, मोली, कड़ा तथा पालखी प्रदान की गयी।

इस प्रकार महाराजा भीमसिंह के गद्दी पर बैठने के प्रथम दिन से ही बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। अपने ही भाईयों की हत्या करवा के उनके खून से अपने सिहांसन को बनाये रखा और मानसिंह से अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में लड़ते ही रहे।

## 2.3 महाराजा भीमसिंह के शासन काल में आंतरिक उपद्रव, मानसिंह के संदर्भ में:–

महाराजा भीमसिंह के राज्यारोहण के समय से ही राठौड़ सवाईसिंह चापांवत (पोकरण) महाराजा का प्रमुख सलाहाकर ओर समर्थक था। उसका मारवाड़ के दरबार में बोलबाला था। सवाईसिंह ने अपने पद का लाभ उठाकर फलोदी परगना जागीर से प्राप्त करना चाहा किन्तु दीवान भण्डारी भगवान दास, किलेदार धाय भाई शम्भुदान और विशेषकर बख्शी अखैराज सिंघवी ने राठौड़ सवाईसिह चांपावत की इस मांग का विरोध किया। फलस्वरूप फलोदी का परगना राठौड़ सवाईसिंह को नही मिल सका।[32] इससे सवाईसिंह नाराज हो गया। वह अपनी इस असफलता के लिए अखैराज सिंघवी को उतरदायी ठहराकर उसके विनाश के लिए प्रयत्न करने लगा। राज दरबार में दो गुट बन गये। सवाईसिंह ने भण्डारी सिवचंद और भण्डारी सोभाचंद को अपनी तरफ मिलाया। इसी प्रयास में राठौड़ सवाईसिंह ने मराठा सरदार लखवा दादा से भी सम्पर्क साधा और उसको जोधपुर ले आया।[33]

अतः सिंघवी अखैराज को बख्शी पद से हटना पड़ा। तब महाराजा भीमसिंह ने राठौड़ सवाईसिंह चांपावत के प्रभाव के कारण श्रावण सूदी 11, वि.स. 1851 के दिन अखैराज सिंघवी को बंदी बना लिया और उसके स्थान पर सवाईसिंह समर्थक भण्डारी सिवचन्द को नियुक्त किया और भण्डारी सोभाचंद को अपना मुसायब (सलाहकार) बनाया।[34]

राठौड़ सवाईसिंह चांपावत की सलाह पर भण्डारी सिवचंद बख्शी ने महाराजा भीमसिंह से आज्ञा लेकर 1795 ई. (वि.स. 1852) मे घाणेराव पर सैनिक चढ़ाई कर दी। इस प्रकार सवाईसिंह के विरोधियों को एक स्थान पर इकट्ठा होने का अवसर मिल गया। घाणेराव दोनो विरोधी गुटो का केन्द्र बन गया। एक तरफ राठौड़ सवाईसिंह चांपावत के समर्थक भण्डारी सिवचन्द आदि थे और दूसरी ओर राठौड़ रतनसिंह कूंपावत, सिंघवी जोधराज और उनके समर्थक। इस दरबारी संघर्ष से मारवाड़ में अव्यवस्था उत्पन्न होने लगी। महाराजा भीमसिंह अपने प्रधान राठौड़ सवाईसिंह के इस विरोधी रवैये से चिन्तित था। नाराज होकर सवाईसिंह पुष्कर मे जाकर रहने लगा। सवाईसिंह ने 1795 ई. (वि.स. 1852) में मेहता हुकमंचद के माध्यम से जालोर में निवास कर रहे राजकुमार मानसिंह से सम्पर्क साधा। लेकिन मानसिंह के सलाहकार सिंघवी जीतमल व फतेमहल आदि के कारण मानसिंह की तरफ से उसको कोई आशाजनक उतर नही मिला तब उसने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजकुमार जालमसिंह को मारवाड़ पर सैनिक चढ़ाई के लिए उकसाना प्रारम्भ किया। इस प्रकार भीमसिंह के काल में आन्तरिक उपद्रव का वर्चस्व बढ़ गया था। राजकुमार भीमसिंह के जोधपुर आने के समाचारों से राजकुमार जालमसिंह व राजकुमार मानसिंह की राजगद्‌दी प्राप्त होने की आशाएँ समाप्त हो गई। अतः उन्होने शाहमल लोढ़ा से विचार विमर्श किया और अपने समर्थक राठौड़ रतनसिंह कूंपावत और राठौड़ पहाड़सिंह मेड़तिया (जूसरी) आदि के साथ जोधपुर से मेड़ता की तरफ रवाना हो गये। जहां उन्होने लूटमार कर अव्यवस्था फैलाना शुरू किया।[35] इस प्रकार मारवाड़ के नवीन शासक महाराजा भीमसिंह को अपने राज्यारोहण के प्रथम दिन से ही राजकुमार मानसिंह और उसके साथियों के उपद्रव का सामना करना पड़ा। जालिम सिंह विजयसिंह का सबसे बड़ा लड़का था। और प्राचीन

प्रणाली के अनुसार राज्य का वही उत्तराधिकारी था। महाराजा विजयसिंह की मृत्यू का समाचार पाकर जालिम सिंह मेड़ता से जोधपुर रवाना हुए। जालिम सिंह (उदयपुर की राजकुमारी से उत्पन्न हुए थे) को महाराजा विजयसिंह उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। महाराजा भीमसिंह ने फौज भेजकर जालिमसिंह को गोडवाड़ से निकाल दिया और मानसिंह ने जालोर दुर्ग में शरण ली। नवीन शासक (महाराजा भीमसिंह) ने उपद्रवियों के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही करने के उद्देश्य से सिंघवी वनराज के नेतृत्व में इन उपद्रवियों के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही करने के उद्देश्य से सिंघवी वनराज के नेतृत्व में एक सेना जोधपुर से रवाना की।[36] सिंघवी वनराज मेड़ता पहुंचा और वहां की सुरक्षा को बढ़ाकर मजबूत किया और शाहमत लोढ़ा भी मेड़ता पहुंच गया तब उसने मेड़ता को घेरने का प्रयास किया। लेकिन सिंघवी वनराज ने उपद्रवियों का सामना किया और मेड़ता में हुए युद्ध में उसने शाहमल लोढ़ा को परास्त किया।[37]

मेड़ता से पराजित होकर राजकुमार मानसिंह जालमसिंह और शाहमल लोढ़ा आदि वहां से पीछे हट गये। वापसी में बलूदां के ठाकुर राठौड़ फतहसिंह चांदावत से पुरानी शत्रुता को याद कर शाहमल लोढ़ा ने बलूंदा पर आक्रमण कर दिया। 1793 ई. में शाहमल लोढ़ा ने बलूंदा को लूटा। इसमें शाहमल लोढ़ा के कई सैनिक मारे गये।[38] इससे राजकुमार जालमसिंह शाहमल लोढ़ा से नाराज हो गये और लोढ़ा का साथ छोड़ सिरीपारी की तरफ चला गया। शाहमल लोढ़ा अपने भाई मेहकरण के साथ बलूंदा से जैतारण होता हुआ बिलाड़ा की तरफ अग्रसर हुआ और महाराजा भीमसिंह के विरूद्ध आगे की योजना बनाने के लिए बिलाड़ा में ही रूक गया।[39]

शाहमल लोढ़ा की गतिविधियों की सूचना मिलने पर महाराजा भीमसिंह ने बख्शी अखैराज सिंघवी और चंडावत के ठाकुर राठौड़, विश्नसिंह जैतावत के नेतृत्व में जोधपुर से एक सेना बिलाड़ा की तरफ रवाना की। सिंघवी अखैराज जोधपुर से रवाना होकर शीघ्रता के साथ बिलाड़ा की तरफ अग्रसर हुआ और कार्तिक वदी 1, वि.स. 1850 को शाहमल लोढ़ा की सेना पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शाहमल लोढ़ा का भाई मेहकरण मारा गया। और शाहमल हार गया तो उसे पीछे

हटना पड़ा।[40] महाराजा भीमसिंह ने बख्शी अखैराज के साथ मिलकर बिलाड़ा पर अधिकार कर लिया। राजकुमार मानसिंह भी मेड़ता बलूदां और बिलाड़ा के युद्धो से निराश होकर जालोर के सुदृढ़ किले में चला गया।[41]

जहां महाराजा मानसिंह ने स्वयं को मारवाड़ का शासक घोषिक कर के महाराजा भीमसिंह को हटाने के लिए युद्ध की तैयारी करने लगा।

इस समय गोड़वाड़ का परगना राजकुमार जालिमसिंह की जागीर में था। अतः सिंघवी अखैराज बिलाड़ा की विजय से उत्साहित होकर गोड़वाड़ के प्रदेश में महाराजा भीमसिंह का अधिकार जमानने के उद्देश्य से ससैन्य रवाना हुआ और कूच करता हुआ देसूरी पहुंचा। उसने देसूरी को घेर लिया। अंत में राजकुमार जालमसिंह परास्त होकर मेवाड़ चला गया और देसूरी पर महाराजा भीमसिंह का अधिकार हो गया।[42]

इस प्रकार सिंघवी वनराज और सिंघवी अखैराज की त्वरित कार्यवाहियों के कारण महाराजा भीमसिंह अपने एक प्रतिद्धन्द्धी राजकुमार जालमसिंह को मारवाड़ से खदेड़ने में सफल रहा। जालोर परगने जहां राजकुमार मानसिंह का अधिकार था, के अतिरिक्त सम्पूर्ण जालोऱ पर उसका प्रभुत्व जम गया। इस प्रकार महाराजा भीमसिंह ने अपने प्रतिद्धन्द्धियों को युद्ध में परास्त कर अथवा उनकी हत्या करवा अपने मार्ग से हटा दिया था पर राजकुमार मानसिंह ही एक मात्र प्रतिद्धन्दी शेष रह गया था।

वि.सं. 1857 में महाराजा कंवर श्री जालिमसिंह जी को रानी आढी जी जो उदयपुर में थी। इनको लाने के लिए महाराजा भीमसिंह ने किरामत संतोकदास को भेजा गया लेकिन रानियॉ नहीं आयी। और ओढीजी को दो बेटियां जोधपुर आ गई। कुंवर जालिमसिंह के मरने के बाद भी महाराजा भीमसिंह ने उनके परिवार का पूरा ध्यान रखा।

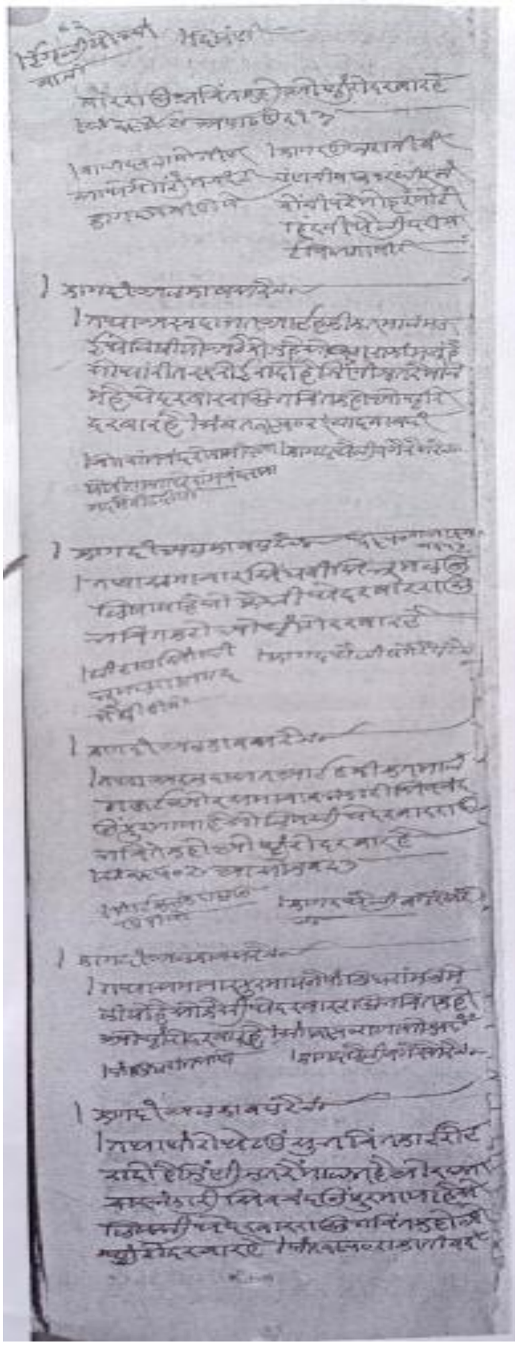
महाराजा भीमसिंह ने अपने चचेरे भाई मानसिंह का दमन करना चाहते थे और इसके लिये उन्होंने जालोर पर कई बार सेनाएं भेजी परन्तु राज्य के मुत्सद्दी

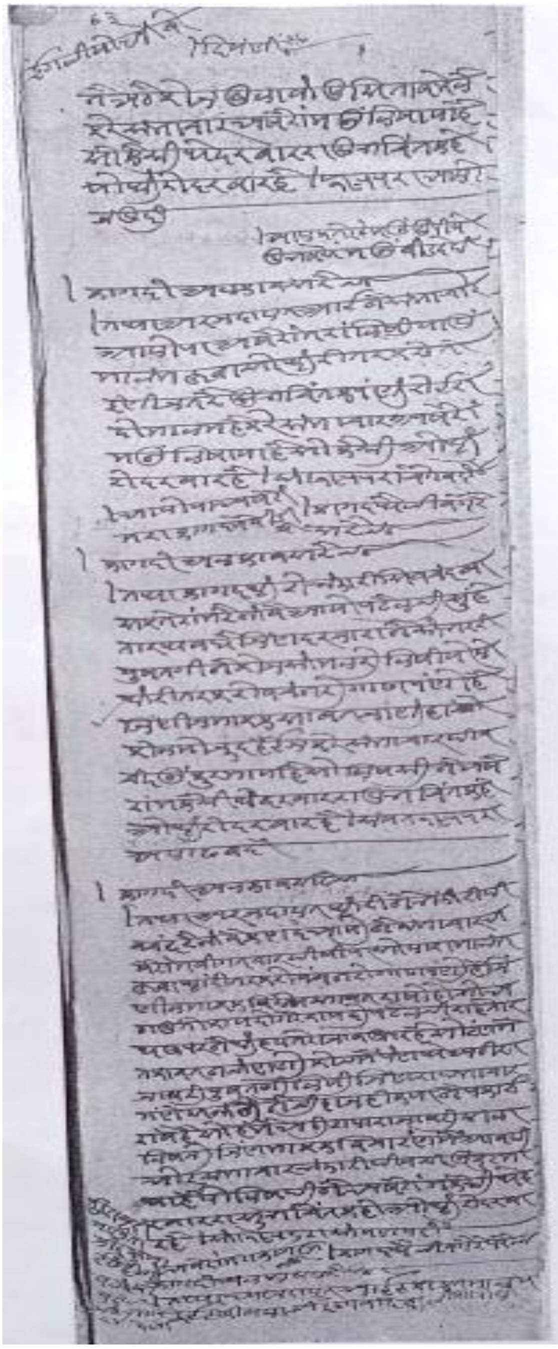
और सांमत मानसिंह को क्षति पहुंचाने के पक्ष में नहीं थे। उनकी यह धारणा थी कि महाराजा भीमसिंह के बाद मानसिंह राज्य का हकदार है।

### 2.4 महाराजा भीमसिंह और मराठेः–

महाराजा भीमसिंह के प्रारम्भिक दिनों में राजकुमार मानसिंह जालमसिंह आदि के उपद्रवो के कारण मारवाड़ में गृह कलह की स्थिति बन गई थी। ऐसे समय में महाराजा भीमसिंह ने अपने पक्ष को मजबूत करना चाहता था। क्योंकि मराठों के साथ मदभेद महाराजा अभयसिंह के पुत्र रामसिंह के गद्दी पर बैठने के समय से ही चल रहा था। रामसिंह के गद्दी पर बैठते ही अपने चाचा बख्तसिंह से युद्ध करना पड़ा था जिसमें बख्तसिंह विजयी हो गये और बख्तसिंह ने 21 जुलाई 1751 ई. को जोधपुर पर अधिकार कर लिया। परन्तु रामसिंह ने 10 हजार मराठा सैनिकों के लिए दो माह की पेशगी देकर ग्वालियर के मराठा सरदार जयप्पा सिंधिया की मदद प्राप्त की। किंतु बख्तसिंह के विरूद्ध यह असफल रहा। 1752 ई. में विजयसिंह (बख्तसिंह का पुत्र) मारवाड़ का शासक बना। विजयसिंह के शासन काल (1752–1793 ई.) में एक बार पुनः रामसिंह ने जयप्पा सिंधिया की मदद से मारवाड़ पर आक्रमण किया। विजयसिंह परास्त हुआ और मराठा सेना ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया।[43] मराठा सेना ने नागौर पर आक्रमण कर नागौर पर घेरा डाल दिया। विजयसिंह ने जयप्पा सिंधिया से संधि करने की कोशिश की पर वह असफल रहा। 1755 ई. में महाराजा के प्रतिनिधि सरदारों द्वारा ताऊसर (नागौर) में जयप्पा सिंधिया की हत्या कर दी गई। इस हत्या से मराठा सरदार बहुत क्रुद्ध हुए और मराठो ने नागौर के घेरे को और अधिक मजबूत कर दिया अन्ततः फरवरी 1756 ई. में हुई संधि के द्वारा उत्तराधिकारी संघर्ष का अंत हुआ। 1756 ई. की संधि के द्वारा विजयसिंह ने अजमेर पर मराठो का आधिपत्य स्वीकार कर लिया और युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रूपये और डेढ़ लाख रूपये वार्षिक कर के रूप में मराठो को देना स्वीकार किया। जोधपुर सहित आधा राज्य विजयसिंह को दे दिया गया। और शेष रामसिंह को इस प्रकार रामसिंह ने एक पृथक संधि द्वारा अपने क्षेत्र में एकत्रित चुंगी कर का आधा हिस्सा मराठो को देना स्वीकार किया। 1772 ई. में रामसिंह की मृत्यु हो गई और मारवाड़ का उत्तराधिकारी संघर्ष सदैव के लिए समाप्त हो गया।[44]

महाराजा विजयसिंह मारवाड़ को मराठों के आधिपत्य से मुक्त कराने के लिए काफी प्रयत्न किया। विजयसिंह की मृत्यू के बाद 1793 ई. में इनका पोत्र भीमसिंह शासक बना। भीमसिंह ने अपने सभी सम्भावित प्रतिद्वन्दियों को मरवा दिया। महाराजा भीमसिंह ने अपने पक्ष को मराठो से व अपने उपद्रवियों से मजबूत बनाने के लिए जुलाई 1793 ई. में ही महादजी सिंधिया को सहायता के लिए पत्र लिखा।[45] लेकिन मराठों के द्वारा महाराजा भीमसिंह के पत्र पर कोई प्रतिक्रया व्यक्त नही की।





सन् 1794 ई. के प्रारम्भ में पण्डित लक्ष्मण जी अनन्त (लखवा दादा) वार्षिक कर वसूली के लिए मारवाड़ की ओर अग्रसर हुये।[46] इस समय मारवाड़ के राज दरबार में दरबारियों के व्यक्तिगत द्वेषो के कारण गृह कलह की स्थिति बनी हुई थी। महाराजा भीमसिंह का प्रमुख सहयोगी राठौड़ सवाईसिंह चांपावत स्वंय महाराजा से नाराज था।[47] क्योंकि संवत् 1852 में सवाईसिंह ने मनमर्जी की वे शेखावत जी के तालाब से उदास हो कर पुष्कर चले गये। महाराजा भीमसिंह ने सवाईसिंह को लाने के लिए व्यास कुसलचंद को भेजा लेकिन वे नही आये। पर कुसलचंद जी ने विशेष आग्रह किया तब उनकी नाराजगी कम हुई और वे वापिस आये। सवाईसिंह फलोदी परगना लेना चाहते थे पर उन्हे नही मिला। महाराजा भीमसिंह लखवा दादा के आने से काफी चिन्तित हो गये थे। लेकिन लखवा दादा मारवाड़ में ज्यादा समय तक नही टिक सके। वि.स. 1851 में सवाईसिंह दिल्ली जाकर लखवा दादा को कूच किया और साथ ही महादजी सिंधिया की मृत्यू होने के बाद दौलतराव सिंधिया के उतराधिकारी बनने पर लखवा दादा को पूरे उतर भारत के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर मारवाड़ से बुलवा लिया। अतः लखवा दादा ने राठौड़ सवाईसिंह चांपावत के माध्यम से वार्षिक कर संबन्धी समझौता कर मारवाड़ को छोड़ दिया।[48] इसके पश्चात् मराठा सरदार अपने आप में ही उलझे रहे किसी का ध्यान मारवाड़ की ओर नही गया। लेकिन महाराजा भीमसिंह ने लखवा दादा को जो रूपये दिए थे उनकी भारपाई सारे ठिकानों से करवाई जोगी, सेवड़ा, फकीर, सन्यासी, ब्राह्मण आदि में से किसी को नही छोड़ा सबसे वसूली की।[49]

मराठों ने सांभर व अजमेर पर कब्जा कर रखा था उनको महाराजा भीमसिंह ने छूड़वा दिया। भंडारी धीरजमल ने नोबाज तथा लाबिया के गढ़ को लूट कर परबतसर की तरफ कूच किया तब सांभर मे डेरा जमाया तथा सांभर दीखाणियों (दक्षिण वालो) के पास में कुछ रूपये लेकर सांभर को रखा हुआ था। इसलिए रूपये देकर सांभर को छुड़ाया। और अजमेर को वापिस लेने की बात मराठों को कहलवाया।[50] और मामपूर में डेरा लगाया। सिंघवी इन्द्रराज ने सरदारों को मौत के घाट उतारकर बिना पूछे ही जालोर की फौज में शामिल हो गया। सिंघवी जोधराज का चहेता था उसे अजमेर पर कब्जा करने के लिए कहा। इस तरह मारवाड़ को

मराठो से पूरी तरह से आजादी मिल गई थी। लेकिन महाराजा भीमसिंह का अपने ही भाई मानसिंह से संघर्ष चलता रहा।

## 2.5 महाराजा भीमसिंह का संघर्षः—

मारवाड़ के सिंहासन पर बैठने के बाद महाराजा भीमसिंह ने अपने चाचा (सरदारसिंह) व भाई शेरसिंह को मरवा दिया। जालमसिंह भी भाग गया था। लेकिन मानसिंह अभी भी जिंदा था जो जोधपुर का शासक बनना चाहता था। महाराजा भीमसिंह को मानसिंह सबसे बड़ा शत्रु लगता था। मानसिंह जालौरर दुर्ग में रहने लगा था। मानसिंह को खत्म करने के लिए महाराजा भीमसिंह जालौर दुर्ग पर सेना भेज दी थी और यहीं से महाराजा भीमसिंह व मानसिंह का संघर्ष प्रारम्भ हो गया।

## जालोर का प्रथम घेराव 1798 ई.:—

1794 ई. में बिलाड़ा में हुए युद्ध के बाद राजकुमार मानसिंह जालौर दुर्ग में चला गया। लेकिन महाराजा भीमसिंह राजदरबार के आपसी कलह में उलझ जाने के कारण मानसिंह के विरूद्ध सक्रिय कदम नहीं उठा सका। लगभग तीन वर्ष तक महाराजा भीमसिंह ने मानसिंह पर कोई ध्यान नहीं दिया। तीन वर्षो तक अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने व राजदरबार के आपसी कलह में ही व्यस्त रहा। तीन वर्ष के बाद कुंवर मानसिंह भी जालौर दुर्ग में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने में लग गया। इस समयावधि में उसने जैसलमेर के भाटी[51] और मेवाड़ के महाराणा भीमसिंह से सम्पर्क साधा। इसी तरह से मानसिंह ने पालनपुर के नवाब से सम्पर्क करके उनसे सहायता मांगी।[52]

महाराजा भीमसिंह ने अखैराज के नेतृत्व में जालौर में सेना भेजी। महाराजा मानसिंह जी जालोर में राज कर रहे है जिसके आगे सिंघवी जोरावरमल का बेटा जीतमल, फतैमल, सिंभुमल, सूरजमल, अणदमल सारे काम में मालिक इनको रखा गया। जोधपुर में महाराजा श्री भींवसिंह जी के पास में सिंघवी भीवराज के बेटे काम करते है। बख्शी का कार्य सिंघवी अखैराज करता था। पचपदरे में भिवराजोत तथा फलौदी हाकम का कार्य सिंघवी इन्द्रराज करता था। मेड़ते में सिंघवी वनराज तथा

सोजत में जीवराज काम कर रहे थे। सिंघवी जहां पर भी फौज लेकर जाता है तो विजय होकर ही आता था। महाराजा भीमसिंह के मन में श्री मानसिंह के पास से जालौर छुडाने का विचार आता है तब बख्शी सिंघवी अखैराज को फौज देकर रवाना करते है।[53] संवत् 1854 (1797 ई.) में कई सरदारों की टुकडिया जाकर जालौर में घेरा देते है। कई महीने तक घेरा रहता है। लड़ाईया होती रही। जालोर परगना में तो महाराजा भीमसिंह का हुकम चलता था पर शहर व जालोर दुर्ग में महाराज मानसिंह का हुकम चलता था। महाराजा भीमसिंह को अखेराज से यह आशा थी कि वह जालौर सैनिक अभियान में सफल होगा। यद्यपि अखेराज की सहायता से ही जालोर नगर पर अधिकार कर लिया परन्तु लम्बे समय तक घेराव रहने पर भी जालोर गढ़ पर अधिकार नहीं हो सका।[54] मारवाड़ री ख्यात से ज्ञात होता है कि अखेराज ने जालोर में ब्राह्मणों को इकट्टा कर राम नाम की माला फेरने का आयोजन रखा। मानसिंह के पक्षधर सिरदारों के साथ वार्ता कर यह विचार किया की महाराजा भीमसिंह के कोई पुत्र नहीं इसलिए मानसिंह को ही राज्य मिलेगा ऐसे में जालोर में बिगाड़ कर हम अपने आपका और राज्य का अहित कर रहे है। इस प्रकार अखैराज लड़ाई में ढिलाई बरतने लगा। जब महाराजा भीमसिंह को इस बात का पता चला तो ड्योढीदार आईदान और अंगोलिया सुरता को भेजा वि.स. 1855 में अखेराज को जालोर से कैदकर के जोधपुर लाया गया। जोधपुर गढ़ के सरणा में कई माह कैद में रखने के बाद दण्ड स्वरूप 60,000 रूपये कबूल करने पर उसे मुक्त कर दिया और बख्शी का कार्यभार पुनः सौंपा गया।

यद्यपि सवाईसिंह चांपावत और ज्ञानमल सिंघवी इस सैनिक अभियान के पक्ष में नहीं थे। सरदारों की शिथिलता के कारण जालोरगढ़ पर अधिकार नहीं हो सका इस पर जोधराज को भेजा गया।[55] मार्ग में जाते हुए भाद्राजून पर अधिकार कर वह घाणेराव पहुंचा पर जालोर से आये सरदारों के साथ झगड़ा होने पर उसे देसुरी भागना पड़ा। महाराजा ने जब सवाईसिंह प्रधान से आगे की कार्यवाई के लिए मंत्रणा की तब सवाईसिंह ने बताया कि जयपुर से सैनिक सहायता मांगनी उचित रहेगी। दूसरी और जालोर अभियान मे भाग लेने गये ठिकानेदारों को जब यह जानकारी मिली तब उन्होंने विचार–विमर्श कर महाराजा को अवगत कराया कि

जयपुर की सेना यहां आकर हम पर आक्रमण करेगी इसके परिणाम बड़े गंभीर होंगे। अगर मानसिंह की सेना के साथ हम लोग सम्मिलित हो गये तो नमक हराम कहायेगें और महाराजा को भी कोई लाभ नहीं होगा। इस पर महाराजा भीमसिंह ने जयपुर से सेना मंगवाने की कार्यवाही नहीं की और सरदारों को खास रूक्के लिखकर उन्हें आश्वस्त किया।[56]

मारवाड़ के प्रतिष्ठित ठिाकनेदारों के अनुरोध पर महाराजा ने वि.सं. 1855 कार्तिक वदि 11 को सवाईसिंह को अपने ठिकाने पोकरण जाने हेतु विदा किया।

महाराजा भीमसिंह ने राज दरबार की कलह को खत्म करने के लिए राठौड़ सवाईसिंह चांपावत आदि असन्तुष्टों को जागीर आदि में इजाफा देकर प्रसन्न किया। इस प्रकार सन् 1797 ई. में अपने राज दरबार में झगड़ों से छूटकारा प्राप्त कर महाराजा भीमसिंह ने 1798 ई. के प्रारम्भ में अपने बख्शी अखेराज सिंघवी को जालोर पर सैनिक अभियान करने का आदेश दिया।[57] फलतः अखेराज सिंघवी वनराज चैनकरण और हिन्दूमल आदि को साथ लेकर जोधपुर से रवाना हुआ और पाली पड़ाव हुआ। तब उसने मारवाड़ के सांमतो को सैनिक अभियान के लिए बुलाया। पाली में सैनिक तैयारियां पूरी कर लेने के बाद वह जालोर की तरफ रवाना हुआ। इस समय सिंघवी अखेराज ने सम्पूर्ण सेना को दो भागों में बांटकर एक सेना के साथ स्वयं सीधा जालोर की तरफ अग्रसर हुआ। दूसरी सेना सिंघवी, चैनकरण आदि के साथ जालौर परगने पर अधिकार करने के लिए रवाना की।

अखैराज सिंघवी के इस सैनिक अभियान की सूचना मिलने पर मानसिंह ने भी जालोर में तैयारियां शुरू की और शहर में मोर्चाबंदी कर सुरक्षा प्रबन्ध किया।[58]

अखैराज सिंघवी सेना सहित जालौर पहुंचा और चैत्र सुदी 2, 1854 के दिन उसने जालोर शहर को घेर लिया। इस समय तक सिंघवी वनराज और चैनकरण आदि त्वरित कार्यवाही कर भीनमाल, सांचौर आदि इलाको पर अधिकार कर लिया।[59]

अब मानसिंह के पास केवल जालोर शहर व दुर्ग ही शेष रह गये थे। यहां पर भी सिंघवी अखेराज दबाव बढ़ाता जा रहा था। ऐसी स्थिति में मानसिंह ने बाहर से सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से चैत्र सुदी 7, वि.स. 1854 के दिन सिंघवी फतेमल को गुजरात ओर सिम्भूमल को सिन्ध हेदराबाद की तरफ भेजा। साथ ही उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए राठौड़ सामन्तों को खास रूक्के भेजकर अपनी सहायता के लिये आमन्त्रित किया।[60] इसी तरह उसने बीकानेर के राजा सुरतसिंह और मेवाड़ के महाराणा भीमसिंह से भी सम्पर्क साधा। तब महाराणा भीमसिंह ने मानसिंह की सहायता के लिए मराठा सरदार आंबाजी ईगले की एक सेना राजकुमार जालमसिंह के नेतृत्व में रवाना की। लेकिन वनराज सिंघवी ने मेवाड़ की सीमा के गांव कच्छवाली घाटी में ही इस सहायक सेना को रोक लिया। फलतः राजकुमार जालमसिंह कच्छवाली घाटी में ही रूक गया। जहां 1798 ई. में उसकी मृत्यु हो गई।[61]

इस प्रकार जालोर का प्रथम घेराव समाप्त हुआ कई सांमतों की नाराजगी व मृत्यु से समाप्त हुआ पर महाराजा भीमसिंह को जालोर अभियान में पूरी सफलता नहीं मिली।

**मांडोली का युद्धः—**

सिंघवी फतेमल जालौर से पालनपुर पहुंचा और वहां पठान सैनिको को खर्चा देना तय कर एक सेना इकठ्ठी की। तब वह उस सेना के साथ जालौर की तरफ अग्रसर हुआ। इस समय अखैराज सिंघवी को भी इस सैनिक सहायता का पता चल गया था। उसने सिंघवी चैनकरण को इस सेना के सामने उसको रोकने के लिए भेजा। और फतेमल सांचोर पहुंच कर सिम्भूमल से मिल गया था। तब वे दोनों भीनमाल की तरफ रवाना हुए और सिंघवी चैनकरण आदि इनका मार्ग रोकने के लिए आगे बढ़ रहे थे। दोनो सेनाओं का भीनमाल के पास मांडोली गांव में सामना हुआ। और वि.सं. 1855 के दिन भंयकर लड़ाई हुई।[62] सिंघवी चैनकरण का प्रबल प्रहार के सामने पठान सेना ठहर नहीं सकी और उन्होने मैदान छोड़ दिया। इसी समय मौसम खराब होने की वजह से वर्षा होने लगी तो कुछ समय के लिए युद्ध

रूक गया। फिर वापिस युद्ध शुरू हुआ तो सिंघवी सम्भूमल ने पलटकर चैनकरण की सेना पर आक्रमण किया। इस लड़ाई में चैनकरण की तरफ से राठौड़ बिशनसिंह घायल हुआ। लेकिन उन्होंने सिंघवी सम्भूमल आदि को आगे नहीं बढ़ने दिया। इस युद्ध में मानसिंह के साथियों ने राठौड़ जोरावरसिंह व अभयसिंह गम्भीर रूप से घायल हुए और ठाकुर औपसिंह मारा गया।[63] अंत में युद्ध मैदान सिंघवी चैनकरण के हाथ रहा।

मंडौली युद्ध के बाद अखैराज सिंघवी मानसिंह पर और अधिक दबाव डालने लगा। लेकिन उसकी सेना के कतिपय प्रमुख सामंत इन सफलताओं से अप्रसन्न थे। वे अपने अस्तित्व के लिए मानसिंह को बनाये रखना और महाराजा भीमसिंह को उसके साथ उलझाये रखना चाहते थे। अतः इन सांमन्तों ने अखैराज सिंघवी का साथ छोड़ दिया और मारवाड़ के इलाको में लूटमार करते हुए घाणेराव की तरफ चल पडे।[64] इस प्रकार राठौड़ सामन्तों के पलायन से अखैराज का पक्ष कमजोर पड़ गया फिर भी उसने जालौर से घेरा नहीं हटाया गया था।

महाराजा भीमसिंह को जब सामंतो के पलायन का पता चला तो वह अखैराज सिंघवी से नाराज हो गया। अखैराज के विरोधियों ने इसका फायदा उठाया और महाराजा को उसके विरूद्ध भड़काना प्रारम्भ कर दिया।

महाराजा भीमसिंह ने अखैराज सिंघवी को वापस जोधपुर बुलाकर कैद कर लिया[65] अखैराज सिंघवी के पतन के बाद जालौर का घेरा भी उठा दिया गया।[66]

राठौड़ सामन्तों और अखैराज सिंघवी के मध्य चल रहे आपसी द्वेष भावना के कारण जालोर दुर्ग पर अधिकार करने में महाराजा भीमसिंह असफल रहा। लेकिन इस समय जालौर परगने के अधिकांश भू–भाग पर महाराजा का अधिकार हो गया था। अतः महाराजा भीमसिंह ने जालौर का घेरा उठ जाने के बाद अपने अधिकार वाले इलाकों की सुरक्षा हेतु जगह–जगह चौंकिया व थाने स्थापित कर दिये। इसके पश्चात् दो वर्षो तक मानसिंह व भीमसिंह शांत हो गये थे। छोटी–छोटी लड़ाईया के अलावा कोई बड़ी घटना नहीं हुई।

1800 ई. में महाराजा भीमसिंह ने पुनः जालोर पर सैनिक अभियान चलाने की योजना बनाई। इस बार महाराजा भीमसिंह ने पूरी योजना के साथ अपनी सेना के कई भाग कर दिये और जालौर के चारों और तैनात किये। सिंघवी वनराज व भंडारी पृथ्वीराज के नेतृत्व में एक सेना को गूंदोज रवाना किया।[67] सिंघवी चैनकरण ने सिवाणा के पास गांव राखसी में अपनी सेना को लेकर अपना थाना स्थापित किया। इस तरह महाराजा भीमसिंह के ओहदेदारों ने जालोर के चारो ओर अलग–अलग चौकियां बना कर मानसिंह को घेरने का प्रयास किया। मानसिंह का महाराजा भीमसिंह की सेना के साथ गोड़वाड की सीमा पर नांवी गांव और कालंदरी नामक स्थान पर झगड़ा हुआ था। लेकिन मानसिंह के पास हमेशा की तरह धन की कमी के कारण पीछे हटना पड़ता था। इस युद्ध में भी मानसिंह पीछे हट गया।[68]

## साकदड़ा का युद्ध (जुलाई 9, 1801 ई.):–

इस समय महाराजा भीमसिंह व जयपुर के शासक राजा प्रतापसिंह की बहन का विवाह पुष्कर में होना तय हुआ था। 1801 ई. में महाराजा भीमसिंह अपने सामन्तो, सलाहकारों और राज्य दरबारियो को साथ लेकर जयपुर के शासक प्रतापसिंह की बहिन से शादी करने के लिए पुष्कर के लिए रवाना हुए और जयपुर से राजा प्रतापसिंह भी शान शौकत के साथ पुष्कर पहुंचे और 7 जुलाई 1801 को महाराजा भीमसिंह का विवाह जयपुर राजा प्रतापसिंह की बहन के साथ सम्पन्न हुआ।[70]

इसी समय जालौर में मानसिंह पर आर्थिक संकट आया हुआ था, तो मानसिंह ने महाराजा भीमसिंह की जोधपुर में अनुपस्थिति का फायदा उठाया और मानसिंह 1801 ई. में अपने कुछ सैनिकों के साथ जालोर से चलकर मारवाड़ के व्यापारिक शहर पाली पर आक्रमण कर दिया। मानसिंह ने अरक्षित पाली को लूटा और कुछ धनाढ़य सेठो को बंधी बना लिया और महाराजा भीमसिंह के आने से पहले ही वापिस जालौर लौट आया।[71]

मानसिंह जालौर चला गया लेकिन इस समय महाराजा भीमसिंह का पक्ष करने वाले सिंघवी चैनकरण अपनी सेना के साथ सांचोर की ओर गया हुआ था। लेकिन जब चैनकरण को पाली के लूट जाने की खबर मिली तो चैनकरण ने राठौड़ विश्नसिंह (चंडावत) के साथ शीघ्रता से पाली की और कूच किया। मानसिंह पाली से निकलकर जालौर के मार्ग में साकदड़ा नामक गांव में ठहरा। उधर से चैनकरण भी साकदड़ा के निकट पहुंच गया था। और मानसिंह को रास्ते में ही रोक लिया, मानसिंह के पास कम ही सैनिक थे तो वह घबरा गया। चैनकरण ने मानसिंह को कहलवाया कि पाली के धनाढ़य सेठो को छोड देवे और वापिस जालोर चले जाए इसी में भलाई है वरना युद्ध हुआ तो कुछ भी हो सकता है। मानसिंह को यह संदेश मिलने पर वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने चैनकरण से युद्ध करने की घोषणा कर दी। जुलाई 9, 1801 ई. में साकदड़ा गांव के मैदान में दोनो सेनाओं में भंयकर युद्ध हुआ।[72] मानसिंह के पास सैनिको की संख्या कम थी तो उस पर दबाव बढ़ने लगा। युद्ध की स्थिति को देखकर मानसिंह का पकड़ा जाना या मारा जाना निश्चित लग रहा था। ये सब देखकर मानसिंह के साथियों राठौड़ अभयसिंह, भाटी जोधसिंह ने बल पूर्वक युद्ध के मैदान से हटा कर के सुरक्षित रूप से जालौर वापिस रवाना किया और मानसिंह के साथियो ने चैनकरण व चंडावल के ठाकुर से युद्ध करके उनको मानसिंह के पीछे जाने से रोका।

इस युद्ध में दोनो ही पक्षो के अनेक व्यक्ति मारे गये। जोधसिंह भाटी, अभयसिंह चांपावत, मानसिंह मेड़तिया, जालमसिंह उदावत, रणछोड़दास, सादूलसिंह मेड़तिया आदि अनेक प्रमुख व्यक्ति मारे गये। महाराजा भीमसिंह के भाटी जोधसिंह वीरगति को प्राप्त हो गये। मानसिंह जी जालोर चले गये और युद्ध में चैनकरण विजयी हुआ। इस का समाचार जब महाराजा भीमसिंह को हुआ तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और खुशी मनाई।[73]

## जालौर का अन्तिम घेरा (1801–1803 ई.):–

महाराजा भीमसिंह इस समय पुष्कर में ही थे, पर उन्हें पाली के लूटने व साकदड़ा के युद्ध की सूचना मिल गई थी। तब अपने ही भाई मानसिंह पर बहुत

क्रोधित हुए और उन्होंने मानसिंह को मारने का अंतिम निर्णय ले लिया था। पुष्कर से वापिस आते ही महाराजा भीमसिंह अक्टूबर, 1801 ई. में सिंघवी वनराज के नेतृत्व में एक बड़ी सेना तैयार की और जालोर की तरफ भेजी। सिंघवी इन्द्रराज, वनराज और गुलराज तीनो भाईयो के अलावा उनके मामा भंडारी गंगाराम का जालोर हस्तगत करेन हेतु भेजा।[74] जालोर नगर पर अधिकार होने के फलस्वरूप लोग गढ़ में चले गये। वनराज सिंघवी जालोर को घेर कर सोरखाना दरवाजे पर अधिकार कर अपने मोर्चे लगा दिये। ऐसे संकट के समय में मानसिंह घबरा गया था लेकिन मानसिंह के कुछ सरदारों व सलाहकारों लखधीरसिंह, जालमसिंह, जोरावरसिंह, दौलतसिंह, भगवानसिंह (जैसलमेर के शासक का पुत्र) आदि ने धन जन और अन्य साधन उपलब्ध करवा कर मानसिंह की पूरी सहायता की।[75] किंतु महाराजा भीमसिंह के सेनापतियों ने शहर के चारो ओर कठोर घेरा डाल रखा था कि मानसिंह को अपनी सफलता की कोई आशा नहीं थी। भंयकर लड़ाई होने पर वनराज मारा गया। जिसे पूरा सम्मान दिया गया, वनराज का दाहसंस्कार जालौर दरवाजे के बाहर किया गया तथा वही उसकी छतरी बनाई गयी है। मानसिंह का बुरा हाल हो गया था, खाद्य सामग्री के खत्म होने पर मानसिंह को समझौता करना ही सही लगा। गढ़ खाली करने का आश्वासन भी दे दिया। इस युद्ध की विजय से खुश होकर महाराजा भीमसिंह ने इन्द्रराज को खास रूक्का लिखकर धन्यवाद दिया और कहा कि' भीवराज सिंघवी के परिवार के लोग सारे वीर और स्वामिभक्त होने के साथ एक से बढ़कर एक है'।[76]

जालौर शहर पर महाराजा भीमसिंह का अधिकार होने पर गढ़ की तरफ तीव्रता से आगे बढ़ने लगे थे।

26 जुलाई से अक्टूबर तक मानसिंह को रसद की कमी के कारण अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था। जालौर दुर्ग पर दीर्घकाल से चले आ रहे घेरे के कारण मानसिंह की स्थिति खराब हो गई। मानसिंह ने इन कठिनाईयों के दिनों में पासवान गुलाबराय द्वारा दी गई बहुमूल्य वस्तुओं को बेचकर काम चलाया।[77] ऐसी विपरीत परिस्थिति को देखकर मानसिंह निराश हो गया तो उन्होंने सूरजमल को इन्द्रराज सिंघवी व गंगाराम भंडारी के पास भेजा और

कहलवाया कि यदि घेरा कुछ ढीला कर दे तो कुछ दिनों में जालोर दुर्ग को छोड़ देगे।[78]

मानसिंह इस प्रस्ताव को सुनकर पहले तो इन्द्रराज थोड़े हिचकिचाये लेकिन फिर उन्होंने मानसिंह से किला खाली करने की निश्चित तिथि पूछी तब मानसिंह ने दीवाली के दिन जालौर दुर्ग खाली करना स्वीकार कर लिया।[79] तो इन्द्रराज ने अपने घेरे को तो कम नही किया लेकिन घेरे की कठोरता को थोड़ा कम कर दिया।

अब जालोर दुर्ग को खाली करने की तैयारी में लग गये। मानसिंह दुर्ग खाली करने की तैयारी कर ही रहे थे कि आयस नाथ नामक साधु ने मानसिंह को अक्टूबर 21 तक दुर्ग खाली नहीं करने की सलाह दी।[80] इस सलाह को सुनाकर मानसिंह को नैतिक बल मिला और उसने अपने कहे अनुसार दीवाली को दुर्ग खाली नहीं किया। संकट की इस घड़ी में अचानक ही कार्तिक सुदी 4, 1860 (19 अक्टूबर 1803 ई.) में महाराजा भीमसिंह का देहान्त हो गया।[81]

महाराजा भीमसिंह देवलोक हुए तब धायभाई शंभुदान भंडारी शिवचंद मुहणोत ज्ञानमल वगैरा ने मसूबा विचार कर सिंघवी इन्द्रराज जी को लिखा कि श्री जी महाराज तो धाम पधार गये सवाईसिंह जी पोकरण है उनको कासीद वादे भेजा है तो तुम अपना घेरा उठाना मत। वहां जैसे है वैसे रखना।[82] सवाईसिंह जी यहां आने पर यहां से कहे वैसे ही करना। ये समाचार इन्द्रराज जी और गंगाराम भंडारी के पास काती सुदी 4 को पहुंचा तब बहुत शोक किया कि यह अनहोनी हो गई अब युद्ध कौन करेगा? तमाम लोग दुःखी हुए और गढ़ में भी मातम हुआ। इन्द्रराज व गंगाराम दोनो मामा भतीजे ने सलाह की अब अपने को क्या करना चाहिए। जोधपुर वाले तो लिखते है कि अभी जो घेरा है वह वैसे ही रखना है तो अपने कौनसे दावेदार है अपने तो सरकार के नौकर है।[83] जोधपुर वाले की आशा है तो हम क्या करे। अपने तो 21 वर्ष के महाराजा मानसिंह है जो विजयसिंह के पोते है तो उस हिसाब से मानसिंह ही महाराजा बनने का हक रखते है। इन्द्रराज व गंगाराम मानसिंह से मिलने गये ओर कहलवाया कि आज तक तो भीमसिंह के

हरामखोर की दृष्टि लगाई न ही नमक की शरीकत थी। जितने हम लड़े है वो माफ हो अब मालिक आप है ओर हम नौकर है। सो श्रीजी सब अच्छी बात ही करेगे। यह बात पक्की विचार कहलवाई। अमचन्द्र इनके पास रहता था उसको गढ़ पर मानसिंह के पास भेजा और मालूम करवाई कि महाराजा श्री भीवसिंह जी धाम पधार गये है। इन्द्रराज और गंगाराम मानसिंह से समझौता कर लिया अक्टूबर 20, 1803 ई. के दिन मानसिंह सिंघवी इन्द्रराज की सेना में चला गया और जालोर दुर्ग का घेरा उठा लिया गया।[84]

## मारवाड़ के सामन्तों का विद्रोहः–

जालौर घेरे के दिनों में महाराजा भीमसिंह ने 1802 ई. में ही जोधपुर सिंघवी को दीवान नियुक्त किया[85] तो मारवाड़ में एक बार फिर से राठौड़ सांमतो का विद्रोह भड़क उठा। क्योंकि जोधराज सिंघवी के कठोर प्रशासन से कई सामन्त नाराज थे।[86] रोहट का ठाकुर कल्याणसिंह चांपावत सर्वप्रथम नाराज होकर आऊवा चला गया था। कल्याणसिंह के बाद एक एक कर के मारवाड़ के सभी प्रमुख सामंत महाराजा से नाराज होकर विद्रोही बन गये। मारवाड़ के प्रमुख विद्रोही सांमत मेड़ता कालू नामक ग्राम में पोकरण का जालमसिंह आऊवा का माधोसिह, रोहट का कल्याणसिंह, आसोपा का केसरी सिंह, चंडावत का विसन सिंह, रास का जवान सिंह, निबाज का शंभुसिंह, रीया का बिड़दसिंह आदि इकट्ठे हुए।[87]

इस समय महाराजा भीमसिंह का सांमत भंडारी धीरजमल मेड़ता और परबतसर के उपद्रवी ठाकुर को दण्डित करने के लिए गया हुआ था जब उसको इन उपद्रवी ठाकुरों का समाचार मिला तो शीघ्रता से कालू की तरफ लौटा। सांमतो ने धीरजमल का सामना किया लेकिन वे अधिक समय तक उसके सामने ठहर नहीं सके और रणक्षेत्र में भाग खड़े हुए। धीरजमल की विजयी हुई। इस हार के बाद उपद्रवी सामन्तों में निरशा फैल गई और वे इधर–उधर बिखर गये।[88] धीरजमल विजयी होकर अपने उपद्रवी सांमतो को दण्डित करने के लिए इनके जागीरी के गांवो पर सैनिक अभियान कर उनको खालसा क्षेत्र में मिलाना प्रारम्भ कर दिया। इसके बाद धीरजमल ने रास की गढ़ी को घेर लिया। एक माह की घेराबंदी और

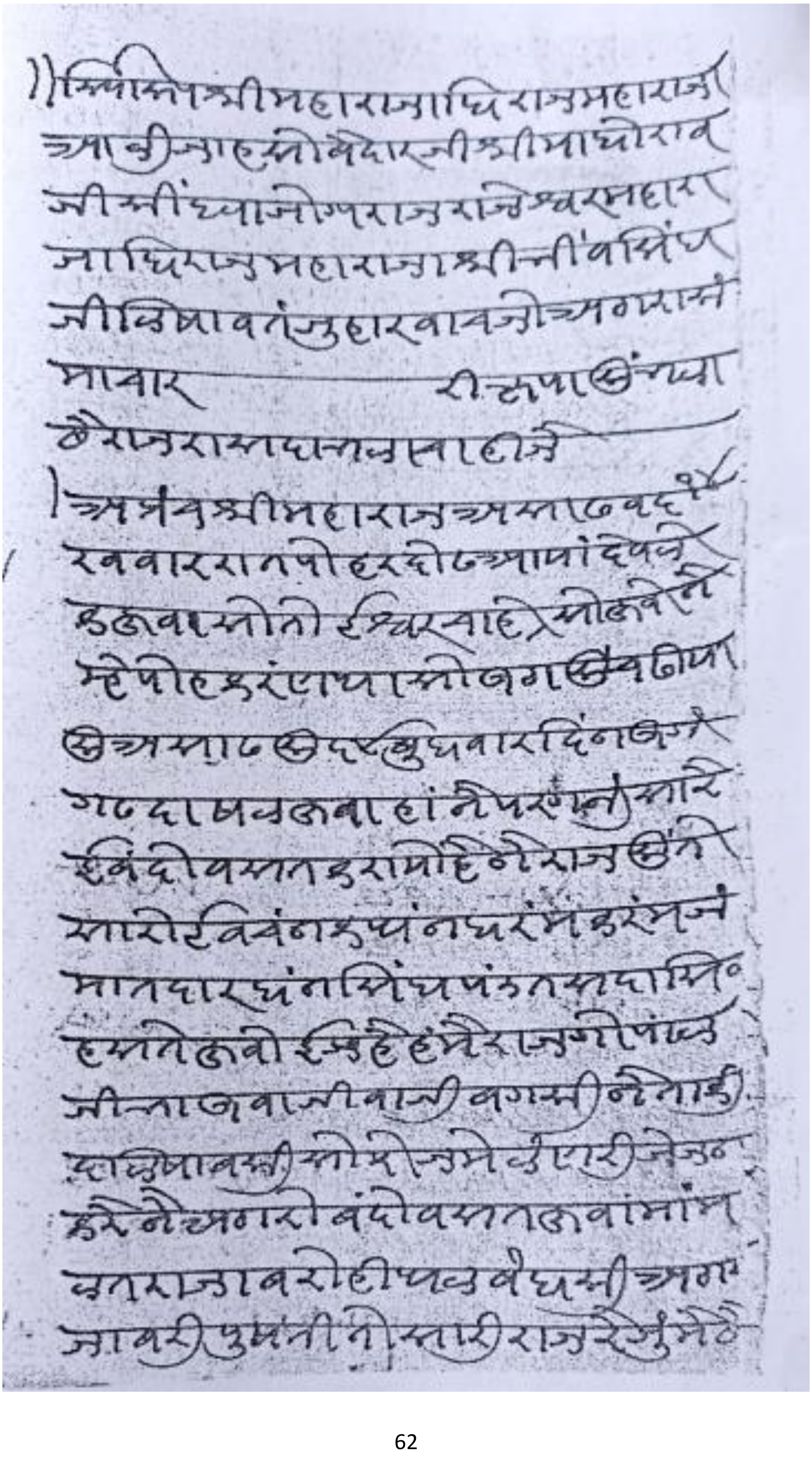
लड़ाई के बाद रास पर भी वीरजमल ने अधिकार कर लिया। और नीबाज की ओर चला गया।[89]

धीरजमल के इस तरह की कार्यवाहियो से मारवाड़ के उपद्रवी काफी घबरा गये थे उन्हे अपना अस्तित्व खतरे में दिखने लगा था। ऐसी स्थिति में सभी सांमतो ने आपस में विचारा विमर्श कर मारवाड़ के दीवान जोधराज सिंघवी को मार्ग से हटाने का निश्चय किया। तब भाटी साहबसिंह ने जोधराज सिंघवी को सभी उपद्रवीयों के मार्ग से हटाने का निर्णय लिया। भाटी साहबसिंह जोधपुर पहुंचा और गुलाब सागर पर जोधराज सिंघवी की हवेली में घुसकर भादवा वदी 2, 1859 वि.सं. की रात्रि में सोते हुए जोधराज की हत्या कर दी।[90] महाराजा भीमसिंह को जब इस हत्या का पता चला तो कुद्र होकर आऊवा आसोप, चंडावत, राम, रोपट, लाबिया और नीबाज आदि ठाकुरो की जागीरे जब्त कर ली। साथ ही विद्रोही सरदारों को मारवाड़ से बाहर निकाल देने का आदेश दिया।[91] इस समय सभी विद्रोही सामंत देधू में ठहरे हुए थे। इन्द्रराज सिंघवी अपनी सेना के साथ तीवंरी होता हुआ देधू की तरफ अग्रसर हुआ। विद्रोही इन्द्रराज का सामना करने की स्थिति में नहीं थे। अतः वे देधू से जालौर और जालोर से गोड़वाड़ की तरफ चल पड़े। इन्द्रराज ने पीछा तो किया लेकिन एक दो जगहों पर छोटी–मोटी झड़प हो गई।

सिंघवी इन्द्रराज को इन सबके लिए दण्ड वसूल करने के लिए भेजा। उसने 20,000 रूपये प्रोहित से वसूल किये क्योंकि जब देधू में उपद्रवी रूके हुए थे तो तिंवरी के प्रोहित उनसे मिला हुआ था। तत्पश्चात् चावंड़ा पहुंचकर वहां के जागीरदार से 5000 रूपये दण्ड के वसूले। फिर विद्रोही सांमत कुछ समय तक घाणेराव रूके रहे और बाद में मेवाड़ होते हुए कोटा चले गये।[92]

इस प्रकार महाराजा भीमसिंह के 10 वर्षो के कार्यकाल में मानसिंह से युद्ध करने में ही निकल गये और अतः में जब भीमसिंह को जालोर घेरे में सफलता मिलने के असार हुये तो महाराजा भीमसिंह परलोक सिधार गये। और उनके सामंत और सेनापति मानसिंह को महाराजा मानकर सब उनकी तरफ हो गये।

महाराजा भीमसिंह द्वारा मराठों को भेजे गये पत्र की मूल प्रति



।। स्वस्ति श्री पंडित किसनलाल जी जोग
राजराजेश्वर महाराजाधिराज महाराज
जासी जी पमिंघ जी चिमावतां पगे
चालंतो वाचजो
। तथा जो स्ली मथारां मे ... करजो
[illegible] पाहै श्री महाराज [illegible] पेदर
[illegible] पूरीरा रखपद
सारया [illegible] ९२
।। [illegible] ७८
। जो स्ली मथारां [illegible] कागद [illegible]
[illegible]
। कागद [illegible]
। तथा जो स्ली मथारां मे [illegible] करेण [illegible] माहि
सोजी [illegible] [illegible] खारा
[illegible] पूरीरा दरबार रै
[illegible] । कागद [illegible]
। जो स्ली मथारां मे [illegible]
[illegible]

।कागदीसोवरा ० वदी अजुझावमर्देन
।तप्याचे ० नालिंतकाटरी रदारासोठ
तिंरारा मामारव मवोलो अमरसंदर
निमीमा ० मांगठता चोरमामार
दोठीदारनीवां ० कुरनापाठमतोकिय
सीस्वेदरबाररा ० नविंतहहोतो सोहुरे
दरबारहे ।सवत १८५०रा मीनरा ० द०
।बलवीरीलमर ।कागद ० नरानीवीज
बदरनकागदलिखु वीपवपरवरनीवीवान
रणोहसोट होरंवाचे
है
चीवीपाटेर

।कागदरे नादलावद ० अलुकाक्ष्मरीसन
१ तप्यासमानारनवबांणी अमरचंद ० जंविल
पाहेसीकेसीदरबाररैनेपठीचनीरैपेठ्वे
निरंतरपंणारीरीतहेसीचेवाकरहीठ
म्हेहंमेसमामारठनाहांसुपांकनादंमी
न्हाठीसमीतदिनेमातबर ० सितावमेरते
मेवनीचेदरबाररासुनावितरहीनोप्हारो
दरबारहे ।सावत१८५०रानादनावद ०
।मीत्नमीरमहादीपी ।कागदपैलीवगीसेरा
१ तप्यायारीतररामामानारनारदरासोंघ
स्यांमलिंघीतराविमीपासुमाव मकारनो
परीतोइणसुंतरनिरीजोहेहमेचागछेम
मानारवोणोनिमापाहेकोचिसनीजिण

# सन्दर्भ सूची


1. भाटी, हुकमसिंह, मारवाड़ री ख्यात, राजस्थानी शोध संस्थान, चौपासनी जोधपुर 2000, पृष्ठ–112,
2. भाटी, हुकमसिंह, मारवाड़ री ख्यात, राजस्थानी शोध संस्थान, चौपासनी जोधपुर, पृष्ठ–113,
3. भाटी, हुकमसिंह, राठौड़ा री ख्यात, राजस्थानी ग्रन्थागार एवं अनुसंधान संस्थान, चौपासनी, जोधपुर 2007, पृष्ठ–170,
4. जोधपुर हकीकत बही नं. 5, संवत 1846–1850, इमेज न. 870
5. मारवाड़ री ख्यात, डॉ. हुकमसिंह भाटी, पृष्ठ 92–94
6. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ–98
7. पासवान गुलाबराय, डॉ. मोहनलाल गुप्ता, पृष्ठ 229
8. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ 118
9. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ–118
10. मुंदीयाड ख्यात; भाग, 3, पृष्ठ–17
11. महाराजा मानसिंह री ख्यात, पृष्ठ–6
12. जोधपुर री ख्यात, भाग–3, पृष्ठ–222
13. राठौड़ा री ख्यात, प्रथम भाग, पृष्ठ 178,
14. जोधपुर ख्यात, भाग–3, पृष्ठ–222
15. राठौड़ा री ख्यात– पृष्ठ–168
16. जोधपुर राजावां रा बडेरा री ख्यात, पत्र 225
17. जोधपुर ख्यात, भाग 3, पृष्ठ 222
18. हकीकत बही नं. 6, संवत् 1846–1850 *(जोधपुर रिकार्ड)*, पृ–5
19. नॉन आर्किव रिकार्ड, बस्ता नं. 20, फाईल नं. 22 इमेज नं. 4
20. मूदियाड़ री ख्यात, डॉ. विक्रमसिंह भाटी, ठाकुर अर्जुनसिंह सोनगरा, पृष्ठ–30
21. जोधपुर हकीकत बही–05, वि.सं. 1846–1850 पृष्ठ–750
22. महाराजा भीवसिंह तवारीख, संवत 1848–1860 तक, बस्ता नं. 20, फाईल नं. 22, पृष्ठ–5

23. नॉन आर्किव रिकार्ड, बस्ता नं. 20, फाईल नं. 22, पृष्ठ–7
24. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ–134
25. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ–135
26. नॉन आर्किव रिकार्ड, बस्ता नं. 103, फाइल नं. 103 पृष्ठ–11
27. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ–136
28. राठौड़ो री ख्यात, जिल्द–3, पृष्ठ 120
29. टॉड, एनाल्स एण्टिक्विटीज ऑफ राजस्थान, पृष्ठ–1077–1078
30. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ–137
31. जोधपुर हकीकत बही– 05, संवत 1846–1850, पृष्ठ–870
32. मुंदीयाड़ ख्यात, पृष्ठ–22
33. मुंदीयाड़ ख्यात, पृष्ठ–23
34. राठौड़ा री ख्यात, पृष्ठ–180
35. हकीकत बही नं. 6, संवत 1846–1852, पृष्ठ–52
36. राठौड़ा री ख्यात, पृष्ठ–178 क
37. जोधपुर री ख्यात, भाग–3, पृष्ठ–223
38. वही, पृष्ठ–223
39. महाराजा मानसिंह री ख्यात, पृ. 8
40. जोधपुर राजावा री बडेरा री ख्यात, पृ. 225
41. जोधपुर री ख्यात, भाग–3, पृष्ठ–225
42. राठोडो री ख्यात, पृष्ठ–674
43. Marwar and the marathas (1724-1843 A.D.), Dr. G.R. Parihar, Hindi Sahitya Mandir, Jodhpur
44. विजयसिंह री ख्यात, पृष्ठ–112
45. महाराजा भीमसिंह का पत्र आंबाजी ईगले के नाम, भाद्रवा वदि 1, 1850 वि., मराठा सरदार शिवजी नाना के नाम, भाद्रवा वदि 7, 1850 वि.स., अरजी बही न. 4, पृ. 72, 142, *(जोधपुर रिकार्ड)*
46. जोधपुर येथील, पत्र 26, परिहार पृ. 136
47. जोधपुर री ख्यात, भाग 3, पृष्ठ–233–34

48. जोधपुर येथील पत्र 27, 28
49. महाराजा भीमसिंह जी रे राज की तवारिख, इमेज नं. 16
50. राठौडो री ख्यात, भाग–3, पृष्ठ–685
51. महाराजा मानसिंह री ख्यात, पृ–10
52. महाराजा मानसिंह री ख्यात, पृष्ठ–11
53. राठौड़ा री ख्यात, भाग–3, पृष्ठ–674
54. मारवाड़ री ख्यात, पृ. 139
55. मारवाड़ के ओहदेदारों का इतिहास में योगदान, सं. हुकमसिंह भाटी, पृष्ठ–97
56. मारवाड़ री ख्यात, पृ. 144
57. जोधपुर री ख्यात, भाग–3, पृष्ठ 226
58. राठौड़ा री ख्यात, भाग–3, पृष्ठ 675
59. मूंदीयाड ख्यात, पृष्ठ–24
60. भाटीयों री ख्यात, भाग–2, पृष्ठ–525
61. जोधपुर रा बडेरा री ख्यात, पृष्ठ–226
62. राठोड़ा री ख्यात, भाग–3, पृष्ठ–675
63. महाराजा मानसिंह ख्यात, पृष्ठ–13,14
64. जोधपुर ख्यात, भाग 3, पृष्ठ 227
65. राठौड़ा री ख्यात, भाग 3, पृष्ठ–676
66. जोधपुर ख्यात, भाग 3, पृष्ठ 227
67. राठौड़ा री ख्यात, भाग 3, पृष्ठ 677
68. वही, पृष्ठ 678
69. महाराजा भीमसिंह जी री तवारीख, संवत 1848–1860, इमेज न.–33
70. मुदियाड़ री ख्यात, पृष्ठ–25
71. वही, पृष्ठ–26
72. वही, पृष्ठ–154
73. वही, पृष्ठ–154
74. ओधा खीजमतो वगैरे री भोल री बही, इमेज नं. 256

75. महाराजा मानसिंह री ख्यात, पृष्ठ–16
76. राठौड़ा री ख्यात, भाग–3, पृष्ठ–686
77. तवारीख मानसिंह, पृष्ठ–2
78. वही, पृष्ठ–2
79. वही, पृष्ठ–3
80. महाराजा मानसिंह ख्यात, पृष्ठ–18
81. हकीकत बही नं. 7, वि.सं. 1851–1852, पृष्ठ 78, जोधपुर रिकार्ड
82. नॉन आर्किव रिकार्ड, बस्ता नं. 20, फाईल नं. 23A**,** इमेज नं. 8
83. बस्ता नं. 20, फाईल नं. 23A, इमेज नं. 9
84. तवारीख मानसिंह, पृष्ठ–4
85. ओधा खीजमतो वगैरे री मोल री बही, इमेज नं. 251
86. जोधपुर ख्यात, भाग–3, पृष्ठ 236
87. जोधपुर ख्यात, भाग–3, पृष्ठ 236–237
88. वही, भाग 3, पृष्ठ 236–237
89. वही, पृष्ठ–37
90. राठौड़ा री ख्यात, पृष्ठ 188
91. राठौड़ा री ख्यात, पृष्ठ 189
92. मूंदीयाड़ ख्यात, पृष्ठ–36–37

# तृतीय अध्याय

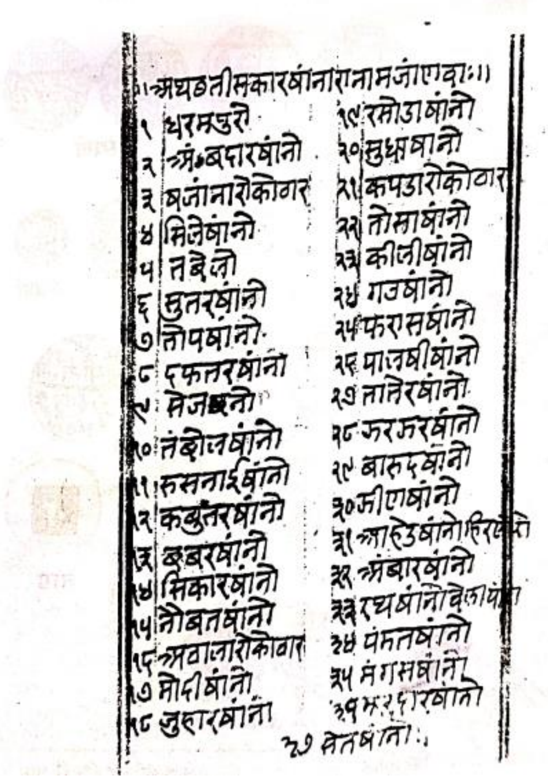
# महाराजा भीमसिंह का प्रशासनिक संगठन एवं प्रशासनिक व्यवस्था

प्राचीन काल से ही न्याय प्रक्रिया प्रशासनिक तंत्र का अभिन्न अंग है। राजा कितना भी शक्तिशाली हो परन्तु उसकी प्रशासनिक व्यवस्था पर उसकी शक्ति निर्भर करती है। राजा अपने न्याय पद्धति से ही महान बनता है।[1]

मारवाड़ की ओहदाबही में प्रशासनिक अधिकारियों का क्रमबंध अध्ययन किया गया है। मारवाड़ में छत्तीस कार्यालय थे। प्रत्येक ओहदेदारों के लिए अपने कार्यालय संबंधी समस्त कार्यो का तत्परता एवं निष्ठा के साथ दायित्व का निर्वाह किया गया है।

**छत्तीस कारखानों की सूची**

राजस्थानी शोध संस्थान, चौपासनी, जोधपुर से प्राप्त ग्रन्थांक-2792 की फोटो कॉपी)


॥अथ छतीस कारखानारा नाम जांणवा॥

| | |
|---|---|
| १ धरमदुरो | १९ रसोडाखानो |
| २ अंबदारखानो | २० सुधाखानो |
| ३ खजांनारो कोठार | २१ कपडारो कोठार |
| ४ सिलेखानो | २२ तोसाखानो |
| ५ तबेलो | २३ कीलीखानो |
| ६ सुतरखानो | २४ गउखानो |
| ७ तोपखानो | २५ फरासखानो |
| ८ दफतरखानो | २६ पालखीखानो |
| ९ सेज[illegible]नो | २७ तातेरखानो |
| १० तंबोलखानो | २८ जरजरखानो |
| ११ रुसनाईखानो | २९ बारुदखानो |
| १२ कबुतरखानो | ३० जीणखानो |
| १३ बबरखानो | ३१ आहेडखानो [illegible] |
| १४ सिकारखानो | ३२ अंबारखानो |
| १५ नोबतखानो | ३३ रथखानो [illegible] |
| १६ अवालारो कोठार | ३४ पंफतखानो |
| १७ मोदीखानो | ३५ मंगसखानो |
| १८ सुतारखानो | ३६ [illegible]खानो |
| | ३७ सेतखानो |

**मारवाड़ में छत्तीस कार्यालयों की सूची**

प्रशासनिक कार्यो का वर्गीकरण विभिन्न विभागों की स्थापना करके और उनके ओहदेदार और सहायक ओहदेदारों की नियुक्ति की जाती थी। जैसे–जैसे राज्य का विस्तार और महाराजा की नियुक्ति होती गई ओहदेदारों के पद व संख्या दोनों ही बदलती गई।

महाराजा का कर्तव्य होता था कि वह अपने राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था बनाये रखे। इसके लिए किले के बाहर व अन्दर सभी प्रकार के कार्यालय व विभाग थे। प्रत्येक विभाग के मुख्य अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी।

मारवाड़ की प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप अठारवीं सदी के उतरार्द्ध तक सुस्पष्ट हो चुका था। समकालीन ख्यातों, वातों, अभिलेखों, सिक्को, परवाने और बहियों आदि स्त्रोतों के अध्ययन से यहाँ की शासन प्रणाली का पर्याप्त ज्ञान होता है। इन्हीं ख्यातों, बहियों से महाराजा भीमसिंह के समय के अनेक ओहदेदारों की जानकारी मिलती है।

## 3.1 प्रशासनिक पदाधिकारी और उनके कार्यः–

प्रशासनिक अधिकारियों के लिए 'ओहदेदार' शब्द प्रयुक्त हुआ है। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का विवेचन–

1. **मुसायबः**– मुसाहिब राजा का प्रमुख सलाहकार होता था।[2] 'मुसाहिब' शब्द अरबी भाषा का हैं। मुसायब को राज–घराने और राज्य की आन्तरिक व बाहरी स्थिति राजनीतिक हलचलों व बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखने का कार्य होता था। मुसायब की सलाह से ही उच्च पदों पर नियुक्तियाँ (जैसे दीवान, बख्शी) की जाती थी। मुसायब पद सृजित करने की आवश्यकता पितृंहता महाराजा बख्तसिंह के समय हुई थी।[3]

   महाराजा भीमसिंह गद्यीनशीन हुए तब मुसायब के पद पर धाय भाई शिभुंदान था। शिभुंदान 1849 वि.स. को मुसायब नियुक्त किया गया और यह महाराजा भीमसिंह के गद्दी पर बैठने के समय साथ में था। वि.स. 1852 को इसे मुसायब के पद से हटा दिया गया।

ओहदाबही में वि.स. 1851 भाद्रपद मास में भडांरी शोभाचंद (पोमसी का पुत्र) को मुसायब के पद पर नियुक्त किया गया। राठौड़ा री ख्यात में वि.स. 1852 में शोभाचंद को मुसायब बनाया गया।

2. **दीवानः**— यह राजा का मंत्री, वजीर होता था। ओहदेदारों में यह पद सर्वोच्च माना गया है। शासन प्रबन्ध में इसकी मुख्य भूमिका रहती थी। इस पद पर अनुभवी, धैर्यवान, ईमानदार सुयोग्य व सुलझे हुए व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी। परगनों के प्रबंध के साथ सुरक्षा का जिम्मा भी इसी का था। सैनिक अभियानों में स्वंय भी भाग लेता था। इसके अधिकार व कर्तव्य सीमित थे। राजनीतिक परिस्थितियाँ बदलने के साथ उसके कार्यो की सीमा में अभिवृद्धि हो जाती थी। दीवान का पद एक ही होता था। परन्तु मुगलों के प्रभाव के कारण तन दीवान का पद सृजित किया गया।

(1) देश दीवान

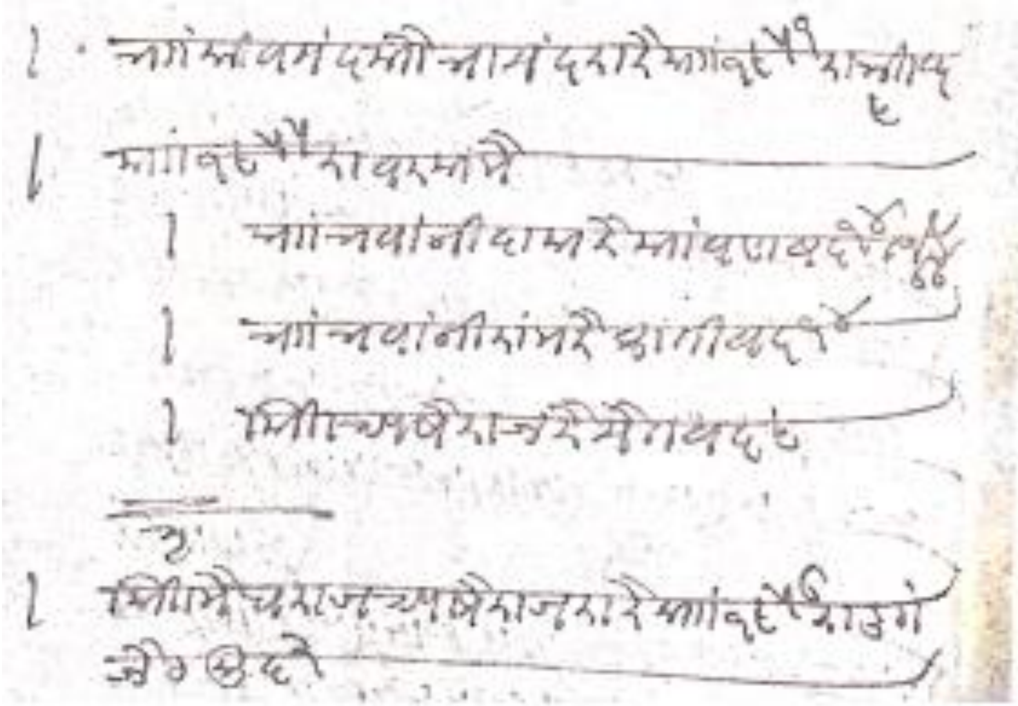
(2) तन दीवान

वि.स 1850 (1793 ई.) में महाराजा विजयसिंह की मृत्यु के बाद भीमसिंह शासन बना तब भंड़ारी भानीदास दीवान था। वि.स. 1852 (1795 ई) में भंडारी शिवचंद (शोभचंद का पुत्र) को दीवान नियुक्त किया गया।[4] वि. स. 1853 में सिंघवी जोधराज को दीवान नियुक्त किया गया।

वि.स. 1854 अश्विन सूदि 14 को यह कार्य सिंघवी नवल राज को सौंपा गया। वि.स. 1855 श्रावण वदि 6 को इसकी नियुक्ति की गई। ओहदाबही में वि.स. 1855 कार्तिक वदि 9 को दीवान का पद खालसा कर दिया गया। वि.स. 1856 वैशाख सुदि 11 को मुहणोत सिरदारमल सवाईराम सूरतरामोत को दीवान नियुक्त किया गया। राठौड़ा री ख्यात में वि.स. 1855 में मुहणोत सिरदारमल को दीवान का कार्य भार सौंपने का उल्लेख मिलता है। वि.स. 1858 अश्विन सुदि 3 को जोधराज को दीवान बनाया गया। वि.स. 1859 भाद्रपद वदि 2 को जोधराज की मृत्यू हो गई। वि.स. 1859 में गोपालदास को यह कार्य सौंपा गया।

ओहदाबही में गोपालदास के बाद भंडारी गंगाराम को वि.स. 1860 मार्गशीर्ष वदि 7 को दीवान नियुक्त करने का उल्लेख है। ओहदाबही से ही पता चलता है कि वि.स. 1860 जेठ वदि 4 में मोहनोत ग्यानमल को दीवान का पद दिया गया।

3. **बख्शोः**– (सेना का प्रमुख अधिकारी) बख्शी का पद विभिन्न सरदारों की पीढ़ीयों से चला आ रहा था। सैनिक सेवाओं उनके ठिकानों, भोमियो की सेवाओं और साथ ही घोड़ो की नस्लों, विभिन्न अस्त्रो–शस्त्रों, वस्त्र परिधानों के अतिरिक्त दुर्गम मार्गो का ज्ञान होना, सैनिको की पहचान होना आदि योग्यता का होना चाहिए। कर्मचारियों का वेतन भी बख्शी के द्वारा दिया जाता था। यह सेना का प्रमुख अधिकारी था और साथ ही वेतन का वितरण भी करता था।



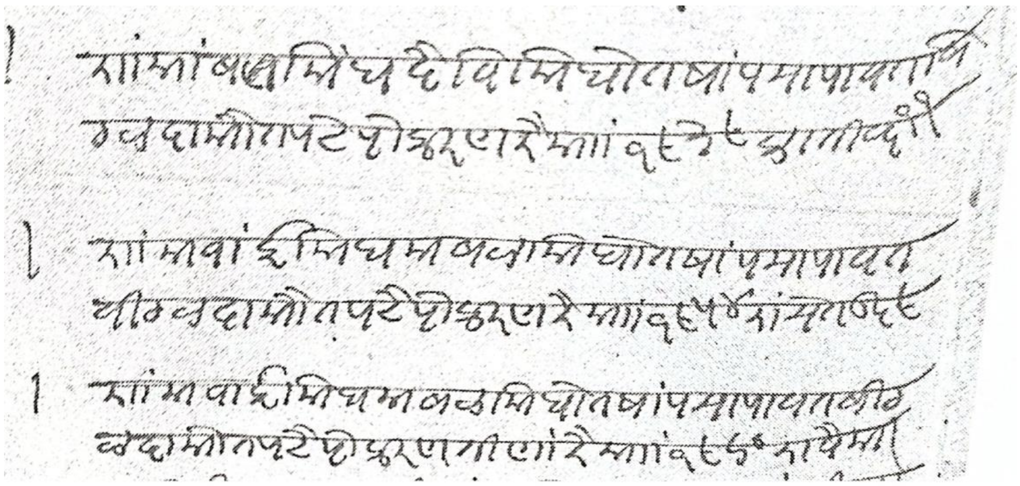
**बख्शी**

महाराजा भीमसिंह के राज्यारोहण के समय (20 जुलाई 1793) में अखैराज बख्शी के पद पर था। वि.स. 1851 मार्गशीर्ष वदि 8 में शिवचंद शोभाचंद को बख्शी का पद दिया गया जो वि.स. 1855 तक रहा।[5] 1797 ई. में पुनः अखैराज को बख्शी का पद सौंपा गया। 1798 ई. सावन वदि 14 को

भंडारी भवानी दास को बख्शी बनाया गया। कार्तिक वदि 14 को भंडारी भवानीराम को बख्शी का पद सौंपा गया। 1798 ई. चैत्र वदि 8 को सिंघवी अखैराज को बख्शी का पद सौंपा गया।[6]

भीमसिंह की मृत्यू से पूर्व अखैराज का पुत्र मेघराज को बख्शी का पद मिला परन्तु कार्य सिंघवी इन्द्रराज करता था।[7]

4. **परधानगी (प्रधान)**:– (प्रमुख व सर्वश्रेष्ठ)[8] प्रधान मुख्यतः ठिकानेदारों और उमरावों में सर्वोपरि होने के साथ ओहदेदारों में यह सर्वाधिक सम्मान का अधिकारी था। महाराजा के उतराधिकारी का निर्णय करने में प्रधान की प्रमुख भूमिका होती थी। वह उमरावों के परामर्शनुसार उतराधिकारी आदि राजघराने की घरेलू समस्यायों का समाधान करता था। राजनीतिक गतिविधियों मे सक्रिय भूमिका निभाता तथा ठिकानेदारों और ओहदेदारों पर नियंत्रण रखते हुए राज्य का समूचा कार्य सुचारू रूप संचालन करने का दायित्व कर निर्वाह भी करता था। प्रधान पर राज्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी। राज्य की सुरक्षा व राज्याहित के हर संभव प्रयास प्रधान ही करता था। ओहदेंदारों को स्थायी रूप से कोई जागीर नही मिलती वही प्रधान को ठिकानेदारों की भांति वंशानुगत बड़ी जागीर प्राप्त होती थी। प्रारम्भ में प्रधान भिन्न–भिन्न जाति के रहे उसमें राठौड़ो की बहुलता रही यह पद वंशानुगत था।



**परधानगी**

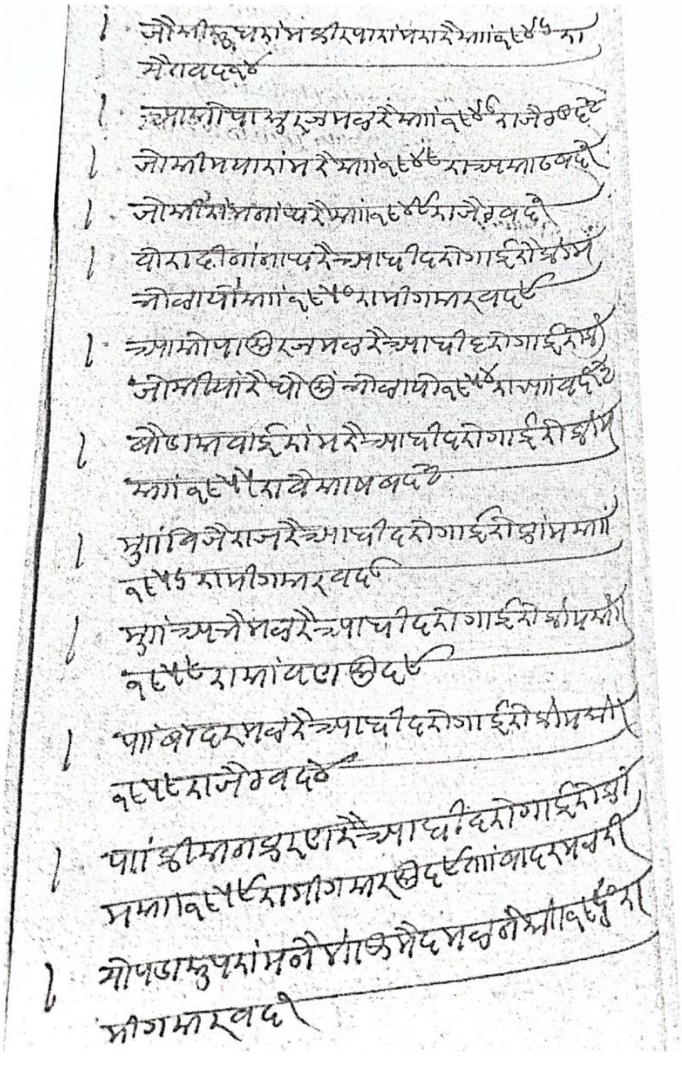
वि.स.1854 चैत्र सूद 8 को महाराजा भीमसिंह ने सवाई सिंह को विधिवत प्रधान नियुक्त किया।[9] भीमसिंह की मृत्यु वि.स. 1860 कार्तिक सूदि 5 को हुई तब तक सवाई सिंह ही प्रधान रहा। मानसिंह के गद्दी पर बैठने पर भी प्रधान सवाई सिंह ही रहा।

5. **गढ़ जोधपुर किलेदारः**– (किले का अधिकारी) किले की सुरक्षा के दायित्व के साथ किलेदार किले की सुवव्यस्था के लिए जिम्मेदार माना जाता था। युद्ध और शांति दोनो स्थितियों में उसे आगे रहना पड़ता था। किले के बाहर व अदंर दोनो तरफ ही उसे नजर रखनी पड़ती थी। वह ठिकानेदारों, मुत्सधियों, खास–पासवान से परिचित होने के साथ परम्परागत रीति–रिवाजो की जानकारी रखता था। किले के अस्त्रों–शस्त्रों की देखभाल करना उसका कर्तव्य था। इस पद पर एक विश्वसनीय आत्मनिर्भर और निर्भर होकर अपने विवके से कार्य करने वाले को नियुक्त किया जाता था।[10]

महाराजा भीमसिंह ने जब वि.स. 1849 में किले पर महाराजा विजयसिंह की अनुपस्थिति में अधिकार किया तो धायभाई शिंभुदान था। वि. स. 1850 में जब महाराजा विजयसिंह की मृत्यु हो गई तो किलेदार खीची सुरता था। वि.स. 1855 अश्विन वदि 12 तक खीची सुरता ही रहा। वि.स. 1857 जेठ सूद 7 को खीची कला को नियुक्त किया गया वि.स. 1860 जेठ वदि 3 को खीचाी चैना को नियुक्त किया गया।

6. **गढ़ जोधपुर किले मुसरफः**– (किले का लेखाअधिकारी) किले का मुसरफ एक तरह से किलेदार का सहायक और लेखा सम्बन्धी दायित्व का निर्वाह करता था। किलेदार की अनुपस्थिति में गढ़ की व्यवस्था का कार्य मुसरफ ही करता था। किले की सुरक्षा का दायित्व किलेदार का ही होता था। इसलिए मुसरफ का उल्लेख कम ही मिलता है। वि.स. 1850 चैत्र वदि 4 को भीमसिंह ने मुसरफ का कार्यभार दवे जगनेश्वर को सौंपा गया। वि.स. 1860 तक दवे जगनेश्वर के ही मुसरफ होने का उल्लेख है। वि.स. 1860 वैशाख वदि 3 को पंचाली ईदरभागे को इस पद पर नियुक्त किया गया।[11]

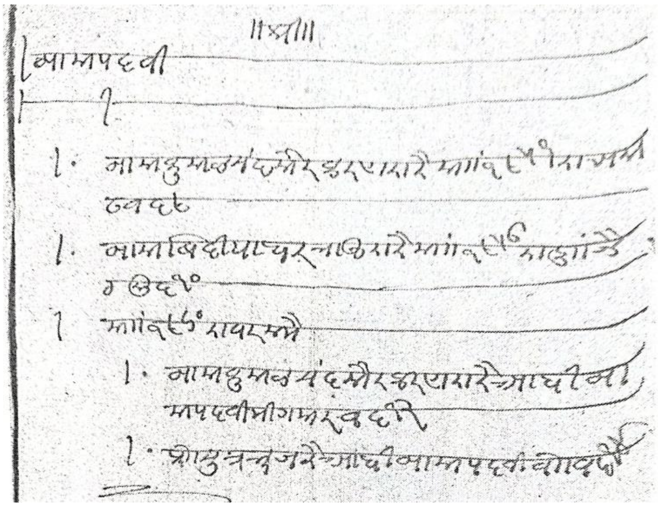
**7. श्री हजुर री दफ्तर री दरौगाई:**– (महाराजा के कार्यालय का मुख्य अधिकारी) महाराजा के कार्यालय का मुख्य अधिकारी 'दफ्तर का दरोगा' कहलाता था। कार्यालय का सम्पूर्ण कार्य महाराजा के आदेश और दरोगे की देखरेख में होता था। राज्य के उच्च अधिकारियों की गतिविधियों और उपलब्धियों की सुचनाएँ इस कार्यालय में समय–समय पर होती रहती थी। इसके आधार पर ही पदोन्नति, ओहदेदारों में परिवर्तन पदच्यूत आदि के आदेश जारी किये जाते थे। इसके साथ ही जगीरदारों के गांव का आकलन भी समय–समय पर होता रहता था। युद्ध और संधि समझौतो के बारे में लिए गये निर्णय की घोषणाएँ यहाँ से जारी होती थी। इस पद पर सुयोग्य विश्वासपात्र और अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था।



**श्री हजुर री दफ्तर री दरौगाई**

महाराजा भीमसिंह जब सिंहासनासीन हुए तब वि.स. 1849 (1792 ई.) जेठ वदि 2 में जोशी रामनाथ इस पद पर था। बोरा दीनानाथ को आधे कार्यालय का काम सौंपा गया। वि.स. 1850 (1793 ई.) मीगसर वदि 9 को आसोपा सूरजमल को यह काम दिया गया जो वि.स. 1854 (1797 ई.) सावन वदि 13 तक रहा। वि.स. 1855 (1798 ई.) को सवाईराम को मुख्य अधिकारी के पद पर रखा गया। मुहणोत विजेराज को वि.स. 1856 (1799 ई.) सावन सूद 9 को दरोगाई का कार्य सौंपा गया। पंचाली बादरमल वि.स. 1859 (1802 ई) जेठ वदि 4 को दरोगाई दी गई। पंचाली किसनकरण को वि.स. 1859 (1802 ई.) मीगसर सूद 9 को दरोगाई सौपी गई। चौपड़ा रूपाराम व उम्मेदमल को वि.स. 1860 (1803 ई.) मीगसर वदि 1 को दरोगाई सौंपी गई।[12]

8. **व्यास पदवी**:— (ब्राहाण विशेष) वेद की रचना करने वाले व्यास कहलाते थे। कथा वाचक ब्राहण को व्यास कहकर पुकारने लगे। धार्मिक कथाओं और आचरणों का ज्ञान कराने के लिए राजा द्वारा ब्राहाणों में से सुयोग्य व्यक्ति को राजघराने का 'व्यास' बनने की परम्परा का प्रादुर्भाव हुआ और 'व्यास' की पदवी दी जाने लगी। कालान्तर में ब्राहाणों की एक शाखा के रूप में इसका विकास हुआ। राजघराने के सगाई—संबधी के अलावा विरोधी शक्तियों का दमन करने का दायित्व भी इन्हें सौंपा गया।



**व्यास पदवी**

महाराजा भीमसिंह ने वि.स. 1851 (1794 ई.) आषाढ़ वदि 8 को कुसलचंद सेरजी को व्यास की पदवी के साथ सिरोपाव मोती कड़ा और पालखी प्रदान कर उसका सम्मान किया। वि.स. 1857 (1800 ई.) जेठ सूद 10 को बिदिया धर भाऊ को व्यास का पद दिया गया। ओहदाबही में वि.स. 1860 (1803 ई) में कुशलचंद और प्रोहित चत्रभुज को आधी–आधी पदवी देने और वि.स. 1852 कार्तिक सूदि को चत्रभुज को व्यास की पूरी पदवी मिलने का उल्लेख बही में मिलता है। वि.स. 1860 (1803 ई.) में सारी व्यास पदवी चत्रभुज की हो गई थी।[13]

9. **मरदानी दोढ़ी दरोगा (दोढीदार)**:– (मरदानी डयोढी का मुख्य अधिकारी) डयोढ़ीदार शब्द डयोढी अर्थात् द्वार से बना है। महाराजा के महलों के मुख्य द्वार के निकट अपने कक्ष में यह सदा उपस्थित रहता था। उसकी आज्ञा के बिना कोई व्यक्ति महाराजा से मिल नही सकता था। महाराजा की दिनचर्या और सुविधा को ध्यान मे रखते हुए मिलने का समय सुनिश्चित करता था। महाराजा से किस व्यक्ति को कब मिलाना उचित है अथवा नही इसका निर्णय वह अपने विवेक से करता था। आवश्यक होता तो वह महाराजा से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करता था। अतः उसे ओहदेदारों, मुत्सद्दियों और ठिकानेदारों के बारे में पूर्ण जानकारी होना आवश्यक होता था। वह एक प्रकार से महाराजा के रक्षक की भूमिका निभाता था। डयोढीदार के लिए कुरब–कायदों के बारे में जानकारी होना भी अपरिहार्य था। इस पद पर स्वामी भक्त निष्ठावान सुयोग्य और परम्परागत अनुभवी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी।

ओहदाबही में महाराजा भीमसिंह के समय डयोढीदार का उल्लेख वि.स. 1856 (1799 ई.) से मिलता है। महल और रनिवास की सुरक्षा के लिए डयोढीदार तो प्रारम्भ से ही नियुक्त थे तथापि ख्यात ग्रंथों में राजा सूरसिंह के समय प्रधान गोयद दास भाटी द्वारा सोभावत श्यामसिंह को डयोढीदार नियुक्त करने का उल्लेख है।[14]

**10.पुरोहित (राजगुरू):–** यज्ञ–अनुष्ठान और संस्कार विषयक कार्य सम्पन्न करने वाला ब्राह्मण 'पुरोहित' कहलाता था। जन्म से लेकर मृत्यू तक जुड़े परम्परागत रीति–रिवाज सम्पन्न कराने में पुरोहित का ही योगदान था। पुरोहित को सारी–सुविधायें दी जाती थी। कार्य अनवरत सुचारू रूप से सम्पादित होने पर यह 'पुरोहिताई' का पद वंशानुगत चलता रहता था। जोधपुर राजघराने के पुरोहित को तिवंरी गाँव पट्टे में मिला हुआ था और यह पद वंशानुगत ही रहा।

महाराजा भीमसिंह के समय प्रोहित हरजीवन[15] और नथमल का विवरण ग्रन्थों में मिलता है।

**11.जनानी डयोढी उवाकानवेसः– (रनिवास डयोढी का गुप्तचर)** महाराजा रनिवास में अनेक रानियां, पासवान, गायणियाँ व वेगाणियाँ होती थी इनकी सुव्यवस्था हेतु पृथक विभाग की स्थापना की गई जो जनाना डयोढी कहलाता था। इनकी देखरेख व प्रबन्ध हेतु दरोगा और उवाकानवेस दो मुख्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। उवाकानवेस एक प्रकार से गुप्तचर होता था। वे रानियों के अलावा अन्य स्त्रियों की गतिविधियों पर गुप्त रूप से नजर रखते थे। अगर उनसे जरा भी चूक हो जाती तो उनको मृत्यूदंड दिया जाता था।[16] रानियों के परस्पर तालमेल, धाय द्वारा बच्चों का लालन–पालन आदि क्रिया कलापों की जानकारी उवाकानवेस लेता था।

विजयसिंह की मृत्यु हुई तब वि.स. 1849 (1792 ई.) उवाकानवेस के पद पर अनोपचंद था। भीमसिंह में वि.स. 1853 वैशाख वदि 3 को आचारज इछाराम को नियुक्त किया। वि.स. 1855 वैशाख वदि 3 को गोकल चंद को नियुक्त किया गया। वि.स. 1860 मार्गशीर्ष 1 को कला गुमानचंद को इस पद पर नियुक्त किया गया।

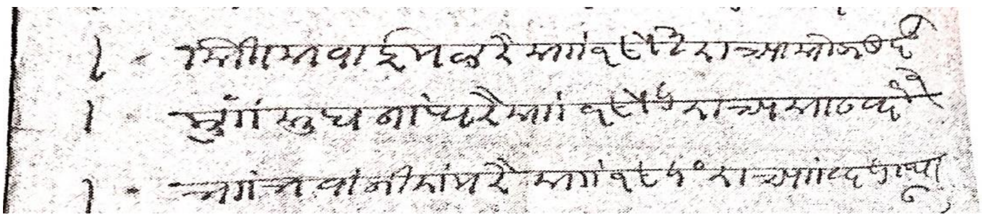
**12.जनाना डयोढी दरोगाः–** दरोगा इस विभाग का मुख्य होता था। रनिवास के प्रबन्ध का सम्पूर्ण जिम्मा दरोगा का होता था। रानियों के रहने, खाने,

वेशभूषा, बाहर ले जाने व लाने की व्यवस्था, रानियों के खर्च का प्रबंध करना आदि सभी प्रकार के कार्यो का निर्वाह दरोगा के द्वारा ही किया जाता था।

ओहदाबादी (वि.स. 1859—1939) मे महाराजा भीमसिंह के समय वि.स. 1859 कार्तिक वदी 15 में नाजर रामदास को जनानी डयोढी दरोगा नियुक्त करने का उल्लेख मिलता है।[17]

13.**अन रै काठार खानसंमा दरोगाः**— (अन्न के भंडार का मुख्य अधिकारी) गृह प्रबन्ध के दायित्व का निर्वाह करता था। खानसमां से तात्पर्य खाने की वस्तुएँ अर्थात् खाद्य सामग्री से रहा है। यह खाद्य सामग्री की खरीद और आवश्यकतानुसार इसकी पूर्ति करता था। फसल की पैदावर के समय किफायत से अन्न खरीदना साफ कर उसके रखने की व्यवस्था करना, तेल, धृत, मिर्च, मसाले आदि खाद्य सामग्री का प्रबन्ध उसकी देखरेख में होता था।[18] राजघराने के घरेलू अवसरों पर खाद्य सामग्री की पूर्ति अन्न के कोठार से की जाती थी।

महाराजा भीमसिंह के समय वि.स.1853 (1796 ई.) आषाढ़ सूदि 7 को सिंघवी सवाईराम, वि.स. 1856 (1799 ई.) आषाढ़ वदि 12 को मुहणोत रूघनाथ इस पद पर रहे।[19] वि.स. 1860 आषाढ़ वदि 6 को भंडारी भवानी राम को इस पद पर नियुक्त किया गया।

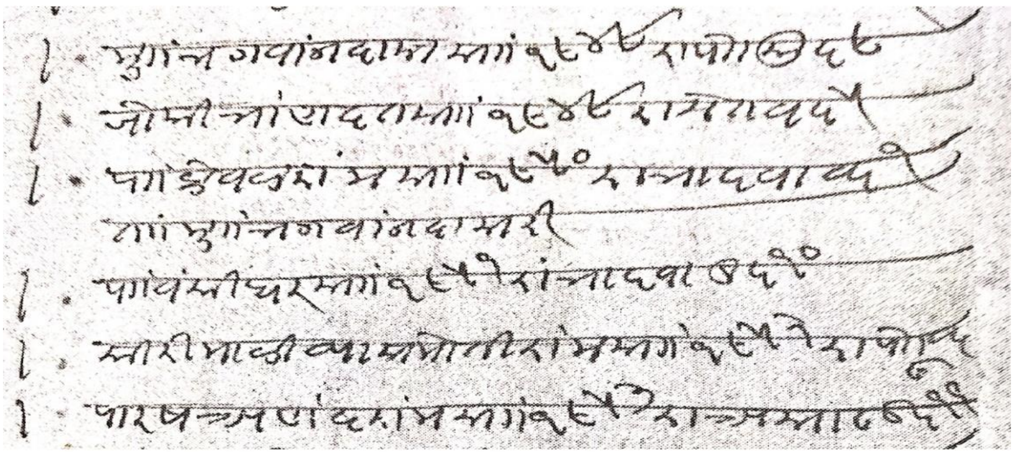


**अन रै कौठार खानसंमा दरोगा**

14. **अन्न रे कोठार पोतदारः**— (अन्न के भंडार का हिसाब रखने वाला कर्मचारी—खंजाची) खाद्य सामग्री के भंडार का लेखा जोखा रखने वाला तथा आय व्यय का हिसाब रखने का दायित्व यही रखता था तथा रोज का हिसाब बहीं मे यही अंकित करता था।

महाराजा भीमसिंह के समय वि.स. 1849 (1792 ई.) वैशाख सुदि 3 को पोतदार जोगी कुशलचंद था। भीमसिंह ने वि.स. 1850 (1793 ई.) मीगसर सूदि 2 को कला माणक चंद को पोतदार के पद पर नियुक्ति दी गई। वि.स. 1853 (1796 ई.) चैत्र वदि 10 को माहाराम व्यास था। वि.स. 1855 (1798 ई.) वदि 3 को नथू व्यास, वि.स. 1858 (1801 ई.) पौष वदि 8 को हर सुख व्यास को, वि.स. 1860 (1803 ई.) भाद्रपद सूदि 8 को नथू व्यास, व वि.स. 1860 (1803 ई.) माघ वदि 11 को प्रोहित जेकिशन को इस पद पर नियुक्त किया गया।[20]

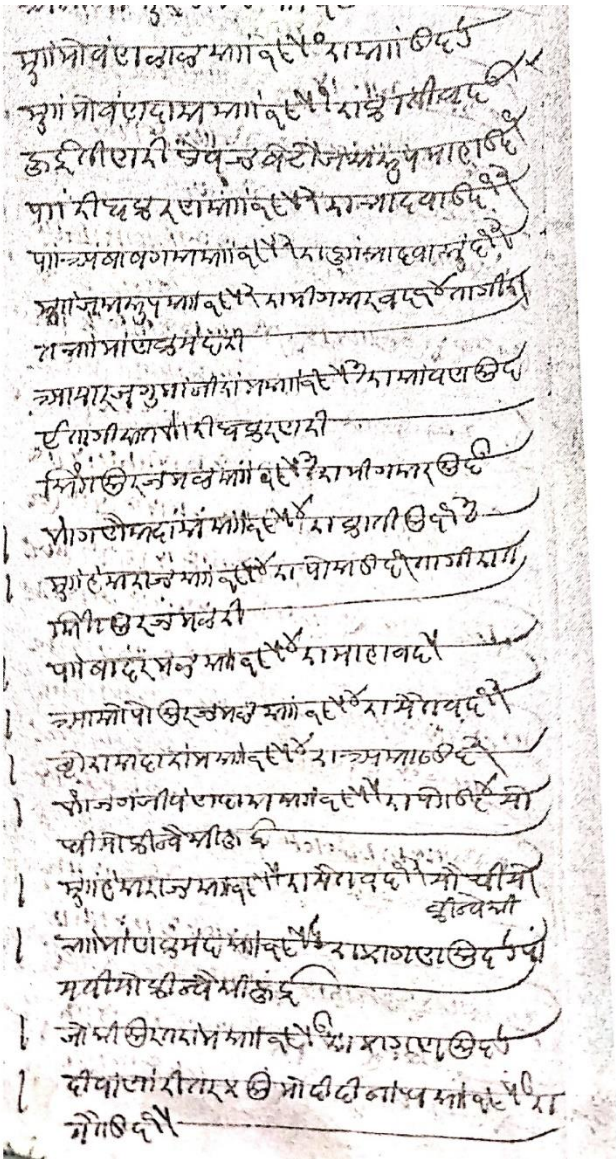
**15.प्याद बख्शीः—** (गैर सैनिक कर्मचारियों की सेवाओं एवं रोजगार का आकलन करने वाला अधिकारी) प्याद से तात्पर्य पैदल से है। प्याद बख्शी गैर सैनिक कर्मियों का एक ऐसा अधिकारी था जो मुत्सद्दियों और हलकारों आदि कर्मियों के कार्यो का आकलन करता और उनके वेतन का भुगतान करता था।[21] आवश्यक पड़ने पर संधि—समझौते आदि राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका भी निभाता था।



**प्याद बख्शी**

महाराजा भीमसिंह के समय वि.स. 1849 (1792 ई.) चैत्र वदि 5 को जोशी भाणदत, वि.स. 1850 (1793 ई.) भाद्रपद वदि 1 को पंचाली केवलराम, वि.स. 1851 (1794 ई.) भाद्रपद वदि 10 को पंचाली बंशीधर, वि.स. 1852 (1795 ई.) पौष वदि 7 को श्रीमाली व्यास मोतीराम तथा वि.स 1853 (1796 ई.) आषाढ़ वदि 11 को पारख अणदराम को नियुक्त किया गया।[22]

**16.चौकीनवेसः— (पुलिस चौकी का अधिकारी):—** चौकीनवेस कार्यालय का पुरा हिसाब रखा जाता था वही गढ़ मे लाने ले जाने की वस्तुओं का ब्यौरा भी लिखा जाता था। चौकीनवेस एक प्रकार से चौकसी के कार्य का निर्वाह करता था। ओहदाबही की सूची में (वि.स. 1820—1892) में 49 बार नियुक्त किये गये चौकनीवेस अधिकारियों के नाम अंकित है। भीमसिंह के कार्यालय में विभिन्न—विभिन्न समय में कई चौकनीवेस की नियुक्ति की गई।[23]



**चौकीनवेस**

महाराजा भीमसिंह के समय वि.स. 1850 (1793 ई.) सावण सूद 6 को मुहणोत मोवण लाल, वि.स. 1851 (1794 ई.) कार्तिक वदि 7 को मुहणोत

मोवण दास व इनका बेटा जसरूप को माघ वदि 12 को नियुक्त किया। वि.स. 1852 (1795 ई.) भाद्रपद वदि 12 को पंचोली रीधकरण, वि.स. 1852 (1795 ई.) भाद्रपद वदि 12 को पंचाली अबाबगस, वि.स. 1852 (1795 ई.) मार्गशीष वदि 14 को मुहणोत जसरूप और भंडारी माणकचंद, वि.स. 1853 (1796 ई.) सावण सुदी 9 को आचारज गुमानी राम व रीधकरण को, वि.स. 1853 (1796 ई.) मार्गशीर्ष सूदि 7 को सिघंवी सूरजमल, वि.स. 1854 (1797 ई.) कार्तिक सूदि 13 को मुहणोत गणेशदास, वि.स. 1854 (1797 ई.) पौष सूदि 1 को मुहणोत हंसराज और फिर सिघंवी सूरजमल को नियुक्त किया। वि.स. 1854 (1797 ई.) माघ वदि 5 को पंचौली बादरमल, वि.स. 1854 (1797 ई.) चैत्र वदि 12 को आसोपा सूरजमल, वि.स. 1854 (1797 ई.) आषाढ़ सूदि 2 को बोहरा सदाराम, वि.स. 1855 (1798 ई.) पौष वदि को पंचौली जगजीवन दास, वि.स. 1855 (1798) चैत्र वदि 12 मुहणोत हंसराज को चौथी चौकी में नियुक्त किया गया। वि.स. 1856 (1799 ई.) फागण सूदि 6 भंडारी माणकचंद को पांचवी चौकी पर लगाया गया। वि.स. 1857 (1800 ई.) फाल्गुन सूदि 6 को जोशी सूरतराम, वि.स. 1857 (1800 ई.) चैत्र सूदि 15 को दीवान की तरफ से मोदी दीनाथ, वि.स. 1858 (1801 ई.) भाद्रपद सूदि 12 को मोहणोत हुकमचंद, वि.स. 1858 (1801 ई.) जेठ वदि 4 को पंचाली फतेकरण, वि.स. 1860 (1803 ई.) पौष सूदि 2 को मुहणोत जेठमल को, वि.स. 1860 जेठ वदि 8 को पंचाली रीधकरण को, वि.स. 1860 (1803 ई.) जेठ वदि 10 को दीवान की तरफ से पंचाली जगजीवन को नियुक्त किया गया। वि.स 1860 (1803 ई.) आसोज वदि 15 को आसोपा सूरजमल को नियुक्त किया गया।[24]

17. **तबेले घोड़ा रै मुसरफः— (अश्वशाला का लेखा अधिकारी)[25]** राज परिवार में घुड़सवारी हेतु अच्छी किस्म के घोड़े रखे जाते थें, जिनकी देखभाल की व्यव्स्था अश्वशाला में होती थी। युद्ध और शांति के समय जब भी सवारी की जरूरत होती तो अश्वशाला से ही पूर्ति की जाती थी। अश्वशाला में घोड़े—घोड़ियों के रख—रखाव, खान—पान व बीमार होने पर

इलाज आदि प्रकार की व्यवस्था होती थी। अश्वशाला का मुख्य अधिकारी दरोगा होता जो घोड़ो के बारे में अच्छी जानकारी रखता था।

महाराजा भीमसिंह के समय वि.स. 1849 (1792 ई.) माघ वदि 12 को आसोपा नाहार अश्वशाला का लेखा अधिकारी था। वि.स. 1850 (1793 ई.) सावण वदि 13 को व्यास सूरत राम, वि.स. 1851 (1794 ई.) सावण वदि 7 को आसोपा अजतराम, वि.स. 1852 (1795 ई.) को व्यास रूपराम, वि.स. 1852 (1795 ई.) सावण सूद 10 को व्यास जगनाथ, वि.स. 1855 (1798 ई.) वदि 13 को लोढा विसन राम, वि.स. 1860 (1803) भाद्रपद वदि 15 को दवे श्यामा को इस पद पर नियुक्त किया गया।[26]

18. **सांढिया रो कारखानोंः– (मादा उष्टशाला मुशरफ)** इस पद पर विशेषतः धांधल राठौड़ो की नियुक्ति की जाती थी। इसके अलावा खीचीं, चौहान, सोभावत, पठान और चारण जाति के लोगो की नियुक्तियों का उल्लेख हुआ है। दरोगा इस विभाग का मुख्य अधिकारी होता था उसे मादा ऊँटो के प्रजनन के अलावा बच्चों (तोडियों) का विशेष ख्याल रखना पड़ता था। सांढीयों की खरीद और आवश्यकता पड़ने पर सांढीयो के उपलब्ध कराने का दायित्व उसी का होता था।

महाराजा भीमसिंह के समय वि.स. 1850 (1793 ई.) वैशाख वदि 9 को पंचाली माणकचंद, वि.स. 1856 (1797 ई.) फाल्गुन वदि 1 को सेवग मोवण लाल, वि.स. 1858 (1801 ई.) वैशाख वदि 10 को मुहणोत मलुकचंद को नियुक्त किया।[27]

19. **सुतर खाना दरोगाः– (उष्टशाला का मुख्य अधिकारी)** सुतर खाना का तात्पर्य नर उष्टशाला से है। इस पद पर मुख्य रूप से खींची चौहानो की नियुक्ति की जाती थी। उँटो के रखःरखाव के साथ उन्हे सवारी के लिए तैयार करना तथा दौड़ आदि का अभ्यास करना इन सबकी जिम्मेदारी दरोगा की थी। माल ढोने और यात्रा करने के लिए जरूरत के अनुसार सूरतखाने से ऊँट उपलब्ध कराये जाते थे।

महाराजा भीमसिंह ने वि.स. 1852 भाद्रपद वदि 4 को खीचीं दमा की नियुक्ति इस पद पर की।[28]

20. **सुतरखाने मुसरफः– (उष्टशाला का लेखाअधिकारी)** इस पद पर ओसवाल, ब्राहाण आदि विविध जाति के लोगो की नियुक्ति की जाती थी। ऊँटो की खरीद करना, प्रत्येक ऊँट का परिचय (उम्र, शरीर के अंग का निशान विशेष, रंग आदि) और खर्च आदि का लेखा जोखा मुसरफ रखता था।

महाराजा भीमसिंह ने वि.स 1850 (1793 ई.) भाद्रपद वदि 6 को पंचाली देवकरण की नियुक्ति की गई। वि.स. 1855 को भाद्रपद वदि 4 को वीसो गोरधन की नियुक्ति की गई।

21. **तोपखाने मुसरफः–** (तोपखाने का लेखा अधिकारी) तोपखाने का हिसाब मुसरफ की देखरेख में रहता था मुसरफ की सूचि वि.स. 1824 से वि.स. 1850 तक है। मुख्यतः ब्राहाण और  ओसवाल इस पद पर रहे। महाराजा भीमसिंह ने वि.स. 1849 (1792 ई.) कार्तिक वदि 9 को आसोपा सरूपचंद को व वि.स. 1850 (1793 ई) मार्गशीर्ष वदि 5 को भंडारी बिढ़लदास को इस पर नियुक्त किया गया।

22. **खासे खजाने दरोगाः– (राजकोश का मुख्य अधिकारी)** यह राजकोष का मुख्य अधिकारी होता था। खासे खजाना एक प्रकार से बैंक की तरह होता था जिसमें विभिन्न धातुओं के सिक्कों का सग्रंह किया जाता था। आवश्यकता पड़ने पर इस मुद्रा से इस विभाग का विशेष महत्व था। मुद्रा का संग्रह होने के कारण ईमानदार व्यक्ति की नियुक्ति दरोगा पद पर की जाती थी। मुख्यतः ब्राहाणों को ही कार्य सौंपा जाता था।

महाराजा भीमसिंह ने वि.स. 1854 जेठ वदि 11 को बोरा ईछाराम को, वि.स. 1858 मार्गशीर्ष वदि 7 को छंगाणी पन्ना लाल, वि.स. 1860 फाल्गुन वदि 8 को व्यास गोरधन को नियुक्त किया गया।[29]

**23.खासे खजाने पोतदारः— (राजकोश का खजांची)** दरोगा के साथ पोतदार अर्थात् खजांची का विशेष महत्व होता है। मुद्रा के संग्रह की सुरक्षा का दायित्व का जहां पर निर्वाह करता वही सभी प्रकार क हिसाब वह रखता था। वह बही में मुद्रा का लेखा—जोखा रखता था। रोजाना दरोगा उस पर हस्ताक्षर करता और समय—समय पर महाराजा को इसकी जानकारी दी जाती थी। इस पर पर विभिन्न शाखा के ब्राहाणों (हर्ष, उपाध्याय, जोशी, व्यास, बोहरा) की नियुक्तियाँ किये जाने का उल्लेख हुआ है।

महाराजा भीमसिंह ने वि.स. 1849 आसोज वदि 15 को व्यास सूरजमल, वि.स. 1852 चैत्र वदि 4 को जोशी मीठालाल, वि.स. 1855 वैशाख वदि 3 को जोशी मगदत को, वि.स. 1856 पोष वदि 6 को बोरा उदेराम को इस पद पर नियुक्त किया।

**24.खेमारे कारखाने दरोगाः— (तम्बू—निर्माण भाला का मुख्य अधिकारी)** युद्ध अभियानो और यात्राओं में शामियाने (तम्बू) की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा शिविर लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। खेमा के कारखाने में जहाँ तम्बू संबधी सभी वस्तुओं का निर्माण का कार्य किया जाता वही फरासखाने में इन वस्तुओं का संग्रह रहता था। रोजाना काम आने वाली सभी वस्तुओं का जिम्मा इस विभाग का होता था और इन वस्तुओं के निर्माण का कार्य दरोगा की देख—रेख में होता था।

महाराजा भीमसिंह ने वि.स. 1849 फाल्गुन वदि 9 को हरस कुसाली राम को व 1850 मीगसर वदि 6 को व्यास बेजनाथ को इस पद पर नियुक्त किया।[30]

**25.कमठों कली रो कोठार दरोगाः— (चुना आदि भवन निर्माण व्यवस्था का कार्यालय अधिकारी)** राज्य की ओर से भवन निर्माण का कार्य निरंतर होता रहता था। इसके लिए मुख्य रूप से चुने (कली) की आवश्यकता होती थी। इसके लिए मुडिया पत्थरों को भट्टो में जला कर चुना तैयार किया जाता अनन्तर एक जगह इसका संग्रह किया जाता था और जहाँ कही भवन

निर्माण कार्य चलता वहाँ आवश्यकतानुसार चुना उपलब्ध कराया जाता था। मुख्य दरोगा की देखरेख में सारा कार्य होता और चुना कोठार से सुलभ कराया जाता था।

महाराजा भीमसिंह ने वि.स. 1850 सावण वदि 13 को व्यास सवाई राम वि.स. 1853 सावण वदि 4 को व्यास सूरतराम, वि.स. 1855 माघ वदि 9 को किरायत नथू को व वि.स. 1860 सावण वदि 13 को भंडारी दौलताराम को इस पद पर नियुक्त किया गया।[31]

26.**कमठे कली रो कोठार पोतदार (लेखापाल)**:– हिसाब रखने के लिए पोतदार (लेखापाल) नियुक्त किया जाता था। एक ओसवाल को छोड़कर सभी ब्राह्मण जाति के रहे।

महाराजा भीमसिंह के समय में वि.स. 1849 फाल्गुन सूदि 1 को विसो रामराय को नियुक्त किया गया तथा वि.स. 1852 माघ सूदि 15 को व्यास बाणारसी को व वि.स. 1858 पोष वदि को व्यास किसनराम को नियुक्त किया गया।[32]

27.**फरासखानों दरोगा**:– **(शामिया नागार का मुख्य अधिकारी)** खेमा के कारखाने में जहाँ शामियाने तथा उससे संबधित वस्तुओं का निर्माण किया जाता वही फरासखानों में इसका संग्रह रहता था। और आवश्यकतानुसार इसी विभाग में से छोटे–बड़ें तथा विभिन्न रंगो और अनेक प्रकार के तम्बूओं के अलावा प्रयोग में आने वाली सामग्री की पूर्ति की जाती थी। दरोगा इस विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। फरासखाने की बही में इसकी सम्पूर्ण जानकारी मिलती है।

महाराजा भीमसिंह ने वि.स. 1851 पौष वदि 6 को अंगोलिया देईदास को इस पद पर नियुक्त किया तथा वि.स. 1852 पौष वदि 5 को खीची उदेराम, वि.स. 1852 जेठ सूद 9 को बोहरा दीनानथ को नियुक्त किया। वि. स. 1854 फाल्गुन सूद 14 को खीचीं मेघों व वि.स. 1854 आषाढ़ वदि 11

को नाजर मगनीराम, वि.स. 1856 जेठ वदि 6 को खीची डूंगरसिंह, वि.स. 1860 भाद्रपद वदि 1 को आंगोलियो नगो को नियुक्त किया।[33]

**28.फरासखाने मुसरफः– (शामियानागार का लेखाधिकार)** फरासखाने में इस पद का अभाव था। मुसरफ की सूची (वि.स. 1829– वि.स. 1881) मे 9 नाम दिये गये है जो पंचोली और ब्राह्मण जाति के रहे है।

भीमसिंह ने इस पद पर वि.स. 1850 भाद्रपद सूदि 9 को पंचाली फतेराम को नियुक्त किया। वि.स. 1855 वैशाख वदि 5 को आचारज गुमानीराम को. वि.स. 1856 जेठ वदि 6 को पंचाली राम बगस को नियुक्त किया गया।[34]

**29. बारूद खानो दरोगाः– (बारूद खाने का मुख्य अधिकारी)** बन्दुक और तोप चलाने के लिए बारूद का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा सुरंग लगाने के लिए बड़ी मात्रा में बारूद की आवश्यकता होती थी। बारूद खाने मे इसका संग्रहण किया जाता था। महाराजा भीमसिंह ने वि.स. 1851 भाद्रपद सूदि 15 को जोशी अमरचंद को इस पर नियुक्त किया गया।[35]

**30.बारूद खाने मुसरफः– (बारूद खाना का लेखाधिकारी)** बारूद खाने का हिसाब आदि ब्यौरा रखने के लिए मुसरफ पद सृजित किया गया था। इसकी सूची (वि.स. 1850–1860) में केवल 5 नाम दिये है। जो भिन्न–भिन्न शाखा (व्यास, बिस्सा, उपाध्याय, दवे, कल्ला) के ब्राह्मण से इसकी शुरूआत महाराजा भीमसिंह ने ही की थी। भीमसिंह ने वि.स. 1850 सावण सूदि 4 को पहला मुसरफ विसो गोपाल को नियुक्त किया गया। वि.स. 1852 मीगसर वदि 14 को व्यास सदासिव, वि.स. 1856 भाद्रपद वदि 7 को उपादिया कासीराम, वि.स. 1856 आषाढ़ वदि 13 को दवे अवो को, वि.स. 1860 माघ वदि 11 को कला दीनानथ को इस पद पर नियुक्त किया गया।[36]

**31.हाथियों के फीलर खाने मुसरफः–** (हस्तिशाला का लेखाधिकारी) सैनिक अभियान में मुसरफ को भी भाग लेना पड़ता था। अच्छे हाथी खरीदना और हाथियों के खर्चे का पुरा हिसाब रखने का कार्य मुसरफ का था।

महाराजा भीमसिंह ने वि.स. 1850 आसोज वदि 12 को व्यास रूपराम, वि.स. 1853 सावण वदि 8 को किरायत नथू, वि.स. 1854 आषाढ़ वदि 11 को व्यास सालगराम को, वि.स. 1860 सावण वदि 13 को लोढ़ा किसनराम को नियुक्त किया गया।[37]

**32.सिका रो कारखानो दरोगाः–** 'सिकारो' का सबंध जल से है। जल संचय कर आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने का दायित्व इस विभाग के दरोगा का था। जलाशय और कुएँ से पानी लाने के ऊँट और सवार रखने का उल्लेख एक बही में मिलता है। ऊँटो पर पकावे (चमड़े के बड़े थेले) लाद कर पानी लाया जाता था।

भीमसिंह ने वि.स. 1851 भाद्रपद वदि 13 को व्यास बणारसी दास को, वि.स. 1851 वैशाख वदि 9 को तंबोली मौका को वि.स. 1858 पौष वदि 14 को तबोली आईदान को नियुक्त किया गया।[38]

**33.बागर दरोगाः– (घास चारे की व्यवस्था करने वाला अधिकारी)** बागर का अर्थ घास चारे से है। घोड़े, ऊँट, गाय, बैल आदि पशुओं के लिए घास चारे की व्यवस्था हेतु बड़ी मात्रा में इसका संचय किया जाता था। आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार की घास 'बागर' से उपलब्ध कराई जाती थी। घास को काट कर उसके टुकड़े करने और रख–रखाव की व्यवस्था यही पर होती थी। दरोगा इसका प्रमुख अधिकारी होता था। वह खालसा के गांवो और ठिकानों से घास चारा मगंवाकर बागर में इसका संग्रह करता था।

महाराजा भीमसिंह ने वि.स. 1850 आषाढ़ वदि 4 को व्यास सवाईराम, वि.स. 1856 आसोज वदि 12 को व्यास सुरतराम को नियुक्त किया गया।[39]

**34.अंबार रे कोठार दरोगा (खाद्य सामग्री कोठार का मुख्य अधिकारी):–** अंबार का अर्थ ढेर से है। अंबार के कोठार में विभिन्न प्रकार की सामग्री का संग्रह बड़ी मात्रा में किया जाता था। सामग्री के रख–रखाव के साथ ही उचित मूल्यों में सामग्री की खरीद करना, मांग के अनुसार उपलब्ध कराने आदि कार्य दरोगा की देखरेख में होता था। ख्यात ग्रंथों में अंबार की जगह मोदी खाने, दरोगे का उल्लेख प्राप्त होता है।

भीमसिंह ने वि.स. 1849 चैत्र वदि 5 को सिंघवी सवाई मल को नियुक्त किया गया। वि.स. 1851 चैत्र सूदि 13 को मुहणोत सिवदास को नियुक्त किया गया।[40]

**35. नगारखाने दरोगाः– (नगार खाने का मुख्य अधिकारी)** नगार खाने में नगारा आदि विभिन्न प्रकार के वाद्ययंत्रों का संग्रह रहता था, जिसका मुख्य अधिकारी दरोगा होता था। विवाह आदि उत्सव के समय नगार खाने की पूजा–अर्चना की परम्परा रही है। उस समय पूजा के थाल में रोकड़, रूपया, गेहूँ, गुड़ धृत, नारियल, कुंमकुम, चावल, मोल्ली सुपारियाँ, पुष्प और जल–पात्र रखा जाता और वाद्य यंत्रों की पूजा की रस्म अदा की जाती थी।[41]

भीमसिंह ने वि.स. 1849 पौष वदि 8 को पैक भीखनस्या को नियुक्त किया। वि.स. 1850 वैशाख वदि 9 को पड़दार असरफ खां को नियुक्त किया। वि.स. 1860 सावण वदि 6 को पैक भूरा को दो बार नियुक्त किया।[42]

**36.जोधपुर टकसाल दरोगा (टकसाल का मुख्य अधिकारी)** टकसाल में सिक्कें ढ़ाले जाते थें। मारवाड़ में प्रचलित दुगनी[43], फदिया[44], पिरोजी[45], दाम[46], टक्के[47] और रूपये[48] आदि सिक्कों का उल्लेख किया है। राजस्थानी प्राचीन ग्रंथों और िालालेखों में इसका वर्णन हुआ है। टकसाल के प्रबन्ध हेतु दरोगा की नियुक्ति की गई थी।[49]

| | |
|---|---|
| 40 दुगनी – 1 रूपया | 5 दुगनी – 1 फदिया |
| 40 दाम – 1 रूपया | 2 फदिया – 1 पिरोजी |
| 8 फदिया – 1 रूपया | 4 पिरोजी – 1 रूपया |

भीमसिंह ने वि.स. 1849 फाल्गुन वदि 5 को व्यास किरपा किसन को, वि.स. 1852 भाद्रपद सुदि 12 को कोठारी सवाई राम को, वि.स. 1852 भाद्रपद सूद 2 को पंचाली उतमराम के नियुक्त किया। वि.स. 18... (ज्ञात नही) वैशाख वदि 13 को कोठारी सवाई राम को नियुक्त किया। वि.स. 1860 पौष वदि 2 को प्रोहित सायबचंद को नियुक्त किया गया।[50]

**37.जोधपुर टगसाल मुसरफः– (टकसाल का लेखा अधिकारी)** टकसाल का लेखाधिकारी मुसरफ कहलाता था। बही मे इतना ही उल्लेख हुआ है।

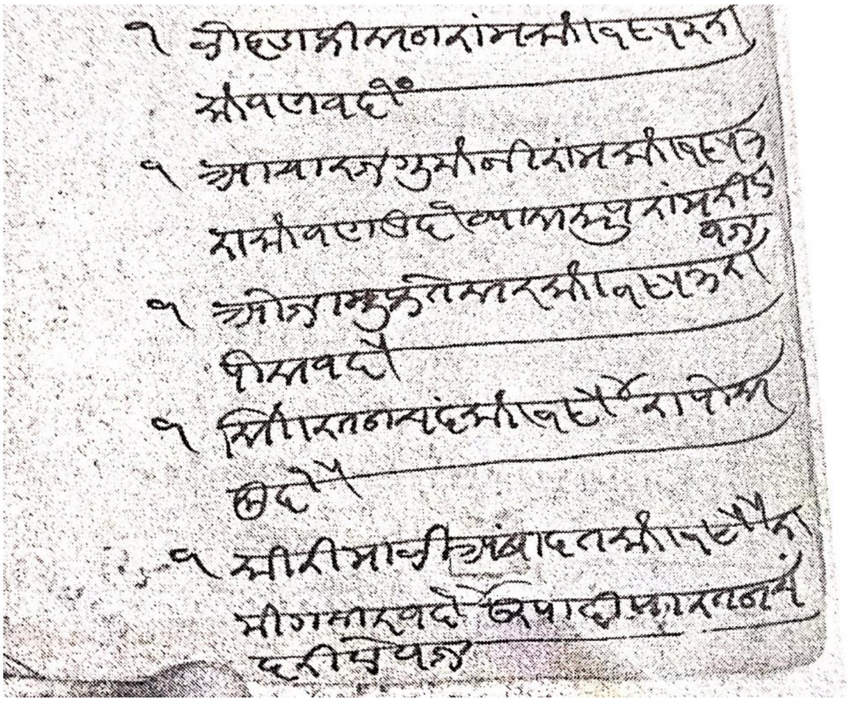
भीमसिंह ने 1850 आषाढ़ वदि 13 को छांगाणी मुरलीधर की नियुक्ति की गई थी।

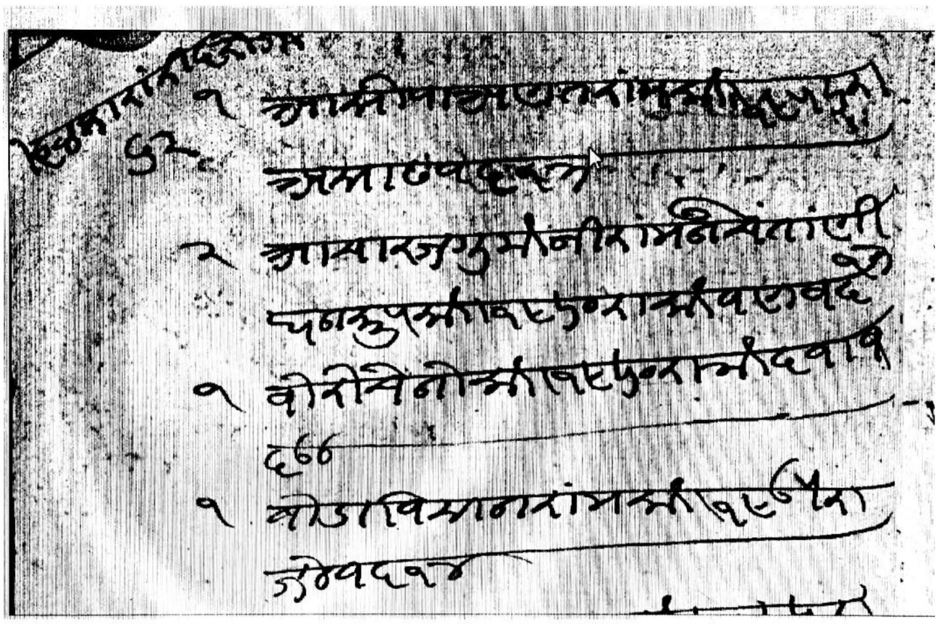
**38.जोधपुर टगसाल पोतदारः– (लेखापाल)** टकसाल में हिसाब रखने के लिए पोतदार का पद सृजित किया गया। पोतदार, मुद्राएँ ढालने के लिए मंगवाई गई विभिन्न वस्तुओं (सोना, चाँदी, तांबा, पीतल) और ढले हुए सिक्कों के अलावा टकसाल के बाहर जाने वाले सिक्को का पूरा हिसाब रखता था। इसका अंकन वह यथा समय बही में करता था। मुसरफ बही का निरीक्षण कर हस्ताक्षर करता और दरोगा को जानकारी देता।

भीमसिंह ने वि.स. 1849 में फाल्गुन वदि 5 को वोरा मंछाराम को नियुक्त किया गया। वि.स. 1851 मीगसर वदि 4 को व्यास मोजीराम, वि.स. 1853 मीगसर वदि 4 को श्री माली जोशी भवानी शंकर को, वि.स. 1855 वदि 13 को व्यास गिरधर दास को इस पद पर नियुक्त किया।[51]

**39.हलकारा री दरोगाईः– (डाक विभाग का मुख्य अधिकारी)** 'हलकारा' का अर्थ डाक लाने–ले जाने से हैं। दरोगा इसका मुख्य अधिकारी होता था।

महाराजा के अतिरिक्त राजकीय अन्य पत्र अथवा कोई आवश्यक संदेश 'हलकारा' विभाग द्वारा भेजा जाता था। डाक प्राय राइका जाति के लोग साढियो (मादा ऊँट) की सवारी पर दूत गति से ले जाने में प्रवीण थे। समाचार जैसा कहा गया ठीक वैसा ही व्यक्त करने की कला उनमें होती थी। हलकार (डाकिया–सवार) चयन करने का अधिकार हाकम का होता था। हलकारा विभाग में अनेक डाकिये होते थे।





**हलकारा री दरोगाई**

भीमसिंह के समय वि.स. 1852 सावण वदि 10 को लोहड़ा किसत राम, वि.स. 1853 सावण वदि 1 को आचारज गुमानीराम, वि.स. 1853 पौष वदि 5 को ओझा मुक्तेश्वर को नियुक्त किया गया। वि.स. 1854 पौष सूद 5 को सिंधवी रतनचंद, वि.स. 1855 मीगसर वदि 14 को सिरमाली अबादत वि. स 1856 आसोज वदि 13 को आसोपा अंतराम, वि.स. 1860 सावण वदि 13 को आचारज गुमानी राम ने चताणी धनरूप को, वि.स. 1860 भाद्रपद वदि को बोरा चैनराम को नियुक्त किया गया।[52]

**40.सिलेपोसा रा दरोगाः– (शस्त्रधारियों का मुख्य अधिकारी)** शस्त्रधारी योद्वा 'सिलेपोस' कहलाते थे इनकी नियुक्ति कही भी कर सकते थे, जहाँ भी इनको तैनात किया जाता तो ये शस्त्रधारण किये हुए रहते थें। दरोगा इनका मुख्य अधिकारी होता था।

भीमसिंह ने वि.स. 1849 चेत्र वदि 11 को सिंघवी करणमल, पुनः वि. स. 1852 चेत्र सूद 9 को सिंघवी करणमल तथा वि.स. 1853 कार्तिक वदि 10 को जीतकरण व वि.स. 1857 जेठ वदि 7 को अहीर नगा को इस पद पर नियुक्त किया गया।[53]

**41.सिलेपोंसा रा मुसरफः– (शस्त्राधारियो का लेखाधिकारी)** सिलेपोसा के शस्त्रादि पर बहुत ज्यादा खर्चा किया जाता था, उनकी व्यवस्था हेतु मुसरफ की नियुक्ति की जाती थी।

भीमसिंह ने वि.स. 1853 मीगशर्ष वदि 14 को आसोपा शिवकृष्ण, वि. स. 1855 आसोज वदि 15 को सिंघवी भानचंद तथा वि.स. 1860 माघ वदि 3 को प्रोहित सागरराम को नियुक्ति किया गया।

**42.किले खाने दरोगाः– (लोहे के उपकरण विभाग का मुख्य अधिकारी)** लोहे व लकड़ी के उपकरण तैयार किये जाते थे। इसमें लोहार व खाती कार्य करते थे। किली खाना में छोटे–बड़े लोहे लकड़ी की बनी वस्तुओं का संग्रह रहता था। भीमसिंह ने वि.स. 1850 भाद्रपद सुदि 6 को व्यास राजाराम

को वि.स. 1850 कार्तिक वदि 5 को व्यास सरूप राम को, वि.स. 1850 आषाढ़ वदि 12 को व्यास राजाराम को नियुक्त किया।

**43. किलीखाने पोतदारः— (लोहे के उपकरण विभाग का लेखपाल)** किलीखाने में हिसाब रखने के लिए पोतदार की नियुक्ति की जाती थी। ओहदाबही में वि.स. 1833—1860 में 10 नियुक्तियों का उल्लेख मिलता हैं।

भीमसिंह ने वि.स. 1851 मीगसर वदि 4 को प्रोहित जैकिसन, वि.स. 1851 वैशाख सूदि 2 को मतड़ पन्नाला, वि.स. 1856 भाद्रपद सूदि 7 को मुहणोत मेघों, वि.स. 1858 चेत्र वदि 14 को आचारज नाथूराम तथा वि.स. 1860 पौष सुदि 4 को व्यास बिजेराम को इस पद पर नियुक्त किया गया।

**44. नवों कपरा रो कोठार दरोगाः— (नये कपड़ो के कोठार का मुख्य अधिकारी)** इसमे नये सिले हुए कपड़ो का संग्रह रहता था। बांगा के कोठार में कपड़ो की सिलाई कर कपड़ो के कोठार में भेजे जाते थे। दरोगा इसका मुख्य अधिकारी होता था। वह राजघराने के सदस्यों एवं स्टाफ आदि के लिए समय—समय पर कपड़े उपलब्ध कराने का दायित्व निभाता था।

भीमसिंह ने वि.स. 1852 माघ वदि 11 को बोरा माणक लाल को नियुक्त किया। वि.स. 1853 मार्गशीर्ष सुदि 14 को मुहणोत सूरजमल को, वि.स. 1854 सावण सुदि 10 को बोडा हीरालाल को, वि.स. 1855 आसोज वदि 12 को व्यास सवाईराम, वि.स. 1857 में अभैकंवर के विवाह के समय कपड़ा खरीदने के लिए भंडारी गंगाराम के साथ बोरा माणकचंद को भी जयपुर भेजा था।[54] वि.स. 1858 पौष वदि को मुहणोत अखेचंद को इस पद पर नियुक्त किया गया तथा अंतिम समय में वि.स. 1860 सावण वदि 13 को पंचाली कचरदास को इस पद पर नियुक्त किया।

**45. सिसारी खान दरोगाः— (सीसा धातु की खान का मुख्य अधिकारी)** तोप के गोले और बन्दूक की गोलियां सीसा धातु की होती थी। सैनिक अभियानों में इसकी बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती थी। इसलिए इनका

संचय गढ में होना जरूरी होता था। सीसा की खान से इस धातु को तैयार करने का जिम्मा इस विभाग को दिया जाता था।

भीमसिंह के समय वि.स. 1858 पौष वदि 12 को मुहणोत रीधमल को इसका दरोगा नियुक्त किया गया।[55]

**46.सिसारी खान मुसरफः— (सोसा धातु की खान का लेखाअधिकारी)** सीसा धातु पर होने वाले खर्च का लेखा—जोखा मुसरफ के द्वारा किया जाता था। ओहदाबही में केवल मोहणोत मानमल का नाम दिया गया है। जिसकी नियुक्ति महाराज भीमसिंह ने वि.स. 1858 ई. में की गई थी।

**47.गढ़ जोधपुर कचेड़ी हाकमः—** जोधपुर कचेड़ी हाकम का पद अदालत में सर्वोच्च होने से महत्वपूर्ण था। नियम और कानून की जानकारी रखने वाले प्रभावी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी।

महाराजा भीमसिंह ने वि.स. 1849 फाल्गुन वदि 3 को भंडारी अमरदास, वि.स. 1854 में सिघवी उतमचंद, वि.स. 1857 को सिंघवी फतेराज, वि.स. 1860 मगीसर वदि 8 को भंडारी भवानीराम तथा वि.स. 1860 जेठ वदि 7 को महनोत नवलमल को इस पद पर नियुक्त किया।[56]

**48.जोधपुर कचेड़ी कारकून (लिपिक)ः—** कारकून कानूनी भाषा का जानकार होता था और हाकम क निर्देशानुसार तत्परता के साथ लेखन का कार्य करता तथा साथ ही पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखता था। इसकी नियुक्ति के समय 25रू. का सिरोपाव दिया जाता था।

महाराजा भीमसिंह ने वि.स. 1849 मे ओझा रामनाथ को तथा आसोपा आसकरण, मुहणोत मलुकचंद, मुहणोत दुलीचंद को समय—समय पर नियुक्त किया और अपने अंतिम समय में वि.स. 1860 में सिंघवी जसराज को इस पद पर नियुक्ति किया।

## 3.2 शासक के साथ पदाधिकारियों की भूमिकाः–

एक राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की अहम भूमिका होती थी। पदाधिकारियों की योग्यता और महाराजा के साथ संबध ही राज्य की भलाई के लिए अति आवश्यक थी।

भीमसिंह के 10 वर्ष के कार्यकाल में कई पदाधिकारी जैसे मुसरफ, मुसायब, दीवान, पोतदार, किलेदार, कोतवाल, उवकानवेस आदि की अहम भूमिका रही है।

महाराजा भीमसिंह की मृत्यु के समय महाराजा भीमसिंह के साथ सवाईसिंह श्रावण वदि वि.स. 1847 आषाढ सूदि 9 को रात्रि मे लखणपोल पहुँचे थे तब सवाईसिंह ने उनका ढाढ़स बधांया था। वि.स. 1855 ज्येष्ठ वदि 4 शुक्रवार के दिन महाराजा भीमसिंह चौपासनी दर्शन के लिए गये हुए थे तो उस समय उनके घोड़े का पैर चुहे के बिल में धंस गया तो घोड़े के घूटने नीचे लग गये तो महाराजा को झटका लगा तब मुसायब शिंभूदान उनके साथ था वह महाराजा को दूसरे घोड़े पर ले गया।[57] वि.स. 1852 मे शोभाचंद को मुसायब बनाया गया, जिसे घाणेराव पर अधिकार के लिए भेजा था परन्तु अधिकार नही कर सका था। इसकी झूठ बोलने की आदत थी इसलिए महाराजा ने इसे पदच्युत कर दिया।

दीवान जोधराज के बारे में राठौड़ो की ख्यात से पता चलता है कि जोधराज शक्तिशाली था वह किसी भी अधिकारी की परवाह नही करता था सिर्फ महाराजा के आदेश को मानता था। महाराजा के द्वार जब प्रधान सवाईसिंह चांपावत को फलोदी का पट्टा देने को तैयार हुए तो जोधराज ने इस पर नाराजगी जताई और महाराजा को ऐसा नही करने के लिए कहा। महाराजा ने वि.स. 1858 अश्विन सुदि 3 को जोधराज को दीवान की मोहर सौंपी थी।

'मारवाड़ री ख्यात' में वि.स. 1851 श्रावण सुदि 11 को बख्शी सिंघवी अखेराज को कैद कर गोपाल पोल के निकट गोयददास की हवेली मे रखा। परन्तु कुछ समय बाद ही महाराजा ने अखैराज की योग्यता को देखते हुए वि.स. 1852 में उसे मुक्त कर पुनः बख्शी का पद नियुक्त कर सिरोपाव में केशरिया वागा कोरदार

दिया गया।[58] इस तरह महाराजा अपने ओहदेदारों के प्रति दया की दृष्टि भी रखते थे।

महाराजा ने वि.स. 1854 में अखेराज को जालोर पर अधिकार करने के लिए भेजा परन्तु अखेराज जालोर नगर तक ही अधिकार कर पाया वह गढ़ मे प्रवेश नही कर इससे महाराजा भीमसिंह नाराज हो गये और वि.स. 1855 में अखेराज को जालोर से कैदकर के जोधपुर गढ़ मे कैद करके रखा गया तथा 60000 रूपये दण्ड स्वरूप लिये गए और पुनः बख्शी का पद दिया गया।

महाराजा भीमसिंह अपने पदाधिकारियों पर नाराज होते थे तो उनको दण्ड देते पर जब खुश होते तो उनका सम्मान करते थे। वि.स. 1860 श्रावण सुदि 7 को सिंघवी इन्द्रराज, वनराज और गुलराज व इनके मामा भंडारी गंगाराम को जालोर पर अधिकार करने लिए भेजा, इस लड़ाई में वनराज मारा गया था। इस लड़ाई में मानसिंह को समझौता करना पड़ा था। तब महाराजा भीमसिंह ने खुश होकर इन्द्रराज को खास रूक्का लिखकर धन्यवाद दिया और कहा कि भींवराज सिंघवी (इन्द्रराज के पिता) के परिवार के लोग सारे वीर और स्वामीभक्त होने के साथ एक से एक बढ़कर एक है।[59]

महाराजा भीमसिंह के समय भंडारी गंगाराम हाकम था। महाराजा द्वारा जयपुर की राजकुमारी से वि.स. 1858 श्रावण मास में पुष्कर में विवाह करने के बाद वह जैतारण में रूका तब भंडारी गंगाराम ने उनके ठहरने की उचित व्यवस्था की थी।[60] 20 जुलाई 1793 ई. को मुसायब लोढ़ा साहमल महाराजा के राजतिलक के समय से साथ में था तथा मेड़ते को लूटने में सहायता की थी।[61]

इस प्रकार प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पदाधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे। महाराजा द्वारा समय–समय पर सांमतो द्वारा की गई सैनिक सेवाओं के बदले उन्हे सम्मान देकर पुरस्कृत किया जाता था। राज्य विरोधी नीति के कारण जहाँ एक और ओहदेदारों को दण्ड–स्वरूप जागीर जब्त की जाती थी, वही दूसरी ओर युद्ध में वीरता दिखाने पर जागीर के गांवो में वृद्धि भी की जाती थी। पदाधिकारी अपने महाराजा के लिए युद्ध में अंतिम सांस तक लड़ते

थें। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शासक के साथ पदाधिकारियों का संबध अच्छा भी होता है और बुरा भी। अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशासनिक तंत्र सुदृढ़ करने के लिए ओहदेदारों की प्रमुख भूमिका रहती थी।

मारवाड़ राज्य के प्रशासन में कुछ अधिकारी ऐसे थे जिन्हें हम अतिविशिष्ट पदाधिकारी की श्रेणी में रख सकते है। ये पदाधिकारी प्रशासन का हृद्वय थे और शेष उसके अन्य अंगो के प्रतीक थे। इन सबके सहयोग से ही राज्य प्रशासन सुचारू रूप से कार्य करता था। पदाधिकारी अपने पद के अनुसार तो कार्य करता ही था और इसके अतिरिक्त महाराजा की आज्ञानुसार उसे कुछ विशेष कार्य भी करने पड़ते थे। शासक द्वारा अधिकांश समय मारवाड़ के बाहर व्यतीत करने पर भी यहाँ की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और राज्य की गरिमा को बनाए रखने में राज्य के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी।

## 3.3 सैनिक अभियानों में पदाधिकारियों की भूमिकाः—

राज्य के सुसंचालन में प्रशासनिक व्यवस्था का अपना विशिष्ट महत्व रहा है। सारा कार्य प्रशासनिक अधिकारी की योग्यता और उसके गुणों पर निर्भर करता है।

सैनिक अभियानों में प्रमुख भूमिका पदाधिकारियों की रहती थी। महाराजा भीमसिंह के समय मुसायब, बख्शी, प्रधान आदि कई पदाधिकारियों ने समय—समय पर अपनी अहम भूमिका निभाई है।

वि.स 1852 में शोभाचंद को मुसायब बनाया उसे सेना के साथ घाणेराव पर भेजा परन्तु वहाँ पर अधिकार नही हो सका।[62] इसके साथ महाराजा ने भंडारी शिवचंद को घाणेराव पर पुनः अधिकार करने के लिए भेजा परन्तु इसे भी सफलता नही मिली। इनकी विशेष उपलब्धि नही रही थी। इसलिए महाराजा ने शिवचंद को इस पद से हटा दिया गया।[63]

वि.स. 1850 में महाराजा भीमसिंह जोधपुर का शासक बना उस समय अखेराज को बख्शी के पद पर रखा गया। उसने दीवान भंडारी भानीदास के साथ मिलकर महाराजा को राज—घराने परिवार व मुत्सद्दियों की रक्षा का वचन माँगा तो

महाराजा ने वचन देकर ही गढ़ में प्रवेश किया। उस समय कुंवर जालमसिंह, कुंवर गुमानसिंह के पुत्र मानसिंह (उतराधिकारी पद के दावेदार) शेखावत जी के जलाशय पर घेरा डाल के बैठे थे। इन्हे लगा कि गद्दी मिलने के आसान नही है तो इन्होने लूटमार प्रांरभ कर दी। इनका फोज मुसायब लोढ़ा साहमल था। जगह–जगह लूटमार करने पर मानसिंह जालोर व जालमसिंह सिरिपारी चला गया तथा साहमल व मेहकरण दोनो भाई बिलाड़े मे रूके। जब महाराजा भीमसिंह को इस लूटमार की सूचना मिली तब अखेराज बख्शी को उन्हे दण्ड देने के लिए भेजा। अखेराज के आगे विद्रोही लोढ़ा साहमल और आसोप ठाकुर रतनसिंह नही टिक सके और उन्होने मेवाड़ का मार्ग पकड़ा। गोड़वाड़ के क्षेत्र पर जालिमसिंह का अधिकारी था। परन्तु देसुरी पर अधिकार को हटाने के लिए अखेराज ने जालिमसिंह को खदेड़ कर वहां राज्य का प्रबंध किया। तत्पश्चात् गोड़वाड़ और जालोर क्षेत्र मे भ्रमण कर के लगान वसुली की।[64]

वि.स 1854 (1797 ई.) में अखेराज को मानसिंह से जालोर छुड़ाने के लिए भेजा था। महाराजा भीमसिंह को यह आशा थी कि अखेराज जालोर पर अधिकार कर लेगा। लम्बे समय तक घेराव रहने पर भी जालौर नगर पर ही अधिकार हो सका। जालोर गढ़ पर अधिकार करने में अखेराज असफल रहा।[65] तो महाराजा ने वि.स. 1855 में अखेराज को कैद करवा दिया। जोधपुर गढ़ के झरणा में कई माह तक कैद रहने के बाद दण्ड स्वरूप 60000 रूपये कबूल करने पर उसे पुनः बख्शी का कार्यभार सौंपा गया।[66]

वि.स 1860 श्रावण सूदि 7 को सिंघवी इन्द्रराज, वनराज और गुलराज तीनों भाइयों के साथ उनके मामा भंडारी गंगाराम को जालोर हस्तगत करने के लिए भेजा। भंयकर लड़ाई हुई तो उसमें वनराज मारा गया। वनराज को सम्मान पूर्वक जालोर दरवाजे पर दाहसंस्कार करके वहाँ पर छतरी का निर्माण किया गया। खाद्य सामग्री का अभाव होने के कारण मानसिंह को समझौता करना पड़ा। महाराजा भीमसिंह ने खुश होकर इन्द्रराज को खास रूक्का लिखकर धन्यवाद दिया और कहा कि भीवराज सिंघवी के परिवार के लोग सारे वीर और स्वामिभक्त होने के साथ एक से बढ़ कर एक है।[67]

भीमसिंह ने जालोर मानसिंह के पास अखैराज के नेतृत्व में सेना भेजी, परन्तु ठिकानेदारों ने लड़ाई ना करने की सलाह दी गई तो लड़ाई मे ढ़िलाई होने लगी। जब इसकी सूचना महाराजा को हुई तो महाराजा ने डयोढ़ीदार आईदान व अंगोलिया सूरता को भेजा। आईदान ने अखैराज व ठिकानेदार को समझाने का प्रयास किया तो वे लड़ाई करने का दिखावा करने लगे सक्रिय भूमिका नही निभाई परन्तु वि.स. 1854 आषाढ़ सुदि 14 को वे परास्त हो गये। इस बात से आईदान को ठेस पहुँची और वह बीमार हो गया। महाराजा ने उसके इलाज हेतु वैध चन्द्रभाण को भेजा परन्तु वह नही बच सका और उसकी मृत्यु हो गई।

वि.स.1850 में जब भीमसिंह ने जोधपुर राज्य की बागडोर संभाली तब सिंघवी वनराज (भीवराज का पुत्र) को हाकम पद पर नियुक्त किया। वि.स. 1855 में विमुख हुए ठिकानेदारों पर कार्यवाही करने और विभिन्न ठिकानों पर कब्जा करने का जब अभियान चलाया तब मेड़ता के हाकम भंडारी धीरजमल ने रिया पर अधिकार किया।[68] वि.स. 1856 वैसाख सुदि में लखवा दादा से लड़ाई हुई। तब महाराजा भीमसिंह की ओर से व्यास कुशलचंद ने लखवा दादा से बातचीत करने के लिए भेजा और उसके साथ समझौता कर दिया।[70]

## 3.4 पट्टा प्रणाली और रेख चाकरीः–

राव जोधा ने जोधपुर दुर्ग और नगर की नींव रखी थी, अर्थात् मारवाड़ में स्थायी रूप से राठौड़ सता की स्थापना हुई थी। राव जोधा ने ही सामन्तशाही की नींव रखी थी। यही परम्परा आगे चलती रही। मारवाड़ में स्वजातीय राठौड़ सामन्तों के अतिरिक्त गैर राठौड़ राजपूतों को भी पट्टे भी दिए जाते थे। पट्टे उनकी योग्यता के अनुसार अलग–अलग कार्यो के अनुसार दिए जाते थे।[71]

पट्टे वाले गाँवो को दो भागों में बाँटा है। पहला यदि पट्टा वंशानुगत होता है तो वह ठिकाना होता था और उसे 'वतन जागीर' कहा जाता था। दूसरे अस्थायी पट्टे थे जो चाकरी से संबंध रखते थे और इसे 'तनख्वाह जागीर' कहते थे। जब तक पट्टेदार सेवा में रहता था। तब तक गाँव का पट्टा उसके पास रहता था, पर अगर पट्टेदार सेवा में नही रहता तो उससे गाँव जब्त कर लेता था।[72]

जब कोई गाँव एक पट्टेदार से दूसरे पट्टेदार को दिया जाता था तब उस परगने के हाकिम को यह निर्देश दिये जाते थे कि जब तक पहले वाले पट्टेदार को कही अन्य स्थान पर नियुक्त नही किया जाता तब तक नव आंगतुक पट्टेदार ग्रामीण जनता को परेशान नही करे। जब पट्टा किसी अन्य शाखा या अन्य जाति के व्यक्ति को दिया जाता था तो उसे 'अमल की चिट्टी' (अधिकार करने का पत्र) दी जाती थी। यह चिट्टी गाँव के चौधरीयों को दी जाती थी ताकि वे पट्टेदार की सहायता कर सकें।[73] अमल की चिट्टी एक अस्थायी पत्र था। जागीर के गाँव पीढी–दर–पीढ़ी यथावत पट्टे में रहें, यह आवश्यक नही था। उत्तराधिकारी को योग्यतानुसार गाँव के पट्टे मिलते रहते थे।

प्रो. इरफान हबीब के अनुसार, "जागीर दो शब्दो जय + गीर का संयुक्त रूप है जिसका शाब्दिक अर्थ है, राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि का वह भाग जिससे प्राप्तकर्ता (जागीरदार) उस भू–क्षेत्र से राजस्व वसूल करने का वैधानिक अधिकार होता था।[74]

**अन्य पट्टो के प्रकारः–**

गाँव तागीर होने पर दैनिक वेतन जिसे 'दीहानगी' अथवा 'रोजीना' भी कहा जाता था, का भी प्रावधान था। किसी पट्टे में यदि किसी प्रकार की छूट होती थी तो वह 'रियायती पट्टा' कहलाता था। पट्टे मौखिक रूप से भी दिए जाते थे। पुराना पट्टा 'बहाल' (पुनः प्राप्ति) होने पर भी 'सनद' लिखी जाती थी।

महाराजा भीमसिंह द्वारा भाटी जंसवतसिंह को खेजड़ला आदि गाँवों का पट्टा वि.स. 1850 में दिया जिसमें लिख गया कि पट्टेदार सांसण डोहली (धार्मिक भू–दान) नही दे सकते और दान जमाबंदी आदि कर दरबार के होगे।[75]

मारवाड़ पर निरन्तर मराठा आक्रमण के कारण जब मारवाड़ की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई तो महाराजा भीमसिंह ने कई ठिकानेदारों के पट्टे जब्त कर उनसे आर्थिक दण्ड के रूप में 'पेशकशी' वसूल की थी।[76]

महाराजा भीमसिंह ने विद्रोही लोढ़ा साहमल से गुप्त पत्र व्यवहार करने पर मुँहणोत मुकनचंद को तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया था। इसके अतिरिक्त अन्य विद्रोहियों को भी दण्डित किया गया। जैसे धोखे से मरवाना, बांधकर मारपीट करना, घर छीनना, शहर से बाहर निकालना, अपराधियों की स्त्रियों को बुलाकर कैद करना, अवैध 'गढ़ी' और हवेलियों को तोड़ना, उनका निर्माण करने वाले कारीगर (सिलावट) के हाथ काटना।[77]

सिंघवी अखैराज बख्शी द्वारा जालोर पर अधिकार करने में असफल होने पर उसे कैद किया गया था और 60 हजार रूपये का जुर्माना पुनः लगाकर बख्शी का पद दिया गया था।[78] कभी–कभी सांमतो को दण्डित करने के लिए महाराजा द्वारा उनके अधीन कार्य करने वाले रंगरेज, धोबी, नाई, मोदी, आदि जाति के लोगो को सांमतों का काम करने पर रोक लगा दी जाती थी।

मारवाड़ में भोमियों का उल्लेख मिलता है परन्तु भोमियों पर राज्य की ओर से पट्टा नही मिलता है।

**रेखः–**

रेख गाँव की जमाबंधी को कहते थे। जागीरें व रेख शब्द का प्रचलन मुगलों के सम्पर्क में आने पर राजा सूरसिंह ने शुरू की। रेख की राशि को निश्चित नही किया गया था। परिस्थितियों के अनुसार राशि में उतार–चढ़ाव होता था। रेख का हिसाब रखने के लिए इसे दो भागों में बाटा गया। प्रथम पट्टा रेख व दूसरा भरतु रेख। पट्टा रेख के अन्तर्गत सम्पूर्ण वार्षिक आय को रखा तथा भरतु रेख में एक भाग जो राजकोष में जमा होता था उसे इस श्रेणी में रखा गया।[79]

# जोधा खांप

| न. | नाम ठिकाना | नामगांव | नाम परगना | रकबो | मुर्दुम भुमारी | रेख | नाम जागीरदार | कुरबताजी | तादाद गाव | पट्टा की रेख | भरतु रेख | रेखराज मे | बाकी रेख | चाकरी | | | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | घोड़ा | ऊंट | धादल | |
| 147 | सुवादियो | सुवादियो | नागौर | 6000 | 350 | 3000 | प्रेमसिंह | कुरब राव पसाव | 5 | 13000 | 13000 | 1040 | 0 | 13 | 0 | 0 | यह ठिकाना संवत 1851 रा जेठ वदि 3 राठौड़ गोपालसिंह जी को महाराजा भीमसिंह ने ईनायत किया और गाँव लेडी संवत 1872 में ईनायत हुई। लेडी के नाम से मशहुर ठाकुर हाल पीडो है। |
| | | लेडी | नागौर | 6000 | 740 | 1000 | | | | | | | | | | | |
| | | दौलतपुर | नागौर | 0 | बैरान | लेडी रेनेला | | | | | | | | | | | |
| | | बाछेड़ | नागौर | 6000 | 415 | 3000 | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | |
| | | माथा सुख | नागौर | 12000 | 1475 | 6000 | | | | | | | | 0 | 0 | 2 | |
| | कुल | 5 | 0 | 30000 | 2480 | 13000 | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | |
| 148 | सेवो | सेवो | डीडवाणो | 18000 | 472 | 5000 | चतरसिंह | 0 | 2 | 8000) | 8000) | 640) | 6400) | | | | |
| | | रसीदपुरो | डीडवाणो | 12000 | 200 | 3000 | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 0 | 30000 | 672 | 8000 | | | | | | | | | | | |
| 149 | सेवो | सेवो | डीडवाणो | 18000 | 414 | 40000 | शेरसिंह व गेरेराज | 0 | 1 | 400) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 150 | हजावास।। | हजावास | जालोर | 1600 | 60 | 18711 | अखेसिह | 0 | 11 | 18711) | 1411) | 15) | 0 | | | | |
| 151 | हीरावती | हीरावती | नागौर | 6000 | 55 | 1000 | मोतीसिंह | 0 | 1 | 1000) | 1000) | 70) | | | | | |

जैसे राठौड़ सरदारों के पट्टे की रेख 338799011)" है। मगर भरतु रेख जिसके ऊपर राज की रेख 308745611)" है।[80] गनायत सरदारों के पहले की रेख 6534531)" रेख ली जाती थी और बाकी नही ली जाती थी। महाराजा भीम सिंह ने वि.स. 1852 में परगना मेड़ता के गाँव जोधड़ावास के हरकिशन सुखराम को रेख 375 दी।[81] चैत्र वदि 9, संवत 1849 को भीमसिंह के द्वारा श्री माली देराम सेरजा गेसर राम का गाँव 500 रूपये रेख में दिया।

भीमसिंह ने ठाकुर श्री जगनाथ राय जी जब जोधपुर में आने पर मेड़ता का गाँव फालके 5000 रेख मे सावण वदि 1, 1852 को दी गई।[82]

महाराजा भीमसिंह के द्वारा दी गई अन्य रेख का विवरणः—

3400)[6] — ज्ञानमल फतेचंद को जैठ सूदि 6, 1852 को।

12650)[28] — कोठणा के गाँव को दी।

4675)[10] — तागीरदार चौहान चतरसिंह को।

2500)[1] — नरसिंह दास को।

925)[1] — सीवर खीप को।

725)1 — नहैजी को ।[83]

महाराजा भीमसिंह के द्वारा ठिकानो को दी जाने वाली रेख व चाकरी का विवरण निम्न सारणी में हैं।

### 3.5 राजस्व कर व्यवस्थाः—

ख्यातो, पट्टो, बहियों और सनदों से मारवाड़ की राजस्व व्यवस्था की विस्तृत जानकारी मिलती है।

महाराजा भीमसिंह ने राजस्व व्यवस्था की परम्परा को ज्यों का त्यों ही रखा पर कुछ करों में बदलाव किये जैसे कुछ करो में उतार चढ़ाव किया और कुछ के नाम परिवर्तन किये।

मारवाड़ राज्य का राजस्व संबधी सबसे बड़ा अधिकारी दीवान होता था। समस्त परगनों में होने वाली पैदावर के आय–व्यय का हिसाब दीवान की निगरानी में ही होता है। राजस्व संबधी समस्त ओहदेदारों के वेतन का विवरण भी दीवान ही करता था। यह किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर महाराजा को सूचित करता था। वह प्रतिदिन दरबार जा कर महाराजा को आय–व्यय की सूचि सुनाता था।

दीवान के सहायक के रूप में हाकिम राजस्व संबंधी कार्य करता था। हाकिम की नियुक्ति शासक स्वंय करता था। परन्तु वह दीवान के अधीन था। हाकिम अपनी सहायता के लिए मुशरफ नामक कर्मचारी भी रख सकता था।[85]

हाकिम को सुरक्षा संबधी कार्य भी करने पड़ते थें। अतः कारकून और कानूनगो ही राजस्व संबधी कार्य करते थे। कारकून लिपिक श्रेणी का कर्मचारी होता था। इसकी नियुक्ति के समय 25 रू. का सिरोपाव दिया जाता था। कारकून कानूनी भाषा का जानकार होता था। सूची (वि.स. 1820–1900) में 23 नामों का उल्लेख हैं।

ओहदाबही में महाराजा भीमसिंह के कारकून (लिपिक) की नियुक्ति का वर्णन मिलता है। महाराजा भीमसिंह ने वि.स. 1849 में ओझा रामनाथ को इस पद पर बैठाया था। परन्तु इसके द्वारा कार्य को सुचारू रूप से नही करने पर वि.स. 1852 में आसोपा आसकरण को यह पद दिया गया। मुहणोत मलुकचंद व मुहणोत दुलीचंद का उल्लेख ओहदाबही में मिलता है। परन्तु इनके समय का विवरण नही मिलता है। सिंघवी जसराज को वि.स. 1860 में इस पद पर नियुक्त किया गया था।[86]

महाराजा भीमसिंह के समय महाराजा ने मारवाड़ से बाहर युद्ध में सेवा देने वालो पर 'मतलबा' नामक कर लगाया। इसकी दर भी निश्चित नही थी, शुरू में तो एक हजार रूपये की आमदनी पर तीन सौ रूपये लेते थें। उसके बाद इसकी दर घटती बढ़ती रही। महाराजा भीमसिंह के समय इस की दर प्रति हजार तीन सौ रूपये के हिसाब से दो बार यह कर वसूल किया जाता था।[87]

वंशानुगत रूप से 'पेशकशी'[88] नामक कर भी लिया जाता था। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता था। पेशकशी की रकम आय का तीन–चौथाई भाग हो गया था। अजीतसिंह ने इसका नाम परिवर्तित कर 'हुक्मनामा' कर दिया।[89] धीरे–धीरे आवश्यकता पड़ने पर इसकी कीमत में बढ़ोतरी भी की गई। महाराजा भीमसिंह के दीवान सिंघवी जोधराज ने इसके साथ (हुक्मनामा) 'मुत्सद्दी खर्च' नामक एक ओर कर लगाया था।[90] जागीरदार की निसंतान मृत्यु होने पर भी उसके दतक पुत्र कों जागीर प्राप्त होती थी और उसे सामान्य से अधिक राशि 'हुक्मनामा' के रूप में देनी पड़ती थी।[91]

मराठा आक्रमण के कारण महाराजा भीमसिंह द्वारा अपने सांमतों से 'मुत्सद्दी खर्च' नामक कर लिया था।[92] सामन्तों से लिये जाने वाले अन्य करों में 'तागीरात बल' ओर 'मुत्सद्दी खर्च' नामक कर प्रमुख थे।[93]

**किवाड़ी करः–**

यह कर दरवाजों पर लगाया गया था। महाराजा विजयसिंह के समय कुछ सांमतों ने मिलकर भीमसिंह को गद्दी पर बैठा दिया था। विजयसिंह को रोकने के लिए शहर के मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिए थे। 1792 ई. में इस की कार्यवाही के बदले लगे व्यय की पूर्ति हेतु प्रति घर से 3 रूपये की दर से यह कर वसूला गया था।[94] महाराजा भीमसिंह के समय मारवाड़ के अन्य कर जिनकी वसूली की जाती थी, निम्न थेः–

- **सुकंराणीः**– यह कर मकान में दरवाजे व खिड़कीयाँ रखने के लिए लिया जाता था।
- **नाल बंधी**– यह घोड़े को रखने के बदले लिया जाने वाला है। इस कर की वसुली होने पर ही घोड़े को रखा जाता था।[95]
- **लाव–बावः**– लाव से तात्पर्य, चड़्स खींचने के रस्से से था, अर्थात् कुएँ से पानी खींचने के लिए चड़्स का प्रयोग किया जाता था। उस पर यह कर लगाया जाता था। यह राशि धार्मिक कार्यो में काम आती थी।[96]

- **आमद और निकासु**:— आमद अर्थात् वस्तुओं के आयात और निकास अर्थात् नियति पर लगने वाले सीमा शुल्क थे।[97]
- **सीढ**:— मालानी में राजकीय घोड़ो के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध करवाने हेतु यह कर लिया जाता था।[98]
- **घोड़ा कांबल**:— मेड़ता और मारोठ में राजकीय घोड़ो के लिए सर्दियों में गर्म कपड़े अथवा नकद राशि देनी पड़ती थी।[99]
- **चंवरी लाग अथवा ब्याह चंवरी**:— यह एक प्रकार का विवाह कर था। इसकी दर 4 आने से 8 आने के बीच थी। विधवा विवाह के पुनर्विवाह के अवसर पर भी एक रूपया की दर से 'कागली' या 'नाता' लाग देनी पड़ती थी।

इस प्रकार मारवाड़ में महाराजा भीमसिंह के समय लिये गये करो का वर्गीकरण किया गया है। अन्य कई कर भी मारवाड़ में वंशानुगत लिए जाते थे। कृषि संबधी कई कर जैसे बल, कड़ब घास, तलबानो आदि लिये जाते थे। 'मिलणो' नामक कर होली, दीवाली, दशहरा और मांगलिक त्यौहारों पर लिया जाता था। घासमारी, उनालु अरहट माड़ली आदि कर लिये जाते थे। खाद्य सामग्री की बिक्री पर भी कर लिया जाता था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मारवाड़ की राजस्व व्यवस्था अत्यंत सुंसगठित एवं व्यवस्थित थी।

**3.6 न्याय व्यवस्था**:—

मारवाड़ में न्याय के लिए लिखित कानून और कानूनी प्रक्रिया का अभाव था। इस कार मारवाड़ का शासक ही कानून और विधान का मूल स्त्रोत माना जाता था। न्याय विषयक अन्तिम अधिकार राजा को ही प्राप्त था। धार्मिक मामलों को सुलझाने के लिए पुरोहितों की सहायता ली जाती थी। सामान्य झगड़ो को निपटाने के लिए दो न्यायधीशों की नियुक्ति की जाती थी।[100] राजद्रोह जैसे भंयकर अपराधों की सुनवाई स्वंय राजा ही करता था।

परगनों में हाकिम सर्वोच्च न्यायधीश होता था। उसकी सहायता के लिए कारकून, इजलास नवीस, वाकानवीस आदि सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति भी हाकिम द्वारा की जाती थी।[101]

न्याय प्रक्रिया ही प्रशासनिक तंत्र का अंग रही है। राजा कितना भी शक्तिशाली हो पर उसकी लोकप्रियता उसके न्याय करने पर भी निर्भर रहती है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, "जिस प्रकार जल में विचरण करती हुई मछलियों को जल पीते हुए कोई नही देख सकता उसी प्रकार आर्थिक पद पर नियुक्त युक्तों को धन का अपहरण करने पर कोई जान नही सकता है।"[102]

मारवाड़ में न्याय करने के लिए कोई लिखित में कानून नही था। राजा अपने रीति–रिवाजों व परम्पराओं में बंध कर ही न्याय करता था। राजा के छोटे व बड़े निर्णयों पर पुर्न विचार भी किया जा सकता था।[103]

मारवाड के प्रारम्भिक शासक न्याय प्रिय थे। परन्तु धीरे–धीरे विजयसिंह व भीमसिंह के काल में मराठों के आक्रमण के कारण न्याय प्रणाली को अत्यधिक ठेस पहुँची थी।[104]

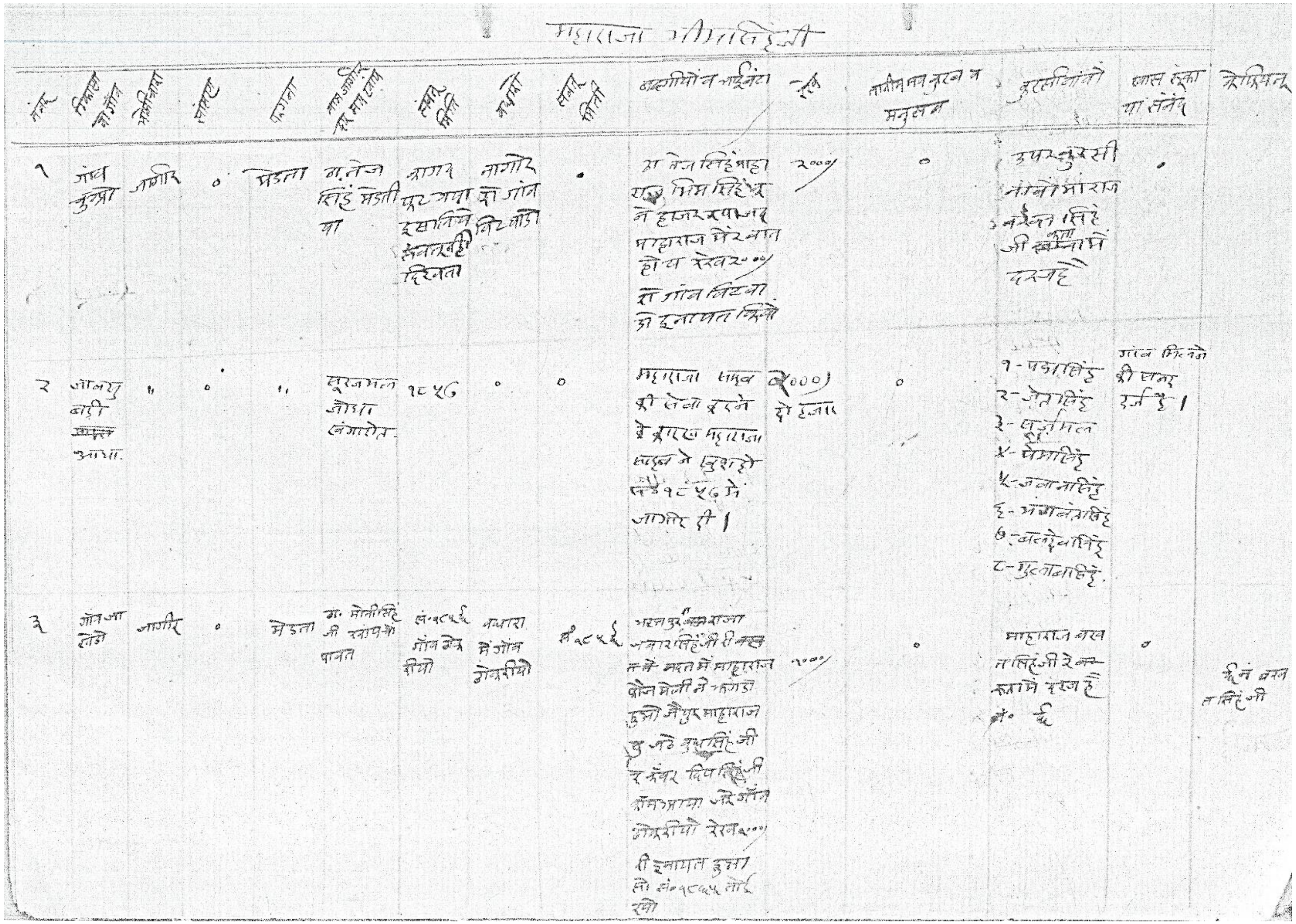
दीवान गैर अपराधिक मामले सुलझाते थे। कभी कभी आपराधिक मामले पुन विचार के मामले भी दीवान के द्वारा सुलझा सकता था। राजा की अनुपस्थिति में अंतिम सुलह भी दीवान करवा सकता था।[105]

महाराजा भीमसिंह भी न्याय प्रिय थे पर मराठों के आक्रमण के कारण मारवाड़ की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी तो महाराजा भीमसिंह ने कई ठिकानेदारों के पट्टे जब्त कर उनसे आर्थिक दण्ड के रूप में 'पेशकशी' वसूल की थी।[106]

महाराजा भीमसिंह ने विद्रोही लोढ़ा साहमल से गुप्त पत्र व्यवहार करने पर मुहणोत मुकनचंद को तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया था। इसके अतिरिक्त अन्य विरोधियों को भी दण्डित किया जैसे धोखे से मरवाना, बांधकर मारपीट करना, घर छीनना, शहर से बाहर निकालना, अपराधियों की स्त्रियों को बुलाकर कैद करना,

अवैध 'गढ़ी' और हवेलियों को तोड़ना, उनका निर्माण करने वाले कारीगर के हाथ काटना आदि।[107]

महाराजा भीमसिंह के द्वारा सिंघवी अखैराज द्वारा जालोर पर अधिकार करने में असफल होने पर उसे कैद किया गया था और 60 हजार रूपये का जुर्माना लगाकर पुनः बख्शी का पद दिया गया था।[108] कभी–कभी सांमतों को दण्डित करने के लिए महाराजा द्वारा उनके अधीन कार्य करने वाले रंगरेज, धोबी, नाई, मोदी आदि जाति के लोगो को सांमतो का काम करने पर रोक लगा दी जाती थी।[109] बलात्कार के अपराध की तरह आम प्रजा के बीच हत्या के अपराध में भी सामान्यतः 100 से 500 रूपये तक के आर्थिक दण्ड दिए जाते थे।[110] इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रशासन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए न्याय व्यवस्था को कठोर होना अति आवश्यक है।




**महाराजा भीमसिंह कालीन रेख**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ४ | गामणी जागीर | ० | मेड़ता | जोधा पूरसिंह संवत १८५६ धोरीसिंहोत | ० | ० | ठाकुर सीवसिंह लाडनू ठाकुर शैतान सिंह के जा बिजड़ सूरजपुर के लोडे और सेही ... आये संवत १८५६ में महाराजा भीमसिंहजी ने ये जागीर इनायत की। इनके पुत्र पूरसिंह और भीमसिंह थे। | १०००) | ० | १-रामनाथजी<br>२-कल्याणसिंह<br>३-नरसिंहदास<br>४-केसरीसिंह<br>५-चंद्रसेन<br>६-उग्रसेन<br>७-आनंदसिंह<br>८-मोहकमसिंह<br>९-कीर्तिसिंह<br>१०-सूरतसिंह<br>११-गुलजी<br>१२-शिवनाथसिंह<br>और दूसरा<br>१-हरीसिंह<br>२-भोमसिंह<br>३-उमजी<br>४-पृथ्वीराज |
| ५ | लेसड़ो | " | ० | " उदावत संवत सरदारसिंह १८५४ ~~...~~ आसाढ़ बद ७ | ० | ० | महाराजा साहब ने इनको रेजिमेंट के ठाकुर को इनायत किया। | १००००) | ० | १-पर्वतजी<br>२-गुमानजी<br>३-सांवतराज<br>४-रतनसिंह<br>५-कल्याणदास<br>६-सुरजदास<br>७-विजयराज<br>८-जोरावर |

महाराजा भीमसिंह कालीन रेख

# सन्दर्भ सूची

1. भाटी, जितेन्द्रसिंह राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, 2011, पृष्ठ–223
2. भाटी, डॉ. हुक्मसिंह, मारवाड़ के ओहदेदारों का इतिहास में योगदान, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केन्द्र, जोधपुर, प्रथम संस्करण 2013, पृष्ठ 250,
3. वही, पृ. 2
4. भाटी, डॉ. हुक्मसिंह, राठौड़ा री ख्यात, खण्ड–3 पृ. 684, 685, मारवाड़ के ओहदेदारों का इतिहास, पृ. 251
5. मारवाड़ के ओहदेंदारों का इतिहास में योगदान, डॉ. हुक्मसिंह भाटी, पृष्ठ – 13
6. ओहदाबही संख्या 1,
   (ii) ओहदाबही संख्या 2, इमेज नं. 107
7. (i) राठौड़ा री ख्यात – 3, डॉ. हुक्मसिंह भाटी, पृष्ठ–677
   (ii) ओहदाबही संख्या 1, पृष्ठ–13
   (iii) ओहदाबही संख्या 2, पृष्ठ–7
8. ओहदाबही संख्या–1, पृष्ठ–256
9. मारवाड़ री ख्यात– इमेज नं. 108
10. महाराजा अजीतसिंह कालीन बही (वि.स. 1776) पृष्ठ 216
11. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ–112
12. ओहदाबही, संख्या–1, इमेज न. 108
13. भाटी, डॉ. हुक्मसिंह, मारवाड़ के ओहदेदारों का इतिहास में योगदान, पेज न. 259
14. (i) ओहदाबही संख्या 1, पृष्ठ–260
    (ii) महाराजा गम्भीरसिंह (ईडर) का पत्र डयोढीदार भगवानदास के नाम वि.स. (1855) ठिकाना पाल री ख्यात पृष्ठ 112
15. ठिकाना पाल री ख्यात, डॉ. विक्रमसिंह भाटी, पृष्ठ–13

16. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ 56, 100, 149, 161, 168
17. राठौड़ा री ख्यात, भाग 1, पृष्ठ 98
18. ओहदाबही, संख्या–1, पृष्ठ–262
19. विवाह बही, संख्या 836, इमेज नं. 109
20. ओहदाबही, संख्या–1, पृष्ठ–263
21. ओहदाबही, संख्या–1, पृष्ठ–264
22. सनद परवाना बही, वि.स. 1822, इमेज नं. 110
23. ओहदाबही संख्या–1, इमेज नं. 110
24. ओहदाबही, संख्या–1, इमेज नं. 111
25. ओहदाबही, संख्या–1, इमेज नं. 112
26. ओहदाबही, संख्या–1, इमेज नं. 113
27. ओहदाबही, संख्या–1, इमेज नं. 114
28. ओहदाबही, संख्या–1, इमेज नं. 115
29. ओहदाबही, संख्या–1, इमेज नं. 116
30. ओहदाबही, संख्या–1, इमेज नं. 117
31. ओहदाबही, संख्या–1, इमेज नं. 118
32. ओहदाबही, संख्या–1, इमेज नं. 119
33. ओहदाबही, संख्या–1, इमेज नं. 120
34. ओहदाबही, संख्या–1, इमेज नं. 121
35. ओहदाबही, संख्या–1, इमेज नं. 122
36. ओहदाबही, संख्या–1, इमेज नं. 123
37. ओहदाबही, संख्या–1, इमेज नं. 124
38. ओहदाबही, संख्या–1, इमेज नं. 125
39. ओहदाबही, संख्या–1, इमेज नं. 126
40. ओहदाबही, संख्या–1, इमेज नं. 127
41. ओहदाबही, संख्या–1, इमेज नं. 128
42. बाईजी सायब री बही, वि.स. 1918–20, संख्या 836, पुस्तक प्रकाश जोधपुर, पृष्ठ–7

43. ओहदाबही, संख्या–1, पृष्ठ–119
44. परगना मेड़ता री अमल दस्तुर, मारवाड़ परगना री विगत, भाग–2, पृष्ठ–88–89
45. ऐतिहासिक बातां पृष्ठ–80, राठौड़ा री ख्यात भाग–1, वि.स. 1597 का रजलाणी की बावड़ी का शिलालेख, पृष्ठ 109
46. ऐतिहासिक बांता, पृष्ठ–36,63
47. राजस्थानी बात संग्रह, पृष्ठ–191
48. राठौड़ा री ख्यात, भाग–1, पृष्ठ–161, 164
49. राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रंथों का सर्वेक्षण भाग–3, डॉ. नारायण सिंह भाटी, पृष्ठ–168
50. ओहदाबही, संख्या–1, पृष्ठ–121
51. ओहदाबही, संख्या–1, पृष्ठ–125
52. ओहदाबही, संख्या–1, पृष्ठ–127
53. राठौड़ा री ख्यात, भाग–1, पृष्ठ–533–534
54. राठौड़ा री ख्यात, भाग–1, पृष्ठ–290, 309
55. ओहदाबही, संख्या–1, पृष्ठ–142
56. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ–15, 178, 181
57. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ–140–141
58. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ–145
59. राठौड़ा री ख्यात, भाग–1, पृष्ठ–686
60. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ–155
61. राठौड़ा री ख्यात, भाग–3, पृष्ठ–671
62. राठौड़ा री ख्यात, भाग–3, पृष्ठ–673
63. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ–140–141
64. राठौड़ा री ख्यात, भाग–3, पृष्ठ–670–672
65. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ–139
66. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ–145
67. राठौड़ा री ख्यात, भाग–3, पृष्ठ–686

68. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ–145
69. महाराजा मानसिंह री ख्यात, पृष्ठ–151
70. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ 147–149
71. मारवाड़ रा परगना री विगत, खण्ड–1 पृष्ठ–40
72. जोधपुर हुकुमत री बहीः सतीश चन्द्र, रघुवीर सिंह, जी.डी. शर्मा (स.), मेरठ, 1976 ई., पृष्ठ–127,
73. मारवाड़ रा परगना री फरसत, भाटी हुकमसिंह (स.) पृष्ठ–7
74. हबीब इरफान दि एग्रेरियन सिस्टम ऑव मुगल इण्डिया (1556–1707), बम्बई, 1963 ई., पृष्ठ–257,
75. खेजड़ला ठिकाने के पट्टे परवाने (1781 ई.–1882 ई.) भाटी विक्रमसिंह (स.) पट्टा संख्या 3, इतिहास अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, 2006, पृष्ठ–5,
76. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ–137,138,159,160
77. राठौड़ा री ख्यात, खण्ड–3, पृष्ठ–674
78. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ–161
79. व्यास, आर.पी. रोल ऑव नोबिलिटी इन मारवाड़, जैन ब्रदर्स, नई दिल्ली, 1969 ई., पृष्ठ–187,
80. तवारीख जागीरदारान, राज मारवाड़–1893, पृष्ठ–6
81. सनद परवाना बही 1852, बही न. 302, पृष्ठ–6
82. सनद परवाना बही 1852, बही न. 302, पृष्ठ–7
83. सनद परवाना बही 1852, बही न. 302, पृष्ठ–8,9,10,11
84. तवारीख जागीरादान, राज मारवाड़ 1893, पृष्ठ–118
85. सनद परवाना बही संख्या 13 (वि.स. 1830) (राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर), पृष्ठ 160
86. ओधा खीजमतो वगेरे रा मोल री बही (सेवा चाकरी) बही संख्या 1, पृष्ठ–51
87. मुंशी हरदयालसिंह, मजमुए हालात व इन्तिजाम राज मारवाड़, जोधपुर सरकार, 1885 ई., पृष्ठ 353–354,
88. राठौड़ा री ख्यात, खण्ड–1, पृष्ठ–121
89. तवारीख जागीर दारान, राज मारवाड़, पृष्ठ–7

90. मुंशी हरदयालसिंह, मजमुए हालात व इन्तिजाम राज मारवाड़, पृष्ठ—440
91. बारहठ शिवदत्तदान, जोधपुर राज्य का इतिहास, पृष्ठ—205
92. शर्मा, जी.सी. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजपूत, पृष्ठ—48, 49, 139
93. (i) तवारीख जागीर दारान, राज मारवाड़ 1893, पृष्ठ—115
(ii) जोधपुर री ख्यात, भाग—3, पृष्ठ—82
94. खेजड़ला ठिकाने के पट्टे परवानों 1781—1882, भाटी विक्रमसिंह (स.) पट्टा संख्या—3, इतिहास अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, पृष्ठ—5,
95. राठौड़ो री ख्यात, खण्ड—1, पृष्ठ—21
96. हुकूमत लाग, पृष्ठ—3
97. सनद परवाना बही, संख्या—45, वि.स.1850, पृष्ठ—229
98. सनद परवाना बही, संख्या—45, वि.स.1850, पृष्ठ—71
99. परवाना बही, संख्या—45, वि.स.1850, पृष्ठ—65
100. हथ बही न. 4 *(जोधपुर रिकार्ड)*, पृष्ठ 229
101. हकीकत बही न. 1 *(जोधपुर रिकार्ड)*, पृष्ठ 216
102. प्राचीन भारत का इतिहास, झा और माली ( दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 1984 ई.), पृष्ठ 212,
103. सनद परवाना बही, संख्या 45 (वि.स 1850) (अभिलेखागार, बीकानेर), पृष्ठ 278—279
104. जबरसिंह, द ईस्ट इंडिया कम्पनी एण्ड मारवाड, पंचशील प्रकाशन, जयपुर 1973 ई, पृष्ठ 190,
105. सनद परवाना बही संख्या 45 (वि.स. 1850) पृष्ठ 145
106. राठौड री ख्यात, पृष्ठ 684
107. मारवाड री ख्यात, 137, 138
108. राठोडी री ख्यात, खण्ड 3, पृ.674
109. मारवाड री ख्यात, पृष्ठ 161
110. सनद परवाना बही, संस्था 45, (वि.स.1850) पृष्ठ 145

## चतुर्थ अध्याय

# महाराजा भीमसिंह के समय सामाजिक व आर्थिक दशा

मरू प्रदेशीय समाज का मूल आधार वैदिक वर्ण व्यवस्था ही थी। लेकिन धीरे–धीरे इसमें काफी शैथिल्य उत्पन्न हो गया। ब्राह्मणों ने अपने यज्ञ, पूजा–पाठ को छोड़कर कृषि व पशुपालन का काम भी करने लगे थें। वैश्य भी व्यापार करने के साथ–साथ कृषि का कार्य करने लगे थे। वर्ण व्यवस्था में परम्परागत कठोरता नही रही थी। समाज में अब वर्ण व्यवस्था का स्थान जाति व्यवस्था ने ले लिया था। राजनैतिक दृष्टि से यहाँ का समाज तीन वर्गो में विभक्त किया जा सकता है। समाज में सर्वप्रथम स्थान शासक वर्ग का था। इस वर्ग में राजा व राजपरिवार के लोग व मारवाड़ के बड़े–बड़े सामन्तों का स्थान था। इस वर्ग में मारवाड़ का राजा प्रथम व्यक्ति माना जाता था। समाज में दूसरा वर्ग राजकीय कर्मचारियों और धनाढ्य व्यक्तियों का था। इनकी संख्या समाज में कम थी लेकिन इनका प्रभुत्व था। राजकीय कर्मचारी वास्तविक शासन का संचालन करते थे। यह वर्ग राज्य में बैंकर का कार्य भी करता था। आवश्यकता पड़ने पर राजा इन व्यापारियों से आर्थिक सहयोग की अपेक्षा रखता था।[1] राजा द्वारा सेठ व साहुकारों को प्रसन्न रखने के लिए उन्हे सिरोपाव आदि राजकीय सम्मान देकर इनकी प्रतिष्ठा में वृद्वि करता था।[2] समाज में तीसरा वर्ग जन साधारण का था जिसके अन्तर्गत कृषक, मजदूर और छोटी–मोटी व्यवसायिक जातियों की गणना होती थी। जन साधारण पर राजा व सामन्तों का दबाव रहता था। सामंत व राजकीय कर्मचारी इस वर्ग का शोषण करते थे।

### 4.1 जाति व्यवस्थाः–

महाराजा भीमसिंह के समय मारवाड़ में समाज जातियों व उपजातियों के जाल के रूप में मुखरित था। सामाजिक स्तर और आपसी संबधों का आधार जाति व्यवस्था ही था। इन जातियों को दो भागों में बाँटा जा सकता है। स्वर्ण जातियाँ तथा निम्न जातियाँ। स्वर्ण जातियों का समाज में ऊंचा स्थान था निम्न जातियों का

समाज में कोई सम्मानित स्थान नही था। इन जातियों को स्थानीय समाज में छतीस भवन जात कहा जाता था।

**ब्राह्मणः—**

समाज में ब्राह्मण मारवाड़ की ही नही बल्कि सारे भारत की एक प्रसिद्व जाति रही है। मारवाड़ में इस जाति का बहुत महत्व था। हिन्दुओं का कोई भी काम ब्राह्मणों के बिना पूरा नही होता था। जन्म, विवाह, विद्या आरम्भ, परदेश जाने और घर आने, तीर्थ नहाने व अंतिम संस्कार आदि इन सभी कार्यो में ब्राह्मण की अनेक जातियां एवं उपजातियां थी जैसे – पुष्करणा ब्राह्मण (ये ब्राह्मण मारवाड़ के उतर ओर पश्चिम में अधिक बसे हुए थे), श्रीमाली, प्रोहित, जोशी, पालीवाल, आचार्य, आदि ब्राह्मण जातियां थी।[3] कुछ ब्राह्मणों को उनके क्षेत्र के अनुसार नाम दिया गया जैसे पाली के निवासी पालीवाल, श्रीमाल क्षेत्र के श्रीमाली व सांचौर क्षेत्र के सांचौर ब्राह्मण कहलाये।[4] शुभ व अशुभ कार्यो में ब्राह्मणों की उपस्थिति वांछनीय होती थी।[5]

**राजपूतः—**

मारवाड़ में राजपूत खुबसुरत लंबे उंचे कद के शारीरिक दृष्टि से बलवान होते थे। राजपूत मुख्य रूप से सैनिक कार्यो में भाग लेने वाली जाति मानी जाती थी। राज्य की सम्पूर्ण सत्ता इस जाति के पास ही थी। राजपरिवार की सुरक्षा विश्वस्त राजपूतों को नियुक्त किया जाता था। राजवंश मे विशेष अवसरों पर इनकी अहम भूमिका होती थी।[6]

राजपूतों में राठौड़ो की अनेक खांपे थी जैसे चांपावत, कूंपावत, उदावत, जेतावत, करणोत, करमणोत, जोधा, मेड़तिया आदि। मारवाड़ में राठौड़ो के अलावा भाटी, पंवार, देवड़ा सिसोदिया, चौहान, तंवर आदि राजपूत जातियां निवास करती थी।

**चारणः—**

मारवाड़ में चारणों का विशेष स्थान था। राजा और सांमत वर्ग में इनका अत्यधिक सम्मान था। चारण जाति दो वर्गो में विभाजित थी। मारू और काछेला।

मारू चारणों की 120 शाखाओं मे से मारवाड़ में 53 शाखाएं ही थी। काछेला चारणों का मारवाड़ में पूर्णतया अभाव था। पशु–पालन का भी धंधा करते थे। इनका रहन सहन व रीति–रिवाज राजपूतों से मिलता–जुलता था। समाज में इनका सम्मान बढ़ाने के लिए इन्हें सिरोपाव, लाख, पसाब और अनेक कूरब प्रदान करते थे।[7]

**महाजन या वैश्यः–**

मारवाड़ के सम्पूर्ण व्यापार पर इनका अधिकार था। मारवाड़ के बाली, देसुरी, जालौर, नागौर, डीडवाना और सांभर के प्रदेशों में यह जाति अधिक संख्या में निवास करती थी। महाराजा विजयसिंह के समय पर अपनी आर्थिक कठिनाईयों को दूर करने के लिए इस वर्ग से कर्ज लिया था।[8] व्यापारिक कार्यो के साथ ही मारवाड़ में भंडारी, सिंघवी, मुहणोत आदि महाजनों ने राजकीय सेवा में प्रवेश कर प्रशासनिक पदों पर पहुंच गये थे।[9] महाराजा भीमसिंह के समय सिंघवी जोधराज, इन्द्रराज व बनेचंद राजकीय सेवा में महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत थे।[10]

**खेतिहर जातियांः–**

सम्पूर्ण जनसंख्या का नौंवा भाग केवल जाट जाति का था। मारवाड़ की सम्पूर्ण खेती योग्य भूमि के एक चौथाई भाग पर केवल जाट ही खेती करते थे।[11] मारवाड़ में जाट कठोर परिश्रमी, लम्बे, ऊँचे कद के, शारीरिक दृष्टि से मजबूत और वीर होते थे। इन्हें मारवाड़ में मोडी जात कहा जाता था। जाटों के अलावा बिश्नोई, माली, पिटल और सीरवी आदि जातियां मारवाड़ मे खेती और पशुपालन का धन्धा करती थी।[12]

**लिखने वाली या मुत्सद्दी जातियां :–**

मर्दुम शुमारी के अनुसार इस वर्ग में कायस्थ, खत्री और ओसवाल जाति के लोग शामिल थे। कायस्थों का मुन्शी का पेशा था। मारवाड़ में पुष्करणा ब्राह्मण भी यही काम करते थे।[13]

**अन्य कार्य करने वाली प्रमुख जातियाँः–**

मारवाड़ कई छोटे–बड़े कार्य किसी विशेष जाति के द्वारा ही किया जाता था। जैसे– सुनार (स्वर्ण के कलाकार), कंसेरा (तांबा, पीतल और कांसा इत्यादि के कलाकार), लखेरा (चूंडियो के निर्माता), खाती (लकड़ी का काम करने वाले), बंबेरा (ये कपड़े पर लहरिये की रंगाई करते थे), पिंजारा (रूई धुनने के व्यवसायी), कलाल (ये शराब के व्यवसायी), कसाई (मांस के विक्रयकर्ता), घांची (दूध का विक्रय), रहबारी (ऊंटो के पालनकर्ता), कुम्हार (मिट्टी के बर्तनों को बनाने वाले), तेली (तिलों से तेल निकालने वाले), मोची (चमड़े को रंगना, पकाना और इससे वस्तुओं का निर्माता), धोबी (कपड़े धोने का), गोला (दासों का मारवाड़ में उपनाम), बेलदार (खुदाई करने वाले), सिलावट (पत्थर के कलाकार), तम्बोली (पान व सुपारी के विक्रयकर्ता), जुलाहे (कपड़ा बुनने वाले), नाई (बाल काटने व शादी–विवाह में बुलावा देने वाले), भंगी (कूंडा–करकट, (गंदगी) व मल मुत्र की सफाई करने वाले) आदि प्रमुख जातियां थी।

मुहणोत नैणसी ने समाज में छोटे–छोटे व्यवसायों और हीन धन्धों में लगी हुई जातियों को मारवाड़ की छतीस अन्य जातियां कहां है। इन सभी जातियों के अपनाये हुए कार्य को समाज में तुच्छ माना है।[14]

वकील, इत्तलानवीस, ड्योढीदार, पोतदार, मुशरफ इत्यादि पदों पर ज्यादातर ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों को अधिकतर जनानी ड्योढ़ी के संरक्षण का कार्य दिया गया था।

जातियों के बीच में आपस में खान–पान का निषेध था और हुक्का पानी जाति स्तर का प्रमाण माना जाता था। परन्तु इस प्रकार के जाति–विभेद होते हुए भी इस समय के लोगो का सामाजिक जीवन सामुहित आधार पर संगठित था। किसी भी जाति के जीवन में ऐसे अवसर अनिवार्य थे। जबकि दूसरी जाति का सहयोग आवश्यक हो जाता था।

## 4.2 स्त्रियों की दशाः–

समाज में स्त्रियों का स्थान नगण्य था। उनके व्यक्तित्व के उभरने का कोई साधन नही था। मारवाड़ में राजवंश घराने में स्त्री पुरूष की अर्धांगिनी होने के कारण यहां पर धार्मिक व सामाजिक कार्यो को सम्पन्न करने के लिए पुरूष के साथ उसकी उपस्थिति अनिवार्य समझी जाती थी। पतिवर्त धर्मपालन के लिए अपने शरीर को हंसते–हंसते अग्नि में समर्पित कर देने के त्यागपूर्ण कार्य से स्त्री को समाज में त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता था। राजपूतों में स्त्रियों का विशेष स्थान था।[15] स्त्री की रक्षा हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा देते थे।[16] वे स्त्री शक्ति के प्रतीक के रूप में स्त्री की पूजा करते थे।

स्त्री जाति के विकास के मार्ग में बाधाएं स्वरूप यहां पर पर्दा प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह और दहेज प्रथा आदि कुरीतिया विद्यमान थी। राजपूतों में पर्दा प्रथा जहां जातिय सम्मान का सूचक माना जाता था, वहां इस प्रथा के कारण स्त्रियों की स्वंतत्रता पर प्रतिबंध भी लगा हुआ था। पर्दा प्रथा स्त्री के लिए एक अभिशाप था।

जी.एच.ओझा, "राजस्थानी व उतरी भारत के समाज में पर्दा प्रथा का आगमन व प्रचलन मुस्लिम युग की देन मानते है।"

डॉ. बी.पी.मजूमदार, "मुस्लिम आक्रमणकारियों से पूर्व इस प्रथा के प्रचलन के प्रमाण प्राप्त होते है।"[17]

राजपरिवार की स्त्रियां महलों के अंदर भी चाकरों के सामने भी पर्दा कर के रखती थी। ओढ़नी से सदा उनका चेहरा ढका हुआ रहता था। स्त्रियां केवल जनाना ड्योढ़ी में ही स्वतंत्र रह सकती थी। सांमत वर्गीय व मुत्सद्दी परिवार की स्त्रियां भी रानियों की तरह पर्दा रखती थी।[18] मारवाड़ मे समृद्ध घराने की स्त्रियां जब बाहर जाती थी तो पालकी व बंद घोड़ा गाड़ियों में जाती थी। इसके अतिरिक्त जनसाधारण में स्त्रियां पर्दे में खुद को नही रखती थी वे पुरूषों के साथ कन्धें से कंधा मिला कर चलती थी क्योंकि उनको जीविका कमाने के कारण परिवार का

सहयोग करना पड़ता था। किन्तु मारवाड़ के उच्च घराने मे पर्दा प्रथा सम्मान जनक प्रतीक बन गयी थी और स्त्री की पवित्रता के साथ जुड़ गई थी।

**सती प्रथाः–**

सती प्रथा नारी जीवन के लिए एक दुःखदायी कुप्रथा थी। सती[19] का शाब्दिक अर्थ 'अमर' अथवा 'सत्य' पर स्थिर रहने वाली है। सती प्रथा के प्रमाण 12 वीं सदी में सती स्तम्भ अभिलेख मिलने लगते है।[20] 18 वीं शताब्दी में 'सती पुराण' इस प्रथा के कुछ कम होने का प्रमाण है।[21]

मारवाड़ के महाराजा अजीतसिंह से लेकर भीमसिंह के समय में राजा, राजकुवंरों की मृत्यू के पश्चात् उनकी रानियों, कुंवरानियों, पासवानों, पड्दायतों, खवासनों, दासियों आदि के सती होने का विवरण प्राप्त होते है। सती होना मारवाड़ में कुल के गौरव की बात समझी जाती थी।[22] मारवाड़ में कभी–कभी वंश परम्परा बनाये रखने के लिए भी स्त्री को सती होने के लिए मजबूर किया जाता था।[23] स्त्री का सती होना पीहर व ससुराल दोनो कुलों का मान बनाये रखने का प्रतीक माना जाता था।

महाराजा भीमसिंह की बहन अभयकंवर का विवाह जयपुर के महाराजा प्रतापसिंह के साथ हुआ था। प्रतापसिंह की मृत्यू का समाचार जब अभयकंवर ने सुना तो उन्होने सती होने का विचार किया तब यह सुन कर महाराजा भीमसिंह ने बाईजी की पीठ थपथपाते हुए कहा था कि 'बाई तौने साबास दोनू ही गढ़ उजालिया' अर्थात् जयपुर व जोधपुर दोनों कुलों का नाम रोशन कर दिया।[24] तब अभयकंवर की दादी सा मांजी भटियाणी (महाराजा विजयसिंह की रानी) ने इस कुप्रथा पर एतराज व्यक्त किया था और रानी ने महाराजा भीमसिंह को समझाया पर नही मानने पर रानी ने भीमसिंह को बहुत बुरा भला कहा था।[25] माता के मना करने के बाद भी वह सती हो गई तब महाराजा भीमसिंह के विचार थे–

"महाराजा भीवसिंह जी पधार हद सूधा
बरजिया बाई विजैसिंह जी री पोती म्हारी
बैन जैपुर परणाई काई कचाई लागै तों

तद बाईजी केयो वाभाजी हूँ। भोली तो न
छूं डील रीत नै देष ने महाराजा (प्रतापसिंह)
री पाघ लेती आई ———————— हमे आप
जेज नही करावसी रात पड़ जासी। तद
महाराज पूठ थावली बाई थोने साबास
दोनू ही गढ़ उजाल्ठिया ——— तद बाईजी
री माजी भटियाणी जी श्री हजुर ने हद
सुधी गैरा काठी।"[26]

कभी—कभी मरने वाले शासक की प्रतिष्ठा का माप उसके शव के साथ जलने वाली पत्नियाँ या उपपत्नियाँ से ही आंका जाता था। महाराजा भीमसिंह के परलोक गमन पर उनकी 8 रानियाँ सती हुई थी।[27] —

1. तुंवरजी छोटा, बीकानेर के गांव लखासर के तुवर बखावरसिंह की बेटी।
2. जैसलमेर रावल रायसिंह की बेटी।
3. देवड़ी जी मंडार राव केसरीसिंह की बेटी।
4. वीरपुरीजी गांव लुणावाडा की बेटी।
5. सोढ़ा मोतीसिंहजी की बेटी अमरकोट की बेटी।
6. चावड़ा भांणसा के अजीत सिंह चावड़ा की बेटी।
7. तुंवरजी बड़ा केलावा के तुंवर सुरताणसिंह की बेटी।
8. लाड़ी भटीयाणी जी ओसिंया के रावलोत सरूपसिंह की बेटी।[28]

इन रानियों के साथ—साथ कई पड़दायत, (बख्तराय, रूपरस, कुसालराय, रंगरूपराय) गायणीया (दास, सेविका) (फुलबेल, चंचलराय, नीरतराय, सुंदराय, मैताबराय, रतनजोत ओर तान भंडारी, ये नागौर में थी जब महाराजा भीमसिंह की मृत्यु हुई तो इन्होने संवत 1860 कार्तिक सूद 7 को सती हुई।), डावड़ीया (तुलछाई, मुलकी, रूपां, रतनाई, लाऊडी, रूखमाई, नऊडी) आदि के सती होने का उल्लेख मिलता है।[29]

सोढ़ा बख्ता नागौर में खास बरदांरा में एक नौकर था, जो महाराजा भीमसिंह से जोधपुर में खरची लेने के लिए आया था। तब उसे महाराज के देह त्यागने की बात पता चली तो उसने कार्तीक सूद 11 को मंडोर में महाराजा के पीछे जल कर मर गया था।[30] महाराजा भीमसिंह की रानियों के द्वारा सती होने का वर्णन राणीमंगो की बही में मिलता है। सती होने से पूर्व महारानी ने भाट आईदान कों उदास देखकर उसे सांत्वना दी, "तू क्यू बिलखो (उदास) दलगीर (भाव विह्लव) हुवै, इण पाट जो राज करसी सो थारो लाड राखसी।"[31]

इस प्रकार कहा जा सकता है कि मारवाड़ में सती प्रथा जैसी कुप्रथा प्रचलित थी इसे धार्मिक रूप दिया गया था नैतिक व न्याय की दृष्टि से इस प्रथा का समर्थन नही किया जा सकता था।

**बहु–विवाहः–**

प्राचीनकाल से ही यह प्रथा प्रचलित थी। पहले तो प्रथम पत्नि के कोई संतान नही होती थी। तो दूसरे विवाह की जरूरत होती थी लेकिन पूर्व मध्यकाल में राजपूत शासकों में बहु विवाह प्रथा का प्रचलन काफी हो गया था। बहु विवाह एक आर्कषण व सामान्य प्रथा बन गई थी। मुगल काल में राजपूतों शासकों में यह प्रथा काफी प्रचलित हो गई थी। राजपूत राज्यों की जनाना ड्योढ़ी में इस का प्रमाण मिलता है। मारवाड़ के महाराजा भीमसिंह की 11 रानियां थी इसका उल्लेख हमें राणी मंगा भाटों की बही में मिलता है।[32]

**महाराजा भीमसिंह रे रणवासां री विगतः–**

1. राणी सीरेकंवर तंवर सुरतांणसिंघ जोरावरसियोत री। जोरावारसिंह साुदलसिंघोत री सादुलसिंघ भवानी सिंघ करतसिंघ गोपीनाथोत री। ठिकाना – कैलावा री।

2. राणी ग्यानकंवर भटियाणी देरावारी सवाईसिंघ रायसिंघोत री। राय सिंघ कीसन सिंघोत री कीसन सिंघ मादो सिंघोत री। मादोसिंह रावल दलैल सांहावत री। दलैल साहा रावल रामचंद्रोत री ठिकाणा – जाखण री।

3. रांणी परतापकंवर लाडी भटियाणी भवानीसिंह सरूप सिंघोत री। सरूपसिंघ उमेघ सिंघोत री। उमेधसिंघ विजैसिंघोत री। विजैसिंह अमरिंसघोत री। अमरसिंह रावल सबलसिंघोत री। ठिकाणा ओसिया री।

4.राणी सीरदार कंवर तंवर बखतावरसिंघ दान सिंघोत री। दानसिघ सरूपसिंघोत री। सरूपसिंघ राव गोपी नाथोत री। गोपीनाथ राव केसो दासोत री। केसोदास उदेराजोत री। उदेराज राव धरमागजोत री। धरमागज राजा मानसिंघोत री। ठिकाणा – बीकानेरी में लखासर री।

5. राणी सूरजकंवर तंवर करणसिंघ सुरतांणसिंघोत री। सुरतांणसिंघ जोरावारसिंघोत री। जोरावरसिंघ सादुलसिंघोत री। सादुलसिंह भवानीसिघोत री। जोरावारसिंह सादुलसिंघोत री। सादुलसिंह भवानी सिंघोत री। भवानीसिंह क्ररत (कीरत) सिंघोत री। कीरत सिंह गोपीनाथोत री। गोपीनाथ राव कैसोदा सोत री। कैसोदास राव उदेराजोत री। उदेराज राव धरमागजोत री। धरमागज राजामान सिंघोत री ठिकाना कैलावा री।

6. राणी अणदकवंद कछवाई परतापसिंघ मादोसिंघोत री। ठिकाणा – जैपुर री।

7. रांणी सीणगार कंवार भटियाणी जैसलमेर री। रायसिंघ रावल मूलराजोत री। मूलराज रावल अखेसिंघ री। अखेसिंघ रावल जगतसिंघोत री। जगत सिंघ रावल जसवन्त सिंघोत री। जंसवंत सिंघ रावल अमर सिंघोत री अमरसिंह रावल सबल सिंघोत री । ठिकाणा – जैसलमेर री।

8. राणी सिरेकंवर देवड़ी केसरी सिंघ जोरावरसिंघ मानसिंघोत री। मानसिंघ दुरजणसिंघोत री। राजसिंघ सुरताण सिंघोत री। ठिकाणा मंडार री।

9. रांणी रतनकवंर वीरपुरी सोलंकणी राणा अजीत सिंघ बखतसिंघोत री। बखतसिंह जेतसिंघोत री। जेतसिंघ नारसिंघोत री। नारसिंघ राणा वीरसिंघोत री। वीरसिंघ रांणा चंद्र सेणोत री। चंद्रसेण राणा दयाल दासोत री ठिकाना लूणवा री।

10. राणी मानंकवर सोढ़ी मोतीरासिंघ सुरतांणीसिंघोत री। सुरतांणसिंघ ही गोल सिंघोत री। ठिकाणा – उमरकोट री।

11. राणी हीराकंवर चावड़ी जुजारसिंघ भगवंतसिघ री। ठिकाणा – गुजरात में मांणासा री।[33]

इससे स्पष्ट है कि मारवाड़ में उच्च कुल में बहु विवाह प्रथा का प्रचलनन था। राज परिवार या उच्च कूल में बहुपत्नी प्रथा के संदर्भ में प्रथम विवाहिता पत्नी का स्थान पटरानी या मुख्य पत्नी के रूप में स्थापित होता था। महाराजा भीमसिंह ने वि.स. 1850 में रानी जी श्री तुंवर जी को पटरानी बनाये जाने का उल्लेख मिलता है।[34]

**वैधव्यः–**

समाज में वैधव्य एक भीषण व दुःख प्रद स्थिति थी। पति की मृत्यु होने पर स्त्री को सती होना पड़ता था या फिर ब्रहाचर्य का पालन करके जीवन व्यतीत करना होता था। उच्च जातियों में विधवा होने पर पुनर्विवाह संभव नही था। विधवाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई शासकों ने कुछ प्रयत्न किये थे। जोधपुर राज्य के राजकीय पत्रों में विधवाओं को राज्य की ओर से सहायता प्रदान करने का उल्लेख भी मिलता है। कई परिस्थितियों में राज्य के किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर राजा स्वंय विधवा स्त्री को सांत्वना देने जाते थे, जिसका प्रमाण हमें भीमसिंह कालीन मारवाड़ री ख्यात में मिलता है। सिंघवी वनराज (महाराजा भीमसिंह का सेनापति) की मृत्यु जालोर युद्ध में हो गई थी तब महाराजा भीमसिंह तीसरे दिन शोक व्यक्त करने उसकी हवेली गए और उसकी विधवा स्त्री को दिलासा दी और खर्च की व्यवस्था भी की गई।[35]

**पातुर व भक्तगणः–**

तत्कालीन समाज में नृत्यांगनाओं और गायिकाओं का भी एक वर्ग पनप चुका था जिन्हे साधारणतया पातुर व भक्तण कहा जाता था। मारवाड़ में वेश्याओं के लिए पातर शब्द प्रयुक्त हुआ है। महाराजा विजयसिंह के समय इस वर्ग में लड़कियों ने गाना बजाना व नृत्य करना शुरू किया था। राजकीय संरक्षण में रहती थी ये तथा

यें धनिक व सम्पन्न वर्ग के लिए मनोरंजन का कार्य करती थी। ये पातरियाँ, भक्तणियाँ राजकीय उत्सवों, जन्मोत्सव, विवाह, दिवाली, गणगौर, होली आदि त्यौहारों पर महफिलों में राजा–रानियों के मनोरंजन करने के लिए नृत्य करके वातावरण को उत्सवानुकूल बनाती थी।[36] महाराजा भीमसिंह के समय में नाथी, किसनी व दलुड़ी प्रसिद्व भक्तणियाँ थी। पातरियों में मुख्य पनुड़ी, लाखुड़ी, चेतुड़ी, इन्दुड़ी, गुमानी, जीवणी, चनणी, चोथकी, इमरती, शेरूडी व अखुड़ी थी। इनके गायन व नृत्य के समय रात्रि में प्रकाश हेतु दिवटिये व मशालचियों की नियुक्ति होती थी।[37] पातरियों को उनकी योग्यतानुसार मासिक वेतन भी मिलता था। ये पातरिया खुशी में ही नही वरन् गमी के अवसर पर भी इनकी उपस्थिति आवश्यक होती थी। महाराजा की मृत्यु होने पर 12 दिन जागरण में शोक प्रदर्शन हेतु ये महिलाएँ शोकाकुल वातावरण के अनुसार कार्य करती थी।

इस प्रकार उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नारी की स्थिति विभिन्न पहलू में अच्छी नही थी। उनमें विद्यमान कई कुरीतियाँ जैसे पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बहु विवाह आदि नारी के जीवन को संकटमय बना रखा था।

**मारवाड़ का धार्मिक जीवनः–**

प्राचीनकाल से ही राजस्थान का समाज धार्मिक भावनाओं से अनुप्राणित रहा है। मारवाड़ एक धर्मप्राण प्रदेश रहा है। मारवाड़ में परम्परागत वैदिक विचारधारा के निर्वाह के साथ–साथ हिन्दू धर्म के अन्य विकसित रूपों का भी समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। मारवाड़ में राठौड़ राजवंश का राज्य था। राठौड़ राजा सूर्यवंशीय क्षत्रिय व हिन्दू धर्मावलम्बी थे। हिन्दू धर्म के अनेक मतों व सम्प्रदायों को इनके द्वारा अपनाया गया तथा धार्मिक परम्पराओं के निर्वहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। राठौड़ राजाओं की धर्म के प्रति आस्था व श्रद्वा के कई उदाहरण मिलते है। मुगलों व मराठों के आंतक से कभी–कभी राठौड़ शासकों को अपने राजनीतिक निर्णयों को बदलना पड़ता था परंतु धार्मिक आस्था से उन्होने कभी समझौता नही किया था।

मारवाड़ के राठौड़ शासकों की धार्मिक भावना की मराठा नेता भी बहुत इज्जत करते थे। जैसे महाराजा भीमसिंह की प्रार्थना पर अंबाजी इंगले ने उनके गुरू की उतरी भारत के धार्मिक स्थलों की तीर्थ यात्रा का प्रबंध किया था।[38]

मारवाड़ के राजन्य वर्ग एवं जन साधारण दोनो प्रतिकुल परिस्थितियों में भी धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह किया मारवाड़ में धार्मिक परिवेश शैव, शाक्त वैष्णव व जैन धर्म में अनुप्रावित थे। मारवाड़ के महाराजाओं ने अपने समय में अलग–अलग मतों को अपनाया व उनका सम्मान किया। शैव मत को मानने वाले शिव की पूजा, अर्चना करते थे मारवाड़ के महाराजा अजीतसिंह ने इस मत को अपनाया था। महाराजा विजयसिंह के समय भी इस मत का जोर था जोधपुर में महामंदिर इस मत का आसन था।

शाक्त मत के अनुयायी शक्ति की पूजा में विश्वास रखते थे। मारवाड़ में नागणेची, चामुण्डा व हींगलाज माता विशेष पूजनीय थी। राठौड़ो की इष्टदेवी चामुण्डा माता थी। महाराजा अजीतसिंह हिंगलाज माता के उपासक थे। महाराजा विजयसिंह वि.स. 1825 में चेचक रोग से स्वस्थ होने पर शीतलादेवी को वस्त्राभूषण व उपहार आदि भेंट किए।[39]

वैष्णव मत का प्रचलन मारवाड़ में 17वीं से 19वीं शताब्दी तक उत्कर्ष काल रहा। महाराजा अजीतसिंह ने मुरलीमनोहर और चतुर्भुज विष्णु की चांदी की मूर्ति बनवाकर किले में स्थापित की। महाराजा विजय सिंह जब भी किले के बाहर से आते तो सबसे पहले मुरली मनोहर के दर्शन करते थे।[40] यही परम्परा महाराजा भीमसिंह ने भी निभाई।

महाराजा भीमसिंह ने वल्लभ सम्प्रदाय को अपनाया। वल्लभ सम्प्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। उनका भक्ति मार्ग 'पुष्टि मार्ग' के नाम से विख्यात हुआ। सर्वप्रथम मारवाड़ के महाराजा जसंवतसिंह ने अपने शासनकाल में श्री नाथ जी की मूर्ति चौपासनी गांव के समीप कदमखण्डी स्थान पर की थी।

महाराजा भीमसिंह की आस्था भी इस सम्प्रदाय में बनी रही। मारवाड़ की ख्यात में भीमसिंह को नाथद्वारा के गोस्वामियों को शरण नही दे पाने का पछतावा हुआ था अतः उन्होने पच्चीस हजार रूपये की हुण्डी और खास रूक्का भेजकर उन्हें आश्वस्त किया था। उन्होने गोकुल से आने वाले गोस्वामी गोविन्द का यथोचित आदर कर सेवा के निमित पाँच हजार रूपये अर्पित किए थे।[41] इस प्रकार कहा जा सकता है कि जोधपुर में वल्लभ सम्प्रदाय की आस्था रही है। इन्होनें इस सम्प्रदाय के मंदिरों में खर्च हेतु अनेक पट्टे दिए व मठाधीशों व आचार्यो को नकद रूपया, जेवरात, आदि देकर भी मान बढ़ाया। इस सम्प्रदाय के प्रचार से मारवाड़ में कृष्ण भक्ति का प्रसार हुआ।

## सामाजिक जीवन के निर्धारक घटक संस्कार एवं तत्सम्बन्धीः–

### रीति रिवाजः–

मनुष्य का वैयक्तिक सामाजिक विकास हो, साथ ही दैहिक और भौतिक जीवन सुव्यवस्थित ढंग से उन्नत हो सके, इस हेतु जीवन में संस्कारों की नियोजना की गई। संस्कार एक ऐसी धर्म सम्मत व्यवस्था है जिसके अनुपालन के उद्देश्यों का विवरण उपनिषदों, गुहासुत्रों, धर्मसुत्रों, स्मृतियों, पुराणों आदि में मिलता है। सभी धर्म शास्त्रकार संस्कारों की संख्या 16 मानते है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तों नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडा कर्म, कर्णवेध, विधारम्भ, उपनयन, वेदारम्भ, केशान्त, समावर्तन, विवाह और अत्येष्टि आदि।

## जन्म से पूर्व सम्पन्न किये जाने वाले संस्कारः–

### पंचमासीः–

'पुंसवन' संस्कार को ही पंचमासी के नाम से जाना जाता है। इस अनुष्ठान को सम्पन्न करने की मूल भावना पुत्र प्राप्ति की कामना व पुरूष संतति की वृद्वि था। पंचमासी का उत्सव गर्भधान के पश्चात् पांचवें माह मे किया जाता था। इस दिन गर्भवती को लकड़ी की चौकी पर बिठाकर राजलोक, बडारणियाँ, पुरोहिताणी, गायणियाँ, उडदा बेगाणियाँ, सेविका, गीतेराणियाँ इत्यादि ने रूपये व नारियल दिए।

जवाली (मेवों की माला) पहनाई गई। चौसठ योगिनियों भैरू व सूर्य की पूजा की गई। खोल भराई की रस्म हुई। धाय द्वारा गर्भस्थ शिशु की नजर उतारी जाती थी।[42] सबको लापसी बांटी जाती। इस प्रकार राजसी वैभव से उत्सव सम्पन्न किया जाता।

**आगरणीः—**

आगरणी का उत्सव वैदिक संस्कार सीमन्तों नयन का ही संशोधित स्वरूप था। वैसे आश्वलायन गृहासूत्र में कहा है— 'चतुर्थ गर्भमासे सीमन्तोंन्नयनम्' इस आयोजना का उद्देश्य गर्भिणी स्त्री को हर्षित व उल्लसित रखना था जिससे उसे किसी प्रकार का मानसिक व शारीरिक तनाव न पहुँचे। यह आठवें माह में सम्पन्न होता था इसे 'खोल भराई', साध पुराना, चौक पुराई, अठमासे की गोद भरना आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त विनायक लाया जाता। उकरडी (गोबर का ढेर) की पूजा तथा रातिजोगा दिया जाता पहरावणी[43] की रस्मपूर्ण की जाती थी।

**जन्मोत्सव एंव पश्चात् के संस्कारः—**

राजवंश में पुत्र जन्म पर हर्षोल्लास सहित विभिन्न रस्में उत्सवपूर्वक सम्पन्न की जाती है। महाराजा के पुत्र जन्म की खुशी राजपरिवार ही नही वरन् जनसाधारण के लिए भी उत्सव बन जाती थी। राजकुमार के जन्म की सूचना दाई द्वारा सोरीगृह से देते हुए ही कांसे का थाल दासी द्वारा बजाया जाता है।[44] जन्म के समय किये जाने वाले कर्म को जातकर्म संस्कार कहा गया है। इस खुशी की सूचना राज्य में तोपे छोड़कर दी जाती। दानपुण्य किया जाता। शिशु जन्म के उपरांत सर्वप्रथम आंवल को भूमि में दबाने का दस्तुर सम्पन्न होता। आंवल को थाल में रखकर सभी लोग गाते बजाते जाते। आंवल दस्तुर सम्पन्न हो जाने पर पुत्र जन्म की खुशी की नौबत बजाने का आदेश होता।[45]

जन्म के छठे दिन 'छठी का दस्तुर' सम्पन्न किया जाता। इसके अतिरिक्त पालने सुलाने की रस्म, दस दिन अथवा दस माह उपरांत दसोटण, लगभग एक

माह उपरांत जलवा पूजन एवं प्रथम होली आने पर ढूंढ की रस्म सम्पन्न की जाती।[46]

ढ़ढ से तात्पर्य बच्चे के जन्म के उपरांत प्रथम होली पर किये जाने वाले प्रमुख संस्कार से है जो ढूंढ का दस्तुर कहलाता है।[47] एक वर्ष पूरा होने पर वर्षगांठ का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता था।

**झडूला (चूड़ाकर्म संस्कार):–**

इस संस्कार को बच्चा तीन वर्ष का होने पर अथवा परिवार की परम्परा के अनुसार सम्पन्न किया जाता। इस संस्कार में प्रमुख रस्म बच्चे के सिर के बालों का प्रथम बार मुण्डन करवाना होता है। यह संस्कार 'झडुला उतारना' अथवा 'खीवर करना' के नाम से जाना जाता है। इस संस्कार को भी बहुत हर्षोल्लास से सम्पन्न किया जाता था। महाराजा विजयसिंह के पोत्र भीवसिंह की खीवर संवत् 1825 (1768 ई.) को माघ वदी पंचमी को हुई।[48]

**विवाह संस्कार:–**

विवाह जीवन का आवश्यक संस्कार है। विवाह संबंधी रीति रिवाज विभिन्न जातियों में अलग–अलग था। विवाह सें संबधी यह आम रिवाज था कि विवाह एक ही कुल (खांप) में नही किया जा सकता है। जैसे राठौड़ खांप का पुरूष राठौड़ वंश व उसकी शाखा प्रशाखा की कन्या से विवाह नही कर सकता था। वह अन्य राजपूत वंश, भाटी, चौहान, सोढ़ा, सिसोदिया, कच्छवाहा आदि वंश में विवाह कर सकता था। राठौड़ राजवंश में 'डोला विवाह' व 'खाण्डा विवाह' का भी प्रचलन था, किन्तु जन साधारण में ऐसे विवाह का प्रचलन होने का उल्लेख नही मिलता है।

**डोला विवाह:–**

इस विवाह मे जोधपुर से बारात नही जाती थी वरन् लड़की वाले लड़की को डोली में बिठाकर जोधपुर लाते थे। महाराजा भीमसिंह जी के समय लुणावड़ा से रांणी रतनकंवर वीरपुरी सोलकंणी का डोला आया था।[49]

**खाण्डा विवाहः–**

जब कोई राजकुमार या राजा युद्ध में या अन्य परिस्थितियों में व्यस्त रहते तो स्वंय विवाह करने नही जा सकते थे तब उनकी तलवार या खाण्डे के साथ पुरोहित को बारात लेकर भेज देते थे।

**विवाह संस्कार से संबधित रीति–रिवाजः–**

विवाह संस्कार सम्पन्न होने से पहले सगाई की रस्म होती थी। जिस राजवंश से सगाई होती थी वहां पर सगाई का नारियल व अन्य सामग्री (वस्त्र, मेवे, सोना, चाँदी) आदि ले कर आते थे। वि.स. 1848 (1791 ई.) आषाढ़ में कंवर भीमसिंह की सगाई जैसलमेर के रावल श्री मूलराज की पोती से हुई तब सगाई का नारियल जैसलमेर से आया था।[50] सगाई का रस्म बहुत ही धूमधाम से सम्पन्न होता था। सगाई के दिन ही विवाह का दिन निश्चित किया जाता था। निमंत्रण–पत्र का खरीता लिखकर सभी सम्बन्धियों को भेजा जाता था।[51] गणेश स्थापना के साथ विधिपूर्वक वैवाहिक रस्में प्रारम्भ की जाती थी। गणेश स्थापना के बाद पीठी लगाई जाती थी। गणेशजी के घूंट बनाई जाती। 'घूंट श्री विनायक जी रै अन्न रा कोठार सु आई पांच शेर धीरत, पांच सेर गुड़, पांच सेर मुंगा रा आखा कुंभ नीचे बिछावण ने।' मायामाता की स्थापना, उकरड़ी की पूजा व रात्रि जागरण होता था। फिर बारात रवानगी से पूर्व पड़ला भेजा जाता था। पड़ला (वर पक्ष की ओर से वधू के लिए वस्त्र, आभूषण, मेवे व अन्य सामग्री भेजी जाती थी) भेजा जाता था।

बारात वधुपक्ष के पहुँचने पर स्वागत होता था। मारवाड़ में बारातियों का स्वागत केसर के पानी का छिड़काव से किया जाता था। धार्मिक विधि–विधान व अन्य रस्मों का निर्वाह करते हुए ब्राहाणों द्वारा विवाह सम्पन्न कराया जाता था। विवाह के उपरांत लौटने पर वर वधु को महुर्तानुसार महल में प्रवेश कराया जाता था। बहन द्वारा आरती, पग–मण्डा, जुवा–जुई, रात्रि जागरण, कमीणों का नेग चुकाना आदि छोटी–छोटी रस्मों को पूर्ण किया जाता था। परिवार की महिला सदस्याओं की चरण वन्दना की जाती, जिसे पगेलगाई कहा जाता। नववधु का मुँह देखकर उसे रूपये दिए जाते, जिसे मुँह दिखाई कहा जाता है। इस प्रकार विवाह

संस्कार अनन्त धार्मिक व सामाजिक रस्मों–रिवाजों का समयोजन था। राजपरिवार में विवाह बड़ी धुमधाम से सम्पन्न होता था।

**अन्तयेष्टि संस्कारः–**

हिन्दु धर्म के सोलह संस्कारों में अंतिम संस्कार अन्तयेष्टि संस्कार होता है। मारवाड़ से सबंधित बहियों, ख्यातों से हमे राजपरिवार के मर्दाना, जनाना सरदारों के देवलोक होने से संबधित अनेक रस्में रीति–रिवाज मिलते है।[52] ख्यातों व बहियों से ज्ञात होता है कि महाराजा का स्वास्थ्य बिगड़ने पर वैध के द्वारा इलाज व ज्योतिषी के द्वारा नक्षत्रों की जानकारी ली जाती थी। मृत्यू पास होने पर व्यक्ति को बिस्तर से उतार कर नीचे दरी बिछाकर सुलाया जाता था। महाराजा भीमसिंह की हालत बहुत खराब होने पर उन्हे धरती पर सुलाने का उल्लेख हमे बही मिलता है।' तद दरजी मोती मोल (मोती महल) मैं ढ़ोलिंया सुं नीचै पधराया।[53] इस समय भूमि, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज गुड़, चीनी, चाँदी आदि सामग्री को दान देने का संकल्प कराया जाता था। भीमसिंह के अंतिम समय में कार्तिक सूद चौथ वि.स. 1860 (1803 ई.) में 500 मण अनाज, 500 गायें व 500 रोकड़ रूपये, एक गांव एक खेत, एक घोड़ा, एक हाथी एक रथ तथा पालकी आदि का संकल्प करवाया गया था।[54]

ग्यारस का व्रत करने का संकल्प भी लिया जाता था। मुँह में तुलसी, गंगाजल डाला जाता था महाराजा भीमसिंह को चरणामृत देने का उल्लेख मिलता है। ऐसा करने का उद्देश्य होता है कि देवलोकगमन के पश्चात् उसकी आत्मा की गति मुक्ति की पवित्र भावना है।

मारवाड़ में महाराजा की मृत्यू होने पर महल में नौबत बजनी बंद होती थी।[55] सारे उत्सवों को बंद करवा दिया जाता था तथा सभी पोलो को भी बंद कर दिया जाता था। महाराजा भीमसिंह की मृत्यू से पूर्व ही किले व शहर के दरवाजे बंद करवा दिये थे। सुरक्षा की दृष्टि से शहर के दरवाजे (रामकसन लोहापोल व जय पोल) बंद करवाये जाते थे। जनाना ड्योढ़ी में रूदन प्रांरभ हो जाता था।[56] महाराजा की रानियाँ, बडारणें, पड़दायतें, डावड़िये आदि सती होने की तैयारी करती थी।[57] महाराजा के सरदार मुत्सदी, अन्य पदाधिकारी व प्रमुख लोग किले में इकट्टे

होने लगते है। महाराजा के शरीर को वस्त्राभूषण धारण करवाकर पदमासन मुद्रा में बैकुण्ठी में बिठाकर शव यात्रा प्रमुख बाजारों से होती हुई मण्डोर ले जाई जाती थी। रूई, घी, चन्दन, कपूर आदि पवित्र वस्तुओं का प्रयोग दाह क्रिया हेतु किया जाता था।[58] शव यात्रा में सम्मिलित सभी लोग पास के नागाद्रि तालाब पर स्नान करते तथा पुरूषों द्वारा अपने बाल कटवाये जाते थे जिसे 'भदर होना' कहते है। महाराजा विजयसिंह की मृत्यू के बाद वेद मेघो, अवदार, सवाईसिंह, जोधराज तीनों भदर नही हुए तो महाराजा भीमसिंह इस बात से तीनों पर बहुत नाराज हुए थे।[59]

बारह दिन तक शोक रखा जाता है। मृत्यू के तीसरे, नौवे व बारहवें दिन शोक की रस्में पूर्ण की जाती है। तेरहवें दिन ब्रहाभोज का दान दक्षिणा दी जाती तथा मृत्यूभोज किया जाता था।

राजपरिवार के सदस्य अपने सेवकों की मृत्यू पर उनके परिवार की पूर्ण सहायता करते थे। सभी क्रियाकर्मी को पूर्ण विधि विधान से सम्पन्न करवाते थे। स्वामी व सेवक के संबधं परस्पर स्नेह व सहयोगपूर्ण थे।

राजवंश से संबंधित बहियों व ख्यातों में राजवर्गीय रस्मों का विवरण मिलता है। सामाजिक स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जन्म, विवाह, मृत्यू आदि संस्कारों को अपनी जाति की प्रथा, परम्पराओं के अनुसार सम्पन्न करता था।

### 4.3 वस्त्र एवं आभूषणः—

महाराजा भीमसिंह के सामाजिक व आर्थिक दशा से समाज के स्वरूप को दर्शाया गया है। महाराजा भीमसिंह कालीन स्त्रियों के वस्त्र, आभूषण विभिन्न वर्ग के रूप में स्त्रियों के द्वारा वस्त्र एवं आभूषण धारण किया जाता था जिसका विवरण जवाहर खाना एण्ड मिन्ट तथा जोधपुर की दस्तुर बही में मिलता है। राजवंश में घरेलू व्यवस्था को सुचारू रूप सें संचालित करने के लिए कारखाना[60] शब्द को प्रयोग में लेते थे। जोधपुर राजपरिवार की घरेलू व्यवस्था को बनाये रखने एवं पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक, राजकीय रीति—रिवाजों को सम्पन्न करने के लिए कोठार व कारखानों की प्रमुख भूमिका रही है। कपड़े की माप हेतु गज का प्रयोग

होता था। वस्त्र की लम्बाई हाथ से भी नापी जाती थी। यथा एक हाथ, दो हाथ। पाग, दुपट्टा साड़ी की खरीद नग (गिनती) के हिसाब से कपड़े की किस्म एवं प्रकार के आधार पर होती थी।

**कपड़ो का कोठारः—**

राजवंश के लोगो तथा सेवक नौकर चाकरों के दैनिक जीवन में या विशेष उत्सव में काम आने वाले कपड़ों की पूर्ति इसी विभाग के द्वारा की जाती थी। विशेष अवसरों पर महाराजा द्वारा कपड़ो का दान सिरोपाव (सिर से पैर तक के वस्त्र) आदि की व्यवस्था यही से होती थी। महाराजा के द्वारा जन्म से मृत्यु तक पहने जाने वाले कपड़े इसी कारखाने से जाते थे।

**बागा का कोठारः—**

महाराजा व रानीयों के कपड़ों की पूर्ति कपड़ो के कोठार से की जाती थी पर वागा के कोठार में कपड़ों को सिल कर तैयार किया जाता था। महाराजा के लिए विभिन्न अवसरों पर अलग—अलग तरह के कपड़े इसी कोठार में तैंयार होते थे। रानियों के वस्त्र पर कसीदाकारी, तारकाशी, गोटा किनारी, सलमा—सितारा का कार्य सोने—चाँदी के डोरों से इस विभाग में किया जाता था।

**जवाहरखानाः—**

कपड़ो को आकर्षक बनाने के लिए उन पर पन्ने, मोती, माणक व सोने—चाँदी के गहने आदि जवाहर खाने से ही पूर्ति की जाती थी। पन्ने, मोती, माणक व सोने व चाँदी के इन गहनों का हिसाब रखने व राजवंश के लोगो को देने के लिए यह कारखाना कार्यरत रहता था।[61] दरोगा के द्वारा इन कीमती कपड़ों व गहनों का लेखा—जोखा किया जाता था। जवारातों व सोने—चाँदी के आभूषण की खरीद जवाहर खाने से की जाती थी। कपड़ो पर चाँदी व सोने का काम सुनारों के द्वारा किया जाता था इसलिए सुनारों को भी जवाहर खाने में नियुक्त किया जाता था।

राजपरिवार के सदस्यों द्वारा पहनावे में उच्चकोटि के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। राजपरिवार के सिर पर पगड़ी साफा व पोतियाँ बाधंते थे। धड़ पर वागा, जामा, अंगरखी, शेरवानी पहनते तथा पेरों में चूडीदार या ढीला–ढीला पायजामा तथा धोती पहनते थे। कमरबंध दुशाला भी प्रयोग में लाते थे।[62] महाराजा के द्वारा अलग–अलग मौसम, त्यौहारों पर अलग–अलग तरह के कपड़ो की व्यवस्था की जाती थी। राजवंश की स्त्रियां रानीयों के कपड़े बहुमूल्य व विभिन्न रंग के होते थें। नरेश बेशकीमती हार मोतियों की माला, कानों में बाली, हाथों में कड़े तथा बहुमूल्य हीरे–पन्ने की अगुठियाँ पहनते थे।[63]

महाराजा भीमसिंह कालीन 'कपड़ो रा कोठार री बही' में कपड़ो की खरीद एवं वितरण किये जाने वाले कपड़ो का विवरण दिया गया है। बही में 'सेलो'[64] नामक कपड़े की खरीद का विवरण भी दिया गया है। वही 'मिसरू'[65] एक प्रकार का पट्टीदार कपड़ा होता हैं। इसके अतिरिक्त दुपट्टा, पाग, धोतिया, मुलुमुल, विलयाती मुलमुल, ओढ़नी आदि का विवरण भी बही में मिलता है। धीरमा नामक कपड़े का उल्लेख हुआ है। धीरमा कपड़ा 76 धीरमों नग 7 खरीदे जाते थे।[66] इसके अतिरिक्त महाराजा भीमसिंह के विवाह के समय अमरकोट के पास धोरीया नामक स्थान से विवाह के लिए वधु का डोला आया था। विवाह रस्म के समय कपड़ो के कोठार से वस्त्र ले जाने का उल्लेख इस प्रकार हुआ है

। चीर री कस्तुरीया रंग री गोटा बुटीदार

। पाग । चीर री कसुमल[67]

कपड़ो के कोठार की बही में कर्मचारियों को भी कपड़ा आदि दिये जाने का विवरण दिया गया है। उस समय प्रचलित कपड़ों एवं राजघराने में कपड़ों के गोदाम की व्यवस्था की जानकारी बही से ही मिलती है।

### महाराजा भीमसिंह के समय में कपड़ों के कोठार से रोजनावोः–

महाराजा भीमसिंह के शासन काल में कपड़ों की खरीद का विवरण इस बही में किया गया है। भीमसिंह के समय प्रचलित कपड़ों के नाम – खीनखाय,

गुलबदन का थान, मोलीयो (एक प्रकार की पाग), महमुदी थान, सोलो स्याहगढ़ एवं नागौरण पाग का उल्लेख किया गया है।

इस समय राजघराने की ओर से सिरोपाव देने का रिवाज था जिसमें महाराजा द्वारा अपने अधीन जमींदारों एवं अनेक लोगों को सिरोपाव (सिर से पांव तक पहनने वाले कपड़ें) भेंट किये जाते थे।

मंदिरों के लिए राजघराने की ओर से कपड़े भेजे जाने का भी विवरण है। श्री गंगश्याम जी के मंदिर में तीज के उत्सव पर कपड़े भेजे जाने का विवरण इस बही में मिलता है। तीज की सवारी का विवरण जोधपुर की हकीकत बही में मिलता है।[68] महाराजा भीमसिंह के समय सावण सूद 3 वि.स. 1854 को तीज के अवसर पर श्री जी (नरेश) की सवारी हुई। श्री गंगश्याम जी मंदिर में तीज के उत्सव पर कपड़े आदि भेजे जाने का विवरण है।[69] वस्त्र–आभूषण इस प्रकार थे–

**पोशाकः–** पाग–सोसनी सोने री भस्मी री छापदार

चोफेरो–तुरा फूल रे रंग रो कोरदार

1 तुर्रो – जवारा सोने री

1 वागो – गुलाबी जालीदार

1 दुपट्टा – सब्ज कोरदार, कमरबंध

**जुहारः–** 1 सिरपेच हीरे का

1 मोतियों का चौकड़ा

एक कड़ा, एक कंठी हीरे की

1 चरण हीरा रा मादलीया रा

1 छोगो मोती रो।

1 माला मोती रो

4 बींटी (अंगुठी) 2 हीरे लगे हुए

1 मोती

1 मानक

1 अंगुस्तान (अंगुठे में पहनने वाला)

1 लुम्ब पन्ना री, तलवार बड़ी धूप

1 कटारी मीने के काम की जड़ाऊ

1 बरछी

हाथी के ऊपर खासे में सवार नरेंश की शोभा बढ़ाने तथा धूप की सुरक्षा के लिए मखमल के कपड़े से सजी लाल वनात की छतरी लगी हुई थी।[70]

महाराजा भीमसिंह के समय मे दरजी, पिंजारा व देवस्थान के लिए मंदिरो में पुजारियों के लिए जो कपड़े सिले जाते थे उनका विवरण कपड़ा रो कोठार रे हाजरींया री बही में मिलता है।[71] महाराजा भीमसिंह के कपड़ो के कोठार के प्रतिदिन की आय–व्यय का विवरण बहियों में मिलता है। जयपुर से जोधपुर के महाराजा भीमसिंह की सगाई में पाग, कपड़े सोने की जरी के, सोने का सिरपेच व कलंगी, घोड़ा का समान, हाथी का समान आदि वस्त्र आभूषण आए थे। अन्य कपड़े खरीदने का उल्लेख भी महाराजा भीमसिंह कालीन कपड़ो की बही में मिलता है जैसे महमुदी का थान, मुखमल, सेलो नागौर का खीनखाप, गुलबदन, तनजेब, थीरमा आदि। खरीदे गये कपड़ो को राजघराने में कार्यरत कर्मचारियों एवं विभिन्न विभागों में जैसे – ढोलीया का कोठार पालकी खाना, रसोई के लिए जवाहिर खाना एव जरजरखाना आदि में खर्च किया जाता था। महाराजा भीमसिंह के द्वारा मंदिर में पूजा के साथ पुजारियों के लिए कपड़ा आदि दिये जाने का उल्लेख भी बही में मिलता है।[72]

महाराजा भीमसिंह की वर्षगांठ आषाढ़ सुद 12, वि.स. 1858 के दरबार के समय पोशाक व गहने इस प्रकार से पहने थे।[73]

**वस्त्रः**–

**पागः**–लाल (कंसुबल) रंग की, जिस पर सोने के गोटे का काम किया हुआ एवं सोने–गोटे का चौकारा लगा तथा सोने का तुर्रा लगा हुआ।

**वागाः**– गुलाबी रंग का, जिस पर सोने का काम किया हुआ तथा गोटा लगा हुआ।

**दुपट्टा**ः— तोरूफुल रंग का, जिस पर सोने का गोटे का काम किया हुआ। कमर में कमर बंध तथा उसमें जड़ाऊ कटारी लगी हुई।

**गहनें**ः— छोगा—हीरें का, जिसके फूल के बीच में माणक लगा हुआ।
सिरपेच — हीरे का
चोकडा — मोती का
कंठी — मोती की
कंढ़ा — हीरा, मोती पन्ना लगा हुआ।
मादलीया — हीरे का
माला — मोती की दोहरी
राजमाला — जिसमे 100 मोती तथा 10 पन्ने लगे हुए।
दुसचीया — हीरे की
अंगुस्तान — हीरे का
अंगुठीया — चार
कटारी — जिस पर पन्ने लगे हुए।[74]

मारवाड़ मे विभिन्न त्यौहार, उत्सवों पर अलग—अलग कपड़े पहने का उल्लेख हुआ है। महाराजा भीमसिंह के समय होली के अवसर पर साफा पहना जाता था जो भिन्न प्रकार से सफेद अथवा पीले रंग का पेचा, तीज के लिए बहुरंगा लहरिया साफा एवं दशहरे की सवारी के लिए स्वर्ण के धागों से बनी फूल पत्ती वाला साफा[75], वर्षा ऋतु, शीतकाल, ग्रीष्मकाल में गहरे हरे, कसुम्बी तथा कुंकुम रंग की पगड़ी बांधते थे।[76] पगड़ी अठारह गज लम्बी तथा नौ इंच चौड़ी होती थी।[77]

राजवंश की स्त्रियां कांचली, कुर्ती, घाघरा तथा ओढ़नी का प्रयोग करती थी। रानियों के कपड़े बहुमूल्य तथा विभिन्न रंग व किस्मों के होते थे, जिन पर सोने—चाँदी के तारो से तारकसी की गई होती थी। कीर, गोटे तथा लप्पे का प्रयोग वस्त्रों को सजाने में किया जाता था। स्त्रियां अंगरखी भी पहनती थी। त्यौहार व तीज के अवसर पर बहुरंगा लहरिया, होली के अवसर पर फागणिया राजपरिवार की स्त्रियों द्वारा ओढ़ाया जाता था। राजवंश की सुहागिन स्त्रियां रंग रगीलें, चटकीले,

कोर, गोटे लगे वस्त्र पहनती थी, वही विधवा स्त्री काले, सफेद, एवं पक्के रंगों के वस्त्र प्रयोग में लेती थी।

स्त्रियों के गहनों में शीशफूल, बोर, टीका, राखड़ी, झुमका, कर्णफुल, तिमणियाँ, कण्ठमाला, कंठी, हार, बाजुबंद, चूड़ी, गजरा, अंगूठी, मुंदरी, हथफूल,

नेवरी–बिछिया, छल्ला आदि पहनती थी।[78]

मारवाड़ मे कपड़े अन्य राज्यों से भी आयात किये जाते थे जैसे जयपुर, दक्षिण भारत, पीपाड़, बीकानेर बहालवपुर, कोटा, वाराणसी से व्यापारी आकर अलग–अलग दामों में बेचते थे। बही में इनके मूल्य सहित विवरण मिलता है। जैसे–

"श्वाम री पाणा मिगसर रे मास में सूद 14 खरीद
जैपुरी चापाराम रो।"
"तास री पागा भादवा बद उनग। खरीद सुराणा
वीर दीपक री कीमत।"

इस प्रकार कपड़ों की आयात–निर्यात की जाती थी तथा मौसम के अनुसार कपड़ों को रखा व पहना जाता था। महाराजा भीमसिंह के कपड़ों रे कोठार री बही में कपड़े का विवरण दिया गया है। पुरूष व स्त्रियों के वस्त्र आभूषण समाज के विभिन्न वर्ग में स्त्रियों के वस्त्र–आभूषण का विवरण जवाहर खाना व मिन्ट तथा कपड़ो रे रोजनावा की बहियों में विवरण मिलता है।

महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश के अन्तर्गत 50500 हस्तलिखित बहियों का दुर्लभ संग्रह संग्रहित है। जिसमें महाराजा भीमसिंह कालीन कपड़ो के कोठार जवाहर खाना बही एवं आभूषण इत्यादि की बही तथा उस समय के राजघराने एवंम् समाज के विशेष वर्ण के लोगो के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र एवं आभूषण की जानकारी इन बहियों से मिलती है। महाराजा भीमसिंह के समय की यह बहिया न केवल वस्त्र आभूषण तक बल्कि उस समय की वेशभूषा पर भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करवाती है।

## 4.4 खान—पानः—

राजवंश में शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनो प्रकार के भोजनों का प्रयोग किया जाता था। नरेश बिछायत के ऊपर बैठकर चाँदी की चौकी पर, चाँदी की थाली कटोरियों में भोजन करते थे।[79] नरेश व रानियों के अलग—अलग रसोड़ो में गेहूँ से बने रोट, रोटी, बाटी, पूड़ी, चावल कई प्रकार की हरी एवं सूखी सब्जियाँ, दालें, खीर, लापसी एवं हलवा तैयार किया जाता था।[80] मिष्ठानों में लड्डु, मालपुआ, दही बड़ा, जलेबी, कलाकंद, केसरिया चक्खी, पेठा, नुकती, घेवर, दाल के लड्डु आदि का प्रयोग बहुतायत से होता था।[81] आम, नींबू, अंगूर, कैरी के आचार प्रयोग में लिए जाते थे।[82]

खान—पान के लिए एक अन्न के कोठार[83] नामक विभाग से ही खानापूर्ति होती थी। प्रतिदिन राज के रसौड़े हेतु आवश्यक सामान यहाँ से उपलब्ध करवाया जाता था। तीज त्यौहारों, जन्म—विवाह तथा मृत्यु के समय अन्न एवं अन्य वस्तुओं की आपूर्ति यहाँ से होती थी। इस विभाग हेतु मोल—भाव कर वस्तुओं को खरीद कर कोठार में एकत्र किया जाता था। जनानी ड्योढ़ी में वस्तुओं की मांग (घी, गुड़, मूंग, चावल, मैदा, तिल, तेल, नारियल एवं मेवों) की भी यहां से पुर्ति की जाती थी। विशिष्ट पर्वो पर भोज आदि की व्यवस्था भी अन्न के कोठार से ही होती थी।

महाराजा भीमसिंह के समय सिंघवी सवाईराम (वि.स. 1853) और मुहणोत रूघनाथ (वि.स. 1856) इस पद पर रहे।[84] व्यास नथू को दो बार (वि.स. 1855 और 1860) नियुक्त किया गया था।[85]

### हजूर का रसोड़ाः—

नरेश के भोजन आदि के प्रबन्ध हेतु हजुर का रसोड़ा होता था। विभिन्न प्रकार के व्यंजन, तरकारियाँ सामिष निरामिष भोजन यहाँ तैयार होता था। 'नरेश के भोजन' का थाल रसोईदारो द्वारा तैयार करने के पश्चात् 'चखणे' पद धारित व्यक्ति को चखाया जाता था। त्यौहारो पर विशेष सामग्री एवं भोजन के आयोजनों पर कई प्रकार के पकवान श्री हजूर के रसोड़े में तैयार होते थे।

महाराजा कुंवर की सगाई के समय तथा अन्य शुभ अवसरों पर इष्टदेवी को मिठाई की भेंट चढ़ाई जाती थीं।[86]

मारवाड़ का विशिष्ट पकवान लापसी (गेहूँ के दलिये, घी, गुड़ से बना व्यंजन) है जो देवी देवताओं के चढ़ाया जाता था।

वि.स. 1848 के आषाढ़ में महाराजा कंवर भीमसिंह जी की सगाई जैसलमेर के रावल श्री मूलराज जी की पोती से हुई तब सगाई का नारियल जैसलमेर से आया। सगाई की रस्म के पश्चात् भोज हुआ, जिसके लिए लापसी तैयार हुई।[87] निम्न प्रकार सेः–

10 मण बाट (गेहूँ का दलिया)
10 मण गुड़
10 मण घी

तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाया तथा राजघराने से संबधित व्यक्तियों को भोजन करवाया गया।[88] महाराजा भीमसिंह की मृत्यु के 12 वें दिन भोज का आयोजन किया गया था। उसमें 1 दिन के 200/– मन खांड जलेबी बनाने में प्रयुक्त की गई थी।[89]

मारवाड़ रेगिस्तानी प्रदेश होने के कारण यहां पर बाजरा सबसे अधिक मात्रा में उत्पन्न होता था। साधारण जनता ज्यादातर बाजरे का प्रयोग करती थी। यहां गेहूँ, चावल, मुंग, मोठ, चने आदि का प्रयोग भी होता था। गुड़, धृत और खांड का प्रयोग मिष्ठान बनाने में किया जाता था। जायफल, जावित्री, दाल चीनी, लोंग आदि मसाले भी यहां प्रयोग में लाते थें। बादाम, पिस्ता, किशमिश आदि सूखा मेवा अनार, आम आदि फलों का भी प्रयोग करते थे।[90]

त्यौहारों पर विशेष पकवान बनाये जाते थे जैसे तीज (आखातीज) पर बाजरी मोठ का 'खीच' तथा गुड़ की गलवानी बनाते थे।[91]

नवरात्रि के व्रत के समय मांस, दारू का सेवन नही होता था। अक्षयतृतीया, होली, दीवाली, सगाई, विवाह के अवसर पर अफीम को पानी में घोल कर मेहमानों की मनुहार की जाती थी। भोजन के पश्चात् पान–सुपारी खाने की परम्परा थी। रानियां भी पान–बीड़े खाने का शौक रखती थी। जिसकी पूर्ति तंबोला खाने से होती थी।[92] शिशु जन्म के पश्चात् प्रसुता रानी को विशिष्ट प्रकार के व्यंजन बनाकर खिलाये जाते थे जिन्हे स्थानीय भाषा में सुखाल सारी कहा जाता था तथा इन्हें तैयार करने में अजवाइन, सोंठ, घी, सुपारी, गुड़ जायफल, मजीठ, दीपर, खोपरा, गोंद, केसर, बादाम एवं खसखस वंशलोचन का प्रयोग किया जाता था।[93]

### 4.5 कृषि एवं व्यापारः–

मारवाड़ रेतीला और कम उपजाऊ प्रदेश है फिर भी यहाँ के लोगो का मुख्य व्यवसाय कृषि था। मारवाड़ की मिट्टी के उर्वरा शक्ति की दृष्टि से तीन भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम गोडवाड़, सोजत, जैतारण एवं मारोठ के परगने। द्वितीय मेड़ता, नागौर, जोधपुर, सांचोर और जालोर। इन प्रदेशो में सिंचाई करके पानी की मात्रा के अनुसार खेती की जा सकती थी। तृतीय शिव, साकड़ा, शेरगढ़ और मालानी की गणना की गई है। मारवाड़ में पानी की कमी के कारण कृषि वर्षा पर ही निर्भर थी।[94]

कृषि कर्म को अत्यंत श्रेष्ठ कर्मो में माना हैं। पाराशर स्मृति में कहा है–

कृषेर्न्यतमोड धर्मो न लभेत् कृषितोडन्यत्।
न सुंख कृषितोडन्यगमापे धर्मेण कर्षति।

कृषि द्वारा आयोपार्जन को सद्मार्ग कहते हुए मनुस्मृति कहती है–

कृषिं साहिवति मन्यन्ते सावृतिः सद्विवर्हिता।

मारवाड़ की जनता ग्रामों में रहती थी। कृषि जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। मारवाड़ के लोगो का प्रधान पेशा कृषि था। राज्य की समस्त भूमि राजा के

अधिकार में थी। राजा के द्वारा ही भूमि प्रजा को दी जाती थी। राजा द्वारा दी गई भूमि को जब्त करने का अधिकार भी राजा को था।

सिंचाई के सीमित साधनों व वर्षा द्वारा कृषि हेतू जल की व्यवस्था की जाती थी। मारवाड़ की आर्थिक व्यवस्था में कृषि का प्रमुख योगदान था।

जोधपुर का शासक ही सम्पूर्ण मारवाड़ का स्वामी था। राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक जरूरतों, परिस्थितियों के अनुसार समस्त मारवाड़ की भूमि पाँच प्रकार के भू–स्वामित्व के अन्तर्गत विभाजित थी।

1. खालसा
2. जागीर
3. भूम
4. सासण
5. चारणोत

**1. खालसाः–**

राजा की निजी भूमि को खालसा कहा जाता है। राज्य के द्वारा भूमि पट्टे पर दी जाती थी।[95] इस भूमि के अन्तर्गत यह था कि जब तक पट्टेदार भूमिकर देते तब तक भूमि उनकी रहती थी। इस भूमि को गिरवी रखने, बेचने व ठेके पर देने का अधिकार था। इस खालसा भूमि पर राजा का ही अधिकार होता था, परन्तु भूमि को सुचारू रूप से व्यवस्थित रखने के लिए भूमि को किसानों को वितरित की जाती थी। इस भूमि पर कृषि करने वाले किसानों को एक निश्चित कर देना होता था जिसे 'लाग', 'भोग' या 'हासिल' कहा जाता था।

**2. जागीरः–**

मारवाड़ में गैर खालसा भूमि विभिन्न भू–स्वामित्व पद्वतियों के अन्तर्गत लोगों के अधिकार में थी। दूसरे प्रकार की भूमि जागीर कहलाती थी, जो राज्य के द्वारा अपने सांमतों को उनकी सेवाओं मुख्यतः सैनिक सेवाओं के बदले देता था।[96]

जागीर की गई भूमि वंशानुगत होती थी। जागीरदार के मरने पर उसका उतराधिकारी राजा को नजराना देकर पुनः जागीर पर अधिकार प्राप्त कर लेता था। इस जागीर के बदले सांमतो के द्वारा राजा को 'रेख' नामक कर देता था।[97] शासक ज्यादातर अपने ही जाति के लोगो को जागीरें प्रदान करते थे। जागीर के रूप में भूमि देने की प्रथा का प्रारम्भ राव जोधा के समय में शुरू हुआ था।

**3. भूमः–**

भूमि विभाजन का तीसरा प्रकार भूम कहलाता था तथा इसका अधिकारी भूमिया कहलाता था।[98] इस भूमि के स्वामी गांव के मार्ग व कोष की सुरक्षा करते थे। भूमि के बदले कर लेने का नियम था। इस भूमि को भोमिये बेच नही सकते थे। गांव की चोरो, लुटेरों से सुरक्षा करने का काम भोमियों का होता था। गांव में पशु चोरी उस समय बहुतायत होती थी। पशुओं को बचाने में भोमियें वीरगति का प्राप्त हो जाते तो वे लोक देवता के रूप में पूज्य होते थे। पाबुजी, हड़बुजी, तेजाजी आदि प्रसिद्व भोमिये हुए। भोमिये द्वारा प्रदत कर को 'भूमबाब' कहा जाता था।

**4. सासणः–**

सासण (शासन) अथवा मुआफी (माफी) नामक भूमि होती थी। शासन की भूमि होती थी। शासन की भूमि राजा द्वारा ब्राह्मणों, गोंसाई पुरोहित, भाट व चारणों कों अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती थी। यह भूमि भी वंशानुगत थी। लेकिन इस भूमि को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के कोई पुत्र नही होने पर यह भूमि वापिस राजा की हो जाती थी। सासण के रूप में पूरा गांव दिया जाता था परन्तु कभी–कभी ब्राह्मणों को उनकी जीविका के अनुसार कुछ खेत ही दिए जाते थे। इन खेतों को 'डोली' या 'डोहिलिया' कहा जाता था।

**5. चारणोतः–**

इसे गोचर भी कहते है। इस भूमि को प्रत्येक गांव के पास ग्रामीण पशुओं के चरने के लिए रखी जाती थी। इस भूमि पर पूरे गांव का अधिकार रहता था। राजा के द्वारा गांव में गोचर की भूमि को छोड़ना धर्म का काम माना जाता था। यदि

गोचर भूमि पर कोई खेती करता था तो संबधित अधिकारी के द्वारा इसका कारण पूछा जाता था –

'गऊवा रो गोचर सदामद रो थो सु चोरवलै राखै न बाह लिया, सु सदामद रा गोचर रा खेत बाहण क्यू दीणा तिण रो जाब लिखजो।'[99]

इस प्रकार मारवाड़ में भू–स्वामित्व के अन्तर्गत भूमि को पांच भागों में विभाजित किया गया है।

**भूमिकरः–**

मारवाड़ की आय का मुख्य साधन भूमिकर ही था। भूमिकर राजा के द्वारा सब से समान नही लिया जाता था। उपज का एक तिहाई भाग भूमिकर के रूप में वसूल किया जाता था। कम उपजाऊ प्रदेश के एक चौथाई व छठा भाग भी भूमिकर के रूप में वसुला जाता था। भूमि पर राज्य की ओर से विभिन्न कर लगाये जाते थे।

**लागः–** यह कर स्थाई रूप से लगाया जाता था। यह भूमि के अनुसार प्रति हल तय कर लिया जाता है।[100]

**हासलः–** खेत की उपज या निश्चित भाग कर के रूप में लिया जाता था। प्रत्येक वस्तु पर अलग–अलग अनुपात में कर निश्चित होता था।

**सावणुं बावः–** यह कर खरीफ की फसल पर लगाया जाता था। प्रत्येक स्थान पर उपज के अनुसार यह कर लगाया जाता था।

**उनाल्लु लागः–** यह रबी की फसल पर लगने वाला कर है। महाराजा जसंवत सिंह ने सर्वप्रथम इस कर को लगाया था।[101]

**भौमबाव** :– जिस तरह ठाकुरों के द्वारा रेख या चाकरी ली जाती थी उसी तरह भोमियां भी भूमि पर कर देते थे।

**घासमारी** :– घासमारी कर पशुओं पर लगाया जाता था जो पशु घर से बाहर चरने जाते थे। मारवाड़ में प्रति बकरी व भेड़ एक आना, प्रति भैंस आठ आना एवं प्रति ऊंट तीन रूपये की दर से इस कर को वसुला जाता था।

मारवाड़ में खेती हल व बैलों की सहायता से की जाती थी। हल के द्वारा ही बीज को बोया जाता था तथा कृषक अपने खेत की रखवाली कर फसल प्राप्त करते थे। फसल के पकने पर अनाज निकाल कर एक जगह पर इकट्ठा किया जाता था और वही अनाज निकालते थे। मारवाड़ में खरीफ (सियालू) रबी (उन्हालू) दोनों ही फसले होती थी। यहां पर सावणु फसल (खरीफ) में बाजरा, ज्वार, तिल, मोठ आदि होती थी। इस फसल में सिंचाई की आवश्यकता नही रहती थी। उनालू (रबी) की फसल में गेहूँ, चना की पैदावार होती थी।[102] बाजरा यहाँ का मुख्य अनाज था। वर्षा की कमी थी लेकिन थोड़ी सी वर्षा होती तो भी मोठ और मूंग की खेती हो जाती थी। ज्वार भी बोई जाती थी क्योंकि ज्वार को कच्चा और पकने पर दोनों ही काम मे ली जाती थी। पकने पर तो अनाज निकाल लिया जाता था तथा पकने से पहले 'चपटा' कहलाता था जो पशुओं के लिए अधिक उपयोगी था। बाली, देसुरी, बिलाड़ा व सोजत में कपास और सोजत, मेड़ता में अमल की खेती की जाती थी। सिचांई में चडस, रहट आदि का प्रयोग होता था। मतीरा व सिंघाड़ा यहाँ के मुख्य फल थे तथा आम नांरगी, संतरा आदि का बाहर से आयात किया जाता था।

राजपरिवार के उपयोग हेतु फल–फूल एवं सब्जियां बालसंमद बाग में उगाई जाती थी। जहां माली एवं मालिनों को मजदूरी देकर नियुक्त किया जाता था।

राजपरिवार के लिए चोखा बागा में भी सब्जी व फल–फूल की बांड़िया थी। मंडोर में भी जामुन, आम व अमरूद की खेती की जाती थी जो यहाँ के प्रसिद्व पेड़ थे। बड़ी मात्रा में गुलाब, चमेली तथा मोगरा के फूलों की खेती की जाती थी, जब भी राजपरिवार को फूलों की आवश्यकता होती तो मंडोर बाग से ही लाये जाते थें।[103]

**व्यापारः—**

मारवाड़ का व्यापारिक वर्ग संसार भर में प्रसिद्व रहा है। इन व्यापारियों को राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। पाली बहुत बड़ा व्यवसायिक केन्द्र था जहाँ देश के विभिन्न भागों के अतिरिक्त चीन, कश्मीर आदि से भी वस्तुएँ बिकने आती थी। यहाँ से छीट के वस्त्र, सुखे फल, जीरा, चीनी, सोडा, अफीम, नमक, शालें, रंगीन कम्बल आदि चींजे भेजी जाती थी।

आतंरिक मार्ग भी थे जो मुख्य व्यापारिक मार्गो को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे। भटिण्डा से बीकानेर को जोड़ने वाले मार्ग में मारवाड़ के पड़ने वाले मुख्य नगर थे नागोर, पाली और डीडवाना यह मार्ग चुरू से नागौर, पाली–भटिण्डा–भटनेर–रावतसर, नोहर, रेणी चुरू–लाडनू–डीडवाना से पुनः नागौर पहुँचता था।[104]

वर्षा ऋतु की समाप्ति के पश्चात् मारवाड़ का व्यापारिक वर्ग व्यापार के लिए अन्य क्षेत्रों में जाया करता था। ख्यातों के अनुसार कपड़ा, तम्बाकू, अनाज और नमक व्यापार की प्रमुख वस्तुएँ थी। मारवाड़ मुख्यतः नमक, साफे, दुपट्टे, घोड़े, ऊँट और लोहे के निर्यात के लिए प्रसिद्व था।

मारवाड़ में स्थानीय व्यापार में खुदरा व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। खुदरा व्यापारियों में दुकानदार, फूटपाथ पर सामान बेचने वाले तथा फेरी वाले थे। फेरीवाले मोलभाव करके ही ग्राहको को उनकी पंसद की कीमत पर सामान बेचते थे। फेरीवाले कपड़े, घी, खाद्य पदार्थ, तेल, नमक, शक्कर, गुड़, अनाज, मसाले इत्यादि जरूरत का सामान बेचते थे।

गाँव, कस्बों व शहरों में शिल्पकारों की अलग से बस्तियाँ होती थी, जो उनके कार्य या जाति से सम्बोधित की जाती थी। जैसे लखारों की गली, कुम्हारों का बास, मनिहारों का रास्ता, सिलावटों का मोहल्ला, सुनारों का बास आदि। बड़े कस्बों व शहरों में महत्वपूर्ण सामान बेचने हेतु अलग–अलग बाजार होते थे जैसे – रूई मण्डी, नमक मण्डी, मोचीखाना, जौहरी बाजार, सर्राफा बाजार आदि।

स्थानीय व्यापार व्यवस्था में साप्ताहिक हाट बाजार व मेलों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हाट व मेलो में अपनी दुकान लगाने वाले छोटे व्यापारियो से 'धड़ो भाड़ा' नामक कर वसूला जाता था।

मारवाड़ में कोटा से चीनी, गुड़, गेहूँ, चना और अफीम की आयात, जयपुर से कागज, गोटा–किनारी, चावल और हीरे का आयात, बीकानेर से सूखे मेवे, ऊँट, साजी, ऊनी कपड़े, फिटकरी, सेन्धा नमक, कागज, लाख, सौंफ, जायफल, हींग, हरडे, लसण आयात किया जाता था। मारवाड़ से बीकानेर को बैल, लकड़ी का सामान, मिर्च, साफे, स्त्रियों के दुपट्टे, ऊन, लोहा, सीसा, फेब्रिक, भांडल, कसुम्बा, जस्ता, अश्वगन्धा, रोली, हाथीदांत, नारियल, काजु, नमक, रेशम आदि निर्यात किये जाते थे।

मारवाड़ से जयपुर को नमक, साफे, दुपट्टे, बैल आदि निर्यात किये जाते थे। मारवाड़ से मेवाड़ को घोड़े, ऊँट, बैल आदि निर्यात किये जाते थे। मारवाड़ से कोटा को नमक, ऊँट और बैल निर्यात किए जाते थे। मारवाड़ से जैसलमेर को लोहा निर्यात किया जाता था।[105]

मध्यकाल के पहले से ही राजपूताना के पड़ौसी राज्यों दिल्ली मालवा, गुजरात, सिंध और मुल्तान से व्यापारिक संबंध थे। राजपूताना की भौगोलिक परिस्थिति अन्तर्राज्य, व्यापार के लिए अनुकूल थी। इसलिए राजपूताना व्यापार का प्रमुख केन्द्र बन गया

महाराजा विजयसिंह ने व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए थिरमा (खुलासा) देकर उनका सम्मान बढ़ाया था, इसी परम्परा का पालन महाराजा भीमसिंह के द्वारा किया गया।[106] मारवाड़ के व्यापार पर यहाँ की महाजन (वैश्य) जाति का एकाधिकार था। इस समय जोधपुर, नागौर, मेड़ता, जैतारण, पाली, बालोतरा और कुचामन आदि प्रमुख व्यापारिक केन्द्र थे।[107] मारवाड में समान को इधर–उधर लाने ले जाने में ऊँटो व बैलों का प्रयोग किया जाता था।[108] व्यापारिक सामान ढ़ोने वाले काफिलों की रक्षा के लिए चारण उनके साथ यात्रा करते थे।[109]

मारवाड़ में बरेली, कानपुर और चंदौली से शक्कर का आयात होता था। शक्कर के अलावा आयात की जाने वाली वस्तुओं में कोटा व मेवाड़ से अफीम, बरेली व हाथरस व मेवाड़ से गुड़, सुखा मेवा बम्बई भडोच अहमदाबाद से धातु और केरोसीन तथा जस्ता आदि बम्बई प्रांत से और तम्बाकू पानीपत से लाया जाता था।[110]

नैणसी की ख्यात के अनुसार कपड़ा, तम्बाकू, अनाज और नमक में अन्तराज्यीय व्यापार होता था। एक परगना दूसरे परगने से सड़कों द्वारा मिल गया था और एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबधं थे।[111]

अकाल के समय में जोधपुर में बाहर के परगनों से अनाज आता था तो उसको लाने वाले इनाम स्वरूप मोतियों के हार और वस्त्र इनाम में दिये थे।[112]

व्यापारिक वस्तुओं में कीमती वस्त्र, सोने—चाँदी, जवाहरात आदि का उल्लेख भी मिलता है।

मारवाड़ में संगमरमर का कीमती पत्थर भी बहुत मात्रा में उपलब्ध था। मकराना से प्राप्त पट पत्थर पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्व था। मारवाड़ में व्यापार सुवर्ण, रजत और ताम्र मुद्राओं के माध्यम से होता था। मुद्राएँ डालने हेतु कई स्थानों पर टकसालें स्थापित की गई थी। ताम्र मुद्राएँ 'विजयशाही' पैसा वजन में भारी होने से ढब्बूशाही भी कहलाते थे। महाराजा भीमसिंह (1793 ई—1803 ई.) ने इसका वजन दो माशा बढ़ा दिया था। अतः यह भीम शाही कहलाने लगा। इन पैसों का वनज 310 से 320 ग्रेन तक होता था। 'भीमशाही' सिक्का बहुधा अफीम तोलने के काम में लिया जाता था। इन सिक्कों पर निम्न लेख अंकित होता था।

**उर्ध्व पटलः—**

सनर जूलुस मेमनत मानूस जरब

(उसके सौभाग्यशाली शासन काल में बना)

**अधो पटलः—**

दार उल मंसूर जोधपुर

(विजयी राज्य जोधपुर में)

पशुओं को खरीदने व बेचने का व्यापार भी मारवाड़ मे प्रसिद्व रहा है इसके लिए भव्य मेलों का आयोजन किया जाता था। इन मेलों के आयोजनों से भी राज्य को आय प्राप्त होती थी। मेलों का आयोजन मूंडवा, नागौर, परबतसर, पुष्कर, फलोदी और तिलवाड़ा आदि पर पशु मेलों का आयोजन होता था।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि मारवाड़ में व्यापार भी राज्य की आय व यश बढ़ाने का प्रमुख साधन था।

**उद्योगः—**

18 वीं सदी में कृषि व पशु पालन राजपूताना के लोगो का प्रमुख व्यवसाय था। स्थानीय निवासियों की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान था। 18 वीं सदी के अंत तक स्थानीय उद्योग धन्धे विकसित अवस्था में थें।[114] विभिन्न उद्योग धन्धे स्थानीय, अर्न्तराज्य व अन्तप्रदेशीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। प्रथम उद्योग धंधें वो थे जिनका उत्पादन स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित था जैसे — सूतली, रस्सी, टाटपट्टी उद्योग, काष्ठ उद्योग, मिठाई उद्योग आदि। दुसरी श्रेणी उन उद्योग धंधों की थी जिनके उत्पादन का स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् राजपूताना के अन्य राज्यों में भी निर्यात किया जाता था जैसे मोटा सूती उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग आदि। तीसरे वे उद्योग धन्धे जिनका उत्पादन राजपूताना के बाहर भी निर्यात किया जाता था जैसे नमक उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग तथा संगमरमर आदि। मारवाड़ में अधिकांश गांवो में मोटे सूती कपड़े की बुनाई होती थी। मलमल कपड़े की बुनाई कोटा, डोरीया व अंगोछो की बुनाई बूंदी, सूती कपड़ों की बुनाई देलवाड़ा, सीरोज व अजमेर आदि केन्द्र थे। जयपुर व सांगानेर की छपाई सम्पूर्ण उतरी भारत में प्रसिद्व था। कोटा में कपड़ों पर सोना, चाँदी व रेशमी बेल बूँटो की कारीगरी सर्वत्र विख्यात थीं। आकोला, उदयपुर,

चितौड़, आहड, भरतपुर आदि पर कपड़ों की रंगाई व छपाई होती थी। बीकानेर, जैसलमेर, शेखावटी में ऊनी उद्योग उन्नत अवस्था में था।

नैणसी के द्वारा रचित मारवाड़ा रा परगना री विगत के अनुसार प्रत्येक गांव मे विभिन्न जाति के लोग रहते थे। उनका अपना जातीय धंधा था जिससे वे लोगो की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। जैसे मिट्टी के बर्तन कुम्हारों के द्वारा, लोहे के औजार व हथियार लुहार, कपड़े बनाने का कार्य भांभी, चमड़े का कार्य साटिया, रेगर, ढेड, खटीक व मोची, आभूषण बनाने का सुनार व रंगाई छपाई का छीपा, पीतल कांसे के बर्तन बनाने का कंसारा व ठठेरा जाति के लोगों के द्वारा किया जाता था। मारवाड़ के उद्योगो के क्रमिक विकास मे धीरे–धीरे कुछ कस्बों ने धंधे विशेष में ख्याति प्राप्त कर ली।

**4.6 नमक उद्योगः–**

मारवाड़ की आर्थिक व्यवस्था में नमक व्यवस्था का विशेष महत्व हैं। मारवाड़ में सांभर, डीडवाना, पचपदरा, बिलाड़ा और फलोदी से नमक उपलब्ध होता था।[115] सांभर की झील में उच्च कोटी का नमक प्राप्त होता था। नमक उद्योग में मारवाड़ राज्य को बहुत आय प्राप्त होती थी। मारवाड़ में नमक तीन तरह से बनाया जाता था। प्रथम झील के पाट में नमक बनाया जाता था। जिन्हें आगार कहा जाता था।[116] द्वितीय झील के पानी को कृत्रिम तरीकों से अलग करके उसे गड्ढ़ो में डाला जाता और सूर्य की गर्मी से पानी सूख जाने के बाद नमक प्राप्त किया जाता था। तृतीय झील के दोनों किनारों पर ही पानी सुखाकर नमक तैयार किया जाता था।[117]

मारवाड़ में दो प्रकार का नमक उपलब्ध था। बिलाड़ा पिचियाक और मालकोसाणी में लूणी नदी के खार से बनाया गया नमक खारा कहलाता था। उसकी खपत कम थी। सांभर, डीडवाना और पचपदरा में उपलब्ध होने वाला नमक मीठा कहलाता था।[118] सांभर झील का नमक प्रसिद्व था और उसकी मांग भी बहुत थी। इस पर जयपुर और जोधपुर दोनों राज्यों का अधिकार था। जयपुर राज्य का अधिकार झील के पूर्वी तट तक सीमित था। जबकि जोधपुर राज्य का अधिकार

सांभर शहर और झील के पश्चिमी तट तक था।[119] नमक व्यवसाय के कारण ही मारवाड़ में आय की बढ़ोतरी होती थी। मारवाड़ में नमक उत्पादित करने वाली जाति को 'खारवाल' कहा जाता था।[120] सांभर झील मारवाड़ की ही नही अपितु सम्पूर्ण राजपूताना में नमक उत्पादित करने वाली सबसे बड़ी स्त्रोत थी। इसमें 60 से 70 वर्गमील तक नमक क्षेत्र था।[121] नमक को बेचने हेतु 'आमिल' नामक पदाधिकारी को नियुक्त किया जाता था। जो नमक को नमक व्यवसायियों को बेचा करता था। ये नमक व्यवसायी अपने व्यवसाय हेतु बंजारो की सहायता लेते थे।[122]

नमक की झीलों की सुरक्षा पर विशेष बल दिया जाता था क्योंकि नमक राज्य की प्रमुख व्यापारिक वस्तु थी। 'सायर का दरोगा' नामक अधिकारी अन्य जगहों पर नमक उत्पन्न करने के लिए व्यापारियों को प्रोत्साहित करता था।

सनद परवाना बही संख्या 1 सवंत 1821 में नावां से नमक भरकर परबतसर की सीमा में से गुजरने पर 100 पला पर 13 रूपये राहदारी कर लगता था तथा बहियों में नमक चोरी की जानकारी मिलती है।

नमक उद्योग की बागडोर महाराजा विजय सिंह के समय ही अंग्रेजी सरकार के हाथों में थी। महाराजा भीमसिंह के समय अंग्रेजी सरकार के हाथों में नमक उद्योग की बागडोर थी। सांभर झील के किनारों पर जोधपुर रियासत में नमक बनाने और उन हदो के अंदर जो नमक पैदा हो उस पर अंग्रेजी सरकार का इजारा देगी। मारवाड़ में नमक पर पूरी तरह से अंग्रेजी सरकार का अधिकार था तथा मारवाड़ को कुछ नियमों के तहत् नमक बनाने की अनुमति थी। जैसे – सांभर झील में नमक बनाने और बेचने का काम जारी रख सके जोधपुर के दरबार की तरफ से परन्तु अधिकार अंग्रेजी सरकार का होगा।[123]

जितना नमक रियासत जोधपुर और जयपुर के हिस्से मे जमा होगा वह अंग्रेजी सरकार को इस शर्त पर दिया जायेगा कि जोधपुर अपने हिस्से में से 42000 मण नमक अंग्रेजी तोल का बिना किसी कीमत के सरकार अंग्रेजो को देगी। और जितना नमक दरबार जोधपुर का होगा उसकी कीमत 1 =)" मन अंग्रेजी तोल पर लगाई जावेगी।[124] मारवाड़ से नमक किसी और इलाके में ले जाया जावें तो उस

पर किसी तरह का महसूल या चूंगी और कोई हक न तो दरबार जोधपुर खुद लेगा और न ही किसी को लेने देगा।[125] नमक के आयात–निर्यात पर पूरा हक अंग्रेजी सरकार का था। सांभर से 45000 रूपये व डीडवाना से 25500 रूपये तथा पचपदरा से 19000 रूपये की आय का उल्लेख मिलता है।[126] यह आय प्रतिवर्ष बढ़ती ही जाती थी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नमक उद्योग मारवाड़ के आर्थिक जीवन में रीढ़ की हड्डी का काम करता था।

18वीं 19वीं सदी के पहले तक मारवाड़ के सभी राज्यों में नमक उद्योग राज्य का प्रमुख उद्योग बना रहा और इससे काफी आय होती थी।

## सूती वस्त्र उद्योगः–

मारवाड़ में 17वीं व 18वीं शताब्दी में कपड़ा उद्योग का विकास महत्वपूर्ण रहा। 'कपड़ा कुतुहल' के कवि प्रयाग दास ने लिखा है–

टुकड़ी रूपईया गजतणी, सुन्दर रहे न सुहाय।
पितम महुंगा मोल री, सो दियौ मुख ल्याय।।

टुकड़ी मारवाड़ के देशी कपड़ों में सबसे ज्यादा गिनी जाती थी। मजमुए हालात में लिखा है कि देशी सूत की टुकड़ी जालौर परगने की मशहुर है।[127] मारवाड़ का पाली सूती वस्त्र बनाने तथा देशी छींट, अंगोछे, दुपट्टे व रजाई आदि भी अच्छे रंगे व छापे जाते थे।[128] सूती वस्त्र उद्योग कपास (रूई) की खेती पर निर्भर करता था। मारवाड़ में कपास का उत्पादन सोजत मेड़ता, सांचोर, जालौर व जोधपुर के उपजाऊ क्षेत्र मे होती थी।

## ऊनी वस्त्र उद्योगः–

मारवाड़ के बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर व शेखावटी क्षेत्रो में बहुतायत ऊन उपलब्ध होती थी। मेड़ता व नागौर में ऊनी वस्त्र उद्योग केन्द्र थें। सनद परवाना बही 13 में जोधपुर राजपरिवार के लिए नागौर से 300 कम्बल खरीदने का विवरण मिलता है।[129] ऊनी वस्त्र धनिक व साधारण सभी वर्गो द्वारा अपनी हैसियत के

हिसाब से उपयोग में लाये जाते थे। सम्पन्न व धनिक वर्ग की माँग के अनुरूप ऊनी शॉल मुख्यतः पशमीनें आदि का आयात पंजाब व कश्मीर से किया जाता था।

**हाथी दाँत का उद्योगः–**

हाथी दाँत से चूड़िया, दस्तबंद, तलवार की मुठें, खिलोने, चारपाई, साज सज्जा का विभिन्न सामान बनाए जाते थे। मारवाड़ के नागौर व सोजत में हाथी दाँत का काम होता था। पाली व जोधपुर में हाथी दाँत का चूड़ा अच्छा बनता था। हाथी दाँत का आयात अफ्रीका से वाया सिंध और गुजरात से होता था।

**चमड़ा उद्योगः–**

चमड़ा उद्योग भी विकसित उद्योग था। इस का कार्य करने वाले मोची व चमार थे। मारवाड़ के स्थानीय कारीगरों द्वारा जुते, ग्यान, घोड़े की काठी, ढ़ाले, लगाम, चड़स, किताबों की जिल्दें, चमड़े की बाल्टियाँ, तेल रखने के लिए जार आदि बनाये जाते थे। जोधपुर में जूतों पर सुदंर कसीदाकारी का काम भी किया जाता था।

**पत्थर उद्योगः–**

मारवाड़ में पत्थर उद्योग का प्रमुख केन्द्र मकराना था। उच्च श्रेणी का सफेद संगमरमर मकराना में ही मिलता था जो पूरे देश में प्रसिद्व था।[130] नागौर में एक प्रकार की मिट्टी होती थी जिसे खड्डी कहते है इससे इमारतों में पत्थरों की दर्ज बंद करते है, पत्थर का कार्य करनें वालों का मुख्य कार्य मकान बनाने का और पत्थर तराशने का था।

इस प्रकार मारवाड़ में पाली, जालोर, पचपदरा, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, मेड़ता, भीनमाल, फलौदी आदि उद्योग धन्धो के लिए प्रसिद्व थे। मारवाड़ में अधिकतर उद्योग धंधें गांवो में विकसित थे तथा अधिसंख्या मे लोगो को इन उद्योगो के द्वारा रोजगार पाते थे।

# सन्दर्भ सूची


1. हकीकत बही न. 4 *(जोधपुर रिकार्ड),* पृ. 421
2. हकीकत बही न. 1, सवंत 1820–30, *(जोधपुर रिकार्ड),* पृ. 206, 534
3. मर्दम शुमारी रिर्पोट राज मारवाड़ (1891) भाग 1, पृष्ठ 151–161
4. राजस्थान गजिटियर भाग–3, पृष्ठ 84–85.
5. रिपोर्ट ऑन सेन्सम ऑफ मारवाड़, भाग–2, पृष्ठ 56
6. जोधपुर हकीकत बही न. 8 – वि.स. 1856–1860, पंत्राक 417
7. हकीकत बही न. 1, सवंत 1820–30, *(जोधपुर रिकार्ड),* पृष्ठ 209
8. हकीकत बही न. 5, सवंत 1846–50, *(जोधपुर रिकार्ड),* पृष्ठ 421
9. तवारीख पृष्ठ 61–62, जोधपुर ख्यात भाग–3, सीता मऊ, पृष्ठ 17
10. तवारीख पृष्ठ 171–172, जोधपुर ख्यात, भाग–3, पृष्ठ 166–168.
11. राजस्थान गजिटियर, भाग–3, पृष्ठ–83
12. एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, पृष्ठ–2
13. मर्दम शुमारी रिपोर्ट राज मारवाड़ (1891) भाग 1, पृष्ठ 165–166
14. मारवाड़ परगना री विगत, भाग 1, पृष्ठ 391, 497, भाग–2, पृष्ठ 10, 310
15. मर्दुमशुमारी रिपोर्ट राज मारवाड़ (1891) भाग–1, पृष्ठ–20
16. कर्नल. टोड, भाग–2, पृष्ठ 485–486
17. बी.पी मजुमदार, सोशियोइकानॉमिक हिस्ट्री ऑफ नॉर्दन इण्डिया, पृष्ठ 141
18. फुटकर वातां, न. 206/2, अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर
19. टॉड, एनल्स, भाग–1, पृष्ठ–503
20. मांगीलाल व्यास, जोधपुर राज्य का इतिहास, पृष्ठ 219
21. शर्मा, जी.एन. सोशियल लाइफ इन मेडिकल राजस्थान, पृष्ठ–127
22. कान्हड दे प्रबन्ध, तृतीय खण्ड, – 'सती धरम साचउ अभियान, अन्तखेध हूउं, अवधान, पृष्ठ–144
23. तवारीख, पृष्ठ–84
24. भाटी, डॉ. हुकमसिंह, मारवाड़ री ख्यात, संपादक, पृष्ठ–14
25. भाटी, डॉ. हुकमसिंह, संपादक, पृष्ठ–14

26. भाटी, डॉ. हुकमसिंह, संपादक, पृष्ठ–14

27. राणी मंगा भाटो री बही, सं. डॉ. महेन्द्रसिंह नागर, पृष्ठ XXV

28. भाटी, हुकमसिंह, राठौड़ो री ख्यात, पृष्ठ 687

29. वही, पृष्ठ 688

30. राठौड़ो री ख्यात, सं. डॉ. हुकमसिंह भाटी पृष्ठ – 688

31. राणी मंगा भाटो री बही (मारवाड़ का रनिवास) नगर महेन्द्र सिंह, पृष्ठ–65

32. राणी मंगा भाटो री बही (मारवाड़ का रनिवास) नगर महेन्द्र सिंह, पृष्ठ–69

33. राणी मंगा भाटो री बही (मारवाड़ का रनिवास) नगर महेन्द्र सिंह, पृष्ठ–69–70

34. जोधपुर की हकीकत बही न. 5 वि.स. 1846–50 पंत्राक 338, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर

35. मारवाड़ री ख्यात, संपादक डॉ. हुकमसिंह भाटी पृष्ठ– 15

36. अरोड़ा, डॉ. शशि, राजस्थान में नारी की स्थिति, पृष्ठ 67–68

37. नगर, डॉ महेन्द्रसिह, मारवाड राज्य की सांस्कृतिक परम्पराएँ, पृष्ठ – 552–53

38. परिहार, घासीराम, मराठा मारवाड़ संबंध, पृ. 178

39. शर्मा, जी.एन., सोशियल लाइफ इन मेडीवल राजस्थान, पृष्ठ 193

40. महाराजा विजयसिंह की ख्यात, पंत्राक 93 अ, 95 अ रा.प्रा.वि.प्र, जोधपुर

41. मारवाड़ री ख्यात, सं. डॉ. हुकमसिंह भाटी, पृष्ठ 45–46

42. जोधपुर हकीकत बही न. 1 वि.स. 1820–30 पंत्राक 47, जोधपुर सनद परवाना बही न. 7, वि.स. 1823, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर।

43. 'पहरावणी' विवाह जन्म आदि शुभ अवसरों के उपंरात संबधिन्यों व कमीणों को वस्त्र दिया जाना– पहरावणी नाम से सम्बोधित किया जाता था।

44. सूरज प्रकाश, भाग–1, पृष्ठ–21

45. जोधपुर हकीकत बही न. 2, पंत्राक 247, वि.स. 1831–34 राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर

46. विवाह बही न. 837, पंत्राक – 28, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश, जोधपुर

47. रसीलेराज अंक 9, सन् 2012, पृष्ठ 3–4, सं. डॉ. महेन्द्रसिंह नागर, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश जोधपुर

48. विवाह बही न. 837, पंत्राक – 29, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश, जोधपुर

49. मारवाड़ री ख्यात, सं. डॉ. हुकमसिंह भाटी, पृष्ठ – 141
50. जोधपुर री ख्यात, महाराजा मानसिंह रे राज री क्रमांक 10609, पंत्राक 84 ब, राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी, जोधपुर
51. विवाह बही न. 835, पंत्राक 10–14, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश, जोधपुर।
52. नगर, महेन्द्रसिंह, मारवाड़ राजघराने की शोक संबंधी परम्पराएँ, पृष्ठ–130
53. हकीकत बही न. 8, इमेज न. 868–70 संवत 1860, म.मा.पु.प्र., जोधपुर
54. हकीकत बही न. 8, इमेज न. 868–70 संवत 1860, म.मा.पु.प्र., जोधपुर
55. जोधपुर हकीकत बही न.8 पत्रांक 434, 869 म.मा.पु.प्र जोधपुर
56. मारवाड़ री ख्यात, सं. डॉ. हुकमसिंह भाटी पृष्ठ–164
57. मारवाड़ री ख्यात, सं. हुकमसिह भाटी–165
58. जोधपुर दस्तरी रिकार्ड 3/43 ब, न. 43, राजस्थान राज्य अभिलेखाकागार, बीकानेर, पृष्ठ – 1,
59. मारवाड़ री ख्यात, सं. हुकमसिंह भाटी, पृष्ठ 13
60. राजदरबार ओर रनिवास, नंदर किशोर पारीक, पृष्ठ –45– 48
61. जोधपुर ओहदा बही न.3 पंत्राक 34, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर
62. उम्मेद भवन पैलेस व मेहरानगढ़ में संग्रहित नरेंशो के चित्रो से।
63. जवाहरखाना बही 8, वि.स. 1856–60, पत्रांक 452, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर
64. कपड़ो रा कोठार री बही पत्र संख्या 207, वि.स. 1853 सेलो – पत्र संख्या 2 क
65. बही पत्र संख्या – 2 क
66. बही पत्र संख्या – 27 क
67. बही पत्र संख्या – 83 क
68. हकीकत बही न . 7, वि.स. 1854–55, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर
69. महराजा भीमसिंह रे वगत कपड़ो रे कोठाररो रोजनावो संग्रह क्रम संख्या 140, पत्र संख्या 320, वि.स. 1856।
70. हकीकत बही न. 8 वि.स. 1856–60, पंत्राक 431
71. महाराजा भीमसिंह रे वगत में कपड़ों रे कोठार रे हाजरीयाँ री बही, संग्रह क्रम संख्या – 144, वि.स. 1851 संग्रह क्रम संख्या –अंकित नही है।

72. महाराजा भीमसिंह रे वगत में कपड़ों रे कोठार रो रोजनावो, पत्र संख्या– अंकित नही है। वि.स. 1851 संग्रह क्रम संख्या 150
73. जोधपुर हकीकत बही न. 8, वि.स. 1856–60 पत्रांक 366–67
74. कपड़ो रा कोठारा री बही, वि.स. 1853, पत्र संख्या 207
75. जोधपुर हकीकत बही 8, वि.स. 1856–60 पत्रांक 439, 450, 452–453
76. जोधपुर हकीकत बही 8, वि.स. 1856–60 पत्रांक 439, 450
77. जोधपुर हकीकत बही 8, वि.स. 1856–60 पत्रांक 452
78. हकीकत बही 8, वि.स. 1856–60 पत्रांक 366–67, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर
79. एनाल्स एण्ड एंटीक्विटीज–टोड भाग–3 पृष्ठ 1630
80. जोधपुर हकीकत बही न. 9, वि.स. 1856–60, पत्रांक 440, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर
81. सूरज प्रकाश, भाग–2–सं. सीताराम लालस पृष्ठ 218, 219।
82. जोधपुर हकीकत बही न. 8, वि.स. 1856–60 राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर
83. जोधपुर ओहदाबही न. 3 पत्रांक – 164
84. मारवाड़ के ओहदेदारों का इतिहास में योगदान, भाटी हुकमसिंह, पृष्ठ न. 129, म.मा.पु.प्र जोधपुर
85. मारवाड़ के ओहदेदारो का इतिहास में योगदान भाटी हुकमसिंह, म.मा.पु.प्र जोधपुर, पृष्ठ न. 130,
86. जनानी ड्योढी बही, क्र.स. 244, वि.स. 1859, महाराज मानसिंह पुस्तक प्रकाश जोधपुर।
87. जोधपुर राज्य री रीत किरियावर री बही पंत्राक 54 (अ) रा.शो.स. चौपासनी, जोधपुर
88. जनानी ड्योढ़ी ब्याव री बही, क्र.स. 244 वैशाख सुदि 12, वि.स. 1859, म.मा.पु. प्र. जोधपुर
89. जोधपुर हकीकत बही न. 8, वि.स. 1856–60, पत्रांक–435
90. ब्याह री बही न. 1 *(जोधपुर रिकार्ड)*, पृष्ठ 54

91. ब्याह री बही न. 1 *(जोधपुर रिकार्ड)*, पृष्ठ 1–53

92. हकीकत बही न. 2, पृष्ठ 162 – 163

93. एनाल्स–टॉड, भाग–3 पृष्ठ 1630

94. हथबही न. 3 वि.स. 1848–52 पंत्राक – 44

95. मीरा मिल, महाराजा अजीतसिंह एवं उनका युग पृष्ठ–288

96. शर्मा, डॉ जी.एन., सोशियल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान, पृष्ठ– 289

97. मांगीलाल, जोधपुर राज्य का इतिहास, पृष्ठ 235

98. टॉड, एनाल्स पृ. 136

99. सनद परवाना बही न. 25, पंत्राक 23 इमेज न. 38, म.मा.पु.प्र जोधपुर

100. परम्परा, भाग 24, ऐतिहासिक रूक्के परवाने, पृष्ठ – 1

101. मारवाड़ रे परगना री विगत, भाग–1, पृष्ठ–397

102. हथबही न. 1 *(जोधपुर रिकार्ड)*, पृष्ठ 31–48

103. मारवाड़ री ख्यात, सं. हुकमसिंह भाटी, पृष्ठ–2

104. कागदो री बही संख्या 7, वैशाख सुदी 5, वि.स. 1857, राज. राज्य अभिलेखागार, बीकानेर, पृ. 130,

105. गुप्ता, बी.एल. ट्रेड एण्ड कॉमर्स इन राजस्थान, पृष्ठ – 85–86

106. हकीकत न. 1, वि.स. (1820–30) *(जोधपुर रिकार्ड)*, पृष्ठ 253, 555,

107. टॉड, एनाल्स, भाग 2, पृष्ठ 127

108. हकीकत बही न. 3, वि.स. 1835–40 *(जोधपुर रिकार्ड)*, पृष्ठ 77

109. टॉड, एनाल्स, भाग 2, पृष्ठ 128

110. इम्पीरियल, गजेटियर, भाग–3, पृष्ठ–119

111. नैणसी री ख्यात, एफ.एफ–47ए, 98ए, 467ए

112. दस्तरी रिकार्ड, वि.स. 1840

113. वेब द करेंसीज भवि राजपूताना, पृष्ठ 47,48

114. शर्मा, जी.एन. सोशल लाइफ इन मेडीवल राजस्थान, पृष्ठ 302

115. साल्ट इण्डस्ट्रीज ऑफ राजपूताना भाग 1, जबरसिंह पृष्ठ 172

116. हकीकत बही न. 3 संवत 1835–40, पृष्ठ 78–79

117. साल्ट इण्डस्ट्रीज ऑफ राजपूताना भाग 1, जबरसिंह पृष्ठ 174

118. साल्ट इण्डस्ट्रीज ऑफ राजपूताना भाग 1, जबरसिंह पृष्ठ 174
119. इम्पीरियल गजेटियर (प्रो.वि. सरविस राजपूताना पृष्ठ 101–102)
120. सनद परवाना बही संख्या 25, वि.स. 1848, खास रूक्का परवाना बही संख्या 1, जोधपुर रिकार्डस
121. शर्मा, ब्रजकिशोर, आधुनिक राजस्थान का आर्थिक इतिहास, पृष्ठ 310
122. फाइल संख्या 96, वि.स. 1806, दस्तरी रिकार्डस, जोधपुर रिकार्डस, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर
123. मजमुऐ हालात राज मारवाड़, 1883–84, पृष्ठ 224
124. मजमुऐ हालात राज मारवाड़ 1883–84, पृष्ठ 227
125. मजमुऐ हालात राज मारवाड़ 1883–84, पृष्ठ 228
126. हकीकत बही न. 2 संवत्– 1831–34 (जोधपुर रिकार्डस), पृष्ठ 154, 155
127. मजमुऐं हालात राज मारवाड़ 1883–84, पृष्ठ 126
128. मजमुऐं हालात राज मारवाड़ 1883–84, पृष्ठ 115
129. सनद परवाना बही न. 13, संवत 1830, पंत्राक 24 इमेज 47
130. इम्पिरियल गजेटियर, पृ. 53, उद्धूत गुप्ता बी.एल. पृ. 68

### पंचम अध्याय

# महाराजा भीमसिंह स्थापत्य कला एवं साहित्य के संरक्षक के रुप में

स्थापत्य कला मनुष्य के विकास और पतन को यथार्थ रूप सें प्रकट कर देती है। इस कला के विकसित रूपों में हम मनुष्य के अनवरत प्रयासों को खोजते है जिससे उसकी सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के प्रति विचार, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, सौन्दर्यात्मक सूची ज्ञात होती है। प्राचीन स्मारक, शिलालेख, मंदिर, किले, महल, शासकों के स्मारक, भवन तथा जलाशय आदि स्थापत्य को जानने के प्रमुख साधन है।

किसी भी काल में बनी हुई इमारत, स्मारक, मंदिर, गुफाएँ, स्तूप, किले, महल, ताम्रपत्र, आदि उस समय के समाज का दर्पण होती है। उस समय में समाज की स्थिति का पता स्थापत्य से ही लगता है। मुसलमानों के आक्रमण के कारण कई ऐतिहासिक इमारतें, मंदिर तोड़े गये थें फिर भी राजपूताना में पुनः निर्माण करके अपनी धरोहर को बनाये रखा। मारवाड़ में एक कहावत है 'कीर्तिर्यस्य स जीवित' अर्थात् जिसकी संसार में कीर्ति–यश है वही जीवित है। वह जीविका के जीवित रहने के साधन दो ही है। 'काव्य और पत्थर'।

नाम राखण ने गीतड़ा के भींतड़ा
नाम गीतड़ा के भींतड़ा सूं रेवै।[1]

अर्थात् "मनुष्य जाति की कीर्ति को चिरस्थायी रखने वाली वस्तु या तों उसका इतिहास (गीतड़ा) है या उसके कीर्ति स्तम्भ (भीतड़ा) – भवन, गढ़ किले, हवेलिया, मंदिर, छतरिया, देवल, थड़े, तालाब, कुएँ, बावड़ियां और झालरे है।"

राजस्थान की विभिन्न रियासतों में जोधपुर रियासत एक मात्र ऐसी रियासत है जहां पर राजा महाराजाओं के द्वारा निर्मित इमारते, महल आदि महाराजाओं की सम्पति नही होती थी। उन पर सरकार का अधिकार होता था।

स्थापत्य पर अध्ययन किया जाये तो सृष्टि के प्रथम शिल्पशास्त्री का जिक्र होता है। सभी कलाओं के निर्माता व रचयिता परमपिता ब्रह्मजी के पौत्र भगवान श्री विश्वकर्माजी है। कई ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मजी ने सृष्टि के निर्माण के समय नगरों के निर्माण का कार्य विश्वकर्माजी को सौंपा था। श्री विश्वकर्माजी ने 'शिल्प शास्त्र' नामक ग्रन्थ की रचना की। श्री विश्वकर्माजी ने ब्रह्मजी से पूछा था की नगर का निर्माण कैसे करे तब ब्रह्मजी ने एक कागज पर नक्शा बना दिया जो संसार का प्रथम 'रेखा चित्र' था। जोधपुर राज्य की मरदूमशुमारी रिपोर्ट से पता चलता है कि सृष्टि में प्रथम नगर निर्माणकर्ता विश्वकर्माजी थे।[2]

सूत्रधार– संस्कृत में सूत के धागे से नाप ले कर निर्माण करने वाले को सूत्रधार कहा जाता है। एक भवन को बनाने में अनेक कारीगरों की आवश्यकता होती थी जो मारवाड़ की कुछ जातियों के द्वारा किया जाता था। कई ग्रंथो व बहियों में इन जातियों का उल्लेख मिलता है। जैसे – दीवार का चेजा अर्थात् दीवार चुनने का कार्य करते थे उन्हे चेजारा कहते थे। चुना बनाने वाले को चूनगर कहा जाता था। जूना बनाने का काम कुम्हार, कबाड़ी व कालीगर प्रमुख थे। रिपोर्ट मरदुमशुमारी में उल्लेख मिलता है कि चुनगर अपनी भट्टी में स्वंय आग नही लगाते थे, वे किसी और को पैसे देकर भट्टी मे आग लगवाते थे। तालाब खोदने व खानों में से पत्थर फोड़कर लाने का कार्य बेलदार या ओड़ जाति के द्वारा किया जाता था। किसी राज्य की स्थापत्य का कार्य इन जातियों के बिना संभव नही था।

## 5.1 निर्माण कार्य – जोधपुर दुर्ग के महल, देवालय इत्यादिः–

### जलस्त्रोतः–

मारवाड़ में जल का बहुत महत्व है। मारवाड़ का अर्थ है मरूप्रदेश है जहां पानी की एक–एक बूंद को सहज कर रखते थे। जल को सहज कर रखने की परम्परा के चलते यहां पर समय–समय पर सभी शासकों के द्वारा कई कुएं, बावड़िया, तालाब, झालरे, बांध, कुंड और टांके व नाड़िया, तलाई, सर, सरोवर, जोहड़, झीलें और खडीन आदि जलस्त्रोतों का निर्माण भी स्थापत्य का अनुठा नमुना था। राजस्थान के प्राचीनतम जलस्त्रोतों में मण्डोर की बावड़ी वर्तमान मे प्राचीन

वापी (बावड़ी) है। वर्तमान में भी मण्डोर रेलवे के पर्वतमाला के नीचे चट्टान खोदकर अंग्रेजी के 'एल' अक्षर के आकार की बावड़ी स्थित है।[3] जोधपुर में आज भी कई बावड़ीयां है जो भूतकाल के स्थापत्य को दर्शाता है।

जन कल्याण के लिए यहाँ के शासकों के द्वारा अनेक जल स्थलों का निर्माण करवाया गया। जिनमें से कुछ तो बचे हुए है लेकिन कुछ लुप्त हों गयें। बावड़िया झालरे आज भी अस्तित्व में हैं।[4]

वैसे तो राजस्थान गढ़ व हवेलियों के लिए प्रसिद्व रहा है। जोधपुर में भी हवेलियों के स्थापत्य और गौरवपूर्ण इतिहास से अछूता नही है। मारवाड़ के सांमतो, व्यापारियों, मुत्सद्दीयो व ब्राह्मणों ने अनेक हवेलियों का निर्माण करवाया है जो आज भी विद्यमान है। निमाज, पाल, भैय्या की हवेली, इन्द्रराज सिंघवी की हवेली, महामंदिर हवेली, सिघंवी जी की हवेली, मुहणोतो की हवेली आदि हवेलियों में सामंतो की हवेलियों मे भित्ति चित्र देखे जा सकते है।

मारवाड़ के शासको, सांमतो के द्वारा मृत्यु–स्मारक, छतिरयां, थड़े, देवल, मस्जिदें ओर दरगाह आदि का निर्माण भी करवाया। राजस्थान में छतिरयां गर्व और सम्मान को दर्शाती है। 8वीं से 19वीं शताब्दी में बनाई गई लाखों छतरियां आज भी दृष्टव्य है।

जैसे मंडोर में स्थित पंचकुंडा की छतरियां, कागा की छतरियां, जंसवत थड़ा, मंडोर उधान में बनी छतरियां (थड़े) आदि स्मारक भारतीय वास्तुकला के श्रेष्ठ निर्माण है।

स्थापत्य में उधान बाग–बगीचे एवं महलो का भी स्थान रहा है। मुगलों के सम्पर्क में आने पर ही मारवाड़ के शासकों को बाग लगाने का चलन चला था। बालसंमद जोधपुर के शासकों का प्रिय स्थान रहा है। इसके अलावा मंडोर उधान, राईका बाग, रातानाडा पैलेस का बाग, उम्मेद उधान आदि जोधपुर के प्रसिद्व बाग–बगीचे व उधान है।

मंदिर स्थापत्य की बात की जाए तो जोधपुर में 1400 से अधिक मंदिर बने हुए है, क्योंकि लोगो की आस्था थी तो रानियों, राजाओं द्वारा कई मोहल्ले, चौरायो पर मंदिर का निर्माण करवाया जाता था। जोधपुर के लगभग सभी बड़े मंदिर उंची चौकियों पर बने हुए है।

जोधपुर के मंदिरों में तोरण बनाने की परम्परा थी। तोरण का उदाहरण आज भी राज रणछोड़ जी के मंदिर में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहां पर गंगश्यामजी, घनश्यामजी, तीजा मांजी का मंदिर, रणछोड़जी मंदिर, बाघेली जी का मंदिर, महामंदिर आदि।

इस प्रकार मारवाड़ में सभी शासकों के द्वारा अपने–अपने समय में स्थापत्य पर जोर दिया गया और बहुत से जल स्त्रोत, जलाश्य, हवेलियां, मृत्यु स्मारक, उधान, बाग–बगीचे एवं महल, मंदिर का निर्माण करवाया गया है।

महाराजा भीमसिंह (वि.स. 1850–1860) ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में कई मंदिर, बावड़ी, महल, हवेली का निर्माण करवाया जिसमें से कुछ अस्तित्व में है और कुछ नही है।

**मेहरानगढ़ दुर्गः–**

राठौड़ो की नगरी की पहचान यह दुर्ग शहर के प्रत्येक कोने से दिखाई देता है। चिड़ियानाथ की पहाड़ी पर बने इस दुर्ग का निर्माण 1459 ई. में राव जोधा के हाथों से शुरू हुआ परन्तु समय–समय शासकों के आवागमन के साथ ही इस दुर्ग का निर्माण होता गया। इस दुर्ग के बारे में इतिहासकार कहते है कि –

ब्रिटानी पत्रकार श्री रूडयार्ड किपलिंग ने कहा "इसका निर्माण फरिस्ते, परियों और देवताओं की करामात है।"

***कर्नल जेम्स टॉड –***

"जोधे के बेटे इस महल की खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते थे, उनकी हुकूमत की हद तक इस किले से इनकी निगाह पहुंचती है।"[5]

मेहरानगढ़ दुर्ग ऊँची पहाड़ी पर स्थित होने से अत्यंत भव्य प्रतीक होता है। जोधपुर दुर्ग के दो प्रवेश द्वार व सात पोले है। प्रथम मार्ग लोहापोल से होकर अंदर जाता है। लोहापोल का अगला भाग राव मालदेव ने परन्तु पूर्ण रूप से महाराजा विजयसिंह के समय तैयार हुआ।




**लोहापोल के झरोखे**

लोहापोल के ऊपर झरोखे का निर्माण महाराजा भीमसिंह ने करवाया।[6] जोधपुर के प्राचीन नगर को दुर्ग से जोड़ने वाला मार्ग फतेहपोल है जिसका निर्माण महाराजा अजीतसिंह ने 1707 ई. में अपनी मुगलो की विजय के उपलक्ष्य मे करवाया। फिर गोपाल पोल व भैरव पोल आती है। फिर जयपोल जिसका निर्माण महाराजा मानसिंह ने करवाया। फिर लाखन पोल जिसका निर्माण राव मालदेव ने 16 वीं शती में करवाया। फिर इमरती पोल है और फिर राव जोधाजी का फलसा आता है जिसको पहले दुर्ग का प्रारम्भ मानते थे। इस दुर्ग में दो मंदिर – नागणेची माता व चामुण्डा माता का है। इसके अलावा ख्वाबगाह का महल, दौलत खाना, चौकेलाव का महल, जनाना महल, बिचला महल, फूल महल, फतेह महल आदि प्रमुख है। महाराजा भीमसिंह ने फतहमहल व फूलमहल के कोठार व कोटड़ियों का निर्माण किया था।[7] इस दुर्ग का निर्माण शासकों के कर कमलों से उनके अलग–अलग समय पर होने से उनमें विभिन्न शैलियों का समावेश विद्यमान है।

**मंडोरः–**

मंडोर जोधपुर के उत्तर पश्चिम में 08 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। मंडोर प्राचीनकाल से ही विस्तृत नगर व मारवाड़ की राजधानी रहा है। मंडोर में स्थापत्य कला का बहुआयामी विकास हुआ। मंडोर में सिर्फ पत्थर ही देखे जा सकते थे लेकिन पुरातत्व विभाग ने पत्थरों को एकत्रित करके उसकी दीवारों व कुछ जगहों को ठीक किया है। मंडोर का दुर्ग नागादड़ी नाम के बरसाती नाले के पास बना था।[8] मंडोर दुर्ग बड़े–बड़े प्रस्तर खण्डो से बना दुर्ग था जिसके अवशेष आज भी है। मंडोर उद्यान व देवी–देवताओं की साल, इक थम्बिया महल, पुराना किला व म्युजियम भव, थड़े, देवल, तालाब व कुएं इत्यादि बने हुए है जो कि स्थापत्य कला का उदाहरण है।

मंडोर में राजाओं के थड़े (मृत्यु–स्मारक) बने हुए है जो उस समय राजा की प्रतिष्ठा को दर्शाता है। जिनमे प्रमुख पंचकुण्डा की छतरीयां, राव गंगाजी का देवल, राव मालदेवजी का देवल, मोटा राजा उदयसिंह का देवल, सवाई राजा सूरसिंह जी का देवल, राजागंज सिंह का देवल, महाराजा जसंवत सिंह प्रथम का देवल, महाराजा अजीतसिंह का देवल, महाराजा अभयसिंह का स्मारक, महाराजा बखतसिंह जी का देवल, महाराजा कुमार गुमानसिंह का देवल, महाराजा कुमार फतेसिंह की छतरी, महाराजा कुमार सरदारसिंह जी की छतरी, महाराजा मानसिंह का थड़ा, महाराजा तख्तसिंह जी का थड़ा तथा महाराजा भीमसिंह का थड़ा आदि मंडोर में स्थित है। इन्ही देवल व थड़ो से राजा की प्रतिष्ठा का पता चलता था।

**महाराजा भीमसिंह का थड़ाः–**

महाराजा भीमसिंह (1793 ई.–1803 ई.) का थड़ा देख कर लगता है कि कोई कबाड़ खाना है क्योंकि महाराजा भीमसिंह अपने सांमतो व भाइयों से प्रेमपूर्वक नही रहते थे। अन्य थड़ो की तुलना में भीमसिंह का थड़ा नाममात्र का है। वर्तमान में इनके थड़े की हालत एक खण्डर की भांति हो गई है उनके थड़े में उनका एक चित्र ही लगा हुआ है पर किसी प्रकार का कोई शिलालेख नही मिलता है जिससे यह साबित हो सके कि यह भीमसिंह का थड़ा है, मंडोर में उनके थड़े की पूजा

करने वालो का कहना है कि यह तस्वीर ही हैं जिससे ये साबित हो जाता है कि यह भीमसिंह का थड़ा है। इन्होनें अपने ही भाइयों को मरवा दिया था और सांमतों से भी मिलनसार नही थे और इनके कोई पुत्र नही था और महाराजा मानसिंह से वैर के चलते उनके थड़े को त्यों का त्यों ही रखा, उनके थड़े से ही उनकी प्रतिष्ठा का अंदाजा लगाया जा सकता है।[9]





**महाराजा भीमसिंह का थड़ा**

**महाराजा अजीतसिंह का थड़ाः—**

मंडोर में सबसे सुन्दर थड़ा महाराजा अजीतसिंह (1707 ई—1724ई) का है। जिनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र अभयसिंह ने इनके देवल का निर्माण 1736 ई. में करवाना प्रारम्भ हुआ। जिसे महाराजा अभयसिंह के प्रपोत्र महाराजा भीमसिंह ने संवत् 1856 में पूरा करवाया था। देवल से प्राप्त शिलालेख से ज्ञात होता है इसका निर्माण चदनन्यू गजधर वीरामट ने किया था यह शिलालेख देवल के मुख्य द्वार पर उत्कीर्ण है जो इस प्रकार है।

"महाराजा धराज श्री अजीत सिघ जी रो देवल (01)

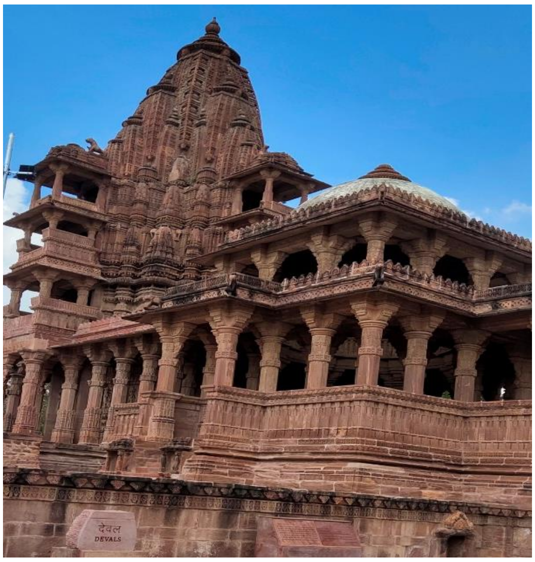
महाराज श्री भीवसिंह जी करायो दरोगो श्री रायतेगो (2)

गजधर बीरा 'महस' मति काति वद 12 सवंत् 1860 रा (3)

सवंत् 1856 मास भादृवा बुद 14 सरू हुवो।

इस लेख के खोदे जाने के एक सप्ताह बाद ही कार्तिक सूद 4 वि.स. 1860 को महाराजा भीमसिंह का अकस्मात् (यकायक) स्वर्गवास हो गया।

महाराजा अजीतसिंह का देवल राजस्थान कें समस्त देवलों में न केवल भव्यतम अपितू इसकी कलात्मक विलक्षणता से इसे स्मृति–भवनों में उच्च स्थान प्राप्त हुआ है।






**महाराजा अजीतसिंह का थड़ा और मुख्य द्वार पर उत्कीर्ण शिलालेख**

जोधपुर की सुरक्षा के लिए कई शासकों के द्वारा दरवाजे एवं परकोटे का निर्माण करवाया गया था। जैसे चांदपोल दरवाजा, सिवांची दरवाजा, जालोरी दरवाजा (इन दरवाजों का निर्माण राव मालदेव (1532–1562 ई.) मे करवाया) सोजतिया दरवाजा, नागौरी दरवाजा, मेड़तिया दरवाजा (महाराजा अभयसिंह (1724–1749ई.) में निर्माण करवाया। महाराजा भीमसिंह के समय में किसी दरवाजे के निर्माण का उल्लेख नही मिलता है।

**तलहटी के महलः–**

जोधपुर दुर्ग के नीचे तलहटी के महलों का निर्माण सवाई राजा सूरसिंह जी ने 1615 ई. में करवाया। इनके शासनकाल मे निर्माण अधुरा रह गया था जिसे राजा गजसिंह प्रथम ने 1631 ई. में पूरा करवाया। फिर भी अधुरा रह गया था जिसे महाराजा भीमसिंह ने संवत 1852 (1795 ई.) में हमामपोल का कार्य पूरा करवाया।[10]

यह महल भव्य और नयनाभिराम सूक्ष्म स्थापत्य वास्तुशिल्प का प्रतीक है। वर्तमान में सब्जी वाले व टेक्सी वालो का अतिक्रमण है। यह महल विधवा रानियों की सुरक्षा की दृष्टि के लिए रखा गया था।

**इन्द्रराज सिघंवी की हवेली:–**

जोधपुर में हवेलियां भी बहुत सुन्दर बनी हुई है जिसमें से एक हवेली इन्द्रराज सिघंवी की हवेली है जो पंचेटिया भाखर की तलहटी में स्थित है। इन्द्रराज सिंघवी दीवान व राजनीति में कुशल था यह भीमसिंह के दरबार मे दीवान के पद पर थे। इन्द्रराज जी को निर्माण कार्य करवाने का शौक था इन्होने महाराजा भीमसिंह के समय ही हवेली का निर्माण करवाया। इन्द्रराजजी की हवेली सुन्दर झरोखे व महलों से सुसज्जित है। इसका मुख्य दरबार बहुत सुन्दर है। वर्तमान में यहाँ पर एक होटल का संचालन किया गया है।



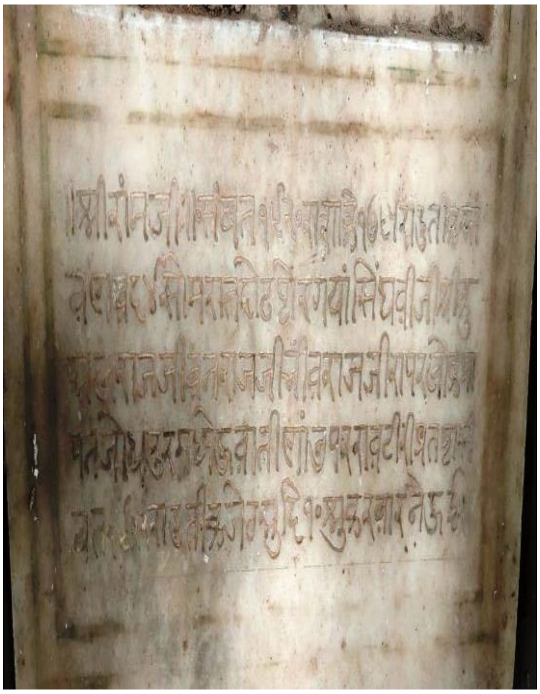
**इन्द्रराज सिंघवी की हवेली**

**रघुनाथजी के मंदिर:–**

इस मंदिर की स्थापना महाराजा भीमसिंह के हाथों करवाई गई थी। इस मौके पर महाराजा भीमसिंह ने एक दोहा कहा था जो एक थम्बे पर खुदवाया गया था। यह लेख तो थम्बे पर आज भी है। वर्तमान में यह निजी सम्पति है यहां पर

दिलिप वैष्णव इन छतरियों की व मंदिर की देखभाल करते है। मंदिर में मूर्ति का कोई पता नही है कहते है कि चोरी हो गई। पर मंदिर यथावत् है पर मूर्ति नही है।

महाराजा भीमसिंह ने इसी अवसर पर मंदिर के लिए आसोज वद 4 सवंत 1858 को डोली और तांबा पत्र इनायत किया।[11]

**रघुनाथ जी का मंदिर और थम्बे पर खुदवाया दोहा**

इन्द्रराज जी ने महाराजा भीमसिंह की स्वामी भक्ति से सेवा की थी इन्होने देसूरी में लड़ाई लड़ी जिसमें इनके गोली लगी और वे युद्ध में घायल हुए तथा सवंत 1852 (1795 ई) में घाणेराव पर अधिकार कर महाराजा भीमसिंह का अधिपत्य स्थापित किया। इस कार्य से महाराजा भीमसिंह बहुत प्रसन्न हुये थे और इन्होने इन्द्रराजजी को सिरोपाव देकर देसुरी की हाकिमी दी गई।

## आहोर की हवेलीः—

आहोर के ठिकाने की आहोर की हवेली को महाराजा अजीतसिंह ने चांपावत जगन्नाथसिंह आईदानोत को 1706 में दी थी। जगन्नाथ सिंह जी विजयसिंह के काल तक रहे। महाराजा भीमसिंह के समय 1801 ई. में आहोर ठिकाने के ठाकुर ओनाड़सिंह हुए। पहले जोधपुर में आहोर ठिकाने की हवेली नही थी। केवल एक

छोटी जगह आऊवा और रोहट की हवेली के पास थी। महाराजा भीमसिंह के समय चंताणी व्यासों ने उस जगह पर कब्जा कर लिया था। तो अनोड़सिंह जी ने चंताणी व्यासों के मकान तुड़वाकर उस जगह पर हवेली का निर्माण करवाया।[12]

जोशियो की हवेली पांच हवेलियों बोड़ो की घाटी में फतेहपोल के पास स्थित है। इसके अलावा जोधपुर मे आसोप की हवेली, राव राजा कल्याणसिंह जी की हवेली, पुष्प नक्षत्र की हवेली, भव्या की बड़ी हवेली, पाल हवेली, रास हवेली, रामसिंह जी की हवेली, धांयभाई जगन्नाथ की हवेली, जवाहर खाना हवेली, छोटे खांजी की हवेली, कल्ला जी की हवेली, रावजी लोढ़ाजी की हवेली, नाजरों की हवेली, घंटाघर, सिंघवी अखेराज की हवेली आदि हवेलियां जोधपुर के स्थापत्य का अनुठा नमुना है। जोधपुर के लोग धार्मिक विचारधारा के थे।

**मंदिरः—**

समय—समय पर कई शासकों व रानियों ने मंदिरो का निर्माण करवाया था। कुछ प्रमुख मंदिर गणेशजी का मंदिर, श्री कुंजबिहारीजी का मंदिर, गंगश्यामजी का मंदिर, घनश्यामजी का मंदिर, तीजा माताजी नैनीजी का मन्दिर, अचलेश्वर महादेव का मंदिर, राज रणछोड़जी का मंदिर, रामेश्वर महादेवजी का मंदिर, बाघेलीजी का मंदिर, महामंदिर, उदयमंदिर, श्याम मनोहरजी का मंदिर इस मंदिर के बारे मे एक कहावत है कि महाराजा विजयसिंह के समय इस मंदिर मे गोसाई विठ्ठलेशरामजी थे।[13] उनको जोधपुर की राजकुमारी जिनका विवाह जयपुर के राजा के साथ हुआ था वह विठ्ठलेशरामजी गोस्वामी की भक्त थी। उन्होने गोस्वामी जी को अनेक बार निमन्त्रण भेजे थे जयपुर आने के लिए। गुंसाईजी ने महाराजा विजयसिंह से कई बार जयपुर आने की आज्ञा मांगी परन्तु महाराजा ने कोई उतर नही दिया जब जयपुर से बार—बार निमंत्रण आने लगे तो गुसाईजी ने महाराजा को बिना कहे जयपुर चले गए। जब विजयसिंह को पता चला तो उन्होने कहा कि मारवाड़ के गुरू जयपुर जाएं यह शोभा नही देता है। तब विजयसिंह ने गुसाईजी की जागीरी का गांव जब्त कर लिया। जब गुसाईजी को जागीरी जब्त होने का पता चला तो लोगो ने बुरा—भला कहा तो गुसाईजी ने महाराजा का पक्ष लेते हुए उनकी वैष्णव

श्रद्वा को उच्च कोटि का बताया। इस बात की सूचना हलकारों ने महाराजा को दी तो महाराजा ने गाजे बाजे के साथ गुंसाई महाराज को जोधपुर बुलाया और जब्त किया हुआ गांव पुनः लौटा दिया। तब से चैत्र शुक्ल द्वादशी को श्याम मनोहर का गुप्त उत्सव मनाया जाता है, जिसकी परम्परा आज भी जारी है। महाराजा विजयसिंह के पौत्र महाराजा भीमसिंह की भी श्रद्वा यथावत बनी रही थी।[14] उष्ट्रवाहिनी देवी का मंदिर, बालकृष्ण जी का मंदिर।

## शीतला माता का मंदिरः—

शीतला माता का मंदिर—कागा— इस मंदिर की विधिवत् स्थापना महाराजा भीमसिंह ने चैत वदि 7, 1797 को करवाई।[15] इस मंदिर में शीतला माता, ओरी माता और अचपड़ा माताजी की प्रतिमाएँ भी स्थापित है। पहले शीतला माता की मूर्ति तलहटी के महलों में स्थापित थी, महाराजा विजयसिंह के राजकुमार सरदारसिंह का सवंत 1857 में सप्तमी को शीतला माता की पूजा के दिन देहान्त हो गया जिससे महाराजा को बड़ा अफसोस हुआ तब उन्होने कहा कि माता की पूजा से ही राजकुमार की मृत्यु हो गई तो इस मूर्ति की पूजा क्यों की जाए तब इस मूर्ति को नागौरी गेट के बाहर रखवा दी। कालान्तर में यही मूर्ति महाराजा भीमसिंह जी ने विधिवत कागा में मंदिर बनवाकर स्थापित करवाई। यहां प्रतिवर्ष माता का मेला अष्टमी को लगता है। इस दिन सभी लोग ठण्डा भोजन करते है ओर बच्चे मेले में लगे झूलों और खिलौनो की दुकानों का आनन्द लेते है।





**शीतला माता का मन्दिर**

### विष्णु मंदिरः–

सोनारो की घाटी के ढलान पर बने रनी भटियाणी जी के मंदिर के पूर्व तथा दक्षिणामुखी में विष्णु मंदिर स्थित है इसका निर्माण महाराजा भीमसिंह की दूसरी रानी शेखावत जी ने करवाया था।[16]

### ठाकुर मुरली मनोहर मंदिरः–

ठाकुर मुरली मनोहर जी का मंदिर रामपोल व ब्रहापुरी में रामपोल के पास भींवसिंह जी की रानी सिरे कवंर तंवरजी ठाकुर सुरताणसिंह ठिकाना केलावा की पुत्री ने ठाकुरजी मुरली मनोहर जी के मंदिर का निर्माण करवाया था।[17] मंदिर का निर्माण संवत 1860 (1803ई.) के आषाढ़ सूद 5 को हुआ। इसके बाद ये सती हुई।[18] रानी सिरे कवंर तंवर जी के कामदार बख्तावरमल ने मंदिर की प्रतिष्ठा का कार्य महाराजा भीवसिंह की मृत्यु के पश्चात् करवाया।





**ठाकुर मुरली मनोहर मंदिर**

### ज्वालामुखी मंदिरः–

ज्वालामुखी जी का मंदिर पंचेटिया पहाड़ी के ऊपर चामुण्डा मंदिर के नीचे पहाड़ी पर ज्वालामुखी का मंदिर है। यह मंदिर सूरसिंह जी के काल में सेवग जाले

ने बनवाया था। महाराजा जंसवतसिंह के काल में सिकदार भगवानदास सोभावत ने इस मंदिर का विस्तार करवाया था। यह निर्माण 1660 ई. में करवाया गया।[19] संवत 1842 में यह मंदिर वर्षा के कारण ध्वस्त हो गया था जिसे महाराजा भीमसिंह ने सुधार कर चार दीवारी व सीढ़ीया बनवाई थी।

**चामुण्डा माताजी का मंदिरः–**

चामुण्डा माताजी का मंदिर जो राठौड़ो की कुल देवी और मेहरानगढ़ दुर्ग की शान को राव जोधाजी ने माताजी की मूर्ति को मंडोर से मंगवाकर नवनिर्मित दुर्ग में नया मंदिर बना कर स्थापित किया था।[20] राव जोधा ने वि.स. 1517 में चामुण्डा माताजी मंदिर की स्थापना की। राव जोधाजी ने छोटा मंदिर बनवाया था पर महाराजा अजीतसिंह ने चामुण्डा माताजी का निर्माण करवाया था महाराजा भीमसिंह ने मंदिर में कली करवाई और शिखर पर सोने का कलश चढ़वाया था।





**चामुण्डा माताजी का मन्दिर व शिखर पर सोने का कलश**

**बावड़ियाः–**

जोधपुर में बावड़ी का प्रमुख स्थान था क्योंकि यहां के लोग जल को देवता की तरह मानते है यहां पर कई शासकों व उनकी रानियों ने बावड़ी, तालाब, झील

आदि जल स्त्रोंतो का निर्माण करवाया था। जिनमें से प्रमुख, सुमनोहरा बावड़ी (मारवाड़ की सबसे प्राचीन बावड़ी), चांद बावड़ी, पांचवा माजी की बावड़ी, नवी बावड़ी, जालप बावड़ी, तापी बावड़ी, नाजिरजी की बावड़ी, गुलाब सागर, फतहसागर, अखेराज जी का तालाब, रानीसर तालाब, प्रताप सागर (कायलाना), बालसंमद झील, तुंवरजी का झालरा, पदमसर तालाब, बाईजी का तालाब, छितर का तालाब आदि प्रमुख जोधपुर के जलस्त्रोत थे।

**फतहसागरः—**

महाराजा भीमसिंह (वि.स. 1850—1860) के समय में कुछ जल स्त्रोत को बनवाया गया तो कुछ की मरम्मत करवा कर राज्य को सुदृढ़ बनाया जिनमें से फतहसागर का निर्माण महाराजा विजयसिंह की रानी शेखावत जी झुंझनू के पुत्र महाराज कंवर फतहसिंह की स्मृति में करवाया। लेकिन इसे पूरा महाराजा भीमसिंह ने करवाया।[21] फतहसागर गुलाब सागर से कुछ दूरी पर और गुलाबराय की इच्छा से ही यह कार्य करवाया गया था।





**फतहसागर**

**देरावरजी के तालाबः—**

देरावरजी के तालाब को महाराजा भीमसिंह की रानी ने अपने नाम देरावर जी भटियाणी से करवाया था। यह तालाब बालसंमद व कागा के बीच रावटी के पूर्व—दक्षिण की तरफ है।[22] इस तालाब पर एक बाग व एक महल बना हुआ है,

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करे तो आजकल जीवनसिंह के बाग के नाम से प्रसिद्व है। यह तालाब अच्छा बना हुआ था और इसका आगार बड़ा है जिससे पानी भी इसमें बहुत आता है। इस तालाब से महलों में और बगीचे में पागलों के इलाज हेतु अस्पताल खोला गया था। इसलिए अब इसे लोग जीवनसिंह जी का तालाब कहने लगे है। वर्तमान में यह तालाब पुलिस ट्रेंनिंग सेन्टर, मण्डोर में है जहाँ पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर चलाया जाता है।





**देरावर जी का महल और तालाब**

**अखेराजजी का तालाबः–**

अखेराजजी का तालाब कायलाना रोड़ पर स्थित है। अखेराज महाराजा भीमसिंह के समय सेनापति था। अखेराजजी के कोई संतान नही थी। उन्हे एक सुफी संत ने कहा था कि अपनी कीर्ति को बनाये रखना है तो तालाब का निर्माण करों। तब उन्होने कायलाना की पहाड़ियों के बीच में बरसाती नाले के पानी को बांध कर तालाब बनवाया। इस तालाब का पट्टा वि.स. 1857 में बनवा कर इसे 'अखे सागर तालाब' नाम दिया।[23]

**बालसंमद झीलः–**

बालसंमद झील का निर्माण मंडोर के शासक नाहड़राव पड़िहार के भाई बालकराव पड़िहार ने करवाया। इस झील को वि.स. 1175 में मंडोर रोड पर बनाया था। जोधपुर के कई शासकों ने इस झील का जीर्णोदार करवाया था। राव जोधा व

महाराजा सूरसिंह ने इस झील के पट्टे को बड़ा करवाया तथा महलों का निर्माण भी करवाया। महाराजा जसंवतसिंह व महाराजा अभयसिंह जी ने भी पट्टे को बड़ा करवाया। इसके बाद महाराजा भीमसिंह (1793 ई – 1803 ई.) में बालसंमद की घाटी को बंधवाया अर्थात् दिवारें बनाकर इसे सुरक्षित करवाया। तालाब के ऊपर की साल व वागा के अंदर साल का निर्माण करवाया तथा कुछ महलों को जीर्णोदार भी महाराजा भीमसिंह ने करवाया था।





**बालसमंद घाटी के महल**

इस झील में बहुत से राजा, महाराजा व सेनापितयों को ठहराया जाता था। महाराजा विजयसिंह को भी अपने पौत्र भीमसिंह जी को हटाने (जिन्होनें विद्रोह कर जोधपुर के किले में प्रवेश कर लिया था) के लिए सन् 1792 में इस बालसंमद झील व महलों की शरण लेनी पड़ी थी। वे करीब 10 माह तक यहाँ पर रहे थे।[24]

**नाजर की बावड़ीः–**

महाराजा भीमसिंह ने नाजर की बावड़ी जो कि बाईजी सा के तालाब के पश्चिम में नरसिंघ जी के मंदिर के पास में स्थित है उसका निर्माण वि.स. 1859 में करवाया था।[25]

महाराजा भीमसिंह ने कायलाना झील के पास भीमभड़क की पहाड़ी के पश्चिम की पहाड़ियों में एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। भीमभड़क में रहने वाले संतो के लिए पीने के पानी के लिए इसका निर्माण करवाया था। अब गुफा के पास नाडी है और पीने के लिए अलग से पानी की व्यवस्था की गई है तो इस बावड़ी को अनदेखा कर दिया गया है। बावड़ी को लोगो ने कचरा डाल कर पाट दी है जो अब दिखाई नही देती है। बावड़ी साधारण चुनाई की थी।[26]




**नाजर जी की बावड़ी**

नाल की जाल, केवड़ो की नाल व तिकड़ी भाखरी की नाल के क्षेत्रों में वर्षा का पानी द्वारा खेमा के कुओं से बहता हुआ जोजरी नदी में मिल जाता था। तब तीनों गालों में पहले कुएं थे। महाराजा भीमसिंह ने सबसे पहले दड़ी की नाल में जो आज के रामदान के बड़ियों से शुरू होती है में एक छोटा बांध बनाया था। तब इस गाल में कुछ कुओं का निर्माण करवाया था। लेकिन प्रताप सागर (कायलाना झील) के बन जाने से वे कुएं डूब गये थे। जिनका आज कोई अस्तित्व नही है।[27]

## 5.2 साहित्य– भीम प्रबन्ध महाकाव्य, भीमसिंह की ख्यात (राठौड़ो री ख्यात) भीमसिंह पर रचित डिंगल गीतः–

### भीमप्रबन्ध महाकाव्यः–

राजस्थान की पीर प्रसविनी भूमि ने जग प्रसिद्व वीरो को ही जन्म नही दिया वरन् साहित्य के क्षेत्र में भी प्रसिद्व कवियों की धात्री रही है। राजपूताने के अन्य राज्यों की भांति जोधपुर राज्य में भी साहित्य की परम्परा अत्यन्त प्राचीन रही है। महाराजा भीमसिंह के समय भट्ट हरिवंश विरचित, भीम प्रबन्ध महाकाव्य, भीमसिंह की ख्यात लिखी गई।

भीम प्रबन्ध महाकाव्य भट्ट हरिवंश (भट्टलाल का पुत्र और महाराजा अजीतसिंह के पौराणिक शिव भट्ट का पौत्र एवं श्रीमाली ब्राह्मण था।)

### ग्रन्थ परिचय एवं काव्यशास्त्रीय मीमांसा :–

### काव्यशास्त्रीय मीमांसाः–

भीम प्रबन्ध महाकाव्य ऐतिहासिक महाकाव्य है, इस महाकाव्य के प्रमुख पात्र महाराजा भीम है। जिनके प्रबन्ध (राज व्यवस्था संबंधी प्रबन्ध व्यवस्था) पर आधारित काव्य होने से पट काव्य भीमप्रबन्ध कहा गया है। इस महाकाव्य में जोधपुर के राजाओं का वंश चरित्र (संक्षिप्त रूप) जोधपुर (मारवाड़ राज्य) के तात्कालिक अन्य क्षेत्रों के सरदारों व ठाकुरों का वर्णन किया है। इसके अलावा जोधपुर स्थापत्य का वर्णन किया गया है। इस काव्य में कवि का व्यक्तित्व व प्रतिभा स्पष्ट दृष्टिगोचर है।[28]

### भीम प्रबन्ध काव्य का काव्य शिल्पः–

शब्दार्थो सत्कविरिव दंथ विद्वान प्रेक्षते के अनुसार कवि ने शब्द व अर्थ दोनो पर अवश्य ध्यान दिया है। भीम प्रबन्ध महाकाव्य एक ऐतिहासिक विषय वस्तु को अधिक दर्शाता है इसलिए बहुत से श्लोक वंशानुक्रम का वर्णन करते है किन्तु फिर भी बहुत से श्लोकों में महाराजा भीम द्वारा उत्सव मनाने का, तात्कालिकी स्थापत्य

व्यवस्था, राजा के प्रति प्रजा का स्नेह, दुर्ग का स्थापत्य, मंदिरों का वैभव आदि वर्णित है। कवि हरिवंश भट्ट ने राजाओं का वर्णन आदि अपने पूर्ववर्ती कवियों के प्रवृत मार्ग पर ही चलकर किया है। कथावस्तु के पल्लवन, भाषा के प्रान्जल प्रयोग, आंलकारिक भाषा चमत्कारिक सन्निवेश आदि में कवि का कार्य प्रंशसनीय है।

**कथावस्तुः—**

कवि हरिवंश भट्ट ने जोधपुर कें संस्थापक व उसके वंश का वर्णन अनुक्रम से करते हुए महाराजा भीम के कार्यकाल का सामाजिक चित्रण प्रस्तुत किया है। अन्तिम दो सर्गो में जोधपुर के दुर्ग के स्थापत्य का अत्यंत सुन्दर वर्णन किया है। इस काव्य में राजाओं के द्वारा मनाये जाने वाले उत्सवों का काव्यशास्त्रीय मान्यताओं के अनुरूप वर्णन करते हुए वन, नगर, प्रकृति आदि का शब्द चित्रण किया है।

**भाषा शैलीः—**

संस्कृत कवियों की भाषा शैली सम्पूर्ण विश्व के साहित्य में अपनी साख रखती है। पूरा वैदिक ऋषियों से पूराणों के रचनाकार महर्षियों तथा उसके उपंरात उनका ही अनुशीलन करने वाले कालीदास, भारवि माघ, हर्ष आदि ऐसे रचनाकार है जिनका कोई प्रतिद्वन्दी साहित्य की दृष्टि से पूरे विश्व में उत्पन्न नही हो सकता। उन्ही ऋषि कवियों का अनुशीलन करते हुए श्री हरिवंश भट्ट ने अपने राज्य को गति प्रदान की है। कवि की भाषा सरल व अल्प समासिक पदावली युक्त है।

**भाषाः—**

भीम प्रबन्ध महाकाव्य के लेखक श्री हरिवंश भट्ट का भाषा पर पूर्ण अधिकार है। 20 सर्गात्मक महाकाव्य के निर्माण के लिए उच्च व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। महाकाव्य में लेखक ने अत्यंत सरल भाषा व अल्प समास युक्त भाषा का प्रयोग किया है। लेखक ने यद्यपि अलंकृत शैली का प्रयोग नही किया किंतु प्रंसगानुकुल अंलकारों का प्रयोग किया है। यह काव्य वर्णनात्मक भाव शैली में लिखा गया है जो इतिहास को अपने में समेटे हुए है।

**गुणः—**

प्रत्येक काव्य में उत्पन्न होने वाले 'रस' का आधार काव्य का गुण होता है।

मम्मटाचार्य के अनुसार

ये रस्याङ्गिनो धर्मोः शोर्यादयः इववात्मनः
उत्कर्ष हेतवस्ते स्थुरचलस्थितयोः गुणा ।। 66।।

आत्मा के शौर्यादि धर्मो के समान (काव्य के आत्मभूत) प्रधान इस के जो अपरिहार्य और उत्कर्षधायक धर्म है वे गुण कहलाते है। आचार्य मम्मट ने काव्य में तीन प्रकार के गुणों को बताया है। माधुर्य, भोज व प्रसाद। भीम प्रबन्ध महाकाव्य प्रसाद गुण से युक्त है। जिसमें की शब्द मात्र के उच्चारण द्वारा समझा जा सकता है।

श्रुतिमत्रेण शब्दातु येनार्थप्रत्ययों भवेत्।
साधारणः समग्राणां स प्रसादों गुणों मतः[29]

जिस (शब्द, समास या रचना) के श्रवण मात्र से अर्थ की प्रतीति हो जाए, वह सब (वर्णो, समासों या रचना) में रहने वाला प्रसाद गुण माना जाता है। अतः प्रस्तुत काव्य में श्रवण मात्र से अर्थ की प्रतीति होने के कारण काव्य का गुण प्रसाद है।

**अंलकारः—**

भीमप्रबंध महाकाव्य में अंलकारो का यथास्थान प्रयोग किया गया है जिसमें प्रमुखता से उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक आदि का प्रधानता पूर्वक प्रयोग किया गया है।

गवाक्षकों मौक्तिक सौधकस्य यः सर्व
सौधो परिरोचमानः,
बहिर्गवाक्षेत्र चतुर्षुदिसु सहेम श्रृंगेः
दिवमाश्रिषद्वेः।।

प्रस्तुत शलोक में भवन के ऊपर स्वर्ण शिखरों की ऊंचाई को दर्शाते हुए कहा है कि मानों वे शिखर स्वर्ग का आलिंगन कर रहे हो। इसी प्रकार 'उपमा अंलकार' का एक उदाहरण इस प्रकार हैः–

यथा परं वै शिविकाधिपोडय विराजते देव गवात तुल्यः।
वैडूर्ष मुक्तामणि रत्नविद्वो युक्तोडपर मौक्तिक जालिकाभिः।। ६ । २३

इस श्लोक में शिविकाओं की तुलना देवगृहों की खिड़कियों से करते हुए उसके समान उनकों बताया है।

## रस परिपाकः–

श्री हरिवंश भट्ट ने अपने काव्य में रसोत्पति हेतू वीर व प्रकृति चित्रण का सहारा लिया है। ऐतिहासिक ग्रन्थ होने से वंशावली के लेखन समय के कवि ने तात्कालिक आर्य राजाओं की वीरता का सुन्दर चित्रण किया है। वसन्तोत्सव के वर्णन के समय तथा राजा द्वारा भ्रमण आदि के समय श्रृंगार रस भी काव्य में दिखाई पड़ता है। परन्तु कवि का श्रृंगारिक वर्णन मर्यादित है।

गणेश्ररं च रमेश्ररच सरस्वती उमेश्ररं च।
नत्वा प्रवक्ष्य हि नराधिपानामजीत
सिंहस्य कुलोद्ववाम्।। (भक्ति रस)

## प्रकृति चित्रणः–

प्रकृति मानव की अध्यापिका है। मनुष्य प्रकृति से ही शिक्षा प्राप्त करता है क्योंकि प्रकृति मानव की भावनाओं को पोषण प्रदान करती है। मनुष्य के अस्तित्व का धाय है। मनुष्य प्रकृति में एक प्रकार गुंथा हुआ है कि मनुष्य की कोई भी रचना प्रकृति से परे नही हो सकती इसलिये साहित्य में भी प्रकृति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस ग्रन्थ में कवि ने प्रकृति से संबधित कई श्लोक लिखे जिसमें वृक्षो आदि का सुन्दर वर्णन किया गया है।

अशोक चिंचा वट पिप्पलेक्षु निंबादिभिवै

करमर्दकैक्ष।

परूष निंबूफल दाड़िमाक्लैर्वल्ली भि रन्याभि विरोचमान।।[30]

पशु पक्षियों की उपस्थिति बताते हुए प्रकृति के उन्मुक्त व भय रहित प्राकृतिक वातावरण को भी दर्शाया है।

**रीतिः—**

साहित्य शास्त्रियों ने तीन प्रकार की रीतियाँ स्वीकार की है — वेदर्भी, गौढ़ी और पाञचाली ललित पद — न्यास व अल्पसमास युक्त रचना वैदर्भी रीति कहलाती है

माधुर्यव्यञ्जकंक वणैः रचना ललितात्मिका अल्पवृतिरवृत्तिर्वा वैदर्भी रीतिरिष्यते।।

कालिदास भी वैदर्भी रीति के कवि थे। कालिदास का वैदर्भी प्रसाद गुण युक्त है। उसी प्रकार 'भीम प्रबन्ध' महाकाव्य की वैदर्भी भी प्रसाद गुण युक्त है।

इस महाकाव्य की रचना वैदर्भी रीति में हुई है।

इस महाकाव्य में बीस सर्ग है और प्रत्येक सर्ग में जोधपुर के शासकों का वर्णन किया गया है।

**प्रथम सर्गः—**

प्रथम सर्ग में जोधपुर शासकों के वंश पर प्रकाश डाला गया है। जैसे राव सिंहा के पुत्र योद्वहड़ उनके पुत्र रायपाल, रायपाल के कानड़, कानड़ के जालण, जालण के टीडासिंह उनके छाड़सिंह, छाड़सिंह के सलक, सलक के नीरमदेव, उनके राव चूड़ा, राव चूड़ा के राव रिड़मल, रिड़मल के राव जोधा उनके सूरजसिंह इस प्रकार क्रम से राजा उदयसिंह तक नाम गिनाये गये है। उदयसिंह के बाद सूरसिंह, गजसिंह, इसके उपरांत जंसवतसिंह, अजीतसिंह, बख्तसिंह व विजयसिंह, विजयसिंह के फतेहसिंह इस प्रकार प्रथम सर्ग में सभी राजाओं का क्रम से वर्णन

किया गया है तथा उनके समकालिन अन्य राजाओं का उनके साथ संबधो का वर्णन है।

**द्वितीय सर्गः–**

इस सर्ग में महाराजा अजीतसिंह के भाइयों द्वारा ईडर राज्य प्राप्त किया इसमें पुनः क्रम से वंशावली लिखी गई है। राव जोधा के पुत्र बीका ने जांगल प्रदेश में बीकावती नगरी बसाई जिसके राजा गजसिंह हुए। ये सभी राजा शिव, विष्णु भक्ति में लीन व पुण्यात्मा थे। इस सर्ग में राव जोधा वंश से संबधित 16 राजाओं का उल्लेख करके अन्य राजाओं का उल्लेख किया है।

तत्पश्चात् उदयपुर नाम नगर, भगवान एकलिडा के आश्रय में स्थापित हुआ जिनके वंश क्रम को यहां बताया गया है। इसके उपंरात जयपुर की स्थापना हुई। राजा मानसिंह हुए। इनका वर्णन किया गया है।

**तृतीय सर्गः–**

गणपति के स्मरण रूपी मंगलाचरण से प्रारम्भ इस सर्ग में राजा के विवाह का वर्णन है जिसमें मुख्यतः वर–यात्रा व उसके मार्ग के पड़ावों का उल्लेख किया गया है तथा पड़ाव के दौरान लगाये जाने वाले तम्बूओं का और महल में दीपोत्सव का वर्णन किया है तथा महाराजा भीमसिंह को उनके विवाह अवसर पर उनके ससुराल पक्ष से प्रचुर मात्रा में भेंट प्रदान किया गया। इस सर्ग में महाराजा भीम व उनकी पत्नी की तुलना विष्णु–लक्ष्मी से की है। विवाहोपरान्त वर–यात्रा का वधु के साथ लौटना मार्ग में वन, पशु व पक्षियों को देखना तथा नगर में प्रवेश होने पर उनका भव्य स्वागत किया गया इस का वर्णन इस सर्ग में दिया गया है।

**चतुर्थ सर्गः–**

इसके प्रारम्भिक श्लोकों में राजा भीम के लिये मंगल व दीर्घ आयु की कामना की है। पूर्व के भृगू आदि श्रेष्ठ राजाओं के साथ तुलना करते हुए महाराजा भीम को दानवीरता का वर्णन किया गया हैं पुनः देवी–देवताओं से महाराजा भीम के

वंश की विस्तार की कामना की गई है। कवि ने इस प्रकार राजा की प्रंशसा करते हुए स्वंय के लिए पृथ्वी की माँग की है।

**पञचम सर्गः—**

इस सर्ग में कवि के द्वारा महाराजा के प्रमुख सहायकों व मंत्रियों का उल्लेख किया है। जिनमें गिरिध्रमल प्रशस्ति लेखन के प्रकाण्ड विद्वान थे। महाराजा के अन्तः पुर के संरक्षक क्लीब संरक्षणकर्ताओं के नाम भी दिये गये है। इसके साथ ही राजा के वैभव, शस्त्र, क्षमता, सैनिको की देव तुल्य वीरता का ऐतिहासिक देवग्रन्थों के नायकों से समानता बताई गई है।

**पष्ठ सर्गः—**

इस सर्ग में महाराजा भीम द्वारा वसन्तोत्सव मनाने का वर्णन किया गया है। महाराजा इस उत्सव के लिए नगर से बाहर निकलते है। उस समय महाराजा की सेवकों सहित ऐश्वर्यशाली यात्रा का वर्णन है। इस पूरी यात्रा में प्रयोग मे ली गई वस्तुओं का, राईकाबाग उद्यान, सैनिको द्वारा युद्ध अभ्यास, आनन्दोत्सव के उपरान्त राजा भीम ने पर्याप्त नींद ली तथा प्रातःकाल वैतालिकों द्वारा मनोहर गान सुनकर उठे आदि का वर्णन इस सर्ग में दिया गया है।

**सप्तम सर्गः—**

इस सर्ग में पष्ठ सर्ग के समान ही वसन्तोत्सव मनाने का वर्णन, सैनिकों का युद्धाभ्यास, महाराजा भी द्वारा नींद लेना तथा प्रातःकाल मनोहर गाने के साथ उठना आदि का ही वर्णन इस सर्ग में मिलता है।[31]

**अष्टम सर्गः—**

इस सर्ग में सूरसागर नामक सरोवर की प्राकृतिक छटा तथा आस—पास के पक्षियों के कलरव का वर्णन किया गया है।

**नवम सर्गः—**

इस सर्ग में कुछ श्लोक में तो प्रथम से अष्टम सर्ग के श्लोक दिए गए है। उसके बाद महाराजा की सेना का मण्डोर उधान में प्रवेश तथा मण्डोर में स्थापित प्रसादों के कलात्मक स्थापत्य का वर्णन है। जिसमें मण्डोर उधान में उपजे वृक्ष, देव मूर्तियों के विग्रहों का वर्णन तथा मण्डोर उधान में काले—गोरे भेरू की उत्पति की कथा तथा झल्लरीका नाम बावड़ी का वर्णन, गोमुख कुण्ड का वर्णन दिया गया है।

**दशम सर्गः—**

इस सर्ग में दाडिम (अनार) वाटिका व नाग नदी है जिसकी उत्पति व उससे संबधित एक पौराणिक आख्यान भी दिया गया तथा इस सम्पूर्ण पर्वत प्रदेश को भोगीशैल सम्बोधित करते हुए यहाँ पर तपस्वियों के आश्रमों का वर्णन किया गया है।

**एकादश सर्गः—**

भोगीशैल पर्वत के मध्य एक सुन्दर दुर्ग स्थापित है जिसमें महाराजा भीम ने अपने अन्तःपुर की स्त्रियों के साथ उत्सव मनाया उसका वर्णन दिया गया है।

**द्वादश सर्गः—**

महाराजा भीमसिंह द्वारा जातकोत्सव मनाया गया उसका वर्णन इस सर्ग में दिया गया है।

**त्रयोदशः सर्गः—**

इस सर्ग के प्रारम्भ में कवि ने अपनी निर्धनता से राजा को अवगत कराते हुए उनसे मंदिर निर्माणार्थ भूमि की याचना की है। पुनः इस सर्ग में महाराजा भीम की तुलना विष्णु से करते हुए वल्लभ कुस की वंश नामावली बताई गई है तथा भगवान की सेवा लीलाओं को दर्शाया है।

**चतुर्थदशः सर्गः–**

इस सर्ग में महाराजा भीम द्वारा शिकार क्रीडा का वर्णन है, जिसमें जंगली जानवरों का भय से दौड़ते हुए जो उनकी अवस्था थी, उसका चित्रण किया गया है। शिकार के समय अश्व संचालन, सैनिक संचालन, अश्व सज्जा, राजा द्वारा शर संधान का वर्णन इसके उपंरात रात्रि शयन, प्रातः जागरण व नगर प्रवेश उस समय सम्पूर्ण नगरवासियों द्वारा महाराजा का अभिनन्दन हुआ।

**पञचदशः सर्गः–**

इस सर्ग में कवि पूर्व में छुट गये प्रसंग का स्थापन कर रहे है इस सर्ग में जोधपुर राजवंश के सहयोगी राजाओं जो कि जोधपुर के आस–पास के ठिकानेदार थे का वर्णन है जैसे पोकरण, आसोप, रियां नीबांज, बगड़ी, हरसोल, सेखत, बलूंदा, रोहट, थामलों, रामपुर, खेजड़ली, बीकमकोर, कल्याणपुर आदि।

**षोडशः सर्गः–**

राजा के मंत्री विद्वान थे जिनमें प्रमुख, स्वामी धर्मपालन में चतुर सवाईराम, सोने–चाँदी के ज्ञाता फतेचन्द्र। इस प्रकार सभी विद्वान मंत्री अपने राजा के प्रति निष्ठ व अच्छी सलाह देने वाले थे।

**सप्तदशः सर्गः–**

इस सर्ग में राजा के लिए सभी उत्तम कार्यो को संभालने हेतु ब्राह्मण जाति के विद्वानों को नियुक्त किया गया। पुष्कर जाति का महत्वपूर्ण स्थान था जिनमें रौपराय तथा शिवकृष्ण प्रमुख थे। ये सभी ब्राह्मण वैष्णव थे। राजा भीम के व्यास, देवराज, इन्द्र के व्यास बृहस्पति के समान थे। इस प्रकार इस सर्ग में सभी मंत्रियों का नाम सहित वर्णन है।

**अष्टदशः सर्गः–**

रामदत नाम का महाराजा भीम के विशेष द्वारपाल था, कदम्बक रत्न परीक्षक तथा देवकृष्ण मुक्ता–परीक्षक थें। रत्नाभूषण के ज्ञाता कनीराम थे। इस सर्ग में

विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कुशल कर्मियों का वर्णन किया है साथ ही इन कर्मचारियों की एक दो पीढ़ीयों का वर्णन किया गया है।

**एकोनविश सर्गः–**

इस सर्ग में मेहरानगढ़ दुर्ग के स्थापत्य को बताया गया है। जिसमें दुर्ग के अलग–अलग खण्डों का भव्य सरूप बताया है। फतेह–महल, फूल–महल भोजनशाला, जलशाला, हवामहल, इन महलों में लगे क्षेत्र (फव्वारें) आदि का वर्णन किया गया है।

**विशः सर्गः–**

बीसवें सर्ग में भी दुर्ग स्थापत्य का वर्णन किया गया है।

भीम प्रबन्ध महाकाव्य के बीस सर्गो में जोधपुर के शासकों का वर्णन दिया गया है। कुछ महत्वपुर्ण श्लोक जिन से इन शासकों के निर्माण कार्य व उत्सवों का उल्लेख है–

गणेश्रंर चैव रमेश्रंर च सरस्वती चैवमुमेश्रंर च।
नत्वा प्रवक्ष्ये हि नराधिपाना मजीत सिंहस्य कुलोद्ववानाम।।[32]

भीम प्रबन्ध महाकाव्य का पहला श्लोक है जिसमें गणो के ईश गणपति को, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को, विद्या के अधिष्ठातृ देवता सरस्वती तथा उमापति शिव को नमस्कार करके मैं (हरिवंश भट्ट) महाराज अजीतसिंह के कुल में उत्पन्न राजाओं का चरित्र कहता हूँ।

यो राव यो धस्तु तदात्मजश्र सूर्यस्तु तस्यापि तथै व चोक्तः।
वाघस्तु तस्यापि गुणाधिकश्र गांगस्तु तस्यापि तथैव पुत्र।। 12 ।।
यो मालदेव हि तदात्मजंक्ष, तस्याप्यूदे सिंह महान्पक्ष।
यः शूरसिंहो हि तदात्मजक्ष तस्यापि यो वै गजसिंह वीरः।। 13 ।।
तस्यात्मजो वै यशवन्तसिंहो यो अजीत सिंहो हि तदात्मजश्र।
श्रीमद् बखत्सिंह इतीव तस्मात् विजेसिंह अति प्रसिद्व।। 14 ।।

तस्मात् फतेसिंह इति प्रजातस्–तस्यात्मजों भीम इति प्रसिद्व।
ज्येष्ठोऽप्यभेसिंह अजीतसिंहात तस्मादभूच्चैव हि रामसिंह।। 15 ।।
यो वाऽप्यूदेसिंह नृयो बलादै महत्पदं चाकबराच्च लेभे।
स्वगुर्ज्जरार्थे च दिदेश योंध महानृपोऽसीति ह्युवाच तसः।। 16 ।।[33]

अर्थात् राव रिडमल के पुत्र राव जोधा थे। उनके पुत्र सूरजसिंह थे, उनके अत्यधिक गुण सम्पन्न वाघ (सिंह) हुये, बाघसिंह के राव गंगा हुये, गांग के पुत्र मालदेव, उनके पुत्र उदयसिंह, उदयसिंह के पुत्र शूरसिंह और उनके पुत्र वीर गजेंसिह हुए। गजेंसिह के पुत्र यशंवतसिंह तथा उनके पुत्र अजीतसिंह उनके पुत्र बख्तसिंह तथा बख्तसिंह के पुत्र विजयसिंह नाम से प्रसिद्व हुए। विजयसिंह के पुत्र फतेहसिंह उनके पुत्र भीमसिंह नाम वाले प्रसिद्व राजा हुये। महाराजा अजीतसिंह के ज्येष्ठ पुत्र अभयसिंह और अभयसिंह के पुत्र रामसिंह हुये। जब राजा उदयसिंह का राज्य था तब उन्होने अकबर से महान पद प्राप्त कर लिया। महाराजा उदयसिंह को महान् राजा कहकर अकबर ने उन्हे गुजरात को अधिकार में करने के लिए युद्ध का आदेश दिया।

केचिद्वताः शत्रुगणाः रणे च यें चाऽवशिष्टाः प्रतिजग्मुखे।
स्थाने स्थिताश्चैव हि पार्श्ववर्गाः ययौ जयश्रीः स च
भीमसिंहः।। 71 ।।

कुछ शत्रु समूह युद्ध में मारे गये जो बचे हुए थे वे लौट गये पार्श्वस्थ के साथ, भीमसिंह को विजय प्राप्त हुई है।

गत्वा प्रतीच्यामथ पुष्कराख्यां स्थित्वा ततों जैसलमेरूसंज्ञाम्।
गत्वा च तत्रैव हि स्वं विवाह्म पश्चाद्ययौ स्वां च वधूसमेत।। 75 ।।

(तत्पश्चात् महाराजा भीमसिंह) पूर्व दिशा में पुष्कर की ओर गये और उसके बाद जैसलमेर गये वहां उन्होने विवाह किया और अपनी पत्नी सहित प्रस्थान किया।

ततस्तु वै पूर्वतयों बलेन, स्थित्वाऽऽसने पितृपितामहे च।
निष्कण्टकं चैव चकार राज्य प्रजाश्र वै स्वात्मजवत् पुपोष।,

(तत्पश्चात् पूर्व तपोबल से जैसे पिता पितामह ने राज्य किया उसी प्रकार महाराज भीमसिंह ने अपनी प्रजा का पुत्रवत् पालन करते हुए निष्कण्टक शत्रु विहीन एक छत्र राज्य किया।

गणाधिप वै परिपूज्य चादौ पुत्रं विलासे शिवयोर्विदग्धम।
ततः पर मातृगणादिकांश्च विवाहदीक्षां परिधार्यमाण।।

विवाहदीक्षा धारण करने से पूर्व (महाराजा भीम ने) सर्वप्रथम शिवपुत्र सूक्ष्मदर्शी गजानंद का पूजन किया और उसके बाद मातृ समूह देवताओं का पूजन किया।

विवाहमांगल्यपूतो नरेन्द्रो महार्हवेषाडडभरणन्वितश्र।
भेरीखैर्दुन्दुभिनिः स्वनैश्च संस्तूयमानो गजमारूरोट।।

विवाह के मंगलमय अवसर पर महाराज भीम ने विवाहोचित बहुमूल्य वेशभूषा तथा आभूषणों को धारण किया। भेरी तथा दुन्दुभि की आवाजों के द्वारा स्तुति किये जाते हुए वे हाथी पर सवार हुये।

इन श्लोकों में उनके विवाह का सुन्दर चित्रण दिया गया है।

यथा विरंचेर्मधुसुदनस्य यथा मधोनोर्वृषभ ध्वजस्य।
स्वांयभुवी श्रीक्ष शची च गौरी पत्युस्तथा पुत्रवती भवस्य।।[34]

जिस प्रकार ब्रह्मजी की पत्नी स्वायम्भुवी मधुसूदन भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, इन्द्र की पत्नी शची और भगवान शिव की पत्नी पार्वती अपने–अपने पति की अत्यंत प्रिय थी उसी प्रकार महारानी भी महाराज को अत्यधिक प्रिय थी।

राजाधिराजः स्वयमाप्तराज्यों देव्याः कृपातोडरिगणान् विजित्य।
गुणैर्नृपाणां भयकान्तरूपो भूपक्षिर जीवतु भीमसिंह।।

जिन्होने स्वयमेव राज्य को प्राप्त किया है आरे देवी की कृपा से समस्त शत्रु समूह को जीत लिया है। ऐसे अतुलनीय गुण सम्पन्न महाराजा भीमसिंह चिंरजीवी हो।

महाराजा भीमसिंह के वंश को बढ़ाने की कामना करते हुए कहते है कि –

श्रीपुष्पहर्म्योपरि राजमानो वंशीधराख्यों भगवान मुकुन्द।
श्री भीमसिंहाय महोदयाय ददातु पुत्रं वसुदेव सूनू।।

श्री पुष्पमहल पर विराजमान वसुदेव पुत्र वंशीधर भगवान मुकुन्द भीमसिंह को पुत्र प्रदान करे।

वसन्त ऋतु का आनंद ले रहे महाराजा भीमसिंह को देखकर वर्णन करते है कि–

क्रीड़ा वसन्ते जलयन्त्रयुक्तामुद्यानमध्ये च विचित्ररूपाम्
सिंदूर चूर्णेन च चूर्णितुं ता कथं समर्थाः मनुजाः पृथिव्याम।।[35]

(वसन्त ऋतु के समय उद्यान के मध्य में विचित्र रूपो वाली सिन्दूर चुर्ण के द्वारा जल यंत्र युक्त क्रीड़ाएँ होती है। साधारण मनुष्य उन अलौकिक क्रीड़ांओं का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकते है।)

सभी राजाओं में श्रेष्ठ बताते हुए कवि कहते है कि–

भीमों महामद्रपति प्रवीरः प्राचीनपुण्याच्छिवविष्णुरक्तः।
यौ वै फतेहसिंह सुतो बलीयान श्री मांश्चिरापुक्ष गुणाश्रयों।।

(सभी प्रकार के कल्याण करने वालों में श्रेष्ठ महाराज भीम पूर्व पुण्यों के प्रभाव से शिव भक्त थे। जो फतेंसिह महाराज के बलवान, श्रीमान्, आयुवान्, गुणवान् पुत्र के रूप में प्राप्त हुए।

अतिश्योक्ति अंलकार का प्रयोग कवि ने इस दोहे में किया है जैसे–

यथाम्बरीजो हि नृगस्तथैव यथा मरून्तोनृपतिर्बभुव।
श्री विक्रमार्को हि युधिष्ठिरश्र भोजस्तथा भूपतिराविरासित्।।
भगीरथो वेणुनलौ दिलीपो रामो रघुवै सगरो विदेहः
मांधातृभूपो नहुषो यपातिः श्री कार्त्तिवीयो भरतो पृथुवै।।

इस प्रकार अम्बरीष, नृग आदि नृपति हुये तथा जैसे विक्रमादित्य युधिष्ठिर तथा राजा भोज हुये। जैसे भागरीथ, वेनु, नल, दिलीप, राम, रघु, सगर, विदेह मान्धाता,

नहुष, ययाति, और पृथू कार्तवीर्य राजा हुये। जैसे कर्ण, परीक्षित, धर्मराज इत्यादि पूर्व काल में सर्वश्रेष्ठ दानी राजा हुये। आधुनिक काल में उन राजओं के समान राजा भीम हुये।

यथा सुरेन्द्रस्य हितोऽनुकारी वाचस्पतिर्मन्त्रकृतां गुरूक्ष।
व्यासस्तथा पूज्यतमों वरिष्ठः सेराभिधानो हित कृन्तृपस्या।

(जैसे इन्द्र के हित का अनुसरण करने वाले देवगुरू बृहस्पति थे। उसी प्रकार भीमसिंह के सेर व्यास नाम गुरू हुये)

यो विष्णुदासः किल विष्णुभक्तः पुरोहितों भीमनराधिपस्य स्वकौल्यवर्गेण च शोभमानो यथा वशिष्ठो मुनिवृंदयुक्त।।

(विष्णुदास महाराज भीम के विष्णुभक्तः पुरोहित थे। जो अपने कुल के वर्ग में उसी प्रका सुशोभित थे जैसे मुनि समूह में ऋषि वशिष्ठ।)

कल्याणदासस्तु हि गंगारामः नवल्लराय स्त्वपि योधराजः।
यो चेनमल्लस्त्वंथ वांकिदासः यक्षम्रचन्द्रस्त्विति वैक्ष्यवर्गे।।

(भवानीदास, ज्ञानमल, भवानीमल, सरदारमल, इन्द्रराज, शम्भुदास, कल्याणदास, गंगराम, नवलराम, यौधराम, चैनमल, बांकीदास और रामचन्द्र प्रमुख वैक्ष्य (श्रेष्ठी) वर्ग थे।

वसन्त क्रीड़ा उत्सव मनाने के लिए महाराजा भीम नगर से बाहर गये उसका वर्णन –

अथोपभुज्यार्तवमुत्सवं च समुन्मनाः वै वनितासहायः
वसन्तक्रीड़ा मुपभोक्तु कामो बहीः प्रतस्थे शतमन्युतेजा।।

(वसन्त क्रीडा उत्सव मनाने की इच्छा रखते हुए सुन्दरी स्त्रियों के साथ तेजस्वी राजा भीम ने नगर के बाहर प्रस्थान किया।)

रेजुर्महोक्षैरपि योत्कृतानि रथानि चाश्वैर्द्विरदैर्महोष्ट्रैः।
महेन्द्रहर्म्याणि चराणि तद्वत् सेद्रैश्च देवादिभिराश्रितानि।।

(इन्द्र के महल के समान राजा भीम का महल भी विविध प्रकार के रथों, अश्रो, हाथियों और ऊँटो से युक्त था।)

श्रीभीमसंदर्शनलालसानां प्रासादवातायन संश्रितानाम्।
इत्थं बभूवर्बुहुचेष्टितानि हेयान्यकृत्यानि च सुन्दरीणाम्।।[36]

(राजा भीम को देखने की लालसा से विविध चेष्टाओं को करने वाली सुन्दर स्त्रियां राजा को देखने के लिये महलों की खिड़कियों और झरोखो का आश्रय लिया करती थी।

भीम त्वदुजदण्डदर्पगगरिमोद्रीर्णः प्रतापाडनल
ज्वालाप्रक्रियकीर्तिपारदघटी विस्फोटिता बिंदवः।।
शेषाहिः कतितारकाः कति कति क्षीराम्बुधिः कत्यपि
प्रालेपाडचलशेखशुक्तिकरकाः कर्पूरकुन्देन्दवः।। 50 ।।

हे भीम आपके भुजदण्ड के गर्व की उत्पन्न गरिमा पूर्ण प्रतापग्रि ज्वाला कीर्ति में विस्फोट के कारण उड़े हुये बिन्दू दूर–दूर तक क्षीरसागर तक फैले जो अचल व शंख, सीपी, कपूर व कन्दूक पुष्प व चन्द्रमा के समान उज्जवल है।

मंडोर उद्यान में जाने का वर्णन व वहां लगे हुए फल–फूल का वर्णन करते हुए कवि कहते है कि –

आम्रातकोदुंबरपिप्पलैक्ष खर्जूरचिंचा दिवटादिकेक्ष।
तस्यास्त्रटौदौ परिशोभमानो जम्ब्वादिभिर्वृक्ष वरैस्तथाडन्यैः।।[37]

(मण्डोर उद्यान में आम, उदुम्बर, पीपल, खजूर, इमली तथा बड़ के पेड़ लगे हुए है। उसके किनारे पर जामुन के पेड़ के साथ अन्य वृक्ष भी लगे हुए है)

यथा सुधर्मा ह्मपि चेन्द्रलोके विराजते शक्रमहोत्सव च।
ऊर्ध्व विंतान ह्मपि तत्सभापां रराज मुक्ताफल जालिकाभिः।।

(जैसे सुधर्मा सभा इन्द्रलोक में इन्द्र महोत्सव में सुशोभित होते है उसी प्रकार महाराजा भीम की मुक्ताफल जटित जालियों से युक्त सभा सुशोभित होती थी)

तथैव लक्ष्मी भवनांगणे च तद्वद्वितान ह्मथ तत्स भायाम्
विराजते जातमहोत्सवे च नृपस्य मुक्ताफल जालिकाभि।।[38]

(महाराजा भीम के आंगन में जातकोत्सव हो रहा था उस समय जात महोत्सव में मुक्ताफल की लड़िया लटक रही थी)

सरावणाक्षैव हि राघवाच्चः रक्षोगणा ये च विनाशमीयुः
विनाशमेष्यति च शत्रुसंघाः वाक् सिद्विता भीमनराधिपस्य।।

(जिस प्रकार भगवान श्री राम ने राक्षसों और रावण का विनाश किया उसी प्रकार महाराजा भीम अपने शत्रु वर्ग को विनाश की और अग्रसर किया।

मृगयाविहार वर्णनम् (शिकार का वर्णन) करते हुए कवि कहते है कि–

चलन्निपाते परिसंस्तवं च तद्वोधन वै भयक्रोधयोक्ष।
तनोर्लधुत्वं मृगया करोति सातः परं चाप्त मतः प्रतस्थे।।[39]

(जंगली जानवर शिकार के भय से तथा बाणों के भय से शरीर को संकुचाते तथा (उछलते समय) फैलाते हुए भय व क्रोध से भाग रहे थे जिन्हें देखकर (महाराजा भीम) स्थित हुए।

आच्छाद्यदेहं परिसंस्थिता वै दृष्टा सधन्वी च मृगी प्रियस्य।
स्वकामुकत्वाच्च दयार्दृचेताः आकर्णकृष्टं शरमाजहार।।

(अपनी देह को अपने प्रिय कामुक हिरण से ढक (पीछे खड़ी होकर) कर दयापूर्ण नेत्र से उसको देखती हुई हिरण के जोड़े को देखकर महाराजा भीम ने अपने धनुष की प्रत्यञचा को कान तक खींचा)

जोधपुर के आस–पास के ठिकानें व ठिकानेदारों का वर्णन करते हुए कवि कहते है कि –

पोकरण—सवाईसिंह शबलसिंहोत

चांपावत क्षैव सवाइसिंहः स्वविक्रमाक्रान्तापितामहादिः

यो वै प्रधानः सबलस्य पुत्रः संगामलब्धाडमलकीर्तिचुञजः।।

(पोकरण—सवाईसिंह सबलसिंह, चम्पावत सवाईसिंह अपने पराक्रम से युक्त अपने पितामह आदि के समान थे। उनके पुत्र सबलसिंह हुए जिन्होने निर्मल कीर्ति को प्राप्त किया।

अन्यौ कनिष्ठौ कुशलस्य पुत्रौ ख्यातौ तथा सेरबुधौ मृगेन्दौ।

यो भीमसिंहस्त्वथ भीवसिंह हस्तुल्यौ च तदीर्य गुण प्रभावैः।[40]

(कुशलसिंह के दो पुत्र हुए जो शेरसिह तथा बुद्वसिह के नाम से प्रसिद्व थे। उनके दो पुत्र भोमसिंह व भीमसिंह जो उन्ही के समान पराक्रमशाली, गुणी और प्रभावशाली थे।

मंत्रियों का वर्णन करते हुए कहते है कि—

उपायवर्गेण यूता नयश्री या मंत्रिमाला मरूभूपतीनाम।

विभाति माला सितपड्क्जानमिन्दीवरैरूदग्रथितान्तरेव।

(चारों उपायों को कार्यान्वित करेन में लगी हुई मारवाड़ के राजा की मंत्रिमाला कमलों की गूंथी हूई माला के समान प्रतीत होती है।

सिंहो फतेचन्द्र विशाल बुद्विः यो ज्ञानमल्लो हि तथा विधक्ष।

यथाडभवद्दीप इव प्रदीपात् मंत्री नरेन्दृस्य परम्परातः।।

(जिस प्रकार फतेचन्द्र उसी प्रकार ज्ञानमल्ल भी दीपक के प्रकाश के भांति परम्परा से राजा के मंत्री थे।

ये मंत्रिणक्षाद्य समुदवाक्ष ते वै परं केवलमिष्ठावाचः।

अस्मतप्रभुर्भीम नराधिपक्ष दातुं समर्थः समकालमेवा।।[41]

(जो मंत्री समूह था वह केवल उपयुक्त वाणी वाला था। उनके अनुसार महाराजा भीम इच्छित वस्तुओं को उसी समय प्रदान कर देते थें।

एते परं स्वामिरताः प्रशस्ताः पुरातनाः व्यासवराः नृपस्य।
महानृयों गृामवरं दिदेश भट्टाय पूर्व वचनात्तदीयात।।

(ये सभी स्वामी भक्ति में लीन प्रशसंनीय तथा प्राचीन राजाओं के व्यास श्रेष्ठ कहे जाते है। महाराज ने इनके निवेदन के अनुसार उत्तम गाँव दान दिया था।

स्थापत्य का वर्णन भी भीमप्रबन्ध महाकाव्य में दिया गया है जैसे–

पद्वे चतुर्दिक्ष्वीय जालिकाभिर्द्वारैस्तथा हेमकपाटकैक्ष।
विभ्राजते पंचभि पंचभिक्ष ह्मशीतिभिः साष्टाभि हेमश्रृंगैः[42]

(फूलमहल के चारो और जालिया व स्वर्ण कीवाड़ के द्वार है ऐसे पाँच जालिया व पाँच द्वार है तथा इसके ऊपर अट्ठासी स्वर्ण कलश सुशोभित है।

मध्ये पुनर्मण्डपंक च शुभ्र स्तंभैक्षतुर्भि परिराज मातम्।
द्वारैक्षतुर्भिक्ष चतुर्षु दिक्षु मध्ये पुनवै लघु तच्च रम्पम्।

(मण्डप बीच में चार दिशाओं में स्थापित चार स्तम्भों से युक्त मण्डप है जिसमें चार द्वार स्थित है यह लघुकाप किंतु अत्यंत सुन्दर है)

इति श्री भीमप्रंबधे महाकाव्ये श्री मालिब्राह्मणकुलजात
भट्ट हरिवंश कृतो दुर्गादिवर्णनो नाम विंशातितमः[43]
सर्ग समाप्तक्षांय ग्रन्थ।।

यह भीमप्रबंध नामक महाकाव्य में श्रीमाली ब्राह्मण वंश में उत्पन्न पं. हरिवंश भट्ट विरचित दुर्ग आदि के वर्णन से संबधित विंश सर्ग व ग्रंथ।

सम्पूर्ण।

इस महाकाव्य जोधपुर के शासकों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है तथा महाराजा भीमसिंह के वंसतक्रीड़ा, शिकार, स्थापत्य आदि का वर्णन किया गया है। महाराजा भीमसिंह को जानने के लिए यह महाकाव्य उपयोगी सिद्व हुआ।

राठौड़ो री ख्यात के सम्पादक डॉ. हुक्ससिंह भाटी के तृतीय भाग में महाराजा भीमसिंह की जीवन घटनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। विशेष रूप से मराठों के साथ संघर्ष तथा बीकानेर व जयपुर के साथ झगड़े के बारे में जानकारी दी गई है। शासन प्रबन्ध के पहलू पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा ख्यात कार ने राजनीतिक क्रियाकलापों और सैनिक अभियानों का विवरण भी दिया है और साथ में तत्कालीन परिस्थितियों का भी उल्लेख दिया गया है।

महाराजा विजयसिंह का पोत्र एवं भोमसिंह का पुत्र भीमसिंह थे इनका जन्म (सवंत 1822 रा आसाढ़ सुद 12 रो जन्म नै समत 1849 रा आसाढ़ सुद 12 राजतिलक बीराजिया ने समत 1860 रा काती सुद 4 देवलोक हुवा) 1766 ई, 19 जुलाई को हुआ तथा राजतिलक 1793 ई, 120 जुलाई को हुआ, 1803 ई, 25 जुलाई को देवलोक हुए।[44]

जब महाराजा विजयसिंह की मृत्यु हुई तब भीमसिंह विवाह करने जैसलमेर गये हुए थे। जब सूचना मिलने पर पोकरण के ठाकुर सवाईसिंह के साथ भीमसिंह जोधपुर पहुँचे रात्रि के समय ही लाखनपोल पर धायभाई शंभुदान, दीवान भडांरी भानीदास, बख्शी सिंघवी अखैराज और ओझा रामदत्त आदि ने स्वागत किया और महाराजा विजयसिंह के कुंवरो तथा सेवकों को क्षति नही पहुँचाने का वचन मांग कर गढ़ के द्वारा खोल दिये गये। सलामी की तोपें दागी जाने पर महाराजा का पुत्र जालमसिंह और गुमानसिंह का पुत्र मानसिंह जोकि उस समय शेखावत जी के जलाश्य पर रूके हुए थे, राज्य न मिलने की आशा से प्रातः काल ही वहां से चले गये तथा लूटमार करने लोढ़ा साहमल का बलूंदा मे लूटमार करना और चादांवत बादरसिंह द्वारा मेहकरण लोढ़ा को मारकर बदला लेना आदि का वर्णन किया गया है।

महाराजा भीमसिंह ने सबसे पहले मेड़ता का प्रबन्ध करने के लिए सिंघवी वनराज को भेजा, उसने लोढ़ा साहमल को वहां से हटा कर प्रबन्ध किया। साहमल का बलूंदे के ठाकुर फतहसिंह चांदावत के साथ वैर था, इसलिए उसने चढ़ाई कर बलूंदा ठिकाने में लूटमार की, फिर वह अपने भाई मेहकरण के साथ जैतारण होता हुआ बिलाड़ा पहुँचा उसका दमन करने के लिए बख्शी अखेराज को भेजा। लोढ़ा साहमल तो किसी प्रकार भागने में सफल हुआ, परन्तु उसका भाई मेहकरण बादरसिंह चांदावत के हाथ से मारा गया। दो हजार के आभूषण बादरसिंह के हाथ लगे। साहमल लोढ़ा आसोपा के ठाकुर रतनसिंह के साथ मेवाड़ चला गया।[45]

अनन्तर सिंघवी अखेराज द्वारा गोड़वाड जालोर आदि परगनों की व्यवस्था कर वहां से राजस्व की वसूली करने, महाराजा विजयसिंह के समय भीमसिंह का साथ देने वाले ठिकानेदारों, मुत्सद्दियों को पट्टे देने और आजीविका का प्रबन्ध करने, प्रधान सवाईसिंह पोकरण के पट्टे के गाँव बढ़ाने, सवाईसिंह को फलोदी का पट्टा नही देने पर कुपित होकर उसका दिल्ली जाने और वि.स. 1851 में लकवा दादा की मारवाड़ पर चढ़ाई करने, महाराजा की ओर से लकवा दादा को रकम देकर लौटाना और सवाईसिंह को वृद्वि स्वरूप और गाँव देने, लकवा दादा को दिये गये रूपयों की पूर्ति के लिए लोगो से लांग–बाग वसूल करने, वि.स. 1852 में दीवान और मुसायब पदों पर नियुक्तियां करने का विवरण ख्यात में दिया गया है।

मानसिंह ने अपने आपको जालोर का शासक घोषित कर महाराजा भीमसिंह को चुनौती दी। वहां पर सिंघवी जोरावर के पुत्र जीतमल, फतैमल, सिंभुमल, सूरजमल और आंनदमल रहे। जालोर का प्रबन्ध उनकों सौंपा हुआ था। दूसरी और महाराजा भीमसिंह के पास सिंघवी भीवराज के बेटे कार्य करते थे। पचपदरा, फलोदी, मेड़ता और नागौर आदि परगनों में हाकिम सिंघवी जाति के थे। वे जहां कही चढ़ाई करते विजयी होकर आते थे। महाराजा भीमसिंह ने जालोर हस्तगत करने के लिए बख्शी सिंघवी अखेराज को भेजा। वि.स. 1854 को उसने जालोर पर घेराव कर लिया। यद्यपि जालोर परगने पर महाराजा भीमसिंह का अधिकार हो गया। परन्तु जालोर गढ़ पर मानसिंह का ही अधिकार रहा। महाराजा भीमसिंह के

द्वारा सिंघवी अखेराज के असफल होने पर उसे कैद कर लिया और फिर 60,000 जुर्माना देने पर कैद से मुक्त कर दिया।

परगनों की व्यवस्था हेतु आवश्यकतानुसार अधिकारी नियुक्त किये गयें। जोधराज को दीवान का पद सौंपा गया।[46] महाराजा भीवसिंह का महाराजा प्रतापसिंह जयपुर की बहन के साथ पुष्कर में विवाह का वर्णन ख्यात में दिया गया है।

जैसे – सो सारा सीरदार तयारी आधी करी जांनै मांथे साथे था तरे कुरब री आसांमीया ईतरा सीरदार साथे था तीणां री वीगत खांपवार –

अर्थात् बारात में जो ठिकानेदार आये थे उनका विस्तार से वर्णन हमें ख्यात में मिलता है जैसे खांप चांपावत–

1. सवाईसिंह सबलसिंघोत पोकरण
2. माधोसिंह सिवसिंघोत आऊवा
3. कीलांणसिंघ भगौतसिंघोत रोयट
4. ग्यानसिघ नवलसिंघोत पाली
5. जालसिंघ गिरधरदासोत हरसोलाव

खांप कूंपावत–

1. बीसनसिंघ हरिसिंघोत चंडावत
2. सिंभुसिंह कुसलसिंघोत कंटालियों,

खांप जैतावत

1. केसरीसिंघ हिदूसिंघोत बगड़ी रा भईया जीला सुधा

खांप करणोत

1. करणीदान सवीकरणोत कांणांणा
2. थेमकरण बागावास
3. सरदरड़ी रौ ठाकुर

खांप ऊदावत

1. भीवसिंह फतेसिंघोत रायपुर
2. सिभुसिंव दौलतसिंह, नीबाज
3. जवानसिंह बनेसिंघोत, रास

खांप मेड़तिया, खांप चांदावत मेड़तिया से भी गई ठिकानेदार महाराजा भीमसिंह की बारात में पधारे।[47]

फिर महाराजा भीमसिंह जैतारण, बीलाड़े, सोजत, पाली होते हुए जोधपुर पधारे।

वि.स. 1860 में सिंघवी इन्द्रराज, वनराज, गुलराज तीनों भाई और उनके मामा भंडारी गंगाराम का जालोर पर प्रबल आक्रमण करने, शहर के लोगो का भाग कर किले में शरण लेने, वनराज के मारे जाने और जालोर शहर पर महाराजा का अधिकार होने, कुशलराज को जालोर हाकिम बनानें आदि का वर्णन ख्यात में मिलता है।

**महाराजा भीवसिंह की मृत्युः—**

महराजा श्री भीवसिंह रे अदीट चांदी रो कारण (घाव पड़ने के कारण) हो सो काति सूद 4 समत 1860 (1803 ई. 19 अक्टूबर) रा चार घड़ी दिन चढ़ीया देवलोक पधारीया महाराजा भीमसिंह के पिछे 8 रानियों के सती होने का उल्लेख किया गया है।[48] तुंवरजी छोटा, देवड़ी जी, चावंड़ी जी, लाड़ी भटियाणी जी आदि प्रमुख रानियां व पड़दायतीयां वरवतराव, रूपरस, कुसालराय, रंगरूपराय तथा गायाणिया फुलवेल, चंचलराय, नीरतराय, सुदरराय, मैताबराय, रतनजोत, डावड़ीया (दासी) तुलछाई (तुंवरजी के साथ) मुलकी, सुखबैल, रूपां आदि कई प्रमुख सती होने वाली रानियां गायणियां, डावड़िया, 3 रानियों के जीवित होने का भी उल्लेख मिलता है।[49] रांणी कछवाईजी जेपुर रा, रांणी देरावरजी झाखण रा भाटी सवाईसिंघ तथा राणी छोटा भटियाणी जी।

इतिश्री भींवसिंह महाराजा रा राज री ख्यात।[50]

**डिगल साहित्यः–**

वीरभूमि राजस्थान अपनी अनुठी आन–बान और शान के लिए प्रसिद्व है। बात जंग की हो या रागरंग की, चित्रण प्रकृति का हो या संस्कृति का हदय तो अपनी मातृभाषा का ही परवर्ती नाम 'डिगल' प्रसिद्व हुआ।

डिगल शब्द को लेकर अनेक विद्वानों में मतभेद है। मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार 'डीगा' लम्बे और ऊँचे को कहते है और 'गल्ल' का अर्थ हेाता है बात या बोली। इस प्रकार उंचे स्वर में बोली जाने वाली मरूभाषा डिंगल कहलाई।

श्री भूपतिराम साकरिया, 'डीगा के स्थान पर डींगा शब्द मान कर मौखिक बातो के साथ आधुनिक राजस्थानी में रचित एक तुकबंदी का सहारा लिया, यथा

'डींगा धोरा डींगा मारग, डीगा लोग लुगाई।
डीगी पारा डींगी बातां डीगीं साख सगाई।

भाषा के रूप में 'डीगल' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चारण कवि सांयाजी झूला कृत 'नागदमण (सं. 1661 वि. के लगभग) में मिलता है।

कवि राजा बांकी दास (महाराजा भीमसिंह के समय) दो कृतियों में 'डींगल' शब्द का प्रयोग मरूभाषा के पर्याय रूप में किया है।

बांकीदास ने 'डिंगल' को मरूभाषा' का पर्याय व उद्वतभाषा के रूप में इस प्रकार अंकित है–

ऊधत भाखा औ अरथ, भाखौ डीगल भाख।
मारूभाखा मांनजे, सो ई गीतां साख।

इस प्रकार डिगल शब्द की व्युत्पति – विषयक यह मत अनेक पुष्ट प्रमाणों के आधार पर स्वीकार्य एवं स्वतः सिद्व हो जाता है।[51]

कविराज बांकीदास ने 'हमरोट छतीसी' की रूचिर रचना की। कवि ने वहां की रूपवती रमरणियों के प्रति पल उफनते हुए यौवन के कारण चित्रकार द्वारा सही चित्रांकन में असमर्थता उद्घोषित की है जैसे

अंग–अंग मझ ऊफणै, जीवन आठों जांम।
त्यों हंदी तसबीर रौ, कलम हुवैं नह कांम।

हमीर नामा के रचियता हमीर दान रतनू है और इनकी रचना का काल 1850 के लगभग प्राप्त होता है। हमीर नामा माला डिंगल के प्रसिद्व गीत 'बेलीयों' में लिखी गई है। हमीर नामा माला 322 छंदो का ग्रन्थ है। इन छंदो में प्राचीन तथा तत्कालीन साहित्य में प्रचलित डिंगल भाषा के बहुत से शब्द अपने विशुद्व रूप में सुरक्षित है।

राजस्थानी का एक रूप डिंगल नाम से भी प्रसिद्व है यह नाम चारण कवियों द्वारा प्रयुक्त मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को दिया गया है। इसका नाम का प्रयोग पहले पहल कवि कुशल लाभ रचित 'पिगंल सिरोमणि' (सं. 1609–1618) ग्रन्थ में देखने में आता है।[52]

डिंगल भाषा का उदय और उत्थान होने से पूर्व राजस्थान के राज दरबारों में मुख्यतः संस्कृत भाषा का दौर–दौरा था। डिंगल को राजसभाओं में पहुंचाने के मुख्य हाथ चारण आदि कुछ विशेष जातियों के लोगो का था जो राजा महाराजाओं की प्रशंसा में ग्रन्थ तथा 'फूटकर' गीत आदि लिखते और उन्हें सुना–सुनाकर अपनी उदर पूर्ति करते थे। डिंगल भाषा साहित्य सृजन का मुख्य क्षेय चारण जाति को और उसके बाद भाट, राव मोतिसर और ढाढी जातियो को हैं।

**सायबदान**– ये खिडिया शाखा में उत्पन्न हुए और मारवाड़ राज्य के कांवलिया गांव के निवासी थे। ये महाराजा भीमसिंह के समय थे लेकिन इन्होने मानसिंह जब जालोर घेरे में थे तो मानसिंह से ही डिंगल साहित्य लिखने का अभ्यास किया था। ये जोधपुर महाराजा भीमसिंह की मृत्यु के बाद ही आये। इन्होने भीमसिंह के लिखा नही था, मानसिंह के लिए डिंगल साहित्य को लिखा।

महाराजा भीमसिंह के समय में साहित्य को इतना अधिक बढ़ावा नही दिया गया था। क्योंकि कुंवर मानसिंह जालोर गढ़ चले गये थे कई भाट, चारण उनके साथ ही जालोर चले गये जिनमें से शक्तिदान, गोपालदान, जवानजी, सालूदान, खिदान, मयाराम मैकदान करमानंद, नाथूदान, सायबदान और इन्दा ये सभी चारण कवि थे जो महाराजा भीमसिंह के समय में होते हुए भी मानसिंह के साथ जालोर चले गये थे। महाराजा भीमसिंह के समय कवि रामकर्ण 'अलंकार समुच्चय' नामक पुस्तक की रचना हुई थी, इस पुस्तक की मुहर से पता चलता है कि यह भीमसिंह के समय लिखी गयी थी।

"श्रीकृष्णचरणराजराजेश्वरमहाराजाधिराजमहाराज श्रीभीवंसिघजी कस्य मुद्रिका"

इससे स्पष्ट है कि भीमसिंह के समय लिखी गई है।

अतः भीमसिंह के समय डिंगल गीत व संस्कृत में लिखा गया भीम प्रबन्ध महाकाव्य का ही उल्लेख हुआ है।

# सन्दर्भ सूची


1. मारवाड़ रा पुरातत्व और स्थापात्य, डॉ. महेन्द्रसिंह तंवर, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर 2018, पृष्ठ–11,
2. मर्दुमशुमारी, राज मारवाड़ 1891, पृष्ठ 36
3. बही भट्ट बद्री री तिखी, ग्रन्थांक न. 43, पुस्तक प्रकाश
4. जोधपुर राज्य री ख्यातख जि.1 पृष्ठ 257, बांकीदास ऐतिहासिक बातें संख्या 718
5. टॉड, एनाल्स, पृष्ठ– 485
6. मारवाड़ का सांस्कृतिक इतिहास, डॉ. विक्रमसिंह राठौड़ पृष्ठ–14
7. मारवाड़ रे परगना री विगत, डॉ. नारायण सिंह भाटी प्रथम भाग पृष्ठ 573
8. जोधपुर राज्य री ख्यात, जिल्द 1, पृष्ठ 115
9. महाराजा मानसिंह री ख्यात, सं. डॉ. नारायण सिंह भाटी, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 1997, ग्रन्थांक 135
10. ख्यात, जोशी त्रिलोकचंद सिंघी, ग्यानमल री लिखवाई हुई संवत् 1857, पृष्ठ 16
11. मारवाड़ का पूरातत्व और स्थापत्य, डॉ. महेन्द्रसिंह तवंर, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर 2018, पृष्ठ 220,
12. मारवाड़ का पुरातत्व और स्थापत्य, डॉ. महेन्द्रसिंह तंवर, राजस्थानी ग्रन्थागार जोधपुर 2018, पृष्ठ 239,
13. जोधपुर हकीकत बही न. 6 संवत 1851–58, इमेज न. 8
14. जोधपुर हकीकत बही न. 6, संवत 1851–58, इमेज न. 9
15. मारवाड़ का संस्कृति इतिहास, डॉ. विक्रमसिंह राठौड़, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, 1996, पेज न. 14,
16. जोधपुर हकीकत बही न. 6 संवत 1851–58, इमेज न. 12
17. राणी मंगा भाटो की बही, डॉ. महेन्द्रसिंह नगर, पुस्तक प्रकाश, 2002, पृष्ठ– XIX
18. मारवाड़ री ख्यात, सं. हुकमसिंह भाटी, पृष्ठ–3, शोधसंस्था, चौपासनी
19. जोधपुर राज्य री ख्यात जि. 1, पृष्ठ 257
20. मुहणोत नैणसी ख्यात जि.2, पृष्ठ 131

21. मारवाड़ रा परगना री विगत, डॉ. नारायण भाटी, प्रथम भाग, पृष्ठ 584
22. मारवाड़ रा परगना री विगत, डॉ. नारायण भाटी, प्रथम भाग, पृष्ठ 572, 577
23. ख्यात जोशी त्रिलोकचंद सिंधी, ग्यानमल री लिखवाई हुई, संवत 1857, पृष्ठ 215
24. मारवाड़ा रा परगना री विगत, डॉ. नारायणसिंह भाटी प्रथम भाग, पृष्ठ 590
25. मारवाड़ रा परगना री विगत, डॉ. नारायणसिंह भाटी प्रथम भाग, पृष्ठ 572, 573
26. राज. में कुए एवं बावड़िया, वाई डी सिंह,, पुस्तक प्रकाश 2002, पृष्ठ – 240
27. राज. मे कुए एवं बावड़िया, वाई डी सिंह, पुस्तक प्रकाश 2002, पृष्ठ 262
28. भीमप्रबन्ध महाकाव्यम् (महाराजा भीमसिंह मारवाड़), डॉ. (कु) महेन्द्रसिंह नगर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर, पृष्ठ–4,
29. बही, पृष्ठ–6
30. बही, पृष्ठ–8
31. बही, पृष्ठ–10
32. भीमप्रबन्ध महाकाव्यम् अथ प्रथमः सर्गः वंशवर्णने राज्यलाभः पृष्ठ–2
33. भीमप्रबन्ध महाकाव्यम् अथ प्रथमः सर्गः वंशवर्णने राज्यलाभः पृष्ठ–11
34. भीमप्रबन्ध महाकाव्यम् अथ तृतीय सर्गः विवाह वर्णनम् पृष्ठ–31
35. भीमप्रबन्ध महाकाव्यम् अथ चतुर्थ सर्गः वसन्ततुवर्णनम्, पृष्ठ–34
36. भीमप्रबन्ध महाकाव्यम् अथ नवमः सर्गः वसन्तक्रीडावर्णनम् पृष्ठ–95
37. भीमप्रबन्ध महाकाव्यम् अथ दशम सर्गः मण्डोवर पञचकुण्डवैजनाथमण्डलेश्वरभोगशैलनागदीपाला वर्णनम्, पृष्ठ–99
38. भीमप्रबन्ध महाकाव्यम्, अथ द्वादश सर्गः गौरीयात्रा वर्णनम् पृष्ठ–110
39. भीमप्रबन्ध महाकाव्यम्, अथ चतुर्दशः सर्गः मृगयाविहार वर्णनम् पृष्ठ–128
40. भीमप्रबन्ध महाकाव्यम्, अथ पञचदशः सर्गः, सकल–सामन्तवर्णनम्, पृष्ठ–135
41. अथ षोडश सर्गः मंत्रिवर्गवर्णनम् पृष्ठ–157
42. अथ एकोनविंश सर्गः सकलहर्म्य (स्थापत्य वैभव) वर्णनम् पृष्ठ–206
43. अथ विंशः सर्गः दुर्गा दि वर्णनम्, पृष्ठ – 236
44. राठौड़ा री ख्यात, सं. डॉ. हुक्मसिंह भाटी, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, प्रथम संस्करण 2007, पृष्ठ–670

45. राठौड़ा री ख्यात, सं. हुक्मसिंह भाटी– पृष्ठ 671

46. राठौड़ा री ख्यात, सं. हुक्मसिंह भाटी– पृष्ठ 676

47. राठौड़ा री ख्यात, सं. हुक्मसिंह भाटी, पृष्ठ–681

48. राठौड़ा री ख्यात, सं. हुक्मसिंह भाटी, पृष्ठ–687

49. राठौड़ा री ख्यात, सं, हुक्मसिंह भाटी, पृष्ठ–688

50. राठौड़ा री ख्यात, सं, हुक्मसिंह भाटी, पृष्ठ–688

51. कविया, शक्तिदान, राजस्थानी साहित्य का अनुशीलन, पृष्ठ–11

52. भाटी, नारायण सिंह, डिंगल कोष, राजस्थानी शोध संस्थान, चौपासनी, पृष्ठ–20

## षष्ठ अध्याय

# महाराजा भीमसिंह की मृत्यु

महाराजा भीमसिंह, महाराजा विजयसिंह के पौत्र और भोमसिंह के पुत्र थे। महाराजा भीमसिंह वि.स. 1850 की आषाढ़ सूदि 12 (ई. 1793, 20 जुलाई) को अपने दादा के उत्तराधिकारी बने थे।[1] इनका काल 10 वर्ष तक रहा। मारवाड़ की ख्यात में इनके धाम प्राप्त होने के पूर्व इसकी सूचना सुनाई देती थी। उसे सुणावणी कहा जाता था।

### सुणावणीः–

राजपरिवार में किसी सदस्य की मृत्यु कही अन्यत्र हुई हो और उसकी सूचना जब सुनाई जाती थी तो उसे सुणावणी कहा जाता है। सुणावणी के बाद परिवार जन 'पाणीवाड़ा' की रस्म निभाते थे।[2]

### पाणीवाड़ाः–

पाणवाड़ा से तात्पर्य मृत्यु की सूचना के तीन दिन के अंदर सभी कुटुंबी किसी तालाब पर सामुहिक रूप से जाकर स्नान करते थे, यह परम्परा आज भी मारवाड़ में देखने को मिलती हैं।

### राजघराने में शोक परंपराएँः–

राजघराने की शोक परम्पराओ में हिन्दू धर्म के रीति–रिवाजो का समावेश है। शोक परम्पराओं में निम्न रीति–रिवाज थे–

- जब भी मारवाड़ में किसी नरेश की मृत्यु होती है तो सूचना मिलते ही गढ़ मे सारी पोले मंगल (बंद) कर दी जाती थी। बारह दिन तक शहर व 22 परगनों में शोक रखा जाता था।
- सभी लोग अपनी इच्छा से भदर होते थे एवं शोक सूचक रंगो की पगड़िया बांधते थे।

- गढ में नौबत बजाना बंद हो जाती थी।
- तीनो प्रहर छोड़ी जाने वाली तोपे बंद हो जाती थी।
- बारह दिनो तक शहर में दुकाने बंद रखी जाती थी, ठठेरे, चंवालिये, कसाई, रंगरेज सभी अपने धंधे, बारह दिन तक बंद रखते थे।
- बंदियो को जेल में छोड़ने की परम्परा थी। पिंजरे में बंद पक्षियों जैसे तोता, मैना, कबूतर इत्यादि को आजाद कर दिया जाता था।
- 'सातरवाड़ा' व 'तातड़' की बैठक गिरदीकोट में रखी जाती थी। मृत्यु के पश्चात् तीया तमीचा, एकादशा व द्वादशा तेरहंवा इत्यादि करने की परम्परा रही थी।
- बारह दिन तक शोक संबंधी क्रिया कर्म चलते थे और उसके पश्चात् नये उत्तराधिकारी को 'आण दुहाई' फेरी जाती थी, अर्थात नये राजा के नाम की सूचना सभी परगनो में आण दुहाई के द्वारा होती थी।
- जनाना डयोढी में राजा की मृत्यु के साथ ही राजलोक (रावला खालसा घोषित कर दिया जाता था) और स्त्रियाँ जोर–जोर से रूदन व विलाप करती जिसे मुँह ढकना या पल्ला लेना कहा जाता है।
- विधवा रानियों की दहेज दासियां भी अपनी मालकिन के वैधव्य (विधवापन) को अपना मान स्वयं भी चूड़ा उतार कर रख देती और विधवाओं के समान 'कांचली' व शोक सूचक कपड़े पहनती।
- खालसे की 'डावड़िया' बारह दिन तक तलहटी के महलों के बरामदों में बैठकर शोक प्रदर्शन करती। जहां शहर की स्त्रियां, मुत्सद्दियों के घर से महिलाएँ शोक प्रकट करने आती थी।
- मृत्यु के दस दिन तक किये जाने वाले क्रियाकर्म संबंधी नेग व दान व्यास व कारटिया लेते थे। पिंडदान की तासली व जल का पात्र (चांदी के) जोशी वेदिया व व्यास को दिये जाते थे। ग्रहदान लेने के अधिकारी व्यास होते थे। गरूड़ पुराण की भेंट इत्यादि की राशि भी कथा वाचक व्यास को जाती थी।

- मृत्यु संबंधी क्रिया कर्म जो दस दिन (तीसरे दिन से बारहवे दिन) तक होते है उसमें राजपुरोहित की कोई भूमिका नही होती थी। ग्यारहवे दिन जो क्रिया कर्म राजपुरोहित द्वारा सम्पन्न किये जाते थे। उसके बदले वे परम्परानुसार दक्षिणा लेते थे।
- नरेश का पाटवी पुत्र न तो शव यात्रा में जाता था और न ही 'मुण्डन' कराता था। मृत्यु संबधी सारे क्रिया कर्म अन्य कुटुम्बी द्वारा होते थे। पाटवी पुत्र के टीकी उसी दिन उसी समय तत्काल शीघ्रता से कर दिया जाता था। राजतिलक बाद में होता था।
- राजलोको के जेवर इत्यादि नाजर द्वारा खजाने में जमा कर दिये जाते थे।
- पिंडदान संगोत्र व्यक्ति द्वारा ही दिया जाता थां पिंडदान मृत्यु के पहले दिन से दसवे दिन की अवधि में किया जाता था।
- मृत्यु के तीसरे दिन चिता को ठंडा करने की रस्म होती थी, जिसमें दूध व जल का छिड़काव दाह स्थल पर किया जाता है। उसके पश्चात् अस्थियों को किसी पात्र में इकट्ठा किया जाता था, जिसे फूल चुगना कहा जाता है। रानियों की अस्थियों की रखवाली और साथरवाड़ा पर बैठने का काम गागरिया खांप के राठौड़ो के जिम्मे होता था। जिनके गांव राजवा आदि है। इनको जनानी ड्योढ़ी महकमे से तनख्वाह मिलती थी।
- राजघराने में मांजी व दादीजी की मृत्यु होने पर शव को पेटी में रखकर सिधेश्वर या पंचकुडा ले जाकर दाग दिया जाता था। साथ में जागीरदार, मुत्सद्दी, वेदिया, पुरोहित, जोशी इत्यादि लोकाचार (शवयात्रा) में जाते थे। उनमे शोक में एक प्रहर की नौबत बंद रखी जाती थी। दाह संस्कार सम्पन्न होने की सूचना आने पर राजा गढ़ पर ही स्नान करते थे।
- मांजी व रानी की मृत्यु संबंधी रस्मे उनके नोहरों पर की जाती थी और गढ़ में राग रंग बारह दिन तक बंद रखे जाते थे। शोक की बैठक ब्रह्म भोज इत्यादि नोहरे में ही होता था।[3]

- विधवा रानी छः मासी के दस्तुर के पश्चात् अपने पीहर जाती जिसे मारवाड़ में 'पग पाछो करण ने' कहा जाता है। नरेश की मृत्यु पर विधवाओं की बैठक को 'खूणे बैठन' कहा जाता था।[4]
- बारहवें दिन विधवा रानिया वैधव्य के कपड़े धारण करती जो उनके पीहर से आने का रिवाज था, जो आज भी राजपूत समाज मे देखने को मिलता है।
- मृत्यु वाले दिन दाग के बाद 'खारी खिचंडी' का दस्तुर होता था अर्थात् मूंग व चावल की नमकीन खिचड़ी बनती थी और उसी से मुँह ऐठने का दस्तुर होता था।[5]

नरेश की मरणासन्न अवस्था होने पर सनातन धर्म के नियमानुसार उन्हे पलंग से नीचे ले लिया जाता था। उससे पूर्व मे ंजमीन को गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया जाता था और कुश का तिनका नीचे रखा जाता था और उस पर मरणासन्न नरेश को लेटाया जाता था। निकटतम राज परिवारजन उन्हे 'धर्म पुण्य' सुनाते थे। और पास में गीता पाठ शुरू कर दिया जाता था और मुंह में तुलसी व गंगाजल दिया जाता था।

हिन्दू धर्म के सोलह संस्कारों में अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार होता था। मारवाड़ से संबंधित ख्यातो के अध्ययन से राजपरिवार के मर्दाना (पुरूष वर्ग) जनाना (महिला वर्ग) सरदारों के देवलोक गमन से संबधित अनेकानेक रस्मो, शोक संबंधी परम्पराओं की जानकारी प्राप्त होती है। ख्यातों व बहियो से ज्ञात होता है कि महाराजा की अस्वस्थता की स्थिति वैद्य के द्वारा इलाज किया जाता था पर साथ मे ही ज्योतिषी से नक्षत्रों की जानकारी भी लेते थे।[6]

राजपरिवारों मे राजनैतिक कारणों से परस्पर मनमुटाव आम बात थी लेकिन अपने पारिवारिक कर्त्तव्यों का निर्वाह सभी पूर्ण मनोयोग से करते थे। महाराजा विजयसिंह व भीमसिंह में बहुत तनाव रहा था फिर भी विजय सिंह की बरसी के अवसर पर भीमसिंह ने अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करते हुए राजसी ठाठ–बाट से बरसी सम्पन्न करवायी। मारवाड़ री ख्यात में लिखा है–

''बरसी उपर ब्रह्मभोज महाराजा भीवसिंह कीनो
रूपियो दो दीखणा दीना हजार बीस रूपिया
लागा दीखणा रा जलेबिया रो ब्रह्मभोज कीनो''[7]

महाराजा विजयसिंह की मृत्यु हुई तो मारवाड़ की परम्परा के अनुसार 'भदर होना' की रस्म होती थी। पुरूष लोग अपने बाल कटवाते थे जिसे भदर होना कहा है। महाराजा विजयसिंह की मृत्यु पर वेद मेंधो अबदार, सवाईसिंह, जोधराज भदर नही हुए थे, तो महाराजा भींवसिंह इन तीनों से नाराज हो गये थे।[8]

## महाराजा भीमसिंह की मृत्युः–

कार्तिक वदि 8, 1860 वि.स., रविवार को महाराजा की तबीयत खराब हो गई थी, महाराजा भीमसिंह को खून के दस्त लगने शुरू हो गयें तब मारवाड़ की परम्परा के अनुसार ज्योतिष को बुलाकर ग्रह नक्षत्र को देखने की कहा। तब दर्जी शिवदास को भेज कर जोशियों का बुलाकर ग्रह इत्यादि देखने का निवेदन किया तथा दान पुण्य करने को कहा तब श्री रामेश्वर जी यज्ञ करने के लिए बैठे तथा दुर्गापाठ का अभिषेक करवाया।[9]कार्तिक वदि 10, 1860 वि.स. व्यास सेरकरण को सारूड़ा से बुलवाने के लिए लिखाया। व्यास सेरकरण कार्तिक सुदी 3 को आया था और लालपुरी जी ने डावडा–डावडियों को भोजन देना शुरू किया। महाराजा की ऐसी हालत देखकर गढ़ में दीपावली व दशहरे के दरबार नहीं लगाये गये थे। विजयदशमी को असवारी में महाराजा का जाना नहीं हुआ था। सरदारों को कांसा पुरस के लिए भेजा गया। दीपावली को दुगुनी भेंट मंगवाई गयी। महाराजा भीमसिंह के दरबार के अच्छे चाकरो को मोती महल में बुलाकर उनका अभिवादन करवाया गया।[10] और सूद 3 सोमवार को व्यास सेरकरण ने आर्शीवाद देकर दिलासा दिलवायी। पिछली रात को फिर महाराजा भीमसिंह की तबीयत खराब होने से दस्त लगी जिससे मलमूत्र त्यागने का पात्र, खुन व मांस से भर गया। पाला (पात्र) मंगाकर देखा तो बहुत उदासी हुई और महाराजा बहुत बेचेन हो गये और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था।[11]

धायभाई शिभुंदान, रामकृष्ण और दरजी शिवदास को बुलाया गया और उनके आने पर महाराजा ने अपनी उदासी प्रकट की तो उन्होंने हिम्मत रखने की बात कहीं, यह सब सुन कर महाराजा की आंखे खुलने लगी अब महाराजा उनको देख पा रहे थे।

उसके बाद सामने कोठा सुध हुआ। महाराजा अच्छे से देख नहीं पा रहे थे तब थोड़ा आराम किया।[12] फिर वेद चन्द्रभाण को वहां से जाने को बोल दिया और मलूकचंद पर गुस्सा किया बाद में महाराजा के श्वास में रूकावट आने पर अपनी छाती पर तकीया रखकर उल्टे होकर सो गये। रात जैसे–तैसे कट गई पर अगले दिन प्रातः काल होने पर महाराजा ने कहां कि श्वास ठीक से ले पाउ इसका कोई उपाय करो तब जुहारमल व मूलकचंद ने कहा अदरक का रस पी लेवें महाराजा आप को आराम मिलेगा। महाराजा ने अदरक के रस को पीने की स्वकृति दी। स्वीकृति मिलने पर वैद अबदारखाने गया और जो खास–पासवान खाबगा में थे उनको नीचे उतारा गया।[13]

4 घड़ी बजने पर पांचमी के अमल में बधाई गायी जाने लगी तब दरजी अखे को भेजकर पूछवाया गया कि यह बधाई किसकी गा रहे है तब उसने कहा आज गुसाईजी ब्रजाधीशजी का जन्मदिन है उसकी बधाई है। ये सब महाराजा सुन रहे थे। इस समय तक महाराजा सचेत थे। अनन्तर घड़ी 5 को अदरक का रस (वि.सं. 1860, कार्तिक सुदि 4, बुधवार) लाया गया तब महाराजा खड़े हुए और जल से कुल्ला करते समय ही अचेत हो गये।[14]

महाराजा के अचेत होने से पहले निम्न कार्य करवाये गये थे। मृत्यु समीप होने पर व्यक्ति को पलंग से नीचे उतार कर जमीन पर जाजम बिछाकर उस पर लिटाया गया था। ब्राह्मणों के पूजा पाठ किया जाता था। रामायण व गीता का वाचन करते थे। गंगाजल या तुलसी मुंह में डालते थे। इसके अलावा गौ भूमि, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड, रजत आदि वस्तुओं का दान करने का संकल्प करवाया जाता था।

महाराजा भीमसिंह के अंतिम काल में कार्तिक सुद चौथ वि.सं. 1860 (1803 ई.) में मोतीमहल में निम्न संकल्प करवाया गया था।

500 मण अनाज

500 गाये

500 रोकड़ रूपये

1 गांव

1 खेत

1 हाथी

1 घोड़ा

1 रथ

1 पालकी

आदि का संकल्प करवाया गया।[15]

कार्तिक सुद 4 को जब महाराजा अचेत हो गये तब दरजी ने मोतीमहल में उनको ढोलिये से उतारकर जमीन पर सुलाया। सब गमी में डूब गये थे महाराजा की मृत्यु से फिर भी इनके खास व्यक्तियों ने हिम्मत रखी। धायभाई शिंभुदान दौड़कर जनानी ड्योढी गया और वहां का बंदोबस्त किया। और मारवाड़ की परम्परा के अनुसार रामकृष्ण ने लोहापोल जाकर पोले बंद करवाई। जोसी वेदिया खाबगा में पंचाग देख रहे थे उन्हें भी रामकृष्ण ने महाराजा की अनहोनी से अवगत कराते हुए बाहर निकाला, वहीं पर जोसी महादत व तिलोकचंद खड़े थे उन्हे भी सूर्यपोल से बाहर ले गये।

पूरे गढ़ में अफरा–तफरी मच गयी थी। फिर महाराजा को बाजोट पर विराजमान कर सेवग तिलोक चंद आदि उनको दौलत खाना में ले आए बीच मार्ग में स्थित खाबगा के उतार में जब उनको ले जाया जा रहा था तो वहां स्थित बंगले में उनको फिर दस्त लगी। दौलतखाने तक आते ही बाजोट पर बैठे बैठे ही वे धाम

प्राप्त हो गये। अनन्तर व्यास प्रोहत आदि गढ़ में आये किले में सर्वत्र मातम मच गया।[16]

महाराजा भीमसिंह जी को धरती पर सुलाने का उल्लेख मिलता है।

'तद दरजी मोतीमोल (मोतीमहल) में ढोलियां सु नीचे पधराया'[17]

व्यास पुरोहित आया और गढ़ में भाग दौड़ रूदन मंच गया। नाजर के द्वारा यह दुःखद समाचार जनाना ड्योढी में दिया जाता था। ड्योढ़ी में रूदन की आवाजे आने लगती थी। ड्योढी को बंद कर दिया जाता था। अब वह खालसा (बिना स्वामी की) घोषित हो जाती थी। रानियां पड़दायते एवं दावड़ियों सती होने की तैयारी करने लगी। और तलहटी से सूथार लोग लकड़ी के पाटिए लेकर आए, सरदमहल के बाहर वैंकुठी तैयार करवाई गई और शहर के दरवाजे मंगल हुए।[18]

**सती प्रथाः—**

सती प्रथा नारी जीवन से जुड़ी सर्वाधिक दुःखदायी कुप्रथा थी, सती का शाब्दिक अर्थ अमर अथवा सत्य पर स्थिर रहने वाली है।[19] सती प्रथा के उदाहरण हमें महाभारत में ही प्राप्त होता है। लगभग 12वीं शताब्दी में बहुतायत संख्या में सती स्तम्भ अभिलेख मिले है।

मध्यकाल तक आते—आते यह प्रथा आवश्यक व सामान्य प्रथा का रूप ले लिया था। कठोर वैधव्य जीवन को अकेले व्यतीत करना व घर में दासी की तरह कार्य करना और अपमान को सहन करने से अच्छा तो एक बार में जलकर मर जाना ही उचित समझा जाता था। मध्यकाल में सती स्मारक व घरो के बाहर दरवाजों पर चित्रित हाथ के छापों का होना इस प्रथा के सामान्य होने का प्रमाण है। 18वीं शताब्दी के अंत में लिखा गया 'सती पुराण' इस प्रथा के सामान्य होने के प्रमाण मिलते है।[20] मारवाड़ के महाराजा अजीतसिंह से भीमसिंह के काल तक कई राजा, राजकुंवरों की मृत्यु के पश्चात् उनकी रानियॉ, कुंवरानियां, पासवानों, पड़दायतो, खवासनों दासियों आदि के सती होने का विवरण मिलता है। मारवाड़

की परम्परा के अनुसार किसी स्त्री के सती होने पर ऐसा माना जाता था कि उसने अपने पीहर व ससुराल दोनो कुलों का मान बढ़ाया है।

कभी–कभी तो मरने वाले शासक की प्रतिष्ठा का माप उसके शव के साथ जलने वाली पत्नियों व उपपत्नियों से आंका जाता था। सती प्रथा मुख्य रूप से राजघराने एवं राजपूतों में प्रचलित थी अन्य वर्गो में ना के बराबर थी।

सती स्तम्भ अभिलेखों में प्रायः लिखा जाता था कि पति सहस्वर्गगत इससे तात्पर्य है कि पति के साथ सती होने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सतीप्रथा में कई बार पति के पिछे ही नहीं वरन् अन्य संबन्धी अथवा पुत्र आदि के साथ भी सती होती थी। सती प्रथा को धार्मिक रूप दिया गया था।

सती प्रथा के चलते महाराजा भीमसिंह की रानियों ने भी अपनी परम्परा के अनुसार सत करने की तैयारी शुरू की। महाराजा भीमसिंह की राणी देवड़ी जी तुंवर जी को सत होने की इच्छा तीव्र थी।[21]

तद्पश्चात् राणियों ने स्नान किया और फिर पोशाके पहनी, आभूषण धारण किए। रानियों की तैयारी देखकर लगता था कि वे किसी उत्सव के लिए तैयार हो रही है। सती होने के लिए वे नई–नवेली दुल्हन की तरह सजती थी। वे अपनी शादी के आभूषण, पौशाक पहनती थी। पूरे 16 श्रृंगार करके तैयार होती थी। रानियों के सती होने के लिए तैयार होने पर महाराजा भीमसिंह की बैकुंठी शरदमहल के बाहर बनी थी उसे दौलत खाने लाया गया। वहां पर सेवग, जोसी वेदिया ने महाराजा को बैकुंठी में बिठाया, उस समय महाराजा के तासा का वागा, कमरबंध, उत्तरासन, बहुमूल्य मोती कड़ा कंठी, सिरपेच धारण कराया गया था।

जोसी वेदियां ने बैकुंठी को उठाकर ड्डोढी के पास स्थित पोल की तरफ सूरजपोल में पावड़िए दो चलकर खड़े हुए। महाराजा के देहान्त के बाद राणियों ने सति करने की तैयारी शुरू की। राणी देवड़ी जी को ज्यादा सत ज्वार उमड़ा तथा तुंवरजी को राणी देवड़ी के सत की इच्छा को देखकर सत होने की तीव्र इच्छा जागी। धाय भाई शिभुंदान जी की माजी सिसोदणी जी जनाना ड्योढी में आये उसके बाद देवड़ी जी ने ऊपर जल गिराया। उसके बाद स्नान करके पोशाके

पहनकर व गहने इत्यादि पहनकर तैयार हो गये। बैकुठी बन गयी तो उसको दौलतखाने लेकर आये। बाद में सेवग, जोशी वेदिये बैकूंठी लेकर आये। दर्जी शिवदास ने शरीर का नाप लेकर पोशाक तैयार कर के रखी। तास की खिड़किया दार डावी पाग, तास का पाग, कमरबंध, मोती पोशाक, कड़ा, कंठी, सिरपेच इत्यादि पहनकर बैकुण्ठी में बैठाया।[22]

जोशी वेदिया ने बैकुंठी को उठाकर ड्योढ के पास स्थित पोल की तरफ सूरजपोल में पावडिया चलकर खड़े हुए। जहां जनानी ड्योढ़ी से कुछ महासतियों का पधारना हुआ। ख्यात में महासतियों में राणियां, पड़दायत, गायणिया, वडारणिया आदि का उल्लेख मिलता है।[23]

ख्यात में महासतियों का उल्लेख इस प्रकार दिया गया हैं—

8 राणियों के सती होने का उल्लेख मिलता है।

1. तुंवरजी छोटा, बीकानेर रो गांव लखासर रा तुंवर बखतावर सिंह जी री बेटी
2. जैसलमेरी जी रावल रायसिंघ जी री बेटी
3. देवड़ी जी मंडार राव केसरीसिंध जी री बेटी
4. वीरपुरी जी गांव लुणांवाड़ा रा
5. सोढीजी सोढा मोतीसिंघ जी री बेटी अमरकोट रा
6. चांवडी जी मांणसा रा अजीतसिंघ चावड़ा री बेटी
7. तुंवर जी बड़ा केलावा रा तुंवर सुरताणसिंघ री बेटी।[24]
8. लाडी भटीयाणीजी ओसियां रा रावलोत सरूपसिंघ री बेटी।

4 पड़दायतीयां के सती होने का उल्लेख मिलता है।

1. बखतराय
2. रसरूप
3. खुसालाराय
4. रंगरूपराय

7 गायणीयो (गाना गाने वाली) का उल्लेख मिलता है।

1. फुलबेल
2. चंचलराय
3. नीरतराय
4. सुंदरराय
5. मेताबराय
6. रतनजोत
7. रतजोतन
8. तांनमजरी

(इनसे महाराजा नाराज हो गये थे तो इनको नागौर भेज दिया, जब इनको महाराजा भीमसिंह की मृत्यु की खबर मिली तो संवत् 1860 रा कांती सूद 7 को सती हुए।)[25]

8 डावडीया (दासी, सेविका) के सती होने की विगत–

1. तुलछाई
2. मुलकी
   (दोनों तुंवर जी के साथ सती हुई)
3. सुखबैल ये लाडी भटीयाणीजी के साथ।
4. रूपा– देवड़ी जी के साथ
5. रतनाई– जैसलमेरी जी के साथ।
6. लाऊडी– वीरपुरी जी के साथ।
7. रूखमाई– चावड़ी जी के साथ।
8. नऊड़ी– सोढीजी के साथ।[26]

सोढ़ा बखतो नागौर के खासदरबार मे नौकर था माही दरवाजे पर था तो वहां वह जोधपुर में खरची लेने आया था तो उसे महाराजा की मृत्यु का पता चला तो काती सूद 11 को मंडोर में महाराजा के पीछे जल कर मरा।[27]

महाराणीयां सती हुई तो आईदान को उदास देकर कर कहा कि, 'तू क्यूं बीलखो दलगीर (भावविहल) हुवै ईण भाट जो राज करसी सो थारो लाड राखसी''[28]

महासतीयो ने ऐसा वरदान दिया और 'माला केवड़ो समापघणा दीलासा दे खातर कीवी'

(महासतियों ने इस प्रकार के वरदान के वचन कहे। माला केवड़ा साथ ही बहुत सारी दिलासा (आश्वासन) देकर मान सम्मान किया।)

**कवत (कवित) छपे (छप्पय):–**

सुरतातणी सकाण राजतीवर पटरांणी सीधु भवांनी
सीधवल (सीधवल) लाडी भटियाणी जैसलमेरी
जादी ने धिया रायसियसिंध उमाधर दुजल चाव देवड़ी
सींधु केहर वड 'मोसर वीरपुरी' तीणवार जीका अजमल
री जाई सोढो मोती सुता वेस छोटे वरदाई चावड़ी
रिघु झुजार चवत नयो साखा तास री बखतेस तणी।
सुपर–नव दन लाडी तंवर लखासरी।[29]

**दुहा:–**

ढोल वजैता हे सखी पीये आयै मुज लैण।
ढोल बंजंता मैं चली पीये को बदलो देण।[30]

उपर्युक्त महासतियों के वस्त्रादि कचेड़ी (कपड़ा रा कोठार) से करवाये गये थे। इन महासतियो के सूर्यपोल आने पर और दो पहर घड़ी बजने पर तुंवर जी देवड़ी जी दोनों साथ–साथ पालखी में विराजमान हुए थे। जब देवड़ी जी ने बैकुण्ठी के पास आकर प्रणाम करके सख्त निवेदन किया कि आपने तो मृत्यु की बात को छीपा कर रखा। पहले बता देते तो वचन देने के लिए राजपूतों की बेटियों की खबर तो रहती सबको ध्यान रहता कि राजपूत की ये बेटियां सती हो रही है।[31]

सभी जनाना सरदार अपने–अपने हाथों में महाराजा के निर्मित नारियल माला पोशाके ले रखी थी और दो दो जनाना एक पालखी में बैठे। जैसलमेरी जी महाडोल में अकेले बैठे। देवड़जी ने बर्तन ओर ढोलिये जो चांदी के थे श्री बालकृष्णजी के मंदिर में भेंट किये थे।[32]

अब जनाना आगे की तरफ हुए और आगे बढ़ते हुए लोहपोल के दाएं बाजू पर हाथ के निशान (सतियो के हाथ) किये।[33]अनन्तर फतेहपोल होते हुए सिरे बाजार आडे चोहटे होते हुए सनीसडा में बैकुंठी को 2 घड़ी तक रोका गया और जनाना ने नागौरी दरवाजे पर हाथों के निशान दिये और बाद में इनका मंडोर पधारना हुआ वहां पर घरवड़ा सड़ा बनाया गया। (अर्थात दाह क्रिया करने से पूर्व महाराजा सहित महाराणियों के अग्नि में भस्म होने का व्यापक दाह संस्कार का घरनूमा सांचा)[34]





**महासतियों के हाथों के निशान**

जनाना अपनी–अपनी पालकियो से उतरकर छतरियॉ में ठहरी और उनकी और से सोलमो गवाया गया। उधर महाराजा को उस थड़े (दाह संस्कार स्थल) पर लाया गया वहीं दूसरी और जनाना भी पंथेवाड़ी पूज कर घरवड़ा में पधारे। जहां घड़ी 6 रात्रि होने से पूर्व दाग दिया गया उस समय धाय भाई शिंभुदान के हस्ते

सारा कार्य हुआ। सूद 6 शुक्रवार के दिन जोसी वेदिया मंडोर गया, जहां उनके द्वारा अस्थियों को इकट्ठा (फूल चुगना) किया गया।[35]

दिन घड़ी के समय, चार घड़ी रात तक सब चाकर गये। उसके बाद व्यास पुरोहित जोशी वेदिया आसोपो सरूपचंद, बोडा सरूपचंद, अंगोलिया किरता, पारख अणदराम आदि सिलहपोस के समय तक हाजिर रहे। दाह संस्कार घड़ी 6 होने के बाद सरद बेठी। उसके बाद जोशी, वेदिया सरद बैठा। सुबह खाना हुआ। शहर के दरवाजे बंद रहे। सूद 6 शुक्रवार को मंडोर जोशी वेदिया को अस्थियॉ को थैली में इकट्ठी करने लिए भेजा गया। पालकिया, डोली पुरोहित को तथा रानी तुंवरजी, देवडीजी की सोने की कड़िया इत्यादि गहना खजाना का नवीसदा त्रिवाडी कनिराम को सौंपा गया।[36]

एकादशो (ग्यारवां) बालसमंद किया गया। बारहवां धायभाई शिंभुदान की हवेली में किया गया। नौवा भंडारी रूपनाथ जी की बावड़ी में किया गया।[37]

महाराजा भीमसिंह की 3 रानियाँ शेष रह गई थी।

1. राणी कछवाई जी जेपुर रा था।
2. राणी देरावर जी झारवण रा भाटी सवाईसिंघ
3. राणी छोटा भटीयांणीजी[38]

## महाराजा की मृत्यु की खबर जालौर भेजनाः–

महाराजा के देवलोक होने के बाद जालौर रंगरेज उबादे गया। व्यास सिरदारमल चताणी गया। रंगरेज के समाचार पहले आवाज देकर कही श्री हजुर ने मालूम किया। मुहता साहिबचंद जी को हुकम (आदेश) हुआ इसलिए लक्ष्मीपोल खोल कर सारी जानकारी लेकर मालूम किया। महाराजा के पीछे नागौरी दरवाजे तक आकर महाराजा मंडोर की तरफ चले गये और मैं सीधा ही यहां आ गया। पक्के समाचार लेकर आया है फिर भी सभी से मालूम किया। सुबह ललवाणी अमरचंद गया। सिर मंडवाकर सारे पत्र पढवाये। धायभाई शिभुदांन, रामकिशन के पत्रो को देखा। कागजो (पत्रो) में इस तरह की जुबानी थी।–

''कार्तिक सुद 4 बुध नै घड़ी 5 दिन चड़ता महाराज

श्री भीवसिंघ जी वैकुंठधाम पधारिया हमैं सैर गढ़ रो म्हे

बदोवस्त राषियो (राखियो) छै थे घेरो सेठो

करजो देरावरजी रै भरम छै इसी लिषि (लिखी)।''[39]

इन्द्रराज जी, गंगाराम जी विचार करके श्रीमानसिंह जी को समझाकर अमरचंद जी को भेजा गया। सुबह गंगाराम जी गये। इन्द्रराज जी ने जाकर सारी जगह खास पत्र लिखवाये। सारे चाकरों को दिलासा लिखायी। चांपावत सवाईसिंह संबलसिधोत को खास पत्र लिखवाया, जोधपुर धायभाई शिवचंद इत्यादि को मुस्तदियो को भी लिखवाया। सिंघवी ग्यानमल जी को खास पत्र लिखा। सभी को श्री हजुर ने नई पोशाके करवाई। सभी चाकरों के कपड़े करवाये। श्री हजुर तलहटी को गये। फौज में जाकर श्री जालन्धर जी के मंदिर जाकर गांव हाथी भेंट किया गया।[40]

सवाईसिंह जब जोधपुर पहुंचे तो वहां का हाल सुनकर कि स्वर्गीय महाराजा भीमसिंह की रानी देरावर जी गर्भ से है और मानसिंह को महाराजा बनाये जाने के संबंध में राय नहीं ली है तो वे सरदारों के विचारो से असहमत हो गये। लेकिन सवाईसिंह अकेला कुछ नहीं कर सकता था। अंत में मानसिंह वि.सं. 1860, वदि 7 मार्गशीर्ष को गढ़ में अपने सरदारों के साथ पहुंचा।[41]

मानसिंह ने जोधपुर गढ़ में प्रवेश करने से पूर्व ही महाराजा भीमसिंह की रानियां देरावर जी व तंवराणी जी को चौपासनी में भेजने की बात सवाईसिंह से हो गई थी। देरावरजी गर्भ से थी, तो सवाईसिंह ने मानसिंह से विचार विमर्श किया कि यदि स्वर्गीय महाराजा भीमसिंह के पुत्र हो गया तो उसका क्या होगा। तब महाराजा मानसिंह ने सवाईसिंह की इस बात पर रूक्का लिखा कि यदि पुत्र पैदा होता है तो मारवाड़ की परम्परा के अनुसार उसे जोधपुर का शासक बना दिया जाएगा लेकिन बेटी पैदा हुई तो उसका विवाह उदयपुर या जयपुर कर दिया जाएगा। यह रूक्का चौपासनी (जहां रानियों को रखा गया था) के गुसाईजी विट्ठलराय को दे दिया गया।[42]

भीमसिंह की रानियों को तलहटी के महलों में रखा गया था। जहां उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम धोकल सिंह था। सवाईसिंह की सहायता से इस की रक्षा के लिए इसे खेतड़ी में भिजवा दिया।[43] सवाईसिंह ने पूरी सहायता की थी लेकिन यह बात (रानी के गर्भ की) कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा ही सुनी थी।

इस प्रकार महाराजा भीमसिंह के बाद उनकी रानियों की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। महाराजा भीमसिंह ने गद्दी पर बैठते ही अपने भाईयों को मरवा दिया था और मानसिंह को भी मरवा ही देते पर उनकी मृत्यु हो गई थी। महाराजा भीमसिंह के इस उग्र व क्रूर स्वभाव के कारण इनका थड़ा बनाने की ओर किसी का ध्यान नहीं दिया गया। मंडोर में स्थित इनका थड़ा किसी कबाड़खाने से कम नहीं है। एक चार दीवारी कमरे में सिर्फ उनकी तस्वीर को रखा हुआ है और कबाड़ का बहुत सा समान पड़ा हुआ है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि महाराजा भीमसिंह ने 10 वर्ष तक अपने ही भाईयों को मरवाने में समय निकाल दिया था। सभी सामंतो को अपने विरोधी कर लिया था और अंत तक उनसे झगड़ा करने में लगे रहे लोक हित के कार्यो में ज्यादा ध्यान नहीं दिया था।

इससे हमे ज्ञात होता हैं कि तत्कालीन परिस्थितियों में किस प्रकार राजसत्ता प्राप्त करने से लेकर उसे बनाये रखने तक कितने ही षड्यंत्रो व कुचक्रों में शासक का समय व्यतीत होता था और इस निराशाजनक नकारात्मक वातावरण में शासक से लोक कल्याणकारी कार्यो की अपेक्षा करना वास्तविकता से परे था। इसलिए हम कह सकते है कि वो शासक विरले ही थे, जो परिस्थितियों के अपने वश में रखकर अपने राज्य में सकारात्मक वातावरण बनाये रखने और प्रगति की और कुछ कदम बढ़ाने में सफल रहें।

# जोधपुर हकीकत बही न. 8,

# सवंत् 1856–1860

# (1799ई–1803ई)

# महाराजा भीमसिंह की मृत्यु का वर्णन

# (इमेज न. 868, 869 व 870)

१ बेगादुपाठे

१

१मीग्रातीउदैरनम् १९६० ओगणीमुउर
१ आंनक्रीटरीमीजबतरी

१मीग्रातीउदैसोम १९६० ओगणीमुउर
१ दबगेउजरमोंचरीराजरी ओलीहटे

१मीग्रातीउदैनोम १९६० ओगणीमुउर

१मीग्रातीउदै भिम १९६० ओगणीमुउर
१ श्रीजीसाहिबदिंनापणी श्री राजमानमेंदेवनी
हतलाउदीपेरराजमानमेंवैकुंठीमैंबेगपधरा
यामेंकुंटीतापलीहदरउमठीनेजापरेपोपाव
उहरटेलाताहरुपधराय
१ पोसाकताप
२ पाजनापरीमरमुपाटमोतीडोलीर
१ चागोनापरीमरमुपाट
१ पोतीनापरीलीहदार
१ छतरापतीतापरे

२
१ उंहार
१ सिरपेसमहीरांनेचापणीपरे
१ मोहुउमोतीरोचोटी
१ मुठीपेज्यारकन्ठीमोतीचीरी
मोतीचारी १
४ बीटीपे
१ हुडाजडाउ

उवेकुंटीमुरजपोहमेंपधरातीरइनरार
जचोहीवगेरेनापेमानकीपोउनोनीदोठीमें
नीठींनोनीनउंसामठजरजाप
१५ हुसांतोनाममीमेंडीव
८ सजबोली
१ श्रीकउवुंनरजी
१ श्रीचाहिनाटीपोटीजी
१ श्रीनेनावमेरीजी
१ श्रीदिपजी
१ श्रीवीरउरीजी
१ श्रीसोबीजी
१ श्रीमनबजी
१ श्रीचाहीलुंवरजी

८
४ पड़दायतीर्सी
१ बषतसजी १ सुकनवराजी
१ रुपरजी १ रंगउपराजी

४
५ गायंणीर्सी
१ सुवबेलजी १ मूंतीनरजी
१ संवबराजी १ निरसराजी
१ रतीनतीजी १ इंदरराजी

८३४

१६०१४

५

६ राजश्री पाचेकर संचीत

२ श्रीकरी तुंपाली पाचे

१ तुकाजी १ तुकाजी

१ श्री [illegible] पाचे

पटेल [illegible]

१ श्री [illegible] पाचे [illegible]

१ श्री [illegible] पाचे [illegible]

१ श्री देव [illegible] पाचे [illegible]

१ श्री [illegible] पाचे [illegible]

१ श्री [illegible] पाचे [illegible]

६

२५

१ नागोर [illegible] गांमंदगांमंजरी [illegible]

[illegible]

१ [illegible]

[illegible]

२८ [illegible]

[illegible]

१ [illegible] २००

१ [illegible] २०० [illegible]

१ [illegible] ५००

१ [illegible]

१

१ [illegible]

१ हाथी घोडे रथ पालखी

[illegible]

[illegible]

१ [illegible]

[illegible]

# सन्दर्भ सूची


1. जोधपुर हकीकत बही नं. 05, संवत 1846–50 इमेज 868
2. मारवाड़ री ख्यात, सं. डॉ. हुकमसिंह भाटी, पृष्ठ–164
3. जोधपुर हकीकत री बही न. 8, वि.सं. 1856–1860, पृ. 364 राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर।
4. हकीकत री बही नं. 8 वि.सं. 1856–1860 इमेज – 868
5. हकीकत बही नं. 8, वि.सं. 1856–1860, इमेज–365
6. हकीकत बही नं. 8, वि.सं. 1856–1860, इमेज नं. 366
7. मारवाड़ री ख्यात, स. हुकमसिंह भाटी, इमेज – 5
8. मारवाड़ री ख्यात, स. हुकमसिंह भाटी, इमेज–13
9. हकीकत बही नं. 8, वि.स. 1856–1860 इमेज–868
10. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ–163
11. हकीकत बही नं. 8, वि.सं. 1856–1860 इमेज 868
12. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ 164
13. हकीकत बही नं. 8, वि.सं. 1856–1860 इमेज 868
14. हकीकत बही न. 8, वि.सं. 1856–1860, इमेज 869
15. हकीकत बही नं. 8, वि.सं. 1856–1860, इमेज 869
16. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ 164
17. हकीकत बही नं. 8, इमेज नं. 868–70
18. राठौड़ा री ख्यात, स. – हुकमसिंह भाटी, पृष्ठ–687
19. टॉड, एनाल्स, भाग 1, पृष्ठ–503
20. शर्मा, जी.एन., सोशियल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान पृ. 127
21. राठौड़ो री ख्यात, भाग 3, पृष्ठ 687
22. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ 164
23. हकीकत बही नं. 8, वि.सं. 1856–60, इमेज नं. 870
24. राठौड़ा री ख्यात भाग–3, पृष्ठ 687
25. राठौड़ा री ख्यात, भाग 3, पृष्ठ 688

26. राठौड़ा री ख्यात, भाग 3, पृष्ठ 688

27. राठौड़ा री ख्यात, भाग 3, पृष्ठ 688

28. राणी मंगा भाटो की बही (मारवाड़ का रनिवास), पृष्ठ 71 डॉ. महेन्द्रसिंह नगर, मानसिंह पुस्तक प्रकाश, जोधपुर

29. राणी मंगा भाटो री बही, पृष्ठ 71

30. राणी मंगा भाटो री बही, पृष्ठ 72

31. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ 165

(1) हकीकत बही नं. 8 वि.सं. 1856–60, इमेज नं. 869

32. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ–165

(1) हकीकत बही नं. 8, वि.सं. 1856–60, इमेज नं. 869

33. मेहरानदुर्ग में लोहापोल के पास महासतियो के हाथो के चित्र।

34. हकीकत बही नं. 8 वि.सं. 1856–60, इमेज नं. 870

35. मारवाड़ री ख्यात पृष्ठ 165

(1) हकीकत बही नं. 8, वि.सं. 1856–60, इमेज नं. 870

36. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ 165

(1) हकीकत बही नं. 8, वि.सं. 1856–60, इमेज नं. 870

37. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ–165

38. राठौड़ा री ख्यात, पृष्ठ 688

39. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ–166

40. मारवाड़ री ख्यात, पृष्ठ–166

41. जोधपुर री ख्यात, जि. 4 पृष्ठ 1

42. जोधपुर री ख्यात, जि. 4, पृष्ठ 2

43. जोधपुर री ख्यात, जि. 4, पृष्ठ 2

# उपसंहार

राजस्थान के पश्चिमी भू–भाग में स्थित मरू प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान हमें वैदिक साहित्य, रामायण व महाभारत जैसे महाकाव्यों से प्राप्त हो जाती है। राजस्थान को मरूप्रदेश मरू, मरूस्थल, मरूस्थली, मरूमेदीनी, मरूमण्डल, मारव और मरूकान्तर के नाम से भी जाना जाता था, जिसका तात्पर्य रेगिस्तान या निर्जन स्थान से है। इस क्षेत्र ने अपनी भौगोलिक विशिष्टताओं के फलस्वरूप भारत के इतिहास में अपना अस्तित्व प्राप्त किया है। समय–समय पर इस व्यापक भू–खण्ड पर अलग–अलग वंश विशेष का अधिपत्य रहा है। अनन्तर यह क्षेत्र मारवाड़ के नाम से पृथक राज्य के रूप में प्रतिष्ठापित हुआ, जो राजस्थान के दक्षिण–पश्चिम में $24^0$ 36′ और $24^0$ 42′ उत्तर अक्षांश तथा $70^0$ 5′ और $75^0$ 24′ पूर्व देशान्तर के बीच फैला हुआ है। इसकी लम्बाई 320 मील और चौड़ाई 170 मील थी इसका क्षेत्रफल 35016 वर्गमील था।

मारवाड़ के रूप में राज्य को प्रतिष्ठापित करने का श्रेय यहां के राठौड़ वंश को जाता है। सर्वप्रथम राव सीहा ने पाली एवं उसके आस–पास के भू–भाग पर अधिकार कर मारवाड़ मे राठौड़ा सत्ता का बीजारोपण किया। तत्पश्चात् उसके पुत्र आस्थान (1273–1291 ई.) ने खेड पर अधिकार किया। चूंडा (1383–1423 ई.) ने मण्डोर को प्राप्त करके इसे अपनी राजधानी बनाया। अनन्तर रणमल के पुत्र राव जोधा ने सुरक्षा की दृष्टि से जोधपुर में एक दुर्ग का निर्माण करवा कर वहां अपनी राजधानी स्थापित की इस प्रकार राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना 12 मई 1459 ई. को की। यह प्रथम अवसर था कि जब स्थाईरूप से राठौड़ सत्ता स्थापित हुई और मारवाड़ के एक बड़े भू–भाग पर अधिकार करने में सफल्ता मिली।

जोधपुर के संस्थापक राव जोधा से महाराजा विजयसिंह तक मारवाड़ की राजनीति में कई परिवर्तन आये। यहां के शासकों को मुगल, मराठो के संघर्ष, सामन्तो के विद्रोह का सामना करते हुए अपने शासन की सुव्यवस्था के लिए कई बड़े प्रशासनिक परिवर्तन किए और समय–समय पर पडोसी राज्य के साथ संबंधों को भी बढ़ाते देखा है।

महाराजा विजयसिंह के पौत्र और भोमसिंह के पुत्र महाराजा भीमसिंह का काल घौर संघर्ष और विपदा में बिता था। भीमसिंह ने गद्दीनशीन होते ही सर्वप्रथम मारवाड़ के परगनों का कुशल संचालन करने पर ध्यान दिया है।

महाराजा विजयसिंह के समय भीमसिंह का साथ देने वाले ठिकानेदारों, मुत्सद्दियों को पट्टे देने और आजीविका का प्रबन्ध करने, प्रधान सवाईसिंह (पोकरन) के पट्टे के गांव बढ़ाने, सवाईसिंह को फलोदी का पट्टा नहीं देने पर कुपित होकर उसका दिल्ली जाने और वि.सं. 1851 में लखवा दादा (पंडित लक्ष्मण जी अनन्त) की मारवाड़ पर चढ़ाई कराने महाराजा की ओर से लखवा को रकम देकर लौटाना और सवाईसिंह को वृद्धिस्वरूप और गांव देने लखवा को दिये गये रूपयों की पूर्ति के लिए लोगों से लाग–बाग वसूल करने, वि.सं. 1852 में दीवान और मुसायब पदों पर नियुक्तियॉ करने के साथ ही मानसिंह का जालोर शासक बनने का विवरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वि.सं. 1854 में भीमसिंह का जालौर पर अधिकार होने, वि.सं. 1855 में मुहणोत सरदारमल को दीवान बनाने के साथ परगनो की व्यवस्था हेतु आवश्यकतानुसार अधिकारियों की नियुक्ति करने व वि.सं. 1857 में जोधराज को दीवान पद पर नियुक्त करने और उसके द्वारा रूपये वसूल कर राज्य की आय बढ़ाने, महाराजा भीमसिंह का जयपुर महाराजा प्रतापसिंह की बहन के साथ विवाह करने के लिए पुष्कर जाने तथा पीछे से मानसिंह का पाली लूट कर ले जाना आदि पर विवरण इस शोध में प्रस्तुत किया है।

मारवाड़ के इतिहास में महाराजा मानसिंह के परिप्रेक्ष्य में सिंघवी चेनकरण का गोड़वाड़ के गांव साकदड़े में आकर मानसिंह को समझाने का प्रयास किया गया, फिर मानसिंह का जालोर जाने, अनन्तर वि.सं. 1858 में सिंघवी वनराज द्वारा पुनः जालोर का घेराव करने के सूत्र प्रकट होते है। वि.सं. 1859 में सिंघवी जोधराज को मारने, ठिकानेदारो से पेशकशी लेने का अभियान तेज करने, जागीर गांवों में रदोबदल करने, वि.सं. 1860 में सिंघवी इन्द्रराज, वनराज, गुलराज तीनों भाई और उनके मामा भंडारी गंगाराम का जालोर पर प्रबल आक्रमण करने, शहर के लोगों का भाग कर किले में शरण लेने, वनराज के मारे जाने और जालौर शहर पर महाराजा का अधिकार होने, कुशलराज का जालोर हाकिम बनाने तथा वि.सं. 1860 में जयपुर

महाराजा प्रतापसिंह की मृत्यु होने, तत्पश्चात् महाराजा भीमसिंह के देहान्त होने का विवरण शोध में किया गया है।

मेरे शोध कार्य में भीमसिंह के काल में लिखी गई भीमसिंह की ख्यात (राठौडो री ख्यात) भीमप्रबन्ध महाकाव्य प्रमुख रूप से सहायक रहे है। महाराजा भीमसिंह के मानसिंह के साथ हुए जालोर संघर्ष के विभिन्न सौपानों का विवरण चेहरा बहियां, दफ्तर बही, ओहदा बही आदि से मिला है जैसा पूर्व में प्रकाशित इतिहास ग्रन्थों में उपयोग नहीं हुआ है। महाराजा भीमसिंह का रनिवास से संबंधित हथ खर्च की बहियॉ, राणी मंगा भाटो री बहिया, आभूषण व मिण्ट की बहियों से महत्वपूर्ण सूचना मिली है जो मेरे शोध के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई।

मेरे शोध कार्य में महाराजा भीमसिंह कालीन रीति–रिवाजो, रहन–सहन पर भी प्रकाश डाला गया है। उस समय के वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार के बारे में जानकारी दी है।

वर्तमान में शोध सामग्री की उपलब्धता कही अधिक खोजी जा चूकी है। इसका अध्ययन कर इतिहास लेखन का कार्य सम्पन्न हुआ है। मध्यकाल में मारवाड़ एक बड़ी रियासत के रूप में उभरा पर इसके प्रशासन प्रणाली पर कोई शोध कार्य नहीं हुआ। क्योंकि मारवाड़ की राजनीति में कई उतार चढ़ाव आये है। लेकिन मारवाड़ में ओहदाबही की सहायता से मारवाड़ के प्रशासन को समझ कर मेरे शोध में अंगित किया गया है। मारवाड़ की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ कमियॉ रह गई थी जिससे मारवाड़ के शासकों को मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया गया है।

महाराजा भीमसिंह के संबंध में अभी तक सारांश के रूप में ही प्रकाश में आया है। परन्तु मेरे शोध में भीमसिंह के सिंहासन रोहण, युद्ध, प्रशासनिक अधिकारी, रीति–रिवाज, रनिवास की विस्तृत जानकारी दी गई है। महाराजा भीमसिंह के बारे में विस्तृत जानकारी मारवाड़ री ख्यात, रनिवास के हथ खर्च की बहियें, भीमसिंह के शासनकाल की सिलेह खाना, कपड़ों के कोठार, जवाहर खाना की बहिये, ओहदा बही आदि बहियो से विस्तृत जानकारी मिलती है।

महाराजा भीमसिंह एवं उनका युग से संबंधित कई सूत्र बिखरे पड़े थे इन्हें समेटने के लिए राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर, राजस्थानी शोध संस्थान, चौपासनी अभिलेखागार, जोधपुर और राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, मानसिंह पुस्तक प्रकाश, जोधपुर आदि से एकत्रित करके अध्ययन किया गया है।

मेरे शोध में महाराजा भीमसिंह का स्थापत्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। स्थापत्य के लिए जोधपुर के मंदिर, तालाब, कुएं, बावड़िया, झील आदि की यात्रा करके उनके चित्रों को एकत्रित किया गया है। सभी कुओं, बावड़ियां, तालाब, मंदिर के चित्र वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किये गये है।

प्रस्तुत अध्याय में मारवाड़ के राठौड़ों का प्रारम्भिक इतिहास से संबंधित है। जिसमें मारवाड़ की भौगोलिक स्थिति के अन्तर्गत मारवाड़ का क्षेत्रफल, मारवाड़ की सीमा, पर्वत, नदियॉ, झीले, जलवायु, वर्षा, जमीन, पैदावार, फल, जंगल, जंगली जानवर, पशु–पक्षी, खाने किले, और जनसंख्या आदि प्रस्तुत किये गया है।

मारवाड़ के मध्यकालीन इतिहास में विभिन्न राजवंशों का अधिपत्य रहा था जिनमें से मौर्य वंश, कुशानं वंश, परमार वंश, सोलंकी वंश, चौहान वंश आदि ने लम्बे समय तक राठौड़ सता से पहले इनका प्रभुत्व था इनका विवरण भी किया गया है।

मारवाड़ में राठौड़ सता का प्रादुर्भाव 18वीं शताब्दी में राव सीहा के समय में हुआ था। वह मारवाड़ में राठौड़ों का मूल पुरूष था। राव सीहा के पश्चात् राव आस्थान, राव धूहड़, राव रायपाल, राव कान्हपाल, राव जालणसी, राव छाड़ा, राव टीडा, राव सलखा, राव वीरम, राव चूंडा, राव कान्हा, राव सत्ता और राव रणमल आदि ने मारवाड़ में अपना वर्चस्व कायम किया था। इन राठौड़ शासकों के राजनीतिक घटनाक्रम को संजोया गया है।

मारवाड़ सता का उत्थान जोधपुर राज्य के सस्थापक राव जोधा के समय से है। इनके पश्चात् राव सातल, राव सूजा, राव गांगा, राव मालदेव, राव चन्द्रसेन, राव उदयसिंह महाराजा सूरसिंह, महाराजा गजसिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा

विजयसिंह और महाराजा भीमसिंह व मानसिंह आदि जोधपुर के शासक हुए। इनका विस्तृत अध्ययन किया गया है।

प्रस्तुत अध्याय में महाराजा भीमसिंह से पहले महाराजा विजयसिंह के अन्तिम वर्षो में राज्य के भीतरी झगड़ों और अव्यवस्थाओं के कारण कोई प्रशासनिक उन्नति नहीं हुई है। मराठो के निरन्तर आक्रमण, सरदारो के विद्रोह के कारण समग्र रूप से जोधपुर में उनका काल विपदापूर्ण रहा था। महाराजा विजयसिंह के अन्तिम समय की विपदा का वर्णन प्रस्तुत किया गया है।

महाराजा विजयसिंह के बाद महाराजा भीमसिंह का राज्याभिषेक (1793 ई.) हुआ। इनका प्रारम्भिक जीवन संघर्षमय रहा, इनको गद्दी पर बैठने के लिए अपने चचेरे भाई मानसिंह से निरन्तर संघर्ष करना पड़ा तथा मराठो के आक्रमणों को झेलना पड़ा। उसके बाद जालोर का घेराव, माण्डोली का युद्ध, साकदडा का युद्ध जालोर का अन्तिम घेराव और मारवाड़ के सामंतो का विद्रोह हुआ, जिसमें अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों की मदद से और अपनी सूझ–बूझ से इस संघर्षकाल में अपना शासन प्रबन्ध व्यवस्थित रखने का भरसक प्रयास किया। इन घटनाओं का विवरण अध्ययन में किया गया है।

महाराजा भीमसिंह के प्रस्तुत अध्याय में प्रशासनिक संगठन एवं व्यवस्था के अन्तर्गत पदाधिकारियों की महाराजा के साथ भूमिका, सैनिक अभियानों में पदाधिकारियों की भूमिका तथा महाराजा भीमसिंह के समय जागीरदारों को प्रदत्त पट्टे और रेख–चाकरी देने और राजस्व कर व्यवस्था व न्याय व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। मारवाड़ का मुगल शासकों से संबंध स्थापित हो जाने पर उनकी मुगल शासन पद्धति से अवगत हुए और धीरे–धीरे यह शासन प्रणाली स्थानीय शासन प्रणाली को प्रभावित करने लगी। ज्यों ज्यों राजाओं का सम्पर्क मुगल दरबार से बढ़ा त्यों–त्यों यह प्रभाव अधिक होने लगा। 17वीं शताब्दी तक राजपूताना की शासन व्यवस्था पर मुगल शासन प्रणाली का प्रभाव काफी बढ़ चुका था। और यही व्यवस्था महाराजा भीमसिंह के शासनकाल में उनके प्रशासनिक संगठन में देखने को मिली।

प्रशासनिक अधिकारियों में प्रधान, दीवान खानसामा, किलेदार, परगनो के हाकम, दफ्तर दरोगा, खजाना दरोगा, मुंशी इत्यादि पदो का उल्लेख किया गया है।

प्रस्तुत अध्याय में महाराजा भीमसिंह कालीन सामाजिक व आर्थिक दशा का विवरण प्रस्तुत किया गया है। महाराजा भीमसिंह और उसके समकालीन अनेक वृतान्तों का अध्ययन करने से उस समय के समाज के स्वरूप को दर्शाया गया है। वस्तुतः 13वीं से 18वीं शताब्दी तक राज्य के तीन अंग प्रमुख रूप से थे जिसमें शासक के द्वारा शासन करने, सेना का कार्य सुरक्षा करने और कृषक दोनो का पोषक कहलाता था। इन तीनों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था।

समाज में धर्म का विशेष स्थान था जिसमें यज्ञ आदि का प्रचलन समाज में था। समाज में व्रत–उत्सव एवं देवी देवताओं की पूजा अर्चना का पक्ष भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। समाज में जन्म, विवाह और मृत्यु के विभिन्न रीति–रिवाज प्रचलित थे। समाज के उच्च वर्गो में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित थे। समाज के उच्च वर्गो में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित थी। इस समय दहेज प्रथा का प्रचलन था, धन के अतिरिक्त दास दासियों को भी दहेज में देने के प्रसंग राणीमंगा भाटों की बहियो व रीति किरायावर की बही से लिया गया है। स्त्रियों के वस्त्र, आभूषण समाज के विभिन्न वर्ग के रूप में स्त्रियों द्वारा धारण किया जाता था उनका विवरण दिया गया है।

जोधपुर में अधिकांश जनता खेती करके ही अपना जीविकोपार्जन करती थी। कृषकों का दैनिक जीवन घर और खेत पर काम करने तक सीमित था। महाराजा भीमसिंह के समय नावा और साम्भर क्षेत्र में नमक उद्योग का विस्तृत विवरण किया गया है। नमक का मूल्य व बिक्री करने का विवरण भी दिया गया है।

प्रस्तुत अध्याय में महाराजा भीमसिंह कालीन स्थापत्य कला और साहित्य के संरक्षक के रूप में विवरण प्रस्तुत किया गया है। स्थापत्य कला मनुष्य के विकास और पतन को यर्थात रूप से प्रकट कर देती है। स्थापत्य कला के नमूनों में मंदिर, किले, महल, शासको के स्मारक, भवन और जलाश्य आदि प्रमुख रूप से है। सर्वप्रथम महाराजा भीमसिंह के द्वारा निर्मित जोधपुर दुर्ग के महल व देवालयों का

वर्णन किया गया है। कमठा बहियो में महाराजा भीमसिंह के द्वारा जोधपुर दुर्ग में कराये गये निर्माण संबंधी कार्यो का लेखा–जोखा और देवालयो की मरम्मत का विवरण सविस्तार दिया गया है।

राजस्थान की वीर प्रसविनी भूमि ने जगत प्रसिद्ध वीरो को ही जन्म नही दिया वरण साहित्य के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध कवियों की धात्री रही है। राजपूतानों के अन्य राज्यों की भांति जोधपुर राज्य में भी साहित्य की परम्परा अत्यंत प्राचीन रही है। महाराजा भीमसिंह के समय भट्ट हरिवंश विरचित भीम प्रबन्ध महाकाव्य, भीमसिंह की ख्यात और भीमसिंह पर रचित डिंगल गीत लिखे गये है। महाराजा भीमसिंह के समय साहित्यकारों को राज्य में विशेष आश्रय प्राप्त था। भीम प्रबन्ध महाकाव्य में भीमसिंह के राजनीतिक घटनाक्रम के अलावा उनके स्थापत्य के प्रति लगाव को बखूबी दर्शाया गया है। महाराजा भीमसिंह की ख्यात में भीमसिंह के राजनीतिक जीवन एवं उनके रनिवास पर प्रकाश डाला गया है।

प्रस्तुत अध्याय में महाराजा भीमसिंह की मृत्यु पर प्रकाश डाला गया है। महाराजा भीमसिंह की मृत्यु के संबंध में जोशी तिलोकचन्द द्वारा लिखित मारवाड़ की ख्यात में मृत्यु से पूर्व और पश्चात् की जानकारी उपलब्ध होती है। इसके अलावा राठौड़ों की ख्यात में मुख्य रूप से इनकी मृत्यु व रनिवास के बारे में प्राप्त जानकारी को लिखा गया है। महाराजा भीमसिंह की महारानियों से संबंधित बहियों में उनके न सिर्फ सन्तति बल्कि रनिवास की विविध कार्यो और पट्टे में मिले गांव, उनकी धर्म के प्रति आस्था उनके द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो का विस्तृत लेखा जोखा शोध में प्रस्तुत किया गया है।

महाराजा भीमसिह की मृत्यु के बाद उनकी रानियों के सती होने तथा रानियों के साथ पड़दायतें, गायणियॉ, व डावड़ियों के सती होने का विवरण शोध में दिया गया है।

महाराजा भीमसिंह का शोध बहुत ही सटीक किया गया है। एक राजा का शोध करने के लिए उस राजा के जन्म से मृत्यु तक की सम्पूर्ण घटनाओं का वर्णन प्रस्तुत शोध में किया है तभी यह शोध पूर्ण हो सका है।

**निष्कर्ष**–

मारवाड़ के महाराजा भीमसिंह के संबंध में अभी तक सारांश के रूप में ही प्रकाश मे आया हुआ था। महाराजा भीमसिंह को विरासत में सीमित शक्ति और क्षेत्र प्राप्त हुआ था। यह एक कुशल प्रबन्धक था, उसने अपने युग की आवश्यकता को समझकर राज्य को संगठित और सुरक्षित करने के लिए भरसक प्रयास किये। महाराजा धुन के पक्के और हठी स्वभाव के थे। उसने इस स्वभाव के चलते ही वह अपने शासनकाल के दौरान मानसिंह से ही उलझते रहे। जहां तक उनके मनसबदारों और ओहदेदारो के राज्य के प्रति कार्यो की निष्ठा की बात करे तो उनकी कुशल प्रशासनिक संगठन का भी बोध हो जाता है, लेकिन मारवाड़ के अधिकांश ठिकानेदार उनसे नाराज ही थे, जालोर, परबतसर के ठिकाणेदार और पोकरण का ठाकुर स्वंय इनसे मनमुटाव रखते थे। उनके समग्र जीवन के व्यक्तित्व व कृतित्व को विभिन्न स्त्रोतों के आधार पर प्रस्तुत कर के निष्कर्ष को भलिभांति प्रकट किया गया है।

महाराजा भीमसिंह की राजनीतिक परिस्थितयाँ दुखद थी। मुगलो व मराठो के पतन के कारण यहां केन्द्र सत्ता का प्रभाव था। राजपूत शासक जागीरदार व ठाकुरों की शक्तियां छिन्न–विछिन्न हो गई। राजगद्दी के उतराधिकारों के झगड़ों से पूरे प्रात में अराजकता फैल गई थी। वंश के अभिमान की मिथ्या भावना, निरकुशता और व्यक्तिगत सुखी भोग की कामना सभी शासकों में प्रबल थी, महाराजा भीमसिंह भी विलासिता के शिकार हो गये थे।

महाराजा भीमसिंह के समय प्रशासनिक व्यवस्था सृदृढ़ थी। महाराजा का कर्तव्य होता था कि वह राज्य में प्रशासन की व्यवस्था को बनाए रखे। इसके लिए महाराजा के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियां उनकी योग्यता के आधार पर विभिन्न विभागों में की गई। इनके काल में प्रशासनिक पदाधिकारियों में ब्राह्मण व पुरोहित जातियों का वर्चस्व था।

रीति—रिवाजों की विशिष्ट उपयोगिता कलाओं के संरक्षण, साहित्य की उन्नति, सामाजिक एकता, राजा प्रजा की नैतिकता, आदर—सम्मान की भावना एवं प्रशासन की पटुता के रूप में की गई है।

महाराजा भीमसिंह के समय साहित्यकारों को राज्य में विशेष प्रश्रय प्राप्त था। भीम प्रबन्ध महाकाव्य में भीमसिंह के राजनीतिक घटनाक्रम के अलावा उनके स्थापत्य के प्रति लगाव को दर्शाया गया है।

इस प्रकार महाराजा भीमसिंह ने दस वर्ष के शासनकाल में क्रुर व उग्र स्वभाव का परिचय दिया, लेकिन कहीं कही अपने ठिकानेदारों व सांमतो को विशेष सम्मान देकर उनका आदर किया है।

10 वर्ष के कार्यकाल में महाराजा भीमसिंह ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक व प्रशासनिक दृष्टि से बेखुबी अपने शासन को चलाया।

**सुझावः—**

- मेरा शोध कार्य मारवाड़ के महाराजा भीमसिंह पर है जो शोधार्थियों के लिए उपयोगी सिद्व होगा क्योंकि अब तक इनका सांराश ही प्राप्त होता है। लेकिन मेरे शोध में विस्तृत विवरण दिया गया है।
- महाराजा भीमसिंह की उपल्बिधयों को ख्यात व बहियों के आधार पर लिखा गया है जो अन्य शोधार्थीयों के लिए उपयोगी है।
- महाराजा भीमसिंह के स्थापत्य को दर्शाया गया है जिसमें से कुछ प्रकाश में थे और कुछ नही थे लेकिन मेरे शोध में इनका सम्पूर्ण स्थापत्य को दर्शाया गया है। जो पर्यटन के लिए उपयोगी सिद्व होगा।
- ऐतिहासिक धरोहर जो विलुप्त हो रही है उनकी देखभाल कर के मूल स्वरूप को बिगाड़ना नही चाहिए।
- ऐतिहासिक धरोहर को पर्यटन की दृष्टि सें पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है।

- पर्यटन को शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में शामिल करना चाहिए ताकि हमारी ऐतिहासिक धरोहर बनी रहे।
- हमारी कई ऐतिहासिक धरोहर जैसे फतहसागर, नाजरजी की बावड़ी आदि को स्वच्छ करवा कर उन्हें लुप्त होने नही दिया जाए।
- ऐतिहासिक धरोहर को शोधार्थियों को देखने की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए क्योंकि कई धरोहर को निजी सम्पति घोषित कर के उन्हे देखने के लिए मना कर दिया जाता है जिससे शोधार्थी सत्य प्रस्तुत नही कर पाता है।
- बहियों की कुछ मूल प्रति जो शोध संस्थाओं में उपलब्ध नही है उनको उपलब्ध करवाया जाये ताकि शोधार्थी अपने शोध को नया रूप दे सके।

**उपयोगिता–**

मेरे शोध 'महाराजा भीमसिंह एवं उनका युग' (1793ई.–1803ई) विषय पर अभी तक सारांश के रूप में ही प्रस्तुत किया लेकिन मेरे द्वारा इनका विस्तृत विवरण दिया गया है। इनका विस्तृत विवरण ख्यातों, बहियों, पट्टे, परवानों में मिलता है। महाराजा भीमसिंह के प्रशासनिक गतिविधियों में शासक की शक्ति और उनके द्वारा अपनाई गई प्रशासनिक प्रणाली के बीच गहरे संबध को दर्शाया गया है। रीति–रिवाजों में कई कुरीतियों पर्दा प्रथा, बहु विवाह प्रथा, सती प्रथा आदि को विस्तृत रूप से लिखा गया जो उपयोगी सिद्व होगा। इस प्रकार किसी भी शासक का शोध सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक के बिना नही किया जा सकता है। मेरे शोध में इन सब को क्रमबंध कर के लिखा गया है जो शोधार्थियों के लिए उपयोगी होगा।

# सन्दर्भ ग्रन्थ सूची


**1. अप्रकाशित ग्रन्थ–**

**(अ) राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर**

1). ओहदा बही 1765–1902, ग्रन्थांक।

2). खरीता बही 1781–1800, ग्रन्थांक 103

i). खरीता बही न. 3, सवंत 1775–1858,

ii). खरीता बही न. 8, संवत 1824–1860

3). महाराजा भीमसिंह पट्टा बही, ग्रन्थांक 9

4). रोजीनदारां री बही 1823–1860, ग्रन्थांक 262

5). सनद परवाना बही 1821–1900, ग्रन्थांक 65

6). हकीकत बही न. 1 से 10 (वि.स. 1820–1880) (1763–1823ई.)

i). हकीकत बही न. 1, सवंत 1820–1830 (1763ई–1773ई)

ii). हकीकत बही न. 2, सवंत 1831–1834 (1774ई–1777ई)

iii). हकीकत बही न. 3, सवंत 1835–1840 (1778ई–1783ई)

iv). हकीकत बही न. 5, सवंत 1846–1850 (1789ई–1793ई)

v). हकीकत बही न. 6, सवंत 1851–1852 (1794ई–1795ई)

vi). हकीकत बही न. 7, सवंत 1853–1855 (1796ई–1798ई)

vii). हकीकत बही न. 8, सवंत 1856–1860 (1799ई–1803ई)

**(ब) राजस्थान जिला अभिलेखागार, जोधपुर**

1). जिला तालके चेहरा बही, वि.स. 1848, ग्रन्थांक 207

2). खांपवार खाता भोम डोली वि.स. 1939, ग्रन्थांक 2454

3). खांपवार खाता भोम डोली वि.स. 1842–1850, ग्रन्थांक 2445

4). जालोर री कचेडी तालके चेहरा बही वि.स. 1866, ग्रन्थांक 216

5). परगने जालोर री फौज तालके चेहरा बही हाकम रे दफ्तर री वि.स. 1853, ग्रन्थांक 339

6). सरकार जालोर री फोज तालके रोजीनदारो री बही वि.स. 1855, ग्रन्थांक 213

7). सरकार जालोर री जमा खर्च री बही, कारकून रे दफ्तर बही वि.स. 1836, ग्रन्थांक 17

8). श्री देवस्थान तालके री बही, वि.स. 1825, ग्रन्थांक 140

9). पट्टा बही, संवत 1851–1858, ग्रन्थांक 1

10). जोधपुर हकुमत री जमा बंदी, सवंत 1850, ग्रन्थांक 940

i). जोधपुर हकुमत री जमा बंदी, सवंत 1852, ग्रन्थांक 941

11). खाता री नकल व खाता री बही – सवंत 1850, ग्रन्थांक 2175

12). बरात बही सवंत 1850, ग्रन्थांक 2176

13). बराता री नकला री बही श्री हजुर रे दफ्तर री बही, संवत 1851, ग्रन्थांक 2178

14). घरा खाता री बही, संवत 1855, ग्रन्थांक 2601

15). खर्च खाते री बही, संवत 1850

16). सावा बही संवत 1852

17). हाजरी री बही गुलाल रा कारखाना संवत 1850

**(स). राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिशठान, जोधपुर**

1). पंचोली शिवकरण लाल चन्द री बही, ग्रन्थांक 6

2). मुंहता नैणसी री ख्यात मूल, ग्रन्थांक 15637

3). राठौड़ा री ख्यात, ग्रन्थांक 15635

4). राठौड़ा री वंशावली, ग्रन्थांक 2713

5). राठौड़ा री विगत, ग्रन्थांक 26632

6). राठौड़ा री तवारीख, ग्रन्थांक 15647

**(द). महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केन्द्र, जोधपुर**

1). कपड़ा रा कोठार तालके रो रोजनावो, ग्रन्थांक 105

2). कपड़ा रा कोठार तालके रो खातो, ग्रन्थांक 104

3). कपड़ा रा कोठार सलेखाना री बही, ग्रन्थांक 198

4). खास पेटी तालके खासो जुवार तथा सोना रकमा री बही, ग्रन्थांक 393

5). जवाहरखाना एण्ड मिंट बही, ग्रन्थांक 3

6). जवाहरखाना एण्ड मिंट बही, ग्रन्थांक 53

7). जवाहरखाना एण्ड मिंट बही, ग्रन्थांक 2

8). जवाहरखाना एण्ड मिंट, सोना तथा रूपा री बही ग्रन्थांक 87

9). दरबार तालके रोजनावो, ग्रन्थांक 102

10). वागा रो कोठार री बही, ग्रन्थांक 168

11). सिलेहखाना तालके जमा खरच री बही, मोचीपोरी वगेरे, ग्रन्थांक 61

12). सावा बही, ग्रन्थांक 179

13). सोना रकमा रे जमा खरच री हथ बही, ग्रन्थांक 101

14). अरजी बही न. 4

15). विवाह री बही न. 9, संवत 1857–1881 (1800ई.–1824ई.)

16). हथ बही न. 3, संवत 1848–1865 (1791ई.–1808ई.)

17). सनद परवाना बही न. 45, संवत 1850 (1793 ई)

सनद परवाना बही न. 46, संवत 1851 (1794 ई)

सनद परवाना बही न. 47, संवत 1852 (1795 ई)

सनद परवाना बही न. 48, संवत 1853 (1796 ई)

सनद परवाना बही न. 49, संवत 1854 (1797 ई)

सनद परवाना बही न. 50, संवत 1854 (1797 ई)

सनद परवाना बही न. 57, संवत 1860 (1803 ई)

18). महाराजा श्री भीवसिंह जी व गुमानसिंह साहब के चवाणजी सा तालके जमा खरच री बही पत्र संख्या 73, वि.स. 1881

(विशेष विवरण – देवस्थान रसोवडा व कपड़ो के कोठार से संबधित खर्च किया गया है।)

19). जनानी ड्योढ़ी में महाराजाधिराज श्री विजैसिंह जी कि सलामती से लेकर महाराजा श्री तख्तसिह जी। पत्र संख्या–77, वि.स 1810

(विशेष विवरण– जनानी ड्योढ़ी से संबधित विभिन्न रस्मों का उल्लेख।)

20). महाराजाधिराज श्री भींवसिंह राजलोक चवाणजी पत्र संख्या–175, वि. स. 1880

(विशेष विवरणः– गाँव की आय व खर्च दिया गया है)

21). महाराजा श्री विजेसिंह से महाराजा श्री तख्तसिंह जी, पत्र संख्या 156, सवंत 1796 से 1929 तक

(विशेष विवरण – विवाह का वर्णन।)

22). शादी–विवाह महाराजा श्री विजेसिंह से महाराजा तख्तसिंह तक। पत्र संख्या 44, वि.स. 1811–1917

**(य) नॉन आकाईव रिकार्ड, मेहरानगढ़ *(जोधपुर रिकार्ड)***

1). बस्ता न. 21 ए, फाईल न. – 08

2). बस्ता न. 20 ए, फाइल न. – 22

3). बस्ता न. 60 ए, फाइल न. – 26

4). बस्ता न. 86 ए, फाइल न. – 30

5). बस्ता न. 97 ए, फाइल न. – 17

**(र) श्री नटनागर शोध संस्थान, सीतामऊ (म.प्र)**

1). उदयभाण चांपावत री ख्यात, ग्रन्थांक 75

2). उदयभाण चांपावत री ख्यात, ग्रन्थांक 76

3). उदयभाण चांपावत री ख्यात, ग्रन्थांक 100

4). राठौड़ा री ख्यात, ग्रन्थांक 142

**(व) राजस्थानी शोध संस्थान, चौपासनी, जोधपुर**

1). ख्यात बात संग्रह, ग्रन्थांक 1234

2). जगीरदारां री ख्यात, ग्रन्थांक 13507

3). मारवाड़ रा महाराजावां जागरीदारां रौ हाल ग्रन्थांक 819 सी

4). मारवाड़ रा राठौड़ राजावां री ख्यात, ग्रन्थांक 12269

**2. प्रकाशित संपादित ग्रन्थ राजस्थानी–**

**(अ) ज्ञात लेखक**

1). करणीदान, सूरज प्रकाश भाग–1, 2 व 3 (सं. सीताराम लाळ्स), राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 1961, 1962, 1963

2). करणीदान, राजरूपक (सं. रामकरण आसोपा), नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 1941

3). जोशी, तिलोकचन्द, मारवाड़ री ख्यात (सं. डॉ. हुकमसिंह भाटी), राजस्थानी शोध संस्थान, चौपासनी, जोधपुर 2000

4). दयालदास, दयालदास री ख्यात (सं. दशरथ शर्मा), अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर, 1948

5). बांकीदास, बांकीदास री ख्यात (सं. नरोतमदास) राजस्थानी प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 1956

6). मुहणोत नैणसी, नैणसी री ख्यात भाग 1,2,3,4 (सं. बद्रीप्रसाद सांकरिया), राजस्थानी प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 1960, 1962, 1964, 1967

7). मुहणोत नैणसी, मारवाड़ रा परगना री विगत भाग 1,2,3 (सं. नारायणसिंह भाटी) राजस्थानी प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 1968, 1969, 1974

8). उहड़ राठौड़ो की ख्यात (सं. हुकमसिंह भाटी), इतिहास अनुसंधान संस्थान, चौपासनी जोधपुर 2004

9). खेजलड़ा ठिकाणे के पट्टे परवाने, (सं. विक्रमसिंह भाटी) इतिहास अनुसंधान संस्थान, चौपासनी, जोधपुर 2005

10). जोधपुर राज्य की ख्यात (सं. रघुवीरसिंह), भारतीय इतिहास अनु. परिषद, दिल्ली 1988।

11). ठिकाणा पाल री ख्यात, (सं. विक्रमसिंह भाटी) ठिकाना पाल, जोधपुर 2006

12). मारवाड़ रा ठिकाणा री विगत (सं. हुकमसिंह भाटी) राजस्थानी शोध संस्थान, से प्राप्त 1988

13). मारवाड़ रा परगना री फरसत (सं. भाटी हुकमसिंह), राजस्थानी शोध संस्थान, चौपासनी, जोधपुर 2005

14). मुंदियाड री ख्यात (सं. विक्रमसिंह भाटी), इतिहास अनुसंधान संस्थान, चौपासनी, जोधपुर 2005

15). मुरारीदान री ख्यात (सं. विक्रमसिंह भाटी), महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश, जोधपुर 2014

16). राठौड़ो री ख्यात (सं. हुकमसिंह भाटी), इतिहास अनुसंधान संस्थान, चौपासनी, जोधपुर 2007

17). राणीमंगा भाटो की बही (सं. महेन्द्रसिंह नगर), महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश, जोधपुर 2002

18). अजीत विलास (सं. शिवदतदान बारहठ) राजस्थानी प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 1984

19). जोधपुर राज्य की ख्यात (सं. रघुवीरसिंह मनोहरसिंह राणावत) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्, 1998

20). जोधपुर राज्य री दस्तुर बही, (सं. विक्रमसिंह राठौड़) राजस्थानी शोध संस्थान, चौपासनी, 1994

21). मारवाड़ री ख्यात (सं. हुकमसिंह भाटी) राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी तथा महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश, जोधपुर 2000

22). सनद परवाना बही न. 1 (सं. डॉ. विक्रमसिंह भाटी), राजस्थानी शोध संस्थान, चौपसनी, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट, जोधपुर 2016

23). सूरजकंवर रै ब्याव री बही (सं. महेन्द्रसिंह नगर) रॉयल पब्लिकेशन, जोधपुर 2013

24). विजयसिंह जी री ख्यात (सं. ब्रजेश कुमार सिंह) राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 1997

**3. प्रकाशित शोधपूर्ण ग्रन्थः—**

**(अ) हिन्दी ग्रन्थ**

1). आसोपा, रामकरण, मारवाड़ का मूल इतिहास, राम श्याम प्रेस, जोधपुर (1895)

2). एंग्रिस, प्रेम, महाराजा अभयसिंह, उषा पब्लिशिंग हाऊस, जोधपुर—जयपुर (1987)

3). ओझा, गौरी शंकर हीराचन्द, जोधपुर राज्य का इतिहास (प्रथम—द्वितीय खण्ड) वैदिक यंत्रालय अजमेर (1938, 1941)

4). ओझा, गौरी शंकर हीराचन्द, राजपूताने का इतिहास, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर (1999)

5). गहलोत, सुखवीरसिंह, जोधपुर का सांस्कृतिक वैभव, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केन्द्र, जोधपुर (1991)

6). गहलोत, जगदीशसिंह, मारवाड़ राज्य का भूगोल, हिन्दी साहित्य मंदिर (1925)

7). देवड़ा, जी.एस.एल, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था (1574–1818ई.) धरती प्रकाशन गंगाशहर, बीकानेर (1981)

8). बारहठ, शिवदत्त दान, जोधपुर राज्य का इतिहास, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ एकादमी, जयपुर (1991)

9). भाटी हुकमसिंह, ओहदेदारों का इतिहास में योगदान, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केन्द्र, जोधपुर

10). भार्गव, वी.एस. मारवाड़ का मुगलों से संबध, सागर पब्लिकेशन 72, जनपथ, नई दिल्ली (1973)

11). मित्र, मीरा, महाराजा अजीतसिंह एवं उनका युग, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर (1973)

12). मुंशी हरदयालसिंह, तवारीख–ए–जागीरदार राज मारवाड (1893)

13). रेंउ, विश्वेश्वरनाथ, मारवाड़ का इतिहास (प्रथम, द्वितीय), आर्कियालोजीकल डिपार्टमेंटल, जोधपुर (1938)

14). व्यास, मांगीलाल–मंयक, जोधपुर राज्य का इतिहास, अनु प्रकाशन, शिवाजी मार्ग मेरठ, उ.प्र (1981)

15). शर्मा पद्मजा, जोधपुर के महाराजा मानसिंह और उनका काल (1803 से 1843 ई.) राजस्थानी हिन्दी अकादमी, जयपुर (1974)

16). श्यामलदास, वीर विनोद, भाग 1, 2, 3, 4 मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली (1986)

17). अरोड़ा, डॉ. शशि, राजस्थान में नारी की स्थिति (1600–1800) तरूण प्रकाशन, बीकानेर (1981)

18). भाटी. डॉ. विक्रमसिंह मारवाड़ इतिहास एवं संस्कृति के सोपान, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश, जोधपुर 2013

19). भाटी डॉ. विक्रमसिंह, राजस्थान की कुलदेवियाँ, इतिहास अनुसंधान संस्थान जोधपुर, 2010

20). हरदयालसिंह

i). मजमुए हालात राज मारवाड़ 1883–84ई.

ii). रिपोर्ट ऑफ मर्दुमशुमारी राज मारवाड़

21). नगर, डॉ. महेन्द्रसिंह, मारवाड़ के राजवंश की सांस्कृतिक परम्पराएँ, 2 भाग, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश, जोधपुर, 2000

22). परिहार, जी.आर. मराठा–मारवाड़ संबंध, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 1977

23). राठौड़ डॉ. विक्रमसिंह, मध्यकालीन मारवाड़ का सांस्कृतिक अध्ययन, बुक ट्रेजर, जोधपुर 1995

24). शर्मा, वसुमति, राठौड़ राजवंश के रीति–रिवाज, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश जोधपुर, 2000

25). ठाकुर केशवकुमार, अनुवादित टॉड कृत एनाल्स एण्ड एन्टीक्विटीज ऑफ राजस्थान त्रिपाटी, राधिकाप्रसाद रामस्नेही सम्प्रदाय।

26). व्यास, मांगीलाल, जोधपुर राज्य का इतिहास, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 1975

27). तंवर महेन्द्रसिंह, जोधपुर किला री कमठा बही, मानसिंह पुस्तक प्रकाश, जोधपुर

## (ब) शोध पत्रिकाएं

1). परम्परा–राजस्थानी शोध संस्थान, जोधपुर

2). प्रतिष्ठान पत्रिका– राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर

3). प्रोसीडिंग्स ऑफ राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस

4). मज्झमिका प्रताप शोध प्रतिष्ठान, उदयपुर

5). रसीलेराज महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश, जोधपुर

i) मारवाड़ राजघराने की पुरालेखीय सामग्री, वर्ष–5 अंक 6 डॉ. महेन्द्रसिंह नगर

ii). मारवाड़ राजघराने में शोक संबंधी परम्पराए डॉ. महेन्द्रसिंह नगर, 2013

iii). मदिरो की कमठा बही।

**(स) अंग्रेजी ग्रन्थ**

1). इलियट एच.एम. डांवसन जे– हिस्ट्री ऑव इण्डिया एज टॉड बाय इट्स ऑन हिस्टोरियन–8, वोल्यूम्स, रीप्रिन्ट दिल्ली, 1996

2). उपाध्याय, निर्मला एम, दि एडमिनिस्ट्रेशन ऑव जोधपुर स्टेट (1800–1947 ई.), इन्टरनेशनल पब्लिकेशन, जोधपुर 1978

3). टॉड, कर्नल जेम्स, एनल्स एण्ड एंटिकुइटीज ऑव राजस्थान तीन भाग, मोतीलाल बनारसीलाल, दिल्ली 1987

4). भार्गव, वी.एस., मारवाड़ एण्ड दी मुगल एम्परर्स, मुन्शीराम मनोहरलाल, दिल्ली, 1960

5). परिहार, जी.आर, मारवाड़ एण्ड मराठा (1724–1843ई.), अजमेर 1

6). रेऊ, विश्वेश्वरनाथ, ग्लोरिज ऑव मारवाड़ एण्ड ग्लोरियस राठौड़, जोधपुर आर्कियालोजिकल डिपार्टमेन्ट, 1973

7). व्यास, आर.पी. रोल ऑव नोबिलिटी इन मारवाड़ (1800–1873ई.) जैन ब्रदर्स, नई दिल्ली, 1969

8). शर्मा जी.सी., एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑव राजपूत, दिल्ली, 1979

9). शर्मा, दशरथ, लेक्चरस ऑन राजपूत हिस्ट्री, दिल्ली 1970

10). हबीब, इरफान, दि एग्रेरियन सिस्टम ऑव मुगल इण्डिया (1556–1707ई.), बम्बई, 1963

# महाराजा भीमसिंह एवं उनका युग
# (1793 ई. – 1803 ई.)

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर इतिहास विभाग में

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएच.डी. ( इतिहास )

उपाधि हेतु प्रस्तुत

## शोध–प्रबन्ध


शोध–निर्देशिका सुशीला

**प्रो. (डॉ.) सुशीला शक्तावत**

विभागाध्यक्ष

इतिहास विभाग

शोधार्थी

**ममता रानी**

इतिहास विभाग

कला, शिक्षा एवं समाज विज्ञान संकाय

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर


2022

**प्रो. (डॉ.) सुशीला शक्तावत**
**विभागाध्यक्ष**
**इतिहास विभाग**
**जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर**

# प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **ममता रानी** ने पंजीयन तिथि (29.09.2014) से मेरे निर्देशन में **''महाराजा भीमसिंह एवं उनका युग (1793 ई. – 1803 ई.)''** विषय पर शोध–कार्य किया है। अनुसन्धित्सु का यह शोध–प्रयास निजी और मौलिक है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है भारत या भारत के बाहर किसी भी विश्वविद्यालय में इससे पहले किसी भी उपाधि के लिए यह शोध–प्रबन्ध प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह शोध–प्रबन्ध विश्वविद्यालय की पीएच.डी. की उपाधि हेतु प्रस्तुत करने योग्य है। अस्तु मैं, इस शोध–प्रबन्ध को परीक्षार्थ प्रस्तुत करने की अनुमति देती हूँ।

सुशीला

**प्रो. (डॉ.) सुशीला शक्तावत**
शोध–निर्देशिका
**विभागाध्यक्ष**
इतिहास विभाग
जय नारायण व्यास
विश्वविद्यालय, जोधपुर

**दिनांक** : 24.03.2022
**स्थान** : जोधपुर

# शोध–सारांश

# महाराजा भीमसिंह एवं उनका युग (1793 ई. – 1803 ई.)

इस शोध प्रबन्ध में महाराजा भीमसिंह एवं उनका युग (1793 ई. – 1803 ई.) पर शोध कार्य किया गया है। प्रस्तुत शोध को लिखने का उद्देश्य यह था कि मारवाड़ के प्रत्येक महापुरूषों पर कार्य किया गया है लेकिन महाराजा भीमसिंह का सारांश ही मिलता है। महाराजा भीमसिंह के दस वर्ष के कार्य को विस्तृत रूप देकर उनके प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक गतिविधियों पर सम्पूर्ण शोध किया गया है ताकि महाराजा भीमसिंह के काल को जाना जा सके और मारवाड़ के एक महान महाराजा का जीवन परिचय सबके समक्ष उजागर हो सके।

प्रस्तुत शोध प्रबंध को षष्ठम् अध्यायों में विभक्त किया गया है और अंत में उपसंहार दिया गया है।

**(1) अध्याय प्रथम : मारवाड़ के राठौड़ों का प्रारम्भिक इतिहास**– भारत के पश्चिमी प्रदेश में स्थित मरू प्रदेश में स्थित मरू प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान प्रचीन साहित्य से होता है। मारवाड़ में संस्कृत, शिलालेखों, मारव, मरूप्रदेश और मरूकान्तर कहकर पुकारा गया है। मरू का अर्थ मरना और रेगिस्तान है। मारवाड़ राज्य राजपूताने के दक्षिण–पश्चिम में $24^{0}37'$ और $27^{0}42'$ उत्तर अक्षांश तथा $70^{0}5'$ और $75^{0}22'$ पूर्वी देशान्तर के बीच फैला हुआ है। इसकी लम्बाई 320 मील और चौड़ाई 170 मील तक मारवाड़ का विस्तार है तथा इसका क्षेत्रफल 35016 वर्गमील है।

मारवाड़ में वर्षा की कमी के कारण मारवाड़ में सम्पूर्ण वर्ष बहने वाली कोई नदी नहीं है। यहां पर बरसाती नदी लूणी है। मारवाड़ में झीले दो प्रकार की है प्रथम नमकीन युक्त डीडवाना, पचपदरा व सांभर की झीले। तथा कृत्रिम मीठे पानी की झील–जसवंतपूरा सागर, बालसमंद और कायलाना, सरदार समंद आदि। मारवाड़ में मौसम प्रायः शुष्क रहता है। यहां रात व दिन के तापमान में काफी अंतर रहता है

यहां का निम्नतम तापमान 80.9$^0$ फॉरेनाइट और अधिकतम तापमान 120.9$^0$ फॉरेनाइट तक रहता है। मारवाड़ में दो प्रकार की भूमि होती है एक खरीफ (सियालू) व रबी (उन्हालू) दोनों फसले होती है। मारवाड़ की जमीन 6 प्रकार की है क्रमशः मटियाली, भूरी रेतीली, मगरा, डेटरी औरा धोरा है।

मारवाड़ में वन क्षेत्र कम है मारवाड़ में मुख्य रूप से सभी जातियां निवास करती है जैसे मुगल, पठान, रंगरेज, लखारे, लोहार, ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, कुम्हार, घांची, मोची आदि जातियां सम्मिलित है। मारवाड़ की लोकप्रिय बोली मारवाड़ी है। मारवाड़ में होली, दीपावली एवं दशहरा, रामनवमी, बसंत–पंचमी, गणगौर तथा मकर सक्रांति आदि प्रमुख त्यौहार श्रद्धा से मनाए जाते है।

मारवाड़ के मध्यकालीन इतिहास में विभिन्न राजवंशों का अधिपत्य रहा। मारवाड़ में चौथी से छठी शताब्दी जिसमें मौर्य वंश, कुषाण वंश, शक एवं नाग वंश, गुप्त वंश, चावंड़ा वंश तथा गुर्जर एवं क्षत्रप वंश, गुहिल वंश और दहिया वंश सम्मिलित है।

मारवाड़ राज्य का इतिहास राठौड़ शासकों की शोर्यता से आलोकित है। यहां पर कई शासकों ने समय–समय पर शासन किया। मारवाड़ में राठौड़ों को स्थापित करने का श्रेय राठौड़ों के मूल पुरूष राव सीहा को जाता है। राव सीहा के पुत्र राव आस्थान, राव धूहड़, राव रायपाल, राव कनकपाल, राव जालणसी, राव छाड़ा, राव सलखा ने समय–समय पर मारवाड़ पर शासन किया गया। फिर राव चूंडाजी, राव जोधा (जिन्हे जोधपुर के वास्तविक संस्थापक व सबसे प्रभावशाली राजा थे) राव सातल, राव गांगा, राव मालदेव, राव चन्द्रसेन, रायसिंह, उदयसिंह, शूरसिंह, राजसिंह, महाराजा जसवंतसिंह, महाराजा अजीतसिंह, अभयसिंह, रामसिंह, बख्तसिंह, विजयसिंह व महाराजा भीमसिंह आदि ने समय–समय पर मारवाड़ में शासन किया। यहां के शासको ने अपने राठौड़ एवं गैर राठौड़ सामन्तों और पदाधिकारियों की सहायता से अपने वंश परम्परागत शक्ति को निरन्तर गतिमान रखा यद्यपि आलोच्य काल में मारवाड़ के शासन में कई उतार–चढ़ाव आए परन्तु यहां के शासकों ने न केवल अपने वंश एवं संस्कृति को सुरक्षित रखा बल्कि यहां की प्रजा को भी समुचित सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया।

(2) **अध्याय द्वितीय : महाराजा भीमसिंह का शासन काल**– महाराजा भीमसिंह के पहले महाराजा विजयसिंह का शासन काल था। महाराजा विजयसिंह के समय मारवाड़ की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। मारवाड़ में उत्तराधिकारी संघर्ष ने जन्म ले लिया था। पासवान गुलाब राय अपने दतक पुत्र शैरसिंह (महाराजा विजयसिंह का पांचवा पुत्र था) को युवराज बनाना चाहती थी। महाराजा भीमसिंह (भोमसिंह का बेटा) मारवाड़ की परम्परा के अनुसार असली हकदार था, जालिमसिंह को विजयसिंह असली हकदार समझता था और गुमानसिंह का पुत्र मानसिंह भी उत्तराधिकारी के लिए योग्य था।

मारवाड़ के सारे सरदार चाहते थे कि कुंवर भीमसिंह ही युवराज बने। बहुत कठिन परिस्थितियों के बाद कुंवर भीमसिंह ही मारवाड़ की राजगद्दी पर बैठे।

महाराजा भीमसिंह विजयसिंह के पौत्र व भोमसिंह के पुत्र थे। इनका जन्म वि. सं. 1822 आषाढ़ सूदि 12 को हुआ। महाराजा भीमसिंह का प्रारम्भिक जीवन काष्ठदायक ही रहा। उत्तराधिकारी संघर्ष और मराठों का वर्चस्व के कारण काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। मानसिंह हमेशा ही मारवाड़ की राजगद्दी पर बैठना चाहते थे पर भीमसिंह के रहते यह नही हो सका था। मानसिंह जालोर की ओर चले गये थे और वहीं रहकर महाराजा भीमसिंह को जोधपुर की गद्दी से हटाने की योजना बनाने लगे। महाराजा भीमसिंह व मानसिंह के मध्य जालोर का प्रथम घेराव 1798 ई. (1855 वि.स.) में हुआ जिसमें महाराजा भीमसिंह को सम्पूर्ण जालोर पर अधिकार नहीं मिल सका। यह अभियान पूरा सफल नहीं हो सका। फिर मांडोली का युद्ध, साकदड़ा का युद्ध व अन्तिम जालोर का युद्ध आदि संघर्ष महाराजा भीमसिंह व मानसिंह के बीच हुए लेकिन महाराजा भीमसिंह को जालोर दुर्ग पर अधिकार करने का मौका नहीं मिला था। इस प्रकार अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में महाराजा भीमसिंह ने सिर्फ मानसिंह से ही संघर्ष करते रहे थे उन्होंने अपने कई सामंतों को भी अपने विरोध में कर लिया था। कई सांमत जैसे रोहट के ठाकुर कल्याणसिंह चांपावत, पोकरण का जालमसिंह, आऊवा का माधोसिंह, आसोपा का केसरीसिंह, चंडावत का विसन सिंह, रास का जवान सिंह आदि सांमत महाराजा भीमसिंह से नाराज हो गये थे। इस प्रकार महाराजा भीमसिंह के 10 वर्ष का कार्यकाल मानसिंह से युद्ध करने में ही निकल गया

और अंत में जब भीमसिंह को जालोर घेरे में सफलता मिलने के आसार हुए तो महाराजा भीमसिंह परलोक सिधार गयें और उनके सामंत व सेनापति मानसिंह को महाराजा मानकर सब उनकी तरफ हो गये।

**(3) अध्याय तृतीय : महाराजा भीमसिंह का प्रशासनिक संगठन एवं प्रशासनिक व्यवस्थाः**— प्राचीन काल से ही न्याय प्रक्रिया प्रशासनिक तंत्र का अभिन्न अंग है। राजा कितना भी शक्तिशाली हो परन्तु उसकी प्रशासनिक व्यवस्था पर उसकी शक्ति निर्भर रहती है। राजा अपने न्याय पद्धति से ही महान बनता है। मारवाड़ की ओहदा बही में प्रशासनिक अधिकारियों का क्रमबंध अध्ययन किया जा सकता है। मारवाड़ में छत्तीस कार्यालय थे। प्रत्येक ओहदेदारों के लिए अपने कार्यालय संबंधी समस्त कार्यो का तत्परता एवं निष्ठा के साथ दायित्व का निर्वाह किया गया है। मारवाड़ की प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप अठारवीं सदी के उतरार्द्ध तक सुस्पष्ट हो चुका था। समकालीन ख्यातों, वातो, अभिलेखों, सिक्को, परवाने और बहियों आदि स्त्रोतों के अध्ययन से यहां की शासन प्रणाली का पर्याप्त ज्ञान होता है। इन्हीं बहियों से महाराजा भीमसिंह के समय के अनेक ओहदेदारों की जानकारी मिलती है।

प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ओहदेदार शब्द प्रयुक्त हुआ है। महाराजा भीमसिंह के समय प्रमुख ओहदेदारों के पद जैसे— मुसायब, दीवान, बख्शी, परधानगी, गढ़ जोधपुर किलेदार, गढ़ जोधपुर किले मुसरफ, श्री हजुर री दफ्तर री दरौगाई, व्यास पदवी, मरदानी दोढी दरोगा, पुरोहित, जनाना ड्योढी उवाकानवेस, अन्नरै कौठार खानसमां दरोगा, प्याद बख्शी, चौकीनवेस, तबेले घोड़ा रै मुसरफ, साढिया रो कारखानो, सुतर खानो दरोगा, तोपखाने मुसरफ, खेमारे कारखाने दरोगा, कमठेकली रो कोठार पोतदार, फरासखानों दरोगा, जोधपुर टकसाल दरोगा, हलकारा री दरोगाई, गढ़ जोधपुर कचेड़ी हाकम आदि प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारियों का वर्णन किया गया है।

महाराजा भीमसिंह के अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ अहम भूमिका थी। सभी पदाधिकारियों ने समय—समय पर महाराजा भीमसिंह की सहायता की थी। सैनिक अभियानों में भी कई मुसायब, बख्शी, प्रधान आदि कई पदाधिकारियो ने समय—समय पर अपनी अहम भूमिका निभाई है। महाराजा भीमसिंह ने अखेराज को बख्शी बनाया था जिसने महाराजा भीमसिंह के गद्दी पर बैठने से अंत तक साथ दिया

था। महाराजा भीमसिंह के समय सिंघवी इन्द्रराज, वनराज व गुलराज तीनों सिंघवी भाईयो ने इनका बहुत साथ दिया था। महाराजा भीमसिंह ने खुश होकर इन्द्रराज को खास रूक्का लिखकर धन्यवाद दिया और कहा कि भीवराज सिंघवी के परिवार के लोग सारे वीर और स्वामिभक्त होने के साथ एक से बढ़कर एक है। इस प्रकार महाराजा भीमसिंह का अपने पदाधिकारियों के साथ अच्छे संबंध थे।

महाराजा भीमसिंह के समय पट्टे व रेख का वितरण किया गया था। पट्टे वाले गांवों को दो भागों में बांटा है। पहला यदि पट्टा वंशानुगत होता है तो वह ठिकाना होता था उसे 'वतन जागीर' कहा जाता था। दूसरे अस्थायी पट्टे थे जो चाकरी से संबंधित थे जिन्हे 'तनख्वाह जागीर' कहते थे।

महाराजा भीमसिंह के समय भाटी जसंवतसिंह को खेजड़ला का पट्टा वि.सं. 1850 को दिया गया था। जिसका उल्लेख हमें पट्टा बही में मिलता है। मारवाड़ पर निरन्तर मराठा आक्रमण के कारण जब मारवाड़ की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई तो महाराजा भीमसिंह ने कई ठिकानेदारों के पट्टे जब्त कर उनसे आर्थिक दण्ड के रूप में 'पेशकशी' वसूल की गई थी। रेख गांव की जमांबधी को कहते है। रेख को दो भागो में बांटा गया है प्रथम पट्टा रेख व दूसरा भरतु रेख।

महाराजा भीमसिंह कभी–कभी सांमतों को दण्डित करने के लिए महाराजा द्वारा उनके अधीन कार्य करने वाले रंगरेज, धोबी, नाई, मोदी आदि जाति के लोगो को सांमतो का काम करने पर रोक लगा दी जाती थी। बलात्कार के अपराध की तरह आम प्रजा के बीच हत्या के अपराध मे भी सामन्तयः 100 से 500 रूपये तक के आर्थिक दण्ड दिये जाते थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रशासन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए न्याय व्यवस्था को कठोर होना अति आवश्यक है। यही कोठरता महाराजा भीमसिंह में देखने को मिलती है।

**(4) अध्याय चतुर्थ : महाराजा भीमसिंह के समय सामाजिक व आर्थिक दशाः**– मरू प्रदेशीय समाज का मूल आधार वैदिक वर्ण व्यवस्था ही थी। धीरे–धीरे काफी शैथिल्य उत्पन्न हो गया। महाराजा भीमसिंह के समय मारवाड़ में समाज जातियों व उपजातियों के जाल के रूप में मुखरित था। सामाजिक स्तर और आपसी

संबंधों का आधार जाति व्यवस्था ही था। इन जातियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। स्वर्ण जातियां व निम्न जातिया। स्वर्ण जातियों में ब्राह्मण, राजपूत आदि को रखा गया था। महाजन, खेतिहर जातियां, लिखने वाली जातिया, वकील, इतलानवीस, ड्योढीदार, पोतदार मुशरफ आदि कई अन्य जातियां अपने काम के अनुसार बांटी गई थी।

महाराजा भीमसिंह के समय समाज में स्त्रियों की दशा उच्च वर्ग में तो अच्छी थी लेकिन निम्न वर्ग में अच्छी नहीं थी। स्त्रियों में कई कुप्रथाओं ने जन्म ले रखा था जैसे सती प्रथा, पर्दाप्रथा, बहु–विवाह, वैधत्य, पातुर व भक्तगण आदि कुप्रथाओं ने स्त्रियों को जकड़े हुए था। उच्च वर्ग में बहु विवाह प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन काफी ज्यादा था। महाराजा भीमसिंह के 11 रानियां थी, इससे उनके समय की बहु विवाह प्रथा जैसी कुरीतियों का पता चलता है। महाराजा भीमसिंह की मृत्यु के बाद उनकी 8 रानियों के सती होने का उल्लेख राणी मंगा भाटो री बही से मिलता है। सती प्रथा स्त्रियों के लिए एक कड़वी सच्चाई के साथ ही कुप्रथा भी थी जो उच्च वर्ग में पाई जाती थी।

महाराजा भीमसिंह के समय के रीति रिवाजों में जन्म से पूर्व सम्पन्न किये जाने वाले संस्कारों का उल्लेख हुआ है। जिसमें प्रमुख पंचमासी, आगरणी प्रमुख है। जन्मोत्सव के पश्चात् होने वाले संस्कार झडूला, छठी का दस्तुर, ढुंढ़ आदि का उल्लेख है। विवाह संस्कार अति आवश्यक संस्कार है। राठौड राजवंश में 'डोला विवाह' व खाण्डा विवाह का प्रचलन था किन्तु जन साधारण में ऐसे विवाह का प्रचलन होने का उल्लेख नहीं मिलता है।

महाराजा भीमसिंह के सामाजिक व आर्थिक दशा से समाज के स्वरूप को दर्शाया गया है। महाराजा भीमसिंह कालीन स़्त्रियों के वस्त्र, आभूषण विभिन्न वर्ग के रूप में स्त्रियों के द्वारा वस्त्र व आभूषण धारण किये जाते थे। जोधपुर राजपरिवार की घरेलू व्यवस्था को बनाये रखने एवं पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक, राजकीय रीति–रिवाजों को सम्पन्न करने के लिए कोठार व कारखानों की प्रमुख भूमिका रही है। कपड़े की नाप हेतु गज का प्रयोग होता था। वस्त्र की लम्बाई हाथ से ली जाती

थी। कपड़ो का कोठार, बागा का कोठार, जवाहखाना आदि विभागों को नियुक्त किया जाता था।

राजवंश में शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजनों का प्रयोग किया जाता था। मारवाड़ के उद्योगों में प्रमुख नमक का उद्योग था जो अंग्रेजों के अधीन था लेकिन उनको संचालित करने का अधिकार मारवाड़ के शासकों का था। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, हाथी दांत का उद्योग, चमड़ा उद्योग, पत्थर उद्योग, आदि उद्योग मारवाड़ में प्रचलित थे। मारवाड़ में उद्योग धंधे गांवों में विकसित थे तथा अधिसंख्या में लोगो को इन उद्योगों के द्वारा रोजगार प्राप्त होता था। अतः प्रस्तुत अध्याय में महाराजा भीमसिंह कालीन सामाजिक व आर्थिक दशा का वर्णन किया गया है।

**(5) अध्याय पंचम : महाराजा भीमसिंह स्थापत्य कला एवं साहित्य के संरक्षक के रूप में:—** स्थापत्य कला मनुष्य के विकास और पतन को यथार्थ रूप से प्रकट कर देती है। इस कला के विकसित रूपों में हम मनुष्य के अनवरत प्रयासों को खोजते है जिससे उसकी सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के प्रति विचार, जीवन के प्रति दृष्टिगोचर, सौन्दर्यात्मक सूची ज्ञात होती है। किसी भी काल में बनी हुई इमारत, स्मारक, मंदिर, गुफाए, स्तूप किले, महल ताम्रपत्र आदि उन समय के समाज का दर्पण है। उस समय में समाज की स्थिति का पता स्थापत्य से ही लगता है। मुसलमानों के आक्रमण के कारण कई ऐतिहासिक इमारते, मंदिर तोड़े गये थे फिर भी राजपूताना में पुनः निर्माण करके अपनी धरोहर को बनाये रखा है। राजस्थान की विभिन्न रियासतों में जोधपुर रियासत एक मात्र ऐसी रियासत है जहां पर राजा महाराजाओं के द्वारा निर्मित इमारते महल आदि महाराजाओं की सम्पति नहीं होती थी उन पर सरकार का अधिकार होता था।

महाराजा भीमसिंह के स्थापत्य में कई कुएं, बावड़िया, झालरे, तालाब, स्मारक, महल, मंदिर आदि आते है। उन्होंने कुछ का निर्माण करवाया तो की मरम्मत करवाकर अपने राज्य को सुदृढ़ बनाया उनके समय कई बावड़िया तो लुप्त हो चुकी है लेकिन कुछ आज भी है।

मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की शान जिसे राव जोधा ने शुरू करवाया था लेकिन एक शासन काल में इतनी बड़ी इमारत को खड़ा करना सम्भव नहीं है इसलिए समय–समय पर कई महाराजाओं ने इस दुर्ग का अलग–अलग हिस्सा बनवाकर इसे सम्पूर्ण किया महाराजा भीमसिंह ने मेहरानगढ़ दुर्ग में लोहापोल व फतेहपोल के कई झरोखे व कोटड़ियों का निर्माण करवाया। इसके अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थिति चामूण्डा माता के मंदिर में कली करवाने व शिखर पर सोने का कलश लगवाने का कार्य किया। महाराजा भीमसिंह ने अपने पूर्वजों का मान सम्मान बनाए रखने के लिए मण्डोर में स्थित उनके थडे की भी मरम्मत करवाई। इन्होंने अजीत सिंह जी के थडे को पूरा करवाया। तलहटी के महलों में हमामपोल का कार्य करवाया, इन्द्रराज सिंघवी की हवेली, रघुनाथ जी मंदिर, शीतला माता जी की मूर्ति, ठाकुर मुरली मनोहर मंदिर, फतहसागर, देरावर जी का महल व तालाब, बालसमंद घाटी के महल, नाजर जी की बावड़ी आदि का निर्माण महाराजा भीमसिंह ने करवाया।

महाराजा भीमसिंह के समय भीमप्रबंध महाकाव्य भट्ट हरिवंश विरचित, भीमसिंह री ख्यात तथा कवि रामकर्ण अलंकार समुच्चय नामक पुस्तक तथा डीगल साहित्य का उल्लेख मिलता है।

इस प्रकार महाराजा भीमसिंह के स्थापत्य व साहित्य के संरक्षक का विस्तृत रूप प्रस्तुत किया गया है।

**(6) अध्याय षष्ठ : महाराजा भीमसिंह की मृत्युः–** महाराजा भीमसिंह, महाराजा विजयसिंह के पौत्र व भोमसिंह का पुत्र थे। इनका काल 10 वर्ष तक रहा। मारवाड़ की ख्यात में इनके धाम प्राप्त होने के पूर्व इसकी सूचना सुनाई देती थी उसे सुणावणी कहा जाता था। मृत्यु से संबंधी संस्कारों का विस्तारपूर्वक वर्णन प्रस्तुत अध्याय में किया गया है।

महाराजा भीमसिंह की कार्तिक वदि 8, 1860 वि.सं. रविवार को महाराजा की तबीयत खराब हो गई थी और उनको खून के दस्त लग गये थे मारवाड़ की परम्परा के अनुसार ज्योतिष को बुलाकर ग्रह नक्षत्र आदि दिखाया गया था।

मृत्यु से पहले से संकल्प कराये जाने का उल्लेख हुआ। इनकी मृत्यु होने पर जनाना ड्योढी में खबर पहुंचाई गई तथा जनाना में सती होने की तैयारी होने लगी थी। महाराजा भीमसिंह के पीछे 8 रानियां, 4 पड़दायतीयां, 7 गायणियां, 8 डावडीया, के सती होने का उल्लेख किया गया है। इनकी तीन रानियां शेष रह गई थी जो राणी कछवाई जी, राणी देरावर जी व राणी छोटा भटियाणी जी का वर्णन भी दिया गया है।

महाराजा की मृत्यु की खबर को जब जालौर पहुंचाया गया जहां मानसिंह अपना अधिकार कर के बैठ गया था तो मानसिंह ने यह खबर कई जनो को पूछवाई, फिर जोधपुर की ओर रवाना हुए। जो सामंत, ओहदेदार थे शेष रह गये थे वे अब मानसिंह की ओर चले गये थे क्योंकि मानसिंह ही मारवाड़ के महाराज बनने वाले थे।

इस प्रकार तत्कालीन परिस्थितियों में किस प्रकार राजसत्ता प्राप्त करने से लेकर उसे बनाये रखने तक कितने ही षड़यंत्रों व कुचक्रों में शासक का समय व्यतीत होता था और इस निराशाजनक नकारात्मक वातावरण में शासक से लोक कल्याणकारी कार्यो की अपेक्षा करना वास्तविकता से परे था। इसलिए हम कह सकते है कि वो शासक विरले ही थे, जो परिस्थितियों को अपने वश में रखकर अपने राज्य में सकारात्मक वातावरण बनाये रखने और प्रगति की ओर कुछ कदम बढ़ाने में सफल रहे।

**(7) उपसंहार** – इस अध्याय में शोध प्रबंध के समस्त अध्यायों से प्राप्त निष्कर्ष एवं शोध कार्य की संभावनाओं को उल्लेखित किया गया है। यह विषय सभी शोधार्थीयों के लिए अछूता रहा है इसलिए इस शोध से संभावनाए है कि यह शोध नवीन इतिहासप्रद जानकारी उजागर करेगा।

**इस शोध में कई सुझाव है–**

1. किसी शासक के बारे में लिखने से पहले उनकी जन्म मृत्यु का सटीक दस्तावेज का अध्ययन करके ही लिखा जाये।

2. किसी शासक के बारे में शोध किया जाये तो उससे पहले की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक गतिविधियों को भी ध्यान में रखा जाए।
3. शासक की स्थापत्य का वर्णन वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख कर ही किया जाये।
4. शासक के समय बनी किसी भी इमारत, भवन, कुए, झालरे, बावड़ी का भ्रमण करते समय अपने विभाग की तरफ से एक आज्ञा पत्र जरूर साथ में ले जावे।
5. जिस विषय पर शोध कर रहे है उसका प्राथमिक सामग्री को ही महत्व देवे।
6. शोध करते समय किसी से भी अभद्र व्यवहार नहीं करे क्योंकि यह व्यवहार आपके शोध को प्रमाणित करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है इसलिए शोध को प्रमाणित करने के लिए अपने व्यवहार को विनम्र रखे।
7. शोध करते समय राष्ट्रीय धरोहर को कोई नुकसान नहीं पहुंचावे।
8. किसी भी विषय पर शोध करने के लिए प्राथमिक सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो उस प्राथमिक स्त्रोत की जानकारी कोर्स वर्क में ही उन प्राथमिक सामग्री को पढ़ाने का प्रयास किया जाये।
9. यह शोध कार्य शोधार्थी के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा क्योंकि मेरा शोध विषय नवीनतम है।

**सन्दर्भ सूची**– शोध प्रबन्ध के अंत में सन्दर्भ में सूची दी गई है जिसमें उन स्त्रोतों व सन्दर्भों को दर्शाया गया है, जिनकी सहायता से इस शोध ग्रन्थ को लिखने में सहायता ली गई है। इस सूची के अन्तर्गत विविध अभिलेखागारों में रखे अप्रकाशित ग्रन्थों, गजेटियरो, रिपोर्टो, प्रकाशित ग्रन्थों एवं अंग्रेजी भाषा के ग्रन्थों व पत्र–पत्रिकाओं का विवरण दिया गया है।